राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 18

बुधवार,

25 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। आपने थोड़े समय के लिए ही वाकआउट किया था? प्रश्न काल। श्री हीरालाल निवाई

निवाई की पुलिस चौकियों को क्रमोन्नत करने की योजना

355. श्री हीरालाल (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नये पुलिस थाने व पुलिस चौकियां खोलने व विद्यमान पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई बाइपास झिलास, झिराणा व राहोली में संचालित पुलिस चौकी को थानों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बड़ागांव, डोडवाडी व सिरोही में नई पुलिस चौकी सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) नये पुलिस थाने/पुलिस चौकियां खोलने तथा विद्यमान पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत करने का निर्णय क्षेत्र की आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत लिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में पुलिस चौकी झिलाय नाम से कोई भी पुलिस चौकी स्वीकृत नहीं है। यहां पर 4 वर्ष पूर्व अस्थाई पुलिस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चौकी संचालित थी, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। कस्बा झिलाय में स्थाई पुलिस चौकी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण कर आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। पुलिस चौकी झिराना तथा पुलिस राहोली के वर्तमान अल्प कार्यभार को देखते हुए इन पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई के बड़ागांव, डोडवाडी व सिरोही में नई पुलिस चौकी सृजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजरी का ओवरलोड होता है जिससे आए दिन घटना होती है। मैंने पूर्व में भी 295 के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है। पिछले तीन सालों में करीब 1000 से ऊपर घटनाएं हुईं, जिसमें 250 लोगों की जान गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निवाई में एक सदर थाना बाइपास पर खोला जाए ताकि इन घटनाओं पर कन्ट्रोल किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पुलिस चौकी करेड़ा, नोहटा, बगड़ी, नानेर और गहलोद, गहलोद ऐसा स्थान है मेरे पीपलू उपखण्ड में, जहां बजरी का आवागमन होता है और आये दिन दुर्घटना होती है। वहां ओवरलोड ट्रक, पिछली दफा भी एक महिला खतम हो गई थी। इस तरह की कानून व्यवस्था होती है तो गहलोद और वनस्थली जहां-जहां चौकियां यह हैं, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया, जहां-जहां चौकियां हैं मेरे इलाके में, पर्याप्त संसाधन, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, थाने में भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। वहां स्टाफ उपलब्ध कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि 28.2.2015 को मेरे यहां सर्राफा के यहां लूट काण्ड हुआ जिसमें मदन मीणा फायरिंग में खतम हो गया, गोविन्द सोनी घायल हुआ, सर्राफ का लड़का। जिला प्रशासन ने उनको उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि अपराधियों को तत्काल पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): ताकि अपराधों में कमी आ सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान में ही नये थाने, चौकियां, सर्किल और एडिशनल एस पी और बाकी सब बनाने की प्रक्रिया, हमारे पूर्व आईएएस रिटायर्ड परमेश्वरजी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है वह कमेटी इस सब को देख रही है। एसडीओ, तहसील, पंचायत समिति और थाना, इन सबकी पैरीफेरी ठीक तरह से मार्क हो ताकि काम में सुविधा हो। लेकिन यह सारा निर्णय तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही सम्भव हो पाएगा, पहले नहीं। आपने जो मांगा है, यह बात सही है कि आपका निवाई क्षेत्र है उसमें अपराधों की संख्या बाकी थानों के एवरेज से अधिक है।

श्री अध्यक्ष: मेरा भी क्षेत्र रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से है। जो थाने आपने मांगे हैं, आपने तीन थानों को मांगा है। पुलिस चौकियां जिन्हें माननीय विधायक थाने में क्रमोन्नत कराना चाहते हैं पहला है झिलाय, जो कभी अस्थाई चौकी थी और वह हटा दी गई है। निवाई में जो अपराध है वह मैं आपको बता रहा हूं। सामान्यत: राजस्थान में 80 हजार से अधिक जनसंख्या पर एक थाने का एवरेज आता है, 881 थाने हैं, जनसंख्या का आंकड़ा बैठता है उस दृष्टि से भी टोंक जिले में केवल 64 हजार की आबादी पर एक थाना बैठ रहा है। अपराधों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में जो एवरेज आता है अपराधों में, वह 311 राजस्थान का एवरेज है अपराध का। आपके यहां का एवरेज है वह 266 है, अपराधों की दृष्टि से भी बैठता नहीं।

जो थाने आपने मांगे, पहला झिलाय, इसमें वर्ष 2012 में 37 अपराध दर्ज हुए, 2013 में 43 हुए, 2014 में 87 हुए। दूसरा थाना आपने मांगा झिराना, जो पीपलू के अन्तर्गत आता है, इसकी अपराध संख्या है 2012 की 27, 2013 की 57 और 2014 की 47 है। फिर तीसरा थाना आपने मांगा है राहोली, इसकी अपराध की स्थिति है, यह निवाई का है इसमें 2012 में 26, 2013 में 42 और 2014 में 47 है।

आपने जो नई चौकियां मांगी हैं, इन चौकियों के बारे में भी जब मैंने सारे आंकड़े निकाले तो बड़गांव में दतवास थाना है उसके अन्तर्गत भी आपने चौकियां मांगी हैं थाने से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है, आबादी 2800 है और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पूरे पांच वर्ष का जो अपराध दर्ज हुआ है वह मात्र 15 दर्ज हुआ है, जिसको आप चौकी चाहते हैं।

सिरोही जिसको आप चौकी चाहते हैं यह भी दतवास थाने के अन्तर्गत आता है, 14 किलोमीटर इसकी थाने से दूरी है, चार हजार आबादी है और पूरे पांच साल के अपराध केवल 35 हैं।

आपने डोडवाडी मांगा है, यह भी पीपलू थाने का हिस्सा है, 20 किलोमीटर थाने से इसकी दूरी है, दो हजार की आबादी है और पांच साल के अपराध केवल 25 हैं। तो अपराधों की दृष्टि से भी नहीं बैठता। केवल और केवल एक जिसके बारे में आप कह रहे हो, निवाई थाने का अपराध राजस्थान के स्टेट एवरेज से अधिक है। जब कभी भी हमें मौका मिलेगा विशेषकर परमेश्वरजी की कमेटी का फाइनल ड्राफ्ट आ जाने के बाद केवल आपकी ही नहीं, राजस्थान में जहां-जहां भी आवश्यकता हमको महसूस हो रही है और आप सब विधायक महोदय ने कट मोशन के माध्यम से भी, आप सब लोगों ने 9 थाने मांगे थे, 22 चौकियां मांगी थीं, क्रमोन्नति के 9 प्रस्ताव, यह आपके विभिन्न कट मोशन द्वारा भी हमको कनवे हुए हैं।

विभाग ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी उन्होंने चौकियों की मांग जरूर रखी है। पर वह सारा का सारा निर्णय, विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें 83 चौकियां, 7 थाने और 3 थानों को क्रमोन्नत करने का उन्होंने प्रस्ताव अपने लेवल पर भेजा है। जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा आया उसको भी हमने इकट्ठा कर रखा है। इसका निस्तारण तभी हो पाएगा जब परमेश्वरजी की कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। हम चाहते हैं कि एसडीओ, तहसील, पंचायत समिति और थाने, इनकी सीमाएं एक के अन्तर्गत ही समाहित हों। मान लीजिए उसमें एक पंचायत समिति में दो थाने हैं तो वह दोनों उसमें रहे, आधा पोर्शन किसी तीसरे में जा रहा है, फिर चौथे में जा रहा है, हम वापस उनका सीमाकंन करेंगे।

मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन के सब सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि शायद यह पहला साल होगा जब बजट में कोई घोषणा नहीं थी लेकिन उसके बाद भी इस मेवात क्षेत्र में गोकशी को बचाने के लिए 37 नई चौकियां हमने साल के बीच में बिना फाइनेंशियल प्रस्ताव के भी स्वीकृत की हैं। अभी आए दिन डाक्टर्स और जनता के बीच होने वाले संघर्षों के कारण से विभिन्न प्रकार के हास्पिटल में भी हमने 17 चौकियां उसके लिए स्वीकृत की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं। मेडिकल, उसमें से हमने उन चौकियों पर स्टाफ लगाया है। आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से आपकी जो भी मांग आएगी, उसको आने वाले उस प्रस्ताव के साथ एडजस्ट करके, जितनी राज्य की क्षमता है उसके अनुसार निश्चित रूप से हम करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, निवाई थाना आजादी से पहले खुला हुआ था और निवाई की जनसंख्या 70 हजार के करीब है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम निवाई सदर थाना तो खोलें, जहां यह बजरी का ओवरलोड है। निवाई थाने पर अपराधों की वजह से भी इस पर थोड़ा कण्ट्रोल होगा, निवाई सदर थाना तो खोल ही दें, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब आ रहा है। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्षजी, मैंने पूर्व में ही कह दिया कि निवाई का अपराध एवरेज स्टेट की एवरेज से भी बहुत अधिक है। यह निश्चित है और जब कभी भी प्रस्ताव की स्वीकृति की जाएगी तो निवाई को जरूर ध्यान में रखेंगे। पर उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद ठीक ढंग से उसको खोल पाएंगे। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपने कट-मोशन के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र की मांग रखी है, उस रिपोर्ट आने के बाद और जो कुछ भी हमारी क्षमता होगी, उसके अनुसार निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न, बाबूसिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने पंचायती राज में परिसीमन और पुनर्गठन किया है। अब तहसीलें बनी हैं, उप खण्ड भी बन गये हैं और पंचायत समिति मुख्यालय भी बन गये हैं। थाना एक है, लेकिन दो अलग-अलग उप खण्ड एरिया में बंटा हुआ है। इसलिये हम यह चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने पंचायती राज का पुनर्गठन और परिसीमन किया है, उसी तर्ज पर इन चौकियों को क्रमोन्नत करना, नये थाने खोलना, थानों को क्रमोन्नत करने का विचार आप शीघ्र रखते हैं? साथ ही जहां निरीक्षक की पोस्ट स्वीकृत है, सर्किल इंस्पेक्टर, सी.आई. की, वहां पर उप निरीक्षक पुलिस, एस.एच.ओ. लगे हैं। तो

(श्री बाबू सिंह)

जहां पोस्ट स्वीकृत है, उसी अनुरूप थाना चलाने का विचार रखते हैं या नहीं? स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जो सम्भावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही, अपने सारे उत्तर को समाहित करने का प्रयास किया। मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वरजी की रिपोर्ट, शायद 31 मार्च तक का उनको समय दिया है, अगर उसमें रिपोर्ट पेश हो गई तो पेश होने के बाद, मैं अपने थानों का भी परिसीमांकन का, वापस रिआर्गनाइजेशन करुंगा, पूरे राजस्थान का। आने वाले छह महीने में मैं राजस्थान की पुलिस का एटलस बना करके भी जनता के बीच में रखूंगा कि मेरे कौनसे थाने का एरिया कहां है और वह पुलिस एटलस प्रत्येक जिले के अनुसार भी होगी, प्रत्येक थाने के अनुसार होगी। उसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से हम इस काम को करेंगे, पर उस रिपोर्ट को आने के बाद रिआर्गनाइजेशन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम। (व्यवधान) नहीं, बैठिये। नो, नो, नो। आप बैठिये, प्लीज, प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान) प्लीज आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मंत्री आपके आपस में बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आपके निर्देशों के बावजूद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिये। प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं। प्लीज बैठिये। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपस में चर्चा कर रहे हैं ... (व्यवधान) आपके निर्देश हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका आ गया, दो पूरक प्रश्न हो गये। नहीं, माननीय हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): उनको पकड़ा जाये और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय हीरालालजी, बैठिये। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री सुखराम विश्नोई)

माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि जहां पुलिस चौकी खुली हुई है वहां कोई सक्षम अधिकारी लगा नहीं और केवल मात्र चार कांस्टेबल रहते हैं। क्या आप उनकी पूर्ति करेंगे? नम्बर दो, इसी पुलिस चौकी में कोई मापदण्ड बना हुआ है, आपराधिक मापदण्ड के आधार पर खोली जाती है या जनसंख्या के आधार पर खोली जाती है, स्पष्ट करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा उनका होगा, ज्यादा नहीं, नो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): थाने और पुलिस चौकियां खोलने के कई प्रकार के मापदण्ड तय किये हुए हैं। एक तो क्षेत्र में अपराधों की स्थिति क्या है, थाने से उस स्थान की दूरी कितनी है, उस क्षेत्र में अपराध की स्थिति क्या है, इन सब बातों को देख करके हम उसका निर्धारण करते हैं और जनसंख्या भी उसमें एक भाग रहता है। रहा सवाल, यह सच है कि जितनी चौकियां खुली हुई हैं और जितनी स्ट्रेन्थ हमने दी हुई है, उसकी पूर्ति 100 प्रतिशत नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि पुलिस की भर्ती तो हो गई, पिछली बार भी 10 हजार और अभी 12 हजार की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है लेकिन जब तक इनकी ट्रेनिंग हो करके पोस्टिंग के लायक नहीं रह जाएं तब तक हमारे पास इन पदों को भरने में दिक्कत है। लेकिन मैं सोचता हूं कि साल के अन्त तक, 2016 के 31 मार्च के पहले-पहले, जो पुराने थाने और चौकियां हैं, उनकी जो स्ट्रेन्थ है, उस स्ट्रेन्थ में 90 प्रतिशत भरने का प्रयास करुंगा। शायद है, जो कुछ मुझे अभी पुलिस उपलब्ध है, उसको लगा करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करुंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री घनश्याम।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसके बाद नहीं, तीसरा हो गया, नो, नो, नो। आप मिल लेना। (व्यवधान) उन्होंने बहुत व्यापक उत्तर दे दिया, आप मिल लेना। यह तीसरा पूरक प्रश्न है, अब पूरक प्रश्न नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसे पर्टिकूलर एरिया हैं, जहां क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां सरकार को कोई ऐसी प्लानिंग बनानी

(श्री घनश्याम)

चाहिए कि अलग से वहां स्टाफ लगाना चाहिए, जैसे डकैती का एरिया है, जहां दस्यू उन्मूलन है, कई ऐसे चौराहे हैं, जहां आये दिन घटनाएं होती रहती हैं। वहां पुलिस की चौकियां खोलनी चाहिए। जैसे कैमला में अभी बैंक की डकैती हुई, सरेआम। ऐसे एरियाज में वहां पुलिस की चौकी होना आवश्यक है। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है, जहां सैंसिटिव एरियाज हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्षजी, मैंने आपके माध्यम से सदन को यह कहा कि निश्चित रूप से जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर ही पुलिस ने 83 चौकियों का प्रस्ताव अपने लेवल पर भेजा और आप लोगों ने भी कट मोशन के माध्यम से जो मांगा है, इन सबको देखते हुए, जब यह परमेश्वरजी की रिपोर्ट आ जायेगी, उसके बाद रिआर्गनाइजेशन जब करेंगे, फिर क्षेत्र की आवश्यकता, आबादी, अपराध बाकी सब चीजों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देख करके हम वापस, नई खोलने की आवश्यकता होगी, वह भी खोलेंगे और जो हैं उनके भी क्षेत्र को थोड़ा एडजस्ट करके क्राइम को रोकने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): प्रश्न संख्या 356 ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, बानसूर में खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, मंत्रीजी। (व्यवधान) साहब, मर्डर भी हो चुका, लूटपाट हो रही है, कस्बे में, इसलिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। नहीं, आप बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक चौकी खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। आप बैठिये। यह चैप्टर मैं नहीं खोल सकता। श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

356. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद किस-किस श्रेणी में स्वीकृत हैं? इनमें से वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों?

(श्री गोतम कुमार)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (**श्री वासुदेव देवनानी**): (1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के पदोन्नति से 03 एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति से 40 एवं सीधी भर्ती से 32 पद भरे गये हैं।

शेष रहे रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, मेरा पिछले साल 01.08.2014 का एक प्रश्न था, उसके जवाब में आपके विभाग से जानकारी मिली थी कि आपके यहां अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा में 605 पद हैं, उसमें से 346 पद रिक्त हैं। अब जब आज मेरा तारांकित प्रश्न वापस लगा है तो उसके उत्तर में अभी 724 पद बताये गये हैं और उसमें से 391 पद रिक्त बताये गये हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो जवाब आपका है, यह छह महीने में पद कहां से बढ़ गये हैं? पहले भी प्रश्न के उत्तर में आपने यह बताया था कि हम आपके सारे पद भर देंगे। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां प्रधानाध्यापकों की आपने नियुक्तियां की हैं। व्याख्याताओं के 175 पद हैं, उसमें से सिर्फ 38 पद भरे हुए हैं, 137 पद खाली हैं। व्याख्याताओं के 80 प्रतिशत पद खाली हैं। आपने पूर्व में भी कहा था कि जब भी पदोन्नति होगी, नई भर्ती होगी। अब तो नई भर्ती भी हो गई और पदोन्नति भी हो गई लेकिन हमारे यहां पद नहीं भरे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। पिछली बार भी प्रश्न लगाया था, जब जयपुर के लिये जानकारी चाही थी कि जयपुर शहर में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तो यहां 100 के बजाय 110 लोग लोग कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये, सवाल।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): हां, सवाल ही तो है।

श्री अध्यक्ष: यह भूमिका मत बांधिये। जयपुर की नहीं, आप बड़ी सादड़ी की कहिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): भूमिका नहीं, मैंने प्रश्न लगाया था, उसका जवाब आया था।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो बड़ी सादड़ी, वह प्रश्न।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जवाब में 110 प्रतिशत अध्यापक यहां कार्यरत हैं और हमारे वहां 27 प्रतिशत कार्यरत हैं, 22 प्रतिशत कार्यरत हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। हमारा ट्राइबल बैल्ट है, वहां शिक्षकों की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब आयेगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जो जवाब दिया है, जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है, उनको भी आप थोड़ा-सा टाइट करें, किस तरह से वे जवाब दे रहे हैं। आप विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि विभाग में कई पद खाली हैं, जिनका अभी शिक्षा की जब डिमाण्ड थी तो मैंने उत्तर दिया था कि हमने भरने की प्रक्रिया शुरू की है। अभी इसी माह हम लगभग 12 हजार व्याख्याताओं के पद भरने जा रहे हैं, जिसमें 7741 तो डी.पी.सी. से, और 4010 जो सीधी भर्ती से, आर.पी.एस.सी. से आने हैं, वे शुरू हो गये और रिजल्ट आने हैं। मुझे लगता है कि अगले महीने तक हम इन पदों को भर देंगे, उसमें व्याख्याताओं के पद, चूंकि अभी तक रिक्त इसीलिये रहे हैं कि वे कई वर्षों से, मुझे पुरानी विरासत में यह जो मिला है, उसको मैं भरने का प्रयत्न कर रहा हूं। साथ में जो अध्यापक, ग्रेड-तीन के जो हैं, उसमें पंचायत राज सैट-अप की एक्सरसाइज प्रारम्भ कर दी है। उसमें से भी अध्यापक मिलेंगे। लगभग 60 हजार थर्ड ग्रेड के और 8000 सैकिण्ड ग्रेड में, वहां से सैट-अप चेंज हो करके शिक्षा विभाग में आयेंगे, जिसके आधार पर थर्ड ग्रेड के पद भी भरने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

जहां तक वरिष्ठ अध्यापकों का प्रश्न है, यह शायद पहली बार हम तय कर रहे हैं, एक अप्रैल से 2015-16 की डी.पी.सी. भी मैं प्रारम्भ करने जा

(श्री वासुदेव देवनानी)

रहा हूं जो वर्षों तक नहीं होती आई है। अब तक वर्ष 2014-15 की तो हमने कर ली लेकिन एक अप्रैल से वह डी.पी.सी. करवाकर इनके डी.पी.सी. के पद भी भरेंगे।

एक जो दिक्कत आती है, वह मैं अभी देख रहा था सारे ढांचे में कि 2012-13 के अन्दर कई पदोन्नतियां हुईं लेकिन कई अध्यापकों ने ज्वाइन नहीं किया तो डिपार्टमैंट के अन्दर ज्वाइन न करने की सूचना वह लोग भेजते नहीं हैं इसलिए वह पद भरे हुए कई बार माने जाते हैं। इस आधार पर भी हमने तय किया है कि एक निश्चित तिथि तक यदि कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो उनकी पदोन्नति रद्द मानी जाएगी। इस निर्णय के बाद मुझे लगता है कि जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को हम ठीक कर सकेंगे।

साथ में मैं आपसे एक आग्रह और कर रहा हूं कि मई, जून में पदों का रेशनलाइजेशन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। जिसके आधार पर आपके यहां पर निश्चित रूप से बाकी जिले की तुलना में या अन्य जिलों की तुलना में पद खाली हैं, जिसको मैं भरने का प्रयत्न पूरी तरह से करूंगा।

जहां तक सूचना की बात आपने कही, सूचना जिस अधिकारी ने भी गलत दी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। दूसरा।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जयपुर में, जैसे एक मैंने पूछा था कि 110 परसेंट भरे हुए हैं तो यहां तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जयपुर का नहीं, बड़ी सादड़ी का पूछिए आप। वह आ गया जवाब। बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित प्रश्न पूछिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तो वहां जब ज्यादा काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो यहां पर अब आप लगाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आ गया, आप बोल चुके हैं। बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित पूछें।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक सैकिण्ड। एक तो आप ज्यादा लगाएं और जैसा आपने उत्तर में कहा कि यह जो आप करेंगे, जो छात्रों की संख्या के आधार पर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द से जल्द अभी जो पदोन्नतियां हो रही हैं इसमें हमारी विधान सभा का विशेष रूप से ध्यान रखें

(श्री गोतम कुमार)

क्योंकि 80 परसेंट व्याख्याताओं के पद खाली हैं। प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखकर एक बार पुन:, जो आप छात्र संख्या के आधार पर आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री जगदीश नारायणजी। आप बैठिए। नहीं आप बैठिए। बीच में नहीं। नो-नो, बैठिए आप। आप बैठिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बार आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं सुनूंगा मैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर का उत्तर दिया है इन्होंने, इसी उत्तर में कि जयपुर में 130 परसेंट भरे हुए हैं इसलिए पूछ रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं संचालन कर रहा हूं, आप नहीं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पदोन्नतियों से या सीधी भर्ती से जो पद आएंगे, केवल बड़ी सादड़ी ही नहीं, पूरे राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र का ध्यान रखकर विद्यार्थियों के अनुपात में पद भरने का प्रयत्न करूंगा। आगामी सत्र में आपको निश्चित रूप से सुधार धरातल पर दिखाई देगा।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न श्री जगदीश नारायण। नो, जगदीश नारायण।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में ज्यादा क्यों भरे हुए हैं? पहले तो यह बताओ आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कहां? आप बैठ जाइए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जयपुर में ऐसा क्या है? स्कूल दो तो जयपुर में, हास्पिटल दो तो जयपुर में, सड़कें सारी जयपुर में तो फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: कपासन से आने वाले माननीय विधायक, बैठिए। नहीं, आप इस तरह से नहीं। आप बीच में मत बोलिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है। जगदीश नारायणजी, बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): जी।

श्री अध्यक्ष: मैं जिसको अलाउ कर रहा हूं आप उसी का जवाब दीजिए। (व्यवधान) आप बैठिए, आपका जवाब नहीं आएगा। नहीं, आप बैठिए। जवाब नहीं दें।

बिलकुल नहीं। मैंने जगदीश नारायणजी को पुकार लिया है। बिलकुल नहीं। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, आप बैठिए। नहीं, यह नहीं चल सकता। श्री जगदीश नारायणजी। नहीं, आप बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ...(व्यवधान)... प्लीज, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: आपको इजाजत नहीं। आप बैठ जाइए। नो। जवाब देने की जरूरत नहीं है। नोट करने की जरूरत नहीं। नोट करने की कोई जरूरत नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिए आप। आप बैठिए। केवल जगदीश नारायणजी का ही नोट होगा। बस, बैठिए आप। नो।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डी.पी.सी. के द्वारा या अध्यापकों की व्यवस्था के द्वारा मई-जून तक तो सारी व्यवस्था हो जाएगी पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां सीनियर सैकण्डरी के प्रिंसिपल नहीं हैं, जहां सैकण्डरी के प्रधानाध्यापक नहीं हैं, उनके बगैर उन स्कूलों को चलाना सम्भव नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, तो यह कब तक लगाने की योजना है, कब तक लगा देंगे? यह मैं जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। कह चुके, फिर और सुन लो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की पीड़ा सही है इसलिए 1604 प्रिंसिपल के पदों की डी.पी.सी. हो चुकी है और अगले एक जुलाई से पहले 1604 प्रिंसिपल्स को भी जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर हम लगा देंगे। जहां तक उन्होंने पूछा है, जयपुर की बार-बार बात आ रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, नहीं, उन्हीं का जवाब दीजिए। (व्यवधान) श्री शंकर सिंह। उनको पुकारा है मैंने, रावत को।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय, सब जगह पर आप संख्या के आधार पर व्यवस्था दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुधार कर रहे हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं राजकीय माध्यमिक विद्यालय पालड़ी और राजकीय माध्यमिक विद्यालय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, जवाब नहीं आएगा। जवाब नहीं आएगा। जवाब नहीं दें, देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उनके अन्दर एक-एक अध्यापक है। माध्यमिक विद्यालय में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। नहीं, सवाल बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित है। नो-नो बैठिए। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक विद्यालय में एक टीचर है। बोर्ड की परीक्षा चल रही है। कैसे वह परीक्षाएं दे पाएंगे बच्चे? एक-एक टीचर है।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न श्री मदन राठौड़। आप बैठिए। श्री मदन राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जहां पर सरप्लस हैं, उनको कम करो।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो इनका। अंकित नहीं हो। यह क्या मतलब है? बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित प्रश्न है। हां।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी का ही सवाल है। जब पहले उत्तर में छह सौ और कुछ पद बताये हैं और अभी 743 बता दिए तो पद बढ़ कैसे गये? यह कृपया बताएं। नहीं, जयपुर का नहीं पूछ रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार, पद बढ़े नहीं हैं, कुछ 'रमसा' के पद स्वीकृत हुए हैं इसलिए उन पदों को इसमें जोड़ दिया गया है, बाकी पद वही हैं। इस आधार पर और फिर भी मैंने आपको कहा है कि ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 'रमसा', ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मदनजी, नहीं, आप बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह जवाब दे रहे हैं, पहले आपको जवाब सुनना चाहिए। पहले जवाब सुन लें। नहीं, नो-नो, पहले जवाब सुन लीजिए। बैठिए आप। बीच में ही उठ जाते हो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको दो बातें स्पष्ट कही है। एक तो 'रमसा' के पद बढ़े, इसके अलावा भी मैंने इनको आश्वस्त किया हैं कि यदि किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा, यह मैं घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बात हुई न। (व्यवधान)

उदयपुरिया (चौमूं) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

357. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदंड निर्धारित हैं? मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम उदयपुरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। मानदंड की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम उदयपुरिया, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के अधीन आता है। ग्राम उदयपुरिया में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 10 प्राथमिक स्वास्थ्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

केन्द्र स्वीकृत हैं इसलिए ग्राम उदयपुरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जैसा कि मंत्रीजी ने अपने उत्तर में जवाब दिया कि सामान्य क्षेत्र में 30 हजार और जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय ने, पूरे राजस्थान के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ववर्ती सरकार ने खोले हैं वह क्या मापदंडों के अनुसार खोले हैं? क्या आपने उनकी जांच करवा ली और जब, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिथिलता देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भी आप स्वीकृत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वर्ष 2000 के अन्दर योजना आयोग ने पूरे देश के अन्दर एकरूपता लाने के लिए, कितनी-कितनी जनंसख्या पर कितने-कितने उप केन्द्र से लेकर और दूसरे संस्थान खोले जाएं, उसके बारे में मापदंड निर्धारित किए थे। इस अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच हजार जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में और तीन हजार सामान्य क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और 30 हजार पर सामान्य में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और एक लाख की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जहां पर खुलवाना चाहते हैं वह क्षेत्र गोविंदगढ़ पंचायत समिति का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोविंदगढ़ में 3 लाख 14 हजार की कुल ग्रामीण जनसंख्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित मापदंडों के अनुसार इनको दस की आवश्यकता है और दस ही वहां पर खोले गये हैं।

यह सही है कि इन मापदंडों के अनुसार पूरे राजस्थान के अन्दर कई जगह पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
स्वास्थ्य केन्द्र, यह मापदंडों को दरकिनार करके भी निश्चित तौर पर खोले गये हैं।

क्योंकि लोकतंत्र के अन्दर चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार की इच्छा है और उन सबके बारे में पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ इस प्रकार खोले थे, परन्तु आज राजस्थान के अन्दर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 71 स्थान ऐसे हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है, 302 स्थान ऐसे हैं जहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने आवश्यक हैं मापदण्ड के अनुसार और 943 जगह पर उप केन्द्र खोले जाने आवश्यक हैं। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि यह संस्थान हम खोल दें। पिछली सरकार ने भी 2013-14 के बजट में एक साथ 600 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। 125 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की थी और 2 हजार के लगभग इन्होंने उस समय उप-केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। पर इन सबके साथ हमें आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन भी करने पड़ेंगे। आज एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर 33 लाख रुपये की हमें स्टाफ के लिये और उसके संचालन के लिये आवश्यकता है जिसमें मुफ्त दवा योजना के अन्दर दवाई अलग है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे सामने चुनौती इस बात की है कि पूर्व में जो चिकित्सा संस्थान खुल गये, उन संस्थाओं को हम किस प्रकार संचालित करें, इसलिये हमने कई अभियान, कई अभिनव प्रयोग भी किये, ताकि हमें चिकित्सक उपलब्ध हो जायें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा चूंकि मापदण्ड से आपके यह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है इसलिये मैं इसमें असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं उदयपुरिया में, एक पवित्र स्थान है और इसमें बहुत बड़ा मेला भी इस गांव के अन्दर भरता है। अध्यक्ष महोदय, इसके आस-पास जो ग्राम पंचायतें बोल रहा हूं, मैं राजस्व गांव नहीं बोल रहा हूं। हाड़ोता ग्राम पंचायत है, भोपावास ग्राम पंचायत है, नांगरबरड़ा ग्राम पंचायत है, हादनोदा ग्राम पंचायत है, बलेकन और अणतपुरा ग्राम पंचायत है। अध्यक्ष महोदय, लगभग सात से आठ किलोमीटर की परिधि में और कोई दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य

(श्री रामलाल शर्मा)

केन्द्र नहीं है। यह नेशनल हाइवे से करीब 4 किलोमीटर दूर गांव स्थित है और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सरकार की मंशा भी रही है जिस तरीके से सरकार ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 108 की सुविधाएं दे रही है, 104 की सुविधाएं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, सवाल कीजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा क्या सरकार की जो मंशा है ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्या पीपीपी मोड के ऊपर या अन्य कोई योजनाओं के तहत भी इस गांव के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक पी.एच.सी. योजना बनाई है निश्चित तौर पर इस योजना के अनुसार पीपीपी मोड पर हमने अब तक, अध्यक्ष महोदय, 90 ऐसे स्थान चयनित किये हैं, जहां पर हमारे स्वास्थ्य केन्द्र, जो आज चल रहे हैं, इनको पीपीपी मोड पर देना चाहते हैं और उसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हम 33 लाख रुपये, जो संचालित करेगा, उसको देंगे वर्ष के और उसको अपना स्टाफ, डाक्टर लगाना पड़ेगा, हमारे मापदण्ड निर्धारित हैं। अगर उस मापदण्ड के अन्दर आपके पास इस प्रकार की कोई संस्था है, या इस प्रकार की कोई है, हालांकि आपका जो स्थान है, वह बिल्कुल नया होगा। फिर भी चूंकि नया प्रयोग हम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई योजना बनाकर आप लायेंगे तो निश्चित तौर पर विभाग उस पर विचार करेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, अगर पी.एच.सी. पीपीपी मोड पर यह ले जायेंगे, तो निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह मलिंगा। पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो अपने तमाम हास्पिटल खुले हुए हैं उनमें स्टाफ की कमी है। मेरे यहां भी बाड़ी में, सैपऊ में, बसेड़ी में और पूरे जिले में क्या अध्यक्षजी, पूरे प्रदेश में ही कमी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप कहीं से व्यवस्था कराएं, मेरे बाड़ी का जो हास्पिटल है, वहां 100 बैड के हास्पिटल में काफी पद रिक्त पड़े हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता

(श्री गिर्राज सिंह)

हूं कि आप मेरे बाड़ी के हास्पिटल में कब तक आप रिक्त पदों को भरने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, यह सीधा सवाल हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उस सवाल से सीधा सम्बन्धित नहीं है, परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि पूरे राजस्थान में हमारे तमाम प्रयास के पश्चात् भी आज 2,572 चिकित्सक, जो सीनियर स्पेशलिस्ट से लेकर चिकित्सा अधिकारी तक पद रिक्त हैं, 46 हजार से ज्यादा पैरा-मेडिकल विभाग में हमारे पास रिक्तियां हैं। राजस्थान सरकार ने पहल की है। हमने कल ही लगभग 14 हजार वेकेन्सीज पैरा-मेडिकल स्टाफ के भरने की पहली पहल की है और, अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमने वेकेन्सी निकालीं, उसमें 1560 के लगभग चिकित्सकों को भर्ती किया और जितने लोगों ने आवेदन किया, उन सभी को हमने कहा कि आप सलैक्ट हो गये, क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट निकालते गये, निकालते गये। आज तक 601 चिकित्सकों ने ज्वाइन किया है। 434 चिकित्सकों का हमने अभी तीन दिन पहले निकाला है, 27 तारीख उनकी ज्वाइनिंग की है, निश्चित तौर पर चिन्ता है। विभाग सजग है, विभाग सक्रियता से कोशिश कर रहा है। इसीलिये रन पी.एच.सी. की बात है, चाहे हैल्थ रूट की बात है, धौलपुर जिले के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हमने एक अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया है। जहां चिकित्सक नहीं हैं, वहां एक निश्चित रूट पर हमारी एम्बुलेंस जाएगी और उन सारे मरीजों का गांव में समय तय होगा, उन सबको सम्बन्धित सी.एच.सी. पर लेकर आयेंगे, जहां हमारे चिकित्सक होंगे और उनका इलाज कराकर वापस वहां छोड़ेंगे। इसलिये कई प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु राजस्थान नहीं, पूरे देश के अन्दर आज चिकित्सकों की लगातार कमी होती जा रही है और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस पर चिन्तित हैं, और हम लोग भी चिन्तित हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चिकित्सकों की पूर्ति किस प्रकार हो।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपतसिंह राजवी, दूसरा पूरक प्रश्न है यह।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, पहले एक निर्णय हुआ था कि पंचायत समिति मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे। अभी आपने जितने भी प्रस्ताव बताये हैं, चिकित्सक तो नहीं हैं, लेकिन इन-प्रिंसिपल एकरूपता लाने के लिये पूरे राजस्थान में, देश भर की तो एकरूपता आप

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लायेंगे, कब लायेंगे? जहां पर आउट-डोर बिल्कुल कम है, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जगह दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं, क्या ऐसा भी आप निर्णय रखते हैं? वित्त विभाग से आप पूछकर ही बताना थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, जवाब नहीं हो तो, नहीं देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2,136 जगहों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने चाहिये थे और 2,088 जगहों पर आज प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं। उसके पश्चात् भी चूंकि मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा कि कई स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बिना मापदण्ड के भी खोले गये। आज निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के लिये हमें 302 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की और आवश्यकता है। वित्तीय संसाधन होने के बाद हम शनैः-शनैः इन सारे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को खोलेंगे और विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा भारत सरकार ने जो निर्धारित मापदण्ड तय किये, उसमें जनसंख्या को आधार लिया और जनसंख्या के आधार पर अभी पुनर्सीमांकन पंचायत समितियों का हुआ है। पंचायत समिति नहीं, जनसंख्या के आधार पर आज भी राजस्थान में 71 जगह ऐसी हैं जहां हमें सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, जिसको हम सी.एच.सी. कहते हैं, वह खोले जाने की आवश्यकता है। यह जनसंख्या का आधार है, पंचायत समिति का आधार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल है कि क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के दबाव में बिना मापदण्ड पूरे किये ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी? क्या सरकार ऐसे गांव और कस्बे, जो मापदण्डों को पूरा करते हैं, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर पुनः विचार करती है?

मेरा एक प्रश्न और है, माननीय मंत्रीजी अभी 108 की चर्चा कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूं कि गत सरकार ने विधायकों को भी पत्र लिखा कि अपने अपने एम एल ए फण्ड से राशि दें और 108 खरीदें। एम्बुलेंस खरीदने के लिये कहा। लेकिन गत सरकार ने जो 108 एम्बुलेंस खरीदीं, जिन्हें सरकार खरीदकर आज तक भूल गयी, क्या उनको ढूंढकर निकालने की मंशा रखते हैं? यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि 600 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एक साथ खोलने की बजटीय घोषणा हुई और इनमें से, एक में भी न तो वित्तीय प्रावधान किया गया कि इसके अन्दर तनख्वाह का पैसा, अन्य संसाधनों का पैसा और ना ही इनमें चिकित्सक नियुक्त हुए। उसका परिणाम यह हुआ कि इन 600 में से 50 खुले हैं, बाकी सारे बंद पड़े हैं। पर चूंकि इन 600 में किस जगह पर आवश्यकता है, हम कोई राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखेंगे। कैबिनेट सब-कमेटी में, जिसकी सदारत माननीय गृह मंत्रीजी कर रहे हैं, उसके अन्दर भी यह विषय आया था, उसमें भी सहृदयता दिखाते हुए जिस जगह पर पहले प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की और जो संचालित हो गये, उनमें बजटीय प्रावधान करने का काम सरकार निश्चित तौर पर करेगी। 108 के लिये माननीय सदस्या ने कहा, 108, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में भी यह एक अभिनव प्रयोग हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, जब हम पूर्व में शासन में थे, तब किया था। राजस्थान में पहली बार 108 की सेवाएं प्रारम्भ की थी। यह बेड़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर कुछ इसमें एम्बुलेंस खरीदी गयीं। उन एम्बुलेंसों के फेब्रिकेशन में और उनकी बाडी के निर्माण में विलम्ब हुआ। मैंने उसके अन्दर जांच भी बिठाई है। मैंने उसके अन्दर जांच भी बैठायी है और जो भी एम्बुलेंसेज खरीदी गयीं, चाहे किसी सरकार के समय में खरीदी गयीं, उसमें बाडी बनाकर निर्धारित मापदण्ड पूरे करेगी, उनको संचालित करने का काम सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: तीन पूरक प्रश्न हो चुके हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज का ही प्रश्न लगा हुआ है मेरा।

चित्तौड़गढ़ में आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण

358. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़):- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में कच्ची बस्तियों में रहने वाले

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

गरीब तबके के लोगों के लिए आई.एच.एस.डी.पी. योजना 2005-06 के तहत वर्ष 2007-08 में आवास विकास संस्थान की ओर से आवास का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो कितने आवास का निर्माण किया गया था एवं उनमें कितनी राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासों का अब तक आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त आवासों के आबंटन नहीं होने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अब उक्त आवासों का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। चित्तौड़गढ़ की गांधी नगर कच्ची बस्ती के सर्वे अनुसार पुनर्वास हेतु आवास विकास लिमिटेड द्वारा रामदेवजी का चन्देरिया में आई.एच.एस.डी.पी. फेज प्रथम योजना के तहत 124 आवासों का निर्माण कराया गया है। इन 124 आवासों के निर्माण पर 191.24 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) जी हां। इन आवासों के आबंटन हेतु परिषद द्वारा तीन बार समाचार पत्रों में आम सूचना का प्रकाशन करवाये जाने के उपरान्त केवल दो व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। गांधी नगर कच्ची बस्ती, जिसको पुनर्वासित करने हेतु उक्त आवास बनाये गये थे, इस बस्ती से चार-पांच किलोमीटर की दूरी पर है। अब यह परिवार गांधी नगर में वर्तमान निवास स्थान पर ही नियमन किये जाने की मांग कर रहे हैं। लाभार्थियों द्वारा सहयोग प्रदान नहीं करने के कारण आवासों का आबंटन नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं यह आवास करीब 2009-10 में बनाये हैं, आज बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, वह गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छे नहीं बनाये गये हैं और जो गांधी नगर कच्ची बस्ती है उससे करीब सात किलोमीटर दूर बनाये हैं।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, जैसा कि प्रश्न के खण्ड संख्या एक के उत्तर में बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ की गांधी नगर कच्ची बस्ती के पुनर्वास आई.एच.एस.डी.पी. फेज प्रथम में उक्त आवासों का निर्माण रामदेवजी का चन्देरिया में किया गया है जो वहां से लगभग सात किलोमीटर दूर है, क्या सरकार ने आवास निर्माण से पहले गांधी नगर कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों से सर्वे में रामदेवजी का चन्देरिया में आवास निर्माण के लिए किसी प्रकार के विचार-विमर्श का प्रस्ताव दिया गया था? यदि हां, तो क्या?

क्योंकि उसमें करीब दो करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या उक्त आवास निर्माण करने वाली कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी 124 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर विभाग को सभी आवासों का चार्ज दे दिया गया है अथवा उनमें अभी किसी प्रकार का कार्य बाकी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त एजेंसी को आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गांधी नगर कच्ची बस्ती से जो रामदेवजी चन्देरिया नाम का ग्राम है वो चार-पांच किलोमीटर दूर है। यह भी सही है कि गांधी नगर कच्ची बस्ती का मोटे तौर पर नियमन कर लिया गया और मैं जिन 124 मकानों की चर्चा कर रहा हूं वो मकान मेन रोड पर एंक्रोचमेंट हैं जिनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। 60-70 फुट की मेन रोड़ के ऊपर जो मकान लगातार आ रहे हैं, सड़क की सीमा में आ रहे हैं, उस सड़क की सीमा में आने वाले मकानों का चूंकि नियमितीकरण सम्भव नहीं है इसलिए उनको पुनर्वासित करने की यह स्कीम बनायी गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में बताया गया, यह 176 परिवार हैं इसलिए 2006 के अन्दर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी और जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद काम देने से पहले दोबारा सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि 176 परिवार नहीं हैं, मौके पर 124 परिवार ही हैं इसलिए 124 परिवारों के लिए 191 लाख रुपये के ये मकान बनाये गये जो 2011 में बनकर तैयार हुए। 2011 के अन्दर जब मकान तैयार हुए तो जिन 124 लाभार्थियों के लिए मकानों का निर्माण हुआ उनको कहा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अख़बार में एडवरटाइजमेंट देकर के कि आप एप्लाई करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें से केवल दो लोगों ने एप्लाई किया।

यह भी सही है कि मकानों का निर्माण जो 2011 में किया और आबंटन लेने के लिए उनमें से कोई आया नहीं और नगरपालिका के पार्ट के अन्दर उन लोगों को आवास आबंटन करने के लिए जितने गम्भीर प्रयास होने चाहिए थे उतने गम्भीर प्रयास नहीं हुए, इस कारण से यह मकान धीरे-धीरे जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गये।

2011 में जब वो कब्जा देने के लिए गये 124 मकान, 24 मकानों का कब्जा नगरपालिका ने ले लिया लेकिन 100 मकानों का कब्जा यह कह कर नहीं लिया कि उसमें कुछ मरम्मत के काम बाकी हैं। तो अभी भी वो 100 मकान वहीं पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन मकानों के अन्दर जो मरम्मत 2011 में बाकी थी, 2011 से 2015 तक वो मरम्मत बाकी क्यों रही, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उन सारे मकानों की मरम्मत पूरी करने के बाद नगर परिषद को, नगरपालिका को वो मकान हैंड ओवर कर दिये जाएंगे जिससे 60 फुट चौड़ी रोड पर, जिस सड़क पर उनका एंक्रोचमेंट है उन लोगों को वहां से वहां बसा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चित्तौड़ के किले से 750 मीटर के परव्यू में आती है, बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और वहां सड़क पर एंक्रोचमेंट बरदाश्त नहीं किया जा सकता इसलिए वहां सड़क के लोगों को उठाकर के वहां उन्हीं के लिए मकान बने हैं, उनको वहीं पुनर्वासित करना पड़ेगा और, माननीय अध्यक्ष महोदय, चार-पांच किलोमीटर की दूरी शहरों में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

जहां भी कच्ची बस्तियों का री-सैटलमेंट करेंगे, जहां रि-सैटलमेंट वर्ड है इसका मतलब जो प्रजेंट सैटलमेंट एरिया है उसके बाहर। तो इसलिए वो चार-पांच किलोमीटर की दूरी तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। इन 100 मकानों की निश्चित रूप से मरम्मत पूरी करके नगर परिषद को मकान दे दिये जाएंगे जिससे उन लोगों को, जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए मकानों का निर्माण हुआ है उनके लिए मकानों का आबंटन हो जाए और उनको उन स्थानों पर ट्रांसफर किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आवास निर्माण लगभग छह वर्ष पूर्व हो चुके हैं और निर्माण के बाद आबंटन नहीं होने के कारण सभी आवासों की हालत काफी खराब हो चुकी है, क्या अब उक्त आवासों का सदुपयोग कर उन्हें वर्ष 2009-10 की राजीव आवास योजना में जिन कच्ची बस्तियों का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में पांच-सात कच्ची बस्तियां हैं, उन सब कच्ची बस्तियों का सर्वे किया गया था? चयनित लोगों से गांधी नगर कच्ची बस्ती के बाशिंदों के साथ आवेदन लेकर आवासीय आबंटन करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? क्योंकि उसके अलावा भी चार-पांच कच्ची बस्तियां और हैं और वहां बी.पी.एल. भी हैं, उन सभी बस्तियों में से नाम चयन ले लें और एक पेपर में निकाल दें और जो भी उसमें लेना चाहे, क्योंकि आज वह आवास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और वापस अगर महीने, दो महीने, छह महीने में आप आदेश नहीं फर्मायेंगे, माननीय मंत्री महोदय, तो वापस वो ही हालत हो जाएगी। आज की तारीख में वहां न तो कोई किवाड़ हैं, न कोई खिड़की है, पूरा टूट चुका है इसलिए जितनी भी कच्ची बस्ती हैं उनसे आवेदन लेकर आप उनको सब को अलाट करवाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, जवाब आ रहा है। विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि चित्तौड़ में इस कच्ची बस्ती के अलावा भी कई कच्ची बस्तियां हैं और राजीव आवास योजना के तहत पांच हजार के लगभग ऐसे लोगों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था निश्चित तौर पर स्लम डवलपमेंट का जो प्रोग्राम सरकार ने हाथ में लिया है उसके तहत हम सबको मकान देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि वो 100 बचे हुए मकान हैं, 124 में से 24 मकान तो नगरपालिका को हमने हैंड ओवर कर दिये हैं और 100 मकान जिनको नगरपालिका को हैंड ओवर नहीं किये हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं कि मरम्मत की जरूरत है, निश्चित रूप से उन मकानों को आने वाले तीन महीने में वर्किंग कंडीशन में लाकर के नगर परिषद को सौंप दिया जाएगा।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मकान जिन लोगों के लिए बनाये गये थे और जिस परपज से बनाये गये थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस गांधी नगर कच्ची बस्ती का नियमितीकरण तो जैसा कि मैंने आपको

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
पहले भी निवेदन किया है, किया जा सकता है, किया जा चुका है, उनका नियमितीकरण केवल इसलिए सम्भव नहीं हुआ वो सड़क के किनारे एंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। सड़क के किनारे जो एंक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनका किसी भी प्रकार से नियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन महीने में मकानों को मरम्मत करके बिलकुल नये की हालत में हम पहुंचा देंगे और साथ में नगर परिषद को हैंड ओवर कर देंगे उन लाभार्थियों के लिए जिनके लिए यह मकानों का निर्माण शुरू किया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर, चित्तौड़गढ़ कच्ची बस्ती से सम्बन्धित।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): चित्तौड़गढ़ कच्ची बस्ती के बारे में ही बात करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा यह आग्रह है ...

श्री अध्यक्ष: आग्रह नहीं, सवाल कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री महोदय से सवाल यह है कि गुणवत्ता का जहां प्रश्न है, जब हमारे चित्तौड़ जिले में किला बना लगभग पांच हजार वर्ष पहले, आज तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा और आप कह रहे हैं कि छह साल पहले बने हुए भवन हैं, उनकी वापस मरम्मत कराने की आवश्यकता पड़ गयी। क्या क्वालिटी कंट्रोल की टीम नहीं थी? इस प्रकार से जो एजेंसियां काम करती हैं, क्या इसी तरह से हमेशा करती रहेंगी? उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जब काम चलता है, ए.ईएन., एक्स.ईएन., एस.ई, इन्जीनियर तक सब लोग वहां खड़े रहते हैं फिर इस प्रकार से घटिया काम क्यों होता है? क्या उसमें सीमेंट खराब आती है या बीच में दलाली ज्यादा होती है? यह क्या कारण रहे हैं?

इस प्रकार से मैं यह चाहता हूं भविष्य में कोई भी निर्माण हो, गुणवत्ता पूर्ण हो और जो-जो भी अधिकारी उस समय था उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि जिन 100 मकानों में आबंटन से पहले मरम्मत की जरूरत पड़ गयी, यह चिंता का विषय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है और इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों को उनके लिए पनिश किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।

आपने सही कहा कि जहां-जहां भी इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं वहां क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहे और इसीलिए मैं इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य में जितने भी निर्माण होंगे उनका थर्ड पार्टी आडिट होगा क्वालिटी कंट्रोल का, थर्ड पार्टी आडिट भी उन लोगों से होगा जो एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रश्नों का समाधान मैंने इसमें कर दिया है कि वो मरम्मत करने की जरूरत उनको पड़ी, इसके लिए इंक्वायरी की जरूरत है, हम इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और जिम्मेदार लोगों को उसके लिए बुक करेंगे। भविष्य में हम जहां भी निर्माण कार्य करेंगे उस निर्माण कार्य के अन्दर थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल की चैक की सुव्यवस्था हम अब शुरू करेंगे, इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, आगे नहीं। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें भी आप थर्ड पार्टी से करायेंगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये जवाब आ गया, जवाब आ गया। श्री हबीबुर्रहमान। (व्यवधान) कपासन से आने वाले माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री हबीबुर्रहमान, चित्तौड़गढ़ कच्ची बस्ती।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मेरे भी हाउसिंग बोर्ड में 800 मकान बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इसका जवाब नहीं आयेगा। नो, नो। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, उनके धक्का दें तो दीवार गिर जाती है ...(व्यवधान) उसकी जांच करायेंगे कि नागौर की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चित्तौड़गढ़ कच्ची बस्ती।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): चित्तौड़गढ़ की ही पूछ रहा हूं मैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मकानों का जो निर्माण आज के बाद से होगा, उन सारे मकानों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, थर्ड पार्टी क्वालिटी चैक होगा। थर्ड पार्टी जो क्वालिटी चैक होगा वह ऐसी इंडिपेंडेंट बाडी से होगा जो एनएबीएल एकेडेट होगी।

श्री अध्यक्ष: सुखरामजी। पूरक प्रश्न...(व्यवधान) आपने हाथ खड़ा किया है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से सम्बन्धित है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से सम्बन्धित है मेरा सवाल (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तीन पूरक प्रश्न से ज्यादा नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, यह तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इनके बाद उठाऊंगा ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह जवाब यह आया है कि 4 किलोमीटर दूर बनाई गई, इसलिए 124 परिवार नहीं गये। अब जवाब आ रहा है कि मकान घटिया किस्म के बने, तोड़-फोड़ हो गयी या अधूरे रह गये, इसलिए नहीं आये। दो जवाब दिये हैं आपने।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल नहीं दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपका जो लिखित जवाब है वह यह आया है, लिखित जवाब है कि 4 किलोमीटर दूर होने से केवल 2 ही लोग मांगने के लिए आये, बाकी 122 आये ही नहीं। अब कह रहे हैं कि मकान अधूरे रह गये या कमी रह गयी। कौनसा कारण सही है, लोग क्यों नहीं आये?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने आबंटन के बीच में, आबंटन वह करेगा जिसके पास मकान का कब्जा होगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरा सवाल माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष: तीन हो गये, नहीं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसके पास मकान का कब्जा नहीं हुआ, उसको आबंटन कौन करेगा? यह मकानों का निर्माण करने वाली एजेंसी दूसरी है। मकान का आबंटन करने वाली एजेंसी दूसरी है। जो आबंटन करने वाली एजेंसी है, उसने जिनको आबंटन किया जाना है, उनसे आवेदन मांगे तो केवल 2 आवेदन आए। वह 2 केवल इसलिए नहीं आए कि वह 4 किलोमीटर दूर थे या क्वालिटी खराब थी। उनको तो क्वालिटी का पता ही नहीं क्योंकि कब्जा आया ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सुखरामजी। जवाब सुन लीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जरा ध्यान से पढ़ें उसको। मैंने कहा है कि मकानों का जिसको आबंटन किया जाना है, वह तो आबंटन लेना ही नहीं चाहता क्योंकि 4-5 किलोमीटर दूर है। मैं तो बात कर रहा हूं कि नगरपालिका को जो मकान आबंटन करने थे, पहले नगर पालिका को हैंड ओवर करने हैं मकान, चूंकि इतने सालों तक आबंटन नहीं हुआ, 2008-09 में मकान बनाये, अब 2015 है। 2009 में बना हुआ मकान 6-7 साल तक सूना पड़ा रहे तो मरम्मत की जरूरत निश्चित रूप से हो जाती है। मैंने तो यह कहा है कि आबंटन करने से पहले इन मकानों को, जो 2008-09 में बने हैं और इन 2008-09 में बने हुए मकानों को 2015 में मरम्मत की जरूरत पड़ चुकी होगी। उसको पूरी मरम्मत कराकर नगर पालिका को देंगे जो आबंटन करेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री देवेन्द्र कटारा। अगला सवाल।

श्री देवेन्द्र कटारा।

प्रश्न संख्या-359

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल। श्री फूलसिंह मीणा। विराजिये। वह सवाल कर रहे हैं। आप बैठिये। नहीं 3 पूरक प्रश्न हो गये। उसके आगे नहीं। धाकड़ साहब विराजिये। नहीं, आप विराजिये। फूलसिंहजी का नाम ले लिया। विराजिये। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): वह लेकर नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष: सुरेशजी धाकड़ आप बैठो। 3 सवाल हो चुके हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 3 कहां हो गये।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के विद्युत कनेक्शन से वंचित ग्राम/ढाणियां

360. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में ऐसे कितने ग्राम एवं ढाणियां हैं, जहां घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम व ढाणियों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बिजली हेतु विशेष बजट उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति गिर्वा एवं बड़गांव में क्रमश: 217 एवं 111 गांव हैं। उक्त सभी गांव विद्युतीकृत हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति गिर्वा एवं बड़गांव में क्रमश: 547 एवं 234 ढाणियां हैं। इनमें से पंचायत समिति गिर्वा में 16 एवं पंचायत समिति बड़गांव में 3 ढाणियां अविद्युतीकृत हैं। अविद्युतीकृत ढाणियों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) शेष रही उक्त अविद्युतीकृत ढाणियों में से पंचायत समिति गिर्वा की 4 ढाणियां 100 से अधिक आबादी की हैं। जिनका विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति के पश्चात आगामी वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। शेष 100 से कम आबादी वाली 15 ढाणियों को भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना बनाकर आगामी वर्षों में तकनीकी साध्यता पाये जाने पर विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। उदयपुर ज़िले की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की अनुमानित राशि 122.34 करोड़ रुपये है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय ने जो बताया कि 217 गांव और 111 गांव अलग-अलग पंचायत समितियों में बताये। लेकिन यह जो उत्तर दिया है यह बिलकुल गलत है। मेरी विधान सभा के अलावा इसके अन्दर यह 16 पंचायत जो जोड़ी हैं उसमें से मेरी विधान सभा की यह 3-4 पंचायतें ही आई हैं और जो वास्तव में हैं, इन्होंने उनको बताया ही नहीं है।

अधिकारियों ने इनको गुमराह किया है और गलत सूचना दी है। जबकि इसमें वल्लभनगर और मावली की पंचायत और गांव जोड़े गये हैं। मेरे काया, पाई, बछार, चणावदा, चांसदा इन पंचायतों के राजस्व गांवों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने आफिस में बैठकर यह सूची बनायी है। अब वह कहां से लाए हैं, वह मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि गिर्वा पंचायत समिति में 217 गांव हैं और 217 ही विद्युतीकृत हैं। बड़गांव है पंचायत समिति जो उदयपुर ग्रामीण में आती है। उसमें 111 गांव हैं। वह 111 गांव ही विद्युतीकृत हैं। लगभग 547 कुल ढाणियां हैं, उसमें 531 ढाणियां विद्युतीकृत हैं। बड़गांव में 234 हैं, इनमें से 231 ऐसी ढाणियां हैं जो आलरेडी विद्युतीकृत हैं। शेष जो ढाणियां बची हैं उनमें से 4 ढाणियां ऐसी हैं जो 100 से ऊपर आबादी वाली ढाणियां हैं। कुल ढाणियों को हमने दीनदयाल ग्राम ज्योति के तहत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिसके तहत हम आने वाले सालों में 4 ढाणियां जो 100 से ऊपर हैं, जो अभी भी विद्युतीकृत नहीं हैं, उनको बहुत जल्दी बिजली से जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले बोला वही अब दोबारा बोला है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी विधान सभा के गांव और ढाणियां तो लिये ही नहीं। यह पंचायत समिति गिर्वा के अन्दर भी 3 विधान सभा हैं। यह दूसरी विधान सभा के गांव लाकर के मुझे बता रहे हैं। यह भी इसमें पीछे दे रखा है यह 16 गांव, यह मेरी विधान सभा के हैं ही नहीं। इन अधिकारियों ने मंत्री महोदय को गुमराह किया है। ऐसे अधिकारी जो गलत उत्तर दें, उनके खिलाफ क्या मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो गांव आपके, मुझे जो बताया गया है कि उदयपुर ग्रामीण में 2 पंचायत समितियां हैं।

श्री अध्यक्ष: उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र का सवाल है और इसी आधार पर वह पूछ रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उदयपुर ग्रामीण में 2 पंचायत समितियां हैं। एक तो गिर्वा और एक बड़गांव। इसके अलावा अगर और भी ऐसी कोई पंचायत है जो आपकी दूसरी पंचायत समितियों में हैं, अगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करुंगा।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही करेंगे, बैठिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जो मुझे उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है उसके लिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि ऐसी कौनसी पंचायतें हैं और ऐसे कौनसे राजस्व गांव हैं, जो दूसरी पंचायत समिति में हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। आप मिल लेना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और वह गांव आज भी अगर अविद्युतीकृत हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि 100 से ऊपर की आबादी वाले उदयपुर जिले में लगभग 36 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिले का जवाब नहीं चाह रहे हैं। वह तो उनके विधान सभा क्षेत्र के गांव का।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यह गिर्वा पंचायत समिति में 3 विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैंने मेरी विधान सभा का पूछा था।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना, जो गलती हुई है। श्री सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र हो या पूरा टीएसपी क्षेत्र हो, उसमें लगभग 2 लाख 11 हजार बीपीएल परिवार हैं। उन बीपीएल परिवारों को इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने पंडित दीनदयाल

(श्री सुशील कटारा)

योजना के माध्यम से सभी परिवारों को कनेक्शन देने का वादा किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सभी बीपीएल परिवारों को आने वाले इस वित्तीय वर्ष में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की मंशा रखते हैं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 100 से अधिक...

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

सदन की अवमानना

आसन के पांवों पर होने की स्थिति में शासकीय दीर्घा में अधिकारियों का आवागमन–निर्णय

सदन में दिनांक 20.03.2015 को आसन के पैरों पर होने की स्थिति में राजकीय दीर्घा से कुछ अधिकारी उठकर चले गए थे। इस सम्बन्ध में सदन द्वारा अधिकारियों को दण्डित किए जाने का निर्णय लिया गया था। उनमें से एक अधिकारी श्री मोहनलाल अग्रवाल, वरिष्ठ शासन उप सचिव, सैनिक कल्याण, दिनांक 24.03.2015 को सदन की बैठक स्थगित होने के तुरन्त पश्चात् मेरे वैश्म में उपस्थित हो गए थे। तत्समय श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री भी वैश्म में उपस्थित थे।

श्री अग्रवाल दिनांक 24.03.2015 को प्रातः 10:30 बजे मेरे वैश्म में इसलिए उपस्थित नहीं हो सके थे कि वे पुरी की यात्रा पर गए हुए थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली तुरन्त आपात विमान से जयपुर आकर विधान सभा में उपस्थित हुए। श्री अग्रवाल द्वारा कल सवेरे अनुपस्थित होने का यह स्पष्टीकरण ठीक था अत: कल की अनुपस्थिति को नहीं देखा जाएगा। श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 20.03.2015 की घटना के सम्बन्ध में बिना शर्त क्षमा याचना की गई एवं खेद प्रकट किया गया। इस पर उन्हें भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकार में घरेलू

(श्री अध्यक्ष)

श्रमिकों को सही परिभाषित नहीं करने से प्रदेश के लाखों गरीब मजदूरों के भोजन के अधिकार से वंचित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर एवं बाड़मेर में नर्मदा नहर परियोजना का पानी निर्धारित मापदण्ड से नहीं देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(3) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में फसलों के खराबे के बाद निराश किसानों के आत्महत्या करने तथा सदमे से हुई मौतों के सम्बन्ध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से खींवसर व कुचेरा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता के इस आश्वासन पर कि दो या तीन मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे, श्री मेवाराम जैन, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश एव श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान) आपने आश्वस्त किया है इसलिए आप ही इनको सम्भालना।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में माइनिंग इन्जीनियरिंग एसोसिएशन के सहयोग से वोकेशनल ट्रेनिंग कम स्किल डवलपमेंट सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में।
2. श्री भंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम गोगासर स्थित मौसम केन्द्र की निष्क्रियता के कारण किसानों की रबी की फसल 2013-14 को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।
3. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से कोटपूतली के बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
4. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल, सदस्य की ओर से खण्डार में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से बेरोजगार छात्रों के जाति प्रमाण पत्रों को दो उत्तरदायी व्यक्तियों की अनुशंसा के आधार पर जारी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से रावला उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

7. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में नटनी का बाराबीयर नहर का कार्य करवाए जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सर्वे, खोज, अन्वेषण एवं दोहन में स्थानीय विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।

9. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के लिए स्वीकृत 12, 33/11 के.वी. के जीएसएस निर्माण हेतु भूमि का आबंटन नहीं करने व विचाराधीन घरेलू विद्युत कनेक्शनों की फाइलों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

10. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी में माही व अनास नदी के संगम चिखली-आनंदपुरी पर पुल निर्माण करने के सम्बन्ध में।

11. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पीएमजीएसवाई फेज 10 से 12 (आरआरपी द्वितीय) में निर्मित सड़कों की स्थिति बदहाल होने के सम्बन्ध में।

12. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से उपायुक्त, उपनिवेशन कार्यालय, जैसलमेर और उपनिवेशन कार्यालय, मोहनगढ़ में वर्ष 2010 में विशेष आबंटन हेतु आमंत्रित किए गए आवेदन पत्रों की समय सीमा एक माह बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 25 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 48 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, बीसलपुर विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अनिता कटारा, विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की क्षतिगस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री नानालाल अहारी, ढीकवास व धोरा खुर्द बांध की नहरें नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री हरिसिंह रावत, ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में।

श्री मेवाराम जैन।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खाद्य सुरक्षा अधिकार में घरेलू श्रमिकों का सही परिभाषा के अभाव में भोजन के अधिकार से वंचित हो जाना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत खाद्य सुरक्षा एक्ट के अन्तर्गत गरीब को भोजन मिले इस बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1 मार्च, 2011 को श्रम विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के राज्य नियम 2011 बनाये थे जिसमें इससे जुड़े मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, एकल महिला एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिक पंजीकृत, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार, कचरा बीनने वाले परिवार, घरेलू श्रमिक, गैर सरकारी सफाई कर्मचारी, स्टेट वेन्डर, घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु, बागरिया, ग्वारिया, गाडोलिया लुहार, भेड़ पालक इत्यादि को इस खाद्य सुरक्षा एक्ट में शामिल किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर और अन्य जगह भी जो यह सर्वे पूर्व में किया गया उस सर्वे में त्रुटियां रहीं और जो जुड़ने वाले थे वह तो रह गए और जो नहीं जुड़ने लायक थे उनको भी जोड़ा गया। सरकार ने दोबारा जांच की, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बाड़मेर शहर में पापूलेशन सवा लाख है उसमें बीपीएल और अंत्योदय में चयनित इनको इसका लाभ मिला, बाकी अभी मैंने जो इतनी जातियां बताईं, बाड़मेर शहर में पहले उनका जो सर्वे हुआ उनमें करीबन 17 हजार व्यक्तियों का चयन किया गया था और बाकी को छोड़ दिया गया। जब दोबारा सर्वे की बात आई तो उन्होंने दोबारा सर्वे करके मात्र 116 परिवार और 437 सदस्य मतलब सवा लाख की पापुलेशन में सिर्फ 116 परिवार और इतने ही सदस्य जोड़ना और बाकी जितने ये गरीब परिवार हैं, इतनी जातियां हैं इनका सर्वे में नाम छोड़ दिया और सर्वे किसके माध्यम से

(श्री मेवाराम जैन)

कराया, पुलिस थानों को कहा कि आप सर्वे करके इनकी लिस्ट दो। पुलिस थानों में तो हिस्ट्रीशीटर और मुलजिमों का रिकार्ड रहता है। इन जातियों का उसमें रिकार्ड है नहीं और इसकी वजह से अंत्योदय का, गरीब परिवार को जो भोजन मिले उसमें यह सारे परिवार वंचित रह गए हैं। गांवों में भी ऐसे हालात हैं कि दोबारा सर्वे करके गरीबों के नाम काट दिए गए हैं, मैं यह निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्रीजी इसका पुन: सर्वे कराएं और गरीब परिवार और जो वास्तव में ये गरीब जातियां हैं, इन जातियों को लाभ दिलाकर जो वंचित हैं, बिलकुल गरीब हैं, इन परिवारों को इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसका उद्देश्य ही है गरीब को भोजन मिले, उसके लिए आपको निर्देशित करें कि इनका सर्वे करवाकर इनको लाभ दिलावें।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम। (व्यवधान) अच्छा आप जवाब दे रहे हैं क्या? अच्छा आप रेस्पोण्ड कर रहे हैं। (व्यवधान) यह क्या है? आप सब अपने-अपने स्थान पर जाइए। कृपया कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। हनुमानजी, अपने स्थान पर जाइए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है कि इस खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत श्रमिकों का सही चयन नहीं हुआ। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ तो मैंने सदन को कई दफे कहा है कि यहां पर आबादी से भी अधिक चयन हो गया। उसके बाद पात्र व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया जारी की और टास्क फोर्स कमेटी गठित की, उसमें समावेशित करने और निष्कासित करने के मापदण्ड रखे। माननीय सदस्य ने कहा है कि जो श्रमिक हैं उनका चयन होना चाहिए। श्रमिकों का चयन हमारे नियोजन विभाग की तरफ से होता है। जिस तरह से पेंशन देने का कार्य, पेंशनर्स को चिन्हित करने का, एकल महिला का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता करता है। उसी तरह लघु एवं सीमान्त कृषक का चयन राजस्व डिपार्टमेंट के अधिकारी करते हैं। उस लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है। निश्चित रूप से इनके इंक्लूजिव और एक्सक्लूजिव मापदण्ड के अनुसार चयन की प्रक्रिया जारी है। चयन की श्रेणी में जो पात्र व्यक्ति आएगा उसका चयन होगा और अपात्र व्यक्ति होगा उसका निष्कासन किया जाएगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हमारे यहां तो ज्यादा भी नहीं है। जो आप ज्यादा कह रहे हो, ज्यादा नहीं है, लिमिट के अन्दर है।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना। मंत्रीजी से मिल लेना। श्री सुखराम विश्नोई। मंत्रीजी से मिल लेना। यह तो ध्यान आकर्षित करने के लिए है।

नर्मदा नहर से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रबी की फसल बेमौसमी बरसात होने से खराब हो गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, गुढामालानी, चौहटन में जो नर्मदा कैनाल चलती है, नर्मदा कमाण्ड एरिया में किसानों ने जीरे की खेती की और बेमौसम बरसात से फसल खराब हो गयी। फसलों के साथ-साथ चारा भी खराब हो गया। मेरा आपसे निवेदन है कि नर्मदा नहर परियोजना... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जीजी, बात मत करो। जीजी, ओ जीजी, बात मत करो। इनको भेज दो इनकी सीट पर है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, रबी और खरीफ फसल के लिए नर्मदा का पानी किसानों को कितना दिया जाय उसके मापदण्ड बने हुए हैं। गर्मियों के अन्दर किसानों को फसल चारा पैदा करने के लिए नेचुरल जो फ्लो नहर का है उसमें 25 परसेंट पानी दिया जाय और जो लिफ्ट सिस्टम है उसमें 15 परसेंट पानी दिया जाय। मेरा निवेदन है जब रबी की फसल इस बेमौसमी बरसात से खराब हो गयी, चारा सड़ गया तो सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उस नैचुरल फ्लो नहर, गुढामालानी नहर को, हमारी सांचौर लिफ्ट को, पनोरिया लिफ्ट को चालू रखा जाय ताकि किसान चारे का उत्पादन कर सके, अपने पशुओं को बचा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से निवेदन किया, लिखित में किसानों से दिलाया। कम से कम गर्मियों में आप उस लिफ्ट को चालू रखें। उनका एक ही जवाब है कि जो लिफ्ट स्टेशन बने हुए हैं उन लिफ्ट स्टेशन का लाइट का बिल आता है वह डिमाण्ड कौन जमा कराये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े होकर बात नहीं करें। आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम नियमानुसार कायदे से जो पानी मिलना चाहिए उस पानी को तुरन्त चालू कराया जाय और इस मुश्किल घड़ी में जो पानी नर्मदा का,

(श्री सुखराम विश्नोई)

अकलेश्वर गुजरात में फालतू वेस्ट जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, कम से कम वह पानी किसानों के खेतों में पहुंचे ताकि गर्मियों में चारा उत्पादन कर सके, यह हमारा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे इधर से कोई? कोई नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आ गये मंत्रीजी। साहब, मंत्रीजी आ गये।

श्री अध्यक्ष: कहां हैं मंत्रीजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वे सामने हैं।

श्री अध्यक्ष: सामने आये तो उन्होंने सुना ही नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): महत्वपूर्ण मसला है किसानों का, माननीय मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना। आप देंगे जवाब?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का।

श्री अध्यक्ष: आपने सुन लिया क्या?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, यह नर्मदा नहर प्रोजेक्ट है, यह अपने अभी जेस्टेशन पीरियड में है, शैशवावस्था में है। इसमें कमियां, खामियां रहना लाजिमी है। इसी से सम्बन्धित आज माननीय सांचौर से आने वाले विधायक महोदय और सम्बन्धित जितने भी विधायक हैं हम बैठकर इसके बारे में चर्चा करेंगे और जितना पानी उपलब्ध हो रहा है उसको हम सही तरीके से उपयोग करेंगे इसके बारे में निर्णय लेंगे। बाकी इसका सिस्टम अभी पूरा डवलप होने में समय लगेगा, इसलिए कमियां, खामियां रहना लाजिमी है।

श्री अध्यक्ष: रमेशजी। आप कल चैम्बर में आये थे तब तो कहा था कि मेले में बड़ा ऊटपटांग हो रहा है इसलिए बोलेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): कल लगा देंगे आदरणीय। अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

राज्य में फसल खराबे के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं एवं सदमे से मौत

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 20 दिन पहले हर घर में खुशी और नये सपने थे। होली के साथ फसल पकने की भी

(श्री रमेश)

खुशियां थीं, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में फसलें खराब हुईं जिससे किसानों में निराशा आयी। आज स्थिति यह है कि धीरे-धीरे राज्य सरकार द्वारा समय पर सहायता नहीं करने के कारण अन्नदाता, खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहा है और उनकी मौतें हो रही हैं। आज स्थिति यह है, जो सरकारी आंकड़ा है, बूंदी जिले में 7 लोगों की मृत्यु हो गयी, कोटा जिले में 4 लोगों की मृत्यु हो गयी, बारां जिले में 3 किसानों की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार 14 किसानों की आत्महत्या और सदमे के कारण मृत्यु हो चुकी है। एक-दो के नाम भी बताना चाहूंगा। बूंदी जिले के केशोरायपाटन के ग्राम ठिकरिया के 37 वर्षीय ओमप्रकाश, जिसके 4 बीघा जमीन थी, मुनाफे पर ली थी, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गयी। उसको सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गयी।

इसी प्रकार कोटा, रामनगर के एक युवक और 19 वर्षीय केशोरायपाटन के लाडपुरा गांव के बुद्धिप्रकाश मीणा ने तो आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार केशोरायपाटन के तीरथ गांव में किसान गणेशराम की मौत हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य के अन्नदाता और खेतिहर मजदूर बड़े संकट में है। किसान जो सरकारी मदद है उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको भी पता है, क्योंकि आप किसान वर्ग से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लोग जो खेतिहर मजदूर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनके पास कम भूमि होती है तो वे मुनाफे पर जमीन को लेते हैं और 10 से 15 हजार बीघा खरीफ व रबी की फसल का अलग-अलग देते हैं, वे कर्ज लेकर लेते हैं। उनकी जहां-जहां फसल नष्ट हो गयी, उनके पास कोई कर्ज चुकाने का सहारा नहीं है। ऐसे में यदि सरकार समय पर उनकी मदद नहीं करेगी तो यह आत्महत्याओं और मौतों का सिलसिला सदमे के कारण बढ़ता जाएगा।

जिस प्रकार सरकार को समय पर मदद करनी चाहिए थी, सदन में यहां 3 घण्टे की चर्चा आपने भी करायी, लेकिन सरकार सो रही है और इंतजार में लोगों की मृत्यु हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा सभी सदन के लोगों से, जिसमें मैं भी शामिल हूं सत्ता और प्रतिपक्ष से कि हम जिन किसानों को वादा करके उनके हितों की रक्षा के लिए वचन देकर यहां विधान सभा में आए और आज हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार सरकार ने कहा कि हम इस प्रकार के पैकेज की घोषणा करेंगे कि उनको तुरन्त सहायता मिले। अभी तक बिलकुल सहायता नहीं मिली है।

(श्री रमेश)

इन्होंने बिजली के बिलों के बारे में कहा था कि हम चार महीने का बिजली का बिल माफ कर देंगे। इन्होंने उसमें भी लिमिट रख दी कि लघु, सीमान्त कृषकों को जिनकी 3 बीघा 1 हैक्टेयर है, ऐसे तो पूरे राजस्थान में किसान अगर 100 परसेंट मान लें तो उनमें से मात्र 15 परसेंट किसानों को ही मदद मिल पाएगी, 85 परसेंट आप जो सहायता देना चाह रहे हैं उससे वंचित हो जाएंगे। जो ऋण वसूली है, मैं आपदा प्रबंधन मंत्रीजी से कहना चाहूंगा उसको स्थगित किया जाय। जहां पर फसल का अति खराबा हुआ है उनके विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, विद्युत वसूली की जा रही है, उसको कुछ समय के लिए रोका जाय। जिस प्रकार हमारी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक हजार करोड़ की राहत दी, यहां राजस्थान में भारत सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। यहां स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है उसके बावजूद भी हमें केन्द्र से तुरन्त सहायता क्यों नहीं मिल रही है, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार को इसमें अर्जेन्ट आवश्यक रूप से कदम उठाना चाहिए और जो हमारे किसान हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, सदमे से मृत्यु हो रही है। उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे? आप विराज जाइये। बोल दिया, बोल दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचना दे रहा हूं कि आपदा प्रबंधन ने सभी जिला कलक्टर के खाते में जितना पैसा उन्होंने मांगा सबका सब ट्रांसफर कर दिया। मैं यह भी सोचता हूं कि सारे जिले की गिरदावरी अगर इकट्ठा होने में देर लग रही है तो किसी गांव की भी गिरदावरी आ जाय, किसी किसान की भी गिरदावरी आ जाय तो उसका 50 परसेंट से अधिक खराबा है उसका पेमेंट करना है। जो हमने आपको चार्ट दे रखा है उसके अनुसार उसकी मदद करना आप शुरू कर दीजिए। पैसे की जरूरत है तो आप हमसे और मांग लीजिए, आनलाइन सारा का सारा पैसा हमने कलक्टर के खाते में ट्रांसफर कर दिया।

जहां तक पशुओं के मरने की जो संख्या है और जो घर टूटे हैं। पशुओं की संख्या के आधार पर जो मुख्य मंत्रीजी ने पैसा बढ़ाकर घोषणा की कि भेड़ जिनके मरी है तो हमें नार्म्स में चार ही भेड़ का है लेकिन मैक्जिमम एक लाख रुपया इंडिविजुअल किसान को भी लाभ दे सकते हैं, वो पैसा हमने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बंटवा दिया है। जो बड़े पशु और दुधारू पशु हैं वो पैसा भी हमने बंटवा दिया है। यह जो डैथ हुई सदमे या किसी कारण से, यह प्रकरण वो एक तरह से वैरिफाई हो रहा है कि वास्तव में यह उस कारण से हुआ है तो उसके आधार पर हम जो लाभ दे सकते हैं वो देंगे लेकिन जो पेड़ पर लटक कर मर जाता है उसको भी अगर कोई हमारे खाते में दर्ज कराना चाहेगा तो यह तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि मैं मानवीय दृष्टि से उस हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हूं जिसकी डैथ सदमे से या और किसी के कारण से हुई, 34 व्यक्तियों की डैथ हुई, 34 ही व्यक्तियों को तीन लाख रुपया हमने ट्रांसफर करके उनको उपलब्ध करा दिया है। मैंने यह आदेश दे रखा है कि किसी गिरदावरी की जरूरत नहीं है, अगर पन्द्रह गांवों की गिरदावरी....

श्री रमेश (सपोटरा): मेरी बात तो सुन लें। बीच में इन्होंने जो कहा है कि किसान ने आत्महत्या की है मैं उसके सन्दर्भ में कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब सुनने दो। नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठिये आप। नो-नो। ऐसा नहीं। जवाब आ जाएगा इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिये। (व्यवधान) बिल्कुल नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहना चाह रहा हूं कि गिरदावरी जिलों की 28 तारीख लास्ट है लेकिन अगर 20 गांवों की गिरदावरी जिला कलक्टर के पास आ गई है तो उसको यह अधिकार दिया है कि आप हमारे नार्म्स के अनुसार अगर 50 परसेंट से अधिक खराबा उस गांव का या किसान का आया है तो उसको आप पेमेंट करना शुरू कर दीजिए, जिले की पूरी गिरदावरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गिरदावरी जो आएगी वो तो मुझे 28 तारीख को आएगी। इसके अलावा यह भी कहा कि आपको आनलाइन जब भी, जितने पैसे की आवश्यकता हो, आप कहिये, दूसरे दिन आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। गिरदावरी के बाद यह जो 50 परसेंट का टोटल खराबा कितना हुआ, कितने गांव हुए, क्या हुआ, वो तो सारा 28 के बाद ही आएगा। इसके साथ ही हमने यह भी सभी अधिकारियों को बताया है कि नरेगा के माध्यम से जहां-जहां भी किसान को काम चलाकर जो रिलीफ दिया जा सकता है वो दें। केन्द्र सरकार से हमने आग्रह किया कि एक लाख टन हमको एक्स्ट्रा अनाज दे ताकि हम इन सब परिवारों को गेहूं भी फ्री में प्रत्येक किसान के परिवार को दे सकें पर वो हमें जैसे ही उपलब्धि आएगी वैसे ही हम देंगे। मैं आपके माध्यम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से, सदन के माध्यम से राजस्थान के सब किसानों को आश्वस्त करता हूं कि जो अधिकार मुझे प्राप्त है और जिन अधिकारों के लिए मैंने आगे कहा है कि 25 परसेंट से ऊपर वालों को भी कुछ न कुछ मिले लेकिन उसके जब आदेश आ जाएंगे उसके बाद ही मैं उसकी भरपाई कर पाऊंगा। मेरी तरफ से और मुख्य मंत्रीजी की तरफ से बराबर इस बार सम्पर्क में हैं और मुख्य मंत्रीजी 26 तारीख को जब जा रही हैं तो और बात करके जितना मुझे अधिकार है, मैं 100 परसेंट इस सदन के माध्यम से राजस्थान के किसान को आश्वस्त करता हूं कि मेरे नार्म्स में जो 50 परसेंट से अधिक खराबा इंडिविजुअल गांव और किसान का भी आया है तो उसको कलक्टर पैसा वितरण कर देगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। नो-नो। बहस नहीं होगी, इसमें नहीं। सिर्फ हनुमान बेनीवाल बोलेंगे। सिर्फ हनुमान बेनीवाल बोले वो ही नोट करना।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मिस्टर रमेश, बैठिये। बैठिये-बैठिये। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप बैठिये। (व्यवधान) यह बहस का सवाल नहीं है, जवाब आ गया। हनुमान बेनीवाल। भाटी साहब, बैठिये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी भेड़ों की बात बताई कि एक परिवार की चार भेड़ें हैं उनका हम एक लाख रुपये तक कम्पनसेशन देंगे। राजस्थान के अन्दर जो भेड़ें रखने वाले परिवार हैं, मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास भेड़े हैं तो भेड़ कम से कम 50 से लेकर 200-250 तक वो परिवार रखता है। वो पेपर और मीडिया में आया था कि एक परिवार की 185 भेड़ें थीं उनमें से 150 भेड़ें तो मौके पर ही मर गई थीं और 35 भेड़ों का इलाज चल रहा था लेकिन वो भी मर गईं। 185 भेड़ों की बाजार वैल्यू एक भेड़ की वो 4-5 हजार रुपये है, इसका मतलब 10 लाख रुपये का उसका पूरा रेवड़ मारा गया है। पूरी उसकी जिंदगी भर की कमाई है, उसकी जिंदगी भर की कमाई भेड़ थी और उसका पूरा का पूरा धंधा ही खत्म हो गया। उसमें आपको कुछ विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक बात है। हनुमान बेनीवाल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपदा प्रबन्धन में तो केवल चार भेड़ों तक का पेमेंट करने का है और उसमें 1650 रुपये प्रति भेड़ है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने अपनी तरफ से उस किसान को जिसकी 80 के लगभग भेड़ें भी नष्ट हो गईं, जो एक लाख की सीमा में आती है तो उसको इंडिविजुअल एक लाख रुपये तक के पैसे की भरपाई हम करेंगे। हमने यह नहीं कहा कि हम उनको पांच ही करेंगे। हमने अपनी तरफ से और हमने केन्द्र को भी लिखा है कि यह संख्या को बांधो मत, अगर किसी की 150 हुई तो 150 के हिसाब से हमको पैसा मिले, किसी के जानवर अगर 20 मरे हैं बड़े जानवर तो उनके हिसाब से पैसे मिले। लेकिन जो बड़े दुधारू जानवर हैं उनमें 16500 का हमको अधिकार है और मुख्य मंत्रीजी ने इसको बढ़ाकर सवा लाख तक का इंडिविजुअल किसान को भी अगर उसके पशु का नुकसान हुआ है तो वो तो अपनी घोषणा में ही उन्होंने कर दिया तो 80 भेड़ें तक, एग्जैक्ट तो संख्या नहीं कहता हूं 1650 के हिसाब से 80 को गुणा कर लीजिए, अगर वो एक लाख में आता है तो उसमें कवर हो गया। इसी तरह से जो बड़े पशु हैं, दुधारू पशु हैं उनको सवा लाख में, 16500 के हिसाब से 5 आते हैं, 6 आते हैं, जो भी आते हैं गणित के हिसाब से वो पैसा मुख्य मंत्रीजी ने अपने फण्ड को उसके साथ मिलाकर, हमारी क्षमता है एक की, उन्होंने उसको बढ़ाकर सवा लाख तक में जितने भी जानवर आते हैं दुधारू वहां तक की सीमा में एक किसान को मदद करने की घोषणा की ही नहीं है, हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। नो मिस्टर भाटी, ऐसा नहीं है। नो-नो, बिल्कुल नहीं, हनुमान बेनीवाल बोलेंगे। कतई निवेदन नहीं है, आप विराजिये। यह व्यवस्था है। आप भी समय का ध्यान रखना।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

खींवसर व कुचेरा में महाविद्यालय

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिला क्षेत्रफल में राजस्थान के प्रमुख जिलों में से है और लगभग एक छोर जयपुर से शुरू होता है और दूसरा रामदेवरा, फलौदी सीमा को टच करता है। अध्यक्ष महोदय, 30 लाख की नागौर जिले की आबादी है, 10 विधान सभा क्षेत्र हैं और जो अभी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तीन नई बनी हैं इनको मिलाकर 14 पंचायत समितियां हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के साठ साल बाद भी नागौर में लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और पिछले कई वर्षों में हमारे बच्चे 10वीं 12वीं की मैरिट में भी 4-5 की संख्या में हमेशा आते रहे हैं विशेषकर मेरे खींवसर क्षेत्र के, कुचामन क्षेत्र के बच्चे आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र 175 किलोमीटर लम्बा और 150 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है उसके बावजूद खींवसर के अन्दर अभी तक महाविद्यालय नहीं है। सदन की नेता भी जब खींवसर में सुराज संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में गई थीं तब भी यह महाविद्यालय का मामला उठा था और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम खींवसर में महाविद्यालय खुलाएंगे लेकिन दुर्भाग्य से मैं जीतकर आ गया इसलिए वो महाविद्यालय ठण्डे बस्ते में चला गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि खींवसर उप खण्ड मुख्यालय के साथ-साथ, हमारे जो पंचायती राज मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया थे उनको भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी मांग पर खींवसर में आखिरी पंचायत समिति राजस्थान में खुली। जब पंचायत समिति आपने खोल दी, उप खण्ड मुख्यालय वहां पर है और परिसीमन में 2008 में यह विधान सभा क्षेत्र भी खींवसर नया बना। अध्यक्ष महोदय, करणू जो नागौर के आखिरी छोर पर 120 किलोमीटर पड़ता है और करणू से कोई बालक-बालिका पढ़ने के लिए नागौर आना चाहता है तो उसको 2-3 बार बस बदलनी पड़ती है और यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे जिले के अन्दर नागौर, डीडवाना और मेड़ता तीन कालेज हैं। नागौर में मात्र 700 की संख्या है प्रथम वर्ष के अन्दर। हर बार सरकार सैंक्शन भी बढ़ाती है लेकिन हजारों बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और दूसरा कालेज 100 किलोमीटर दूर मेड़ता है और तीसरा 100 किलोमीटर दूर डीडवाना है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुचेरा जो मेड़ता और नागौर के बीच पड़ता है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बड़ी नगरपालिका है और खींवसर जो नागौर से 50 किलोमीटर और नागौर का आखिरी छोर है उससे उसकी दूरी भी 50 किलोमीटर है और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भी खींवसर के अन्दर कालेज खुले। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी कालेज खुले थे लेकिन जहां जरूरत है वो तो रुक गये और जो मुख्य मंत्रीजी के नजदीक विधायक थे वो अपने-अपने इलाके में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कालेज ले गये। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं कि वहां कालेजों में नामांकन ही नहीं है और 50 की संख्या है और कालेज खुल गया। दुर्भाग्य से हमारे वहां महिला कालेज भी पिछले सालों में खुला था लेकिन वहां भी अभी तक सिर्फ 250 की संख्या है महिला कालेज में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि नागौर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि हमारे नेताओं ने भी हमेशा 60 साल तक सिर्फ वोट ही लिए थे और हमारे नेता तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर जनता को पढ़ा दिया तो हम नहीं पहुंचेंगे लोक सभा और विधान सभा के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो कौनसे नेता थे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्वर्गीय नाथूरामजी मिर्धा, रामनिवासजी मिर्धा, वो थे। उन लोगों ने एक ही काम रखा कि नागौर का आदमी अगर पढ़ लिखकर आगे आ गया तो हमारी राजनीति फेल हो जाएगी इसलिए वो सिर्फ ऐसी बातें करते थे। विकास को अवरुद्ध करने की बात करते थे। बिजली लाएंगे तो करंट आ जाएगा, बड़ी ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, सड़क आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। (व्यवधान) बैठो आप। तब आपकी पार्टी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, पुरानी बातें बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया। अब हो गया, चार मिनट हो गये आपके।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट साहब।

श्री अध्यक्ष: चार मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं सही दिशा में बोल रहा हूं। एक मिनट और बोल लेने दें। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, सही दिशा की बात नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: यही तो मुझे बुरा लगता है। जब तीन मिनट देने थे, तब मैंने आपको चार मिनट दे दिये। कर चुके आप, बेकार की बातें कर रहे हो। मांग की है आपने बस।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह हमारे नेताओं ने 60 साल तक नागौर को ठगा है, आपको नागौर जिले ने नौ सीट जिताकर दी हैं। हां, मेरे यहां जरूर आपकी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जमानत जब्त हुई है तो उस बात को तो आप छोड़ो। 10 में से 9 सीटें जिता दी हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): जमानत कैसे जब्त हुई? अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के अन्दर इनके पांच ही जीतकर आये 31 में से, बीजेपी निर्विरोध जीतकर आई है और इनके भाई हैं ना, इनके खुद के ही गांव में हार गये। अध्यक्ष महोदय, इनके भाई इनके खुद के गांव में ही हार गये। ये नाथूरामजी की आलोचना कर रहे हैं, इतने बड़े लीडर की।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। नहीं नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके पिताजी तो 36 बार हारे थे। आपके पिताजी जीवन में कभी जीते नहीं। मेरे पिताजी दो बार एमएलए रहे हैं, ठीक है ना और मैं दूसरी बार जीता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। बैठिये मिस्टर बेनीवाल, बैठिये। नहीं, अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...और दोनों पार्टियों को सबक सिखाकर राजस्थान की विधान सभा में आया हूं। खुद आप छोड़कर भाग गये। हिम्मत है तो खींवसर के अन्दर चुनाव लड़ो।

श्री अध्यक्ष: आइन्दा मैं कभी आपको मौका नहीं दूंगा। आइंदा मैं मौका नहीं दूंगा। बैठिये आप। (व्यवधान) चुपचाप बैठिये आप। बैठ जाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हनुमानजी, मामला गड़बड़ है। बैठ जाओ अब आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मेरी बात पर आ रहा हूं। मैं सरकार से और...

श्री अध्यक्ष: नो नो नो। आप बैठ जाइये। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो इसका। जीजी बोलेगी। जीजी बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे। कोई जवाब भी नहीं आयेगा। अब कोई जवाब भी नहीं आयेगा। आप बैठ जाइये। कोई जवाब नहीं आयेगा। बैठिये। मैं कह रहा हूं, बैठिये। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरसागर में खनन कामगारों हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 20,000 से अधिक खानों में प्रशिक्षित खनन कामगार (मेट, ब्लास्टर, फोरमैन) के अभाव में खान संचालन में वैधानिक कमी की स्थिति से निपटने हेतु माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसियेशन के सहयोग से वोकेशनल ट्रेनिंग कम स्किल डवलपमेंट सेंटर की स्थापना के क्रम में मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की 20,000 से अधिक पत्थर की खानों में प्रशिक्षित खनन कामगारों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

(1) कानूनन प्रत्येक खान संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेन्टर से प्रशिक्षित मेट, ब्लास्टर और फोरमैन होना आवश्यक है, परन्तु केन्द्र सरकार के नोर्म्स के अनुरूप प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने से प्रशिक्षित मेट, ब्लास्टर और फोरमैन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे उक्त खानों में उक्त कानून की पालना करना बहुत ही कठिन हो रहा है। साथ ही प्रशिक्षित कामगारों के अभाव में खनन जोखिम से भरा सिद्ध हो रहा है।

(2) मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया के पदाधिकारियों और सदस्यों से बात की है। उन्होंने सरकार द्वारा भूमि/भवन उपलब्ध कराये जाने पर सूरसागर क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग कम स्किल डवलपमेंट सेंटर के संचालन करने की सहमति प्रकट की है।

(3) केन्द्र और प्रदेश स्तर पर स्किल डवलपमेंट द्वारा कुशल कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में केवल भूमि एवं भवन उपलब्ध कराये जाने पर इतने बड़े स्किल डवलपमेंट केन्द्र की संभावना एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है।

अत: मेरा निवेदन है कि वैधानिक प्रावधानों की पालना के अनुरूप सुरक्षित और कुशल खनन के लिए प्रशिक्षित मेट, ब्लास्टर और फोरमैन सहित कुशल खनन कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया को सूरसागर क्षेत्र में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वोकेशनल ट्रेनिंग कम स्किल डवलपमेंट सेंटर हेतु समुचित सक्षम कार्रवाई प्राथमिकता से सम्पादित करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर लाल। आप अपने स्थान पर जाइये और फिर 295 का प्रस्ताव पढ़िये।

गोगासर के मौसम केन्द्र की निष्क्रियता से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम गोगासर (तहसील रतनगढ़ जिला चूरू) के मौसम विभाग की निष्क्रियता के कारण किसानों को रबी फसल 2013-2014 में बहुत नुकसान हो रहा है।

ग्राम गोगासर में जब से मौसम केन्द्र बना है, वहां पर कोई सार-सम्भाल नहीं होती है, ना ही रीडिंग होती है, वह अक्सर खराब रहता है। इस मौसम केन्द्र के खराब होने के कारण एवं अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से क्षेत्र के किसानों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव हो रहा है। ग्राम गोगासर के आसपास प्राय: सभी ग्रामों के किसानों को बीमा का वाजिब लाभ मिला है परन्तु गोगासर में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने वाले किसानों को बीमा प्रीमियम की छूट नहीं मिली है। ग्राम गोगासर के चारों तरफ के गांव क्रमश: गोलसर, नौसरिया, लधासर, दाउदसर, धीरासर, धोधलिया, अजीतसर, आसलसर, दुलरासर आदि में बीमा का अच्छा प्रीमियम मिला है। इतना ही नहीं, ग्राम गोगासर में स्थित दूसरे बैंक के किसानों को पूरा लाभ मिला है। इसका एकमात्र कारण है गोगासर मौसम केन्द्र की निष्क्रियता। एक गांव के एक ही पड़ौस के खेतों में किसानों को मिलने वाली राहत में जमीन-आसमान का अंतर होना, मौसम केन्द्र के नाकारापन को स्पष्ट साबित करता है। एक गांव में एवं पांच-सात किलोमीटर की परिधि में इतना अन्तर हो जाना मानव की सोच से परे है। मौसम केन्द्र, गोगासर की अनियमितता एवं निष्क्रियता के कारण स्थानीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही राहत के अभाव में आंदोलन के लिए भी मजबूर हो सकते हैं।

(श्री भंवरलाल)

अत: नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया इस मामले में तुरन्त जांच करवाकर पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की कृपा करायें एवं उनको राहत प्रदान करवायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली में बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाना

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली में बस स्टैण्ड के निर्माण कार्य को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि कोटपूतली में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु गत सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2013 को 4.72 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। उक्त स्वीकृति के उपरान्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य शुरु भी कर दिया गया था और उसमें 1.43 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। राज्य सरकार (आरयूडीएससीओ) द्वारा छह करोड़ रुपये का तकमीना ऋण हेतु हुडको को भिजवा दिया गया था, परन्तु फिर भी वर्ष 2014 से उक्त निर्माण कार्य बंद है। उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य नहीं होने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा सारा यातायात अस्त-व्यस्त रहता है और जनता में इससे रोष व्याप्त है।

अत: मेरा माननीय मंत्रीजी से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य तुरन्त शुरु करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें ताकि जनता को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

खण्डार कस्बे में राजकीय महाविद्यालय

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा खण्डार में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण खण्डार कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा विधान सभा में याचिका प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा अपने जवाब में बताया गया है कि इस क्षेत्र में दो निजी महाविद्यालय कार्यरत हैं।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खण्डार में निजी अभिमन्यु महाविद्यालय संचालित होना बताया गया है और जिसकी छात्र संख्या 10 बताई गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 10 विद्यार्थी होना भी कागजी ही है और यह निजी महाविद्यालय पूरी तरह से बंद पड़ा है। सरकार ने दूसरा महाविद्यालय, खण्डार विधान सभा क्षेत्र में आर.आर. पटेल निजी महाविद्यालय संचालित होना बताया है। यह खण्डार कस्बे से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और इस निजी महाविद्यालय में खण्डार कस्बे और आसपास के क्षेत्र के छात्र/छात्राओं का अध्ययन करना आसान नहीं है। विशेषकर छात्राओं के लिए 70 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अध्ययन करना सम्भव नहीं है क्योंकि छात्राओं को घर से दूर जाकर उच्च शिक्षा अध्ययन कराने के लिए अधिकांश अभिभावक तैयार नहीं होते।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि सरकार द्वारा मेरे कस्बा खण्डार में राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई कराने के आदेश प्रदान कर अनगृहीत करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार (अनुपस्थित), श्रीमती शिमला बावरी ।

रावला उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत रावला को उप तहसील से तहसील बनाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, मुझे आपने नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रावला एक मण्डी है जिसको 8 पीएसडी राजस्व नाम से जाना जाता है। जिसकी आबादी लगभग 20-25 हजार है। यहां पर पुलिस थाना, सीनियर स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि उपज मण्डी सहित अनेक कार्यालय हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रावला उप तहसील में लगभग 20 ग्राम पंचायतें लगती हैं। जिसमें 365 हैड भी उप तहसील है। इसकी उपखण्ड कार्यालय से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी है। किसानों को जमीनी व अन्य कार्य करने के लिए 45 किलोमीटर घड़साना जाना पड़ता है। जिससे जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। घड़साना तहसील का सीमा क्षेत्र

(श्रीमती शिमला बावरी)

बड़ा होने के कारण किसानों व आम जनता का कार्य समय पर नहीं हो सकता है। अत: जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रावला को उप तहसील से तहसील बनाने की कई संगठनों ने बार-बार मांग की है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि रावला को यथा शीघ्र तहसील बनाकर जनता को राहत प्रदान करे और इससे जनता को समस्याओं से निजात मिलेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

अलवर ग्रामीण में नटनी का बाराबीयर नहर का कार्य करवाया जाना

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में नटनी का बाराबीयर नहर हेतु वर्ष 2013-14 में नहर की मरम्मत हेतु 2 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपये स्वीकृत हुआ था। जो सिंचाई विभाग अलवर के अकाउण्ट में पड़ा हुआ है। इन नटनी के बारे पर वर्षा का पानी दो-दो जगह विभाजित होता है। इस पानी का समझौता सौ वर्ष पहले हुआ था। इन अरावली पहाड़ियों का आधा पानी भरतपुर जिले में जाता है, आधा पानी अलवर के जयसमंद बांध में जाता है। वर्षा के दिनों में भारी वर्षा होने पर जयसमंद बांध में न जाकर भरतपुर जिले के लिए सीधा चला जाता है। क्योंकि जयसमंद बांध की जो नहर है वह कच्ची है। नहर में एक टाइप का घुमाव है, इस घुमाव के पास राजस्थान स्टेट हाइवे 44 सड़क पर पुराना पुल निर्माण है जो बहुत पुराना व नीचा है, भारी बरसात में यह पुल छोटा व नीचे रह जाता है। पानी का अतिक्रमण होकर नहर में नहीं जाता है। इस कारण सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में 2 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपये विभाग के पास पड़ा है। सिंचाई विभाग को आज तक कोई ठेकेदार नहीं मिला है। तीन-तीन बार एनआईटी लगने के बाद दो बार निरस्त हो गए हैं।

2 करोड़ 98 लाख 40 हजार की राशि विभाग द्वारा एनआईटी तुरन्त लगाकर इस राशि को उपयोग में लिया जावे ताकि बाराबीयर नहर का कार्य हो। नहर की सफाई का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक जयसमंद बांध में वर्षा का पानी आना मुश्किल है। इस बांध से ही अलवर जिले में वर्षा के पानी

(श्री जयराम जाटव)

का जलग्रहण हो सकता है। इस बांध की क्षमता बहुत है, काफी क्षेत्रफल तक यह बांध फैला हुआ है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सम्बन्धित कार्यों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-295 के तहत बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सर्वे, खोज, अन्वेषण एवं दोहन में स्थानीय विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता से योग्यतानुसार रोजगार दिलवाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

महोदय, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए पैट्रोलियम का विशेष योगदान है। पैट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हिन्दुस्तान में पैट्रोलियम की कुल खपत का लगभग 25-30 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2003 से 2008 तक माननीय मुख्य मंत्री महोदया, वसुंधरा राजे के विशेष प्रयासों से ही बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सर्वे, खोज, अन्वेषण एवं दोहन के कार्य को पंख लगे थे। जिसके परिणामस्वरूप ही आज राजस्थान के बाड़मेर जिले से वर्तमान में लगभग 1,75,000 बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है जो कि देश के कुल उत्पादन का 24 प्रतिशत है और राज्य में जिलों की उत्पादन क्षमता को देखा जाए तो अकेला बाड़मेर जिला राज्य में पैट्रोलियम की दृष्टि से 100 प्रतिशत योगदान दे रहा है।

जनवरी, 2015 तक केयर्न इंडिया द्वारा 652 कुएं खोदे गए जिसमें से 481 डवलपमेंट वैल और 171 एक्सप्लोरेटरी वैल खोदे गए हैं और यह कार्य आगे भी निरन्तर प्रगति पर है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी आदि से तेल और गैस का उत्पादन कार्य प्रगति पर है। इससे सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व की प्राप्ति हो रही है। परन्तु उससे बाड़मेर जिले को कुछ विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। यहां आज भी विकास और रोजगार तो दूर की बात है यहां के निवासियों को पीने के पानी की व्यवस्था करने में ही आधा समय गंवाना पड़ता है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बाड़मेर जिले की राजस्व आय का धन बाड़मेर की जनता की समस्याओं यथा पानी, बिजली, शिक्षा और सड़कों की समस्याओं को दरकिनार करके जयपुर में मैट्रो लाने में रूचि दिखाई और आनन-फानन में मैट्रो का कार्य पूरा होने से पहले ही डिब्बों/मैट्रो कोचों को

(श्री कैलाश चौधरी)

खरीदकर रख लिया। गहलोतजी राज्य की जनता को न्याय देने का इरादा रखते तो बाड़मेर में पानी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से करते।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम के अलावा कोयला, ग्रेनाइट, जिप्सम सहित कई दुर्लभ खनिज पदार्थों का उत्पादन हो रहा है तथा करोड़ों की राजस्व आय हो रही है। सरकार को भी बाड़मेर की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निदान करते हुए जिले के विकास में अधिकाधिक धनराशि खर्च की जाकर पानी, बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सर्वे, खोज, अन्वेषण एवं दोहन के कार्य प्रगति पर हैं। इस क्षेत्र में केयर्न इंडिया की विभिन्न सहयोगी कम्पनियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। कम्पनियों द्वारा स्थानीय लोगों को और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में कोताही बरती जा रही है तथा बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर के स्थानीय बेरोजगार लोगों और बेरोजगार युवाओं को योग्यतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

इसके अलावा बाड़मेर से कई बार कम्पनी द्वारा पैट्रोलियम की चोरी की भी शिकायतें आती रहती हैं। सरकार द्वारा पैट्रोलियम की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जिससे सरकार को अनावश्यक राजस्व की हानि न हो। पैट्रोलियम का दोहन होने वाले कुओं पर सरकारी स्तर पर विशेष रूप से मजबूती से देख रेख किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया माननीया वसुंधरा राजेजी और खान, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय, माननीय राजकुमारजी रिणवा से निवेदन करता हूं कि बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम सर्वे, खोज, अन्वेषण एवं दोहन में स्थानीय विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता से योग्यतानुसार रोजगार दिलवाकर अनुगृहीत करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जोगाराम पटेल (अनुपस्थित), श्री सुशील कटारा।

चौरासी में माही व अनास नदी के संगम पर चिखली-आनंदपुरी पर पुल निर्माण

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, 295 के तहत विशेष

(श्री सुशील कटारा)

उल्लेख – चौरासी विधान सभा क्षेत्र में माही व अनास नदी के संगम पर चिखली-आनंदपुरी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र के अंतिम दौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले की भौगोलिक सीमाओं को विभाजित करती हुई माही एवं अनास नदी बहती रहती है। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम जो कि वागड़ वासियों के लिए आस्था का केन्द्र है तथा वहां जाने के लिए डूंगरपुर जिले एवं उपखण्ड चिखली, उपखण्ड सीमलवाड़ा, पंचायत समिति झांथरी, बिछिवाड़ा के लोगों को मानगढ़ धाम जाने हेतु 150 किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। हर रोज आने-जाने वाले लोगों की संख्या भारी है जो नदी को छोटी-छोटी नावों द्वारा पार करते हैं। जिससे हमेशा उनको खतरा बना रहता है।

वर्तमान में माही नदी पर राजस्थान, गुजरात की सीमा रेखा के पास ही गुजरात राज्य में कडाना बांध निर्मित हुआ है जिससे कडाना बांध का बैक वाटर आने से वर्णित संगम स्थल एवं इससे अपस्ट्रीम भूमि डूब क्षेत्र में है। इस जगह करीब 30 से 40 मीटर गहराई में पानी भरा हुआ है एवं कडाना बांध पूरा भर जाने पर यह गहराई और बढ़ जाती है। संगम स्थल के पास माही नदी की चौड़ाई 480 मीटर है तथा 475 मीटर दूरी ही संगमेश्वर तीर्थ स्थल स्थित है। कडाना बांध भरने पर नदी के तट भी डूब क्षेत्र में जाते हैं। संगम स्थल के पास डूंगरपुर जिले का बेडुआ गांव एवं बांसवाड़ा जिले का डोकर गांव स्थित है।

प्रस्तावित ब्रिज निर्मित होने से डोकर, आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा तथा बेडुआ चिखली के मध्य आने-आने का मार्ग सुगम हो जाएगा। जिससे मानगढ़धाम एवं संगमेश्वर तक आवागमन सीधा हो जाएगा। जो कि आदिवासी समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि आनन्दपुरी व चिखली के मध्य पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृत लाल।

सलूम्बर में पीएमजीएसवाई में निर्मित सड़कों की बदहाल स्थिति

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(श्री अमृतलाल)

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। पीएमजीएसवाई फेज 10 से 12 (आरआरपी द्वितीय) में निर्मित सड़कों की दुर्दशा बाबत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत (पीएमजीएसवाई) फेज 10 से 12 (आरआरपी द्वितीय) में निर्मित सड़कों की दुर्दशा काफी बदहाल हो चुकी है जबकि इन्हें बनाये मात्र चार-पांच महीने भर भी नहीं हुए हैं। कई सड़कें तो बनने के एक माह बाद ही जगह-जगह से उखड़ चुकी हैं। जिसका कारण यह है कि डामरीकरण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से नई सड़क की डामर उखड़ने लगी है। डामरीकरण से पूर्व कुटाई के कार्य में मोटाई का ध्यान नहीं रखने से सड़क पर बरसात के मौसम में जगह-जगह गड्ढे पड़ने लग गये हैं और डामर के मिक्स में उचित साइज की पत्थर की गिट्टी 10-12 एमएम की रोड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। केवल 6 एमएम की गिट्टी के साथ डामर मिलाकर किया जा रहा है।

उक्त फेज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभिन्न संवेदकों द्वारा सराड़ा एवं सलूम्बर तहसील के 350 से 450 तक की आबादी के 38 गांवों को पीएमजीएसवाई की सड़कों से जोड़ा गया है।

गत वर्षों में उक्त योजना में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांचने अलग से क्वालिटी कन्ट्रोल की टीम कार्य करती थी व निर्मित सड़क को विभिन्न स्थानों से काट कर गुणवत्ता की रिपोर्ट देती थी जिसके आधार पर सड़कों का मापदण्ड तय होता था व भुगतान किया जाता था, लेकिन आज कल न तो कोई मापदण्ड है और ना ही कोई गुणवत्ता परखने की मशीनरी। संवेदक व सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी ही सब कुछ होने से विभाग की पकड़ बिलकुल नहीं हो पा रही है। जनता में भारी रोष पनप रहा है। आज से करीब 5 से 7 वर्ष पूर्व बनी सड़कों की स्थिति इन सड़कों की तुलना में काफी गुणवत्ता की है जहां रोड के पैच भी नहीं निकालने पड़ रहे हैं। विधान सभा सलूम्बर में पूर्व में संवेदक श्री जीआर अग्रवाल व रवि कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित सड़कें आज भी पूर्व की हालात में है जबकि अभी बनी सड़कें मात्र एक माह में ही उखड़ चुकी हैं, लेकिन उपखण्ड सेमारी व सराड़ा में बनाई गई सड़कों की हालत गम्भीर है। दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें होने से स्थानीय ठेकेदार प्रतिनिधि तथा विभाग के सहायक अभियंता द्वारा अपनी मनमर्जी से ऐसा खेल खेला जाता है जिससे

(श्री अमृतलाल)

सड़क बनने के कुछ घंटों में ही उखड़ने लग जाती है जिसमें संवेदक के साथ-साथ तकनीकी अधिकारी का भी हाथ होता है।

विभाग को कार्य कराते समय घटिया कार्य कराने वाले ठेकेदार व तकनीकी अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कराते हुए टेण्डर प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है ताकि भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनी रह सके। साथ ही इस उपखण्ड में किये गये कार्यों में मुख्य रूप से भोराई खड़ की सड़क, सेमारी ढाणी सड़क, बलुआ में उदईफला, रिजवाघाटी, बेड़ाबलुआ और ग्राम पंचायत निम्बोदा व खरबर की सड़क का मौक़े पर सत्यापन कर वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

अत: निवेदन है कि पूर्व में निर्मित सड़कों की एक अनुभवी कमेटी द्वारा पुन: जांच कराई जावे, ताकि वास्तविकता का मालूम किया जा सके। एवं सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग के अतिरिक्त स्थानीय व्यक्तियों की कमेटी बनाई जावे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह भाटी।

जैसलमेर और मोहनगढ़ में वर्ष 2010 में विशेष आबंटन हेतु आवेदन पत्रों की समय सीमा बढ़ाना

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय जैसलमेर व सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ में वर्ष 2010 में विशेष आबंटन हेतु आमंत्रित किये गये आवेदन पत्रों की समय सीमा एक माह बढ़ाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में तीन मुख्यालयों नाचना, मोहनगढ़ व जैसलमेर में आबंटन अधिकारी समय-समय पर विशेष एवं सामान्य आबंटन तथा अन्य आबंटनों की प्रक्रिया को पूर्ण करते आ रहे हैं। सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, मोहनगढ़ ए व बी तथा उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में सैकड़ों ऐसे मुरब्बे जो कि विशेष आबंटन के गजट में विज्ञापित हैं परन्तु उनमें आबंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन आबंटन अधिकारियों द्वारा आबंटन से शेष बचे हुए ऐसे विशेष आबंटन के विज्ञापित मुरब्बों में आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे परन्तु उस वक्त इस प्रक्रिया में इतनी खामियां रहीं जिस कारण न तो तत्कालीन आबंटन

(श्री छोटू सिंह)

अधिकारी गजट में प्रकाशित परन्तु आबंटन से शेष बचे हुए मुरब्बों की सही सूची प्रकाशित कर पाये न ही उसका नाम मात्र का प्रचार प्रसार किया गया एवं न ही तत्कालीन जनप्रतिनिधियों को भी सही सूची एवं सूचना से अवगत करवाया गया। स्थानीय निवासियों को न केवल आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित होना पड़ा बल्कि सही सूची अपडेट न होने के कारण राजकोष में होने वाली आय से भी सरकार को वंचित होना पड़ा। तत्कालीन सरकार के समक्ष मेरे द्वारा उसी समय उक्त मुद्दे को उठाया गया था तथा मांग की गई थी कि सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया की तिथि को आगे बढ़ाकर तथा विभिन्न तहसीलों में प्रक्रिया में शामिल होने से शेष रहे मुरब्बों को उसमें शामिल कर आवेदन प्रक्रिया को सुचारु करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उस वक्त पिछली सरकार ने विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरी बात को अनसुना कर दिया था।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि वर्ष 2010 में उक्त कार्यालयों में विशेष आबंटन हेतु आमंत्रित किये गये आवेदन पत्रों की समय सीमा को एक माह के लिए बढ़ाकर उनका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी लोगों को उसमें भाग लेने का सुअवसर प्रदान करे।

वर्ष 2010 में विशेष आबंटन से शेष मुरब्बों की सूची में शामिल होने से वंचित रह गये मुरब्बों की पुन: सूची बनाकर उसमें नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएं।

उक्त आवेदन पत्रों में यदि कोई आबंटन हो गये हैं तो उन्हें नई सूची में शामिल नहीं किया जाये।

सम्बन्धित विभाग तत्काल उक्त प्रक्रिया को प्रारम्भ करे। धन्यवाद।

(13.00)

लूणी के लिए स्वीकृत 12, 33/11 के.वी के जीएसएस निर्माण हेतु भूमि का आबंटन

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्वीकृत 12, 33/11 केवी के जीएसएस निर्माण हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आबंटन नहीं करने व विचाराधीन घरेलू कनेक्शन की फाइलों का निस्तारण नहीं करने बाबत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जोगाराम पटेल)

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 5-6 वर्ष पूर्व 12, 33/11 केवी के जीएसएस स्वीकृत किये थे। सरकार ने इन स्वीकृत जीएसएस के निर्माण हेतु भूमि आबंटन करने के लिये जिला कलक्टर जोधपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से निवेदन किया था परन्तु अनेक पत्र लिखने, व्यक्तिगत रूप से बार-बार मिलकर निवेदन करने के उपरांत भी जिला कलक्टर जोधपुर अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने इन स्वीकृत 12, 33/11 केवी के जीएसएस निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं की यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उक्त वर्णित 12, 33/11 केवी के जीएसएस के निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं की। इस सम्बन्ध में मेरे स्तर पर भी अनेक बार पत्र लिखे गये, व्यक्तिगत रूप से मिलकर व अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उन्हें भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में अवगत कराने व भूमि आबंटन करवाने का निवेदन किया गया परन्तु इतने प्रयासों के उपरांत भी जिला कलक्टर जोधपुर अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर ने इन जीएसएस निर्माण हेतु आज दिन तक भूमि आबंटन नहीं की है। समय पर भूमि आबंटन नहीं करने व निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के कारण न केवल बिजली आपूर्ति में भारी असुविधा हो रही है बल्कि निर्माण से सम्बन्धित मूल्य वृद्धि के कारण भी दिन प्रतिदिन जीएसएस की लागत में वृद्धि हो रही है।

श्रीमान, मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में गत 5 वर्षों में जो विद्युत योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना बतायी जा रही हैं उसमें लूणी उपखण्ड में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु करीब 11 हजार से अधिक आवेदन विचाराधीन हैं। कुटीर ज्योति योजना के तहत करीब 3134 आवेदन एवं मुख्य मंत्री योजना के तहत करीब 1340 आवेदन प्राप्त हुए जो विचाराधीन हैं। इस तरह वर्ष 2014 तक कुल करीब 16 हजार आवेदन विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विचाराधीन हैं। इसी तरह मंडोर ब्लाक में घरेलू कनेक्शन हेतु करीब 2272 आवेदन प्राप्त हुए, जो विचाराधीन हैं। कुटीर ज्योति योजना के तहत करीब 719 आवेदन विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु एवं मुख्य मंत्री योजना के तहत करीब 623 आवेदन विद्युत प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए जो विचाराधीन है। इस तरह मंडोर ब्लाक में भी करीब 3671 आवेदन विभिन्न योजनाओं में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए जो विचाराधीन है। परन्तु इसके निस्तारण हेतु भी कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे हैं जबकि विभाग

(श्री जोगाराम पटेल)

ने बार-बार आश्वासन दिये हैं कि इन विचाराधीन आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा परन्तु अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। दिनांक 26.12.2014 को जोनल मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन) जोधपुर डिस्काम जोधपुर के सभा कक्ष में हुई बैठक व उसमें लिये गये निर्णयों के उपरांत भी न तो इन जीएसएस के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन हुआ है व न ही विचाराधीन आवेदनों का निस्तारण ही हुआ है। पेयजल की तरह विद्युत का मुद्दा भी जनहित का संवेदनशील अति आवश्यक मुद्दा है। ऐसी स्थिति में इस गम्भीर व अति आवश्यक वाले इस मुद्दे को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मुआवजा तथा मूलभूत सुविधा दिया जाना

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीलसपुर बांध, जो राज्य के लिये वरदान साबित हो रहा है और राजस्थान के कई जिलों को पीने के लिये पानी उपलब्ध कराता है, सिंचाई के लिये टोंक जिले के किसानों को नहर के द्वारा खेत-खेत तक पानी पहुंचाता है उसके कारण हमारे टोंक जिले की एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त पैदावार बढी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के उस बांध की भराव क्षमता में आने वाले किसान जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है, जिनको बांध क्षेत्र के किनारे पर बसाया गया था नियमानुसार उनको मूलभूत सुविधा देनी थी पर आज तक उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिली। आज पट्टों के अभाव में न तो उनको बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, न ही वह लोन के लिये अपनी जमीन रख सकते हैं, आज वह बहुत परेशान हैं। वहां शिक्षा के कोई साधन नहीं है, परिवहन के लिये कोई साधन नहीं है। जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वह वहां से 15-20 किलोमीटर दूर जाकर अपना इलाज कराते हैं। इसलिए वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र खुलना चाहिये, वह काफी परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो मेरे यहां के किसान हैं वह बहुत परेशान हैं। आज जिन किसानों को

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

मुआवजा नहीं मिला, जिन्होंने अपनी जमीन नहरों के लिये दी उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला जबकि 6 करोड़ रुपये के चैक पडे हुए हैं। इन बीसलपुर विस्थापितों के लिये अलग से एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है, वहां एक एडीएम बैठता है। एडीएम साहब वहां आते नहीं है और आते हैं तो उनसे बात करते हैं तो वह यह कहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, ऐसा बहाना बनाकर वह वहां बैठते नहीं हैं, हाज़िरी करके चले जाते हैं। हमारे बस स्टैण्ड पर पकौड़ी के ठेले लगते हैं, वहां पकौड़ी खाते हैं और वहां से आफिस में हाजिरी करके चले जाते हैं। किसान बहुत परेशान है। किसान आता है उस बीसलपुर विस्थापित आफिस के चक्कर लगाता है और फिर वापस चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी तीतरिया कालोनी है वहां विस्थापितों के लिये थोड़ी सड़कें बनाई थीं, वह भी जर्जर हो गई हैं और आज वह सड़कें टूट कर वहां धूल उड़ रही है। हम जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। हमारे जैसे राजमहल हैं, राजमहल थर्ड, राजमहल सैकिण्ड जो भगवानपुरा है, रावता माताजी है, वहां अभी तक सड़कें ही नहीं बनीं और उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है इसलिए वह काफी परेशान है। जबकि एक ओर तो बीसलपुर बांध हमारे राज्य के लिये वरदान साबित हो रहा है और एक ओर जिन्होंने अपनी जमीन दी उनको मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे किसानों ने जो जमीन दी है उसका मुआवजा मिले और उनके लिये सड़कें, परिवहन के लिये साधन उपलब्ध हों, बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूल हों। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा। आप रेस्पोंस कर रहे हैं, अनिता कटारा एक मिनट विराज जाइए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बीसलपुर बांध के बारे में चिंता जाहिर की कि यहां के किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। बीसलपुर बांध एक पवित्र बांध है और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जहां से राजस्थान की राजधानी में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और तत्कालीन मंत्री

(श्री अमराराम)

सांवरलालजी वहां से मीठा पानी लाये। ऐसे किसान जिन्होंने यह भूमि दी, हमने अधिग्रहण की उनकी मूलभूत सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखा जायेगा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि कुल 11535 प्रकरण थे उनमें से हमने 11366 प्रकरणों का निपटारा कर दिया और उन व्यक्तियों को आबंटन हो चुका है, 169 व्यक्तियों का प्रकरण विचाराधीन है, 90 प्रतिशत विस्थापितों को मुआवजा दिया जा चुका है, शेष प्रकरण विचाराधीन हैं और कुछ प्रकरण तो न्यायालय में भी विचाराधीन हैं, विस्थापितों का आवेदन पत्र 2007 तक करना था।

लेकिन कुछ प्रकरण उसके बाद में आए हैं। किसानों की चिंता, जैसे आप चिंतित हो वैसे मैं भी हूं। इनकी चिंता को देखते हुए बाद में भी जो प्रकरण आए हैं, उन प्रकरणों पर भी विचार किया जाएगा और उनके निस्तारण के लिए जल संसाधन विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनके आवासीय भूखण्ड के मामले को दैनिक रूप से देखा जा रहा है। उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए गुणावगुण के आधार पर पूरा विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

सागवाड़ा में खस्ताहाल सड़कें

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज पर्ची के माध्यम से सदन में बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूं। सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत के बारे में आज मैं सदन में अपनी बात रखने जा रही हूं। कांग्रेस अपने पांच वर्षों में जो बड़े-बड़े खड्डे छोड़कर गई है उन खड्डों को पूरने में समय तो लगेगा पर फिर भी जनता ने हमें सदन में भेजा तो जनता की बात रखना हमारा कर्तव्य बनता है।

आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र में सड़कों का विकास होना बेहद जरूरी है। प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल हैं। यहां की सड़कें खस्ताहाल होने की वजह से गांव का ग्रामीण मुख्यालय तक सुगमता से नहीं पहुंच पाता है, जिससे वह विकास की मुख्य धारा से दूर रह जाता है। सदन में मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखते हुए निवेदन करती हूं कि सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लम्बे अर्से से गामड़ा ब्राह्मणियां मोड़ से ओबरी तक 9 किलोमीटर,

(श्रीमती अनिता कटारा)

हडपालिया से हिंगड़ा तलाई 3 किलोमीटर, गोवाडी से हिंगलाज माताजी मंदिरवाडा तक 4 किलोमीटर, वणोरी से सीताराम मंदिर जेठाणा तक 3 किलोमीटर, भीलूडा से राजपुर बोरमाता 2 किलोमीटर, लिखतिया से चाडौली 7 किलोमीटर, नवणिया माकणिया सड़क 6 किलोमीटर, ठाकुरजी के मंदिर ओबरी से पाडलिया 2 किलोमीटर, भीलूडा गणेशपुरी से लिम्बोड वाया सेमलिया 7 किलोमीटर, कराडा से पाडवा 5 किलोमीटर सड़क सहित क्षेत्र की करीब 20 सड़कों की हालत खस्ताहाल है। यह सारी सड़कें उपखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिससे यहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा निवेदन है कि इन खस्ताहाल सड़कों को दुरूस्त करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने की कृपा करें। वहीं गलियाकोट के पास में माही नदी पर करोड़ों की लागत से बनने वाला पुल निर्माण भी कछुआ चाल से हो रहा है। इस पुल का निर्माण जल्द ही पूर्ण होने से दो राज्यों की दूरी काफी कम हो जाएगी जिससे व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में विकास भी होगा। निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग के तहत इन कार्यों को पूर्ण करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें।

गामडा ब्राह्मणिया मोड से ओबरी तक 9 किलोमीटर वाला रोड़ है, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी आम जनता ने उसके बारे में अवगत करवाया था। सरकार आपके द्वार, कार्यक्रम के तहत हमारे सागवाड़ा विधान सभा में सरकार पधारी थी, उस समय भी इस रोड़ के बारे में अवगत करवाया था। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि इस रोड़ का कार्य कब तक शुरू हो सकता है, मुझे इस बारे में थोड़ा अवगत करवाएं। आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे ?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा से आने वाली माननीय सदस्य ने जिन सड़कों की चर्चा की है, यह बात सही है कि इन्होंने यह बारह सड़कों की बात अभी कही है। सागवाड़ा में 755 किलोमीटर सड़कें हैं, उनमें से 284 सड़कें तो गारंटी अवधि में हैं। उसकी कल ही मैंने घोषणा की है कि एक–एक सड़क को, पूरे राजस्थान की सड़कों को देखेंगे, जिसमें यह चर्चा आ जाएगी।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी 225 किलोमीटर का पैचवर्क चल रहा है उसमें से 180 किलोमीटर पैचवर्क तो हमने कर लिया, 45 किलोमीटर का होना बाकी है, जो अप्रैल महीने तक कम्पलीट हो जाएगा।

दूसरा, आपने जिन सड़कों के टूटने की बात कही है उनमें से 22 किलोमीटर सड़कें तो हमने स्वीकृत कर दी हैं, 27 फरवरी को उसका टेण्डर भी आ गया है माननीय अध्यक्षजी। उनका काम शुरू कर देंगे। 35 किलोमीटर की सड़कें अगले फाइनेंशियल ईयर में जो नोन पैचेबल हैं उनको ले लेंगे, उनका भी पुनर्निर्माण करवा देंगे।

कुछ सड़कें ऐसी हैं जो मिसिंग लिंक में आती हैं, माननीय सदस्य जो सूची हमें देंगी, इस वर्ष में हम मिसिंग लिंक का निर्माण करेंगे, उनका भी निर्माण कर देंगे। गलियाकोट के पुल की बात कही है उसकी रिपोर्ट लेकर माननीय सदस्य को बता देंगे कि कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

खैरवाड़ा के गोड़ाखोज बांध की रिवाइज सैंक्शन व नहरों का कार्य

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोड़ाखोज बांध बना हुआ है। उसको बने हुए करीब 15 से 20 साल होने जा रहे हैं। जब मैं पहली बार विधान सभा में विधायक बनकर आया, उस बांध की केवल नींव निकाली हुई थी। मैंने उसको हाथ में लिया और उसकी रिवाइज सैंक्शन कराकर 9 करोड़ की लागत से उस दोनदी बांध को पूरा करवाया। 2008-09 में वह बांध पूरा हो गया। 2009-10 में उसमें 126 एमसीएफटी भराव क्षमता का पानी भी भरा। वहां की नहरें 14 किलोमीटर लम्बी नहरें है। आज वहां नहरों की यह हालत है कि मुश्किल से एक किलोमीटर की दूरी पर पानी नहीं जा रहा है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसानों की जमीन बरबाद हो रही है। वहां सीपेज हो रहा है। किसान परेशान है। मैंने अगले विधान सभा सत्र में भी प्रश्नकाल के माध्यम से इस बात को उठाया था मगर अभी भी मौके पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। विभाग ने वहां निविदाएं भी निकाली हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार वहां निविदाएं निकाली हैं। या तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी खामी रही है, ठेकेदार वहां आने से घबरा रहे हैं या पूर्व में नहरों का जो काम हुआ है बहुत घटिया हुआ है। मेरा मंत्रीजी से

(श्री नाना लाल अहारी)

निवेदन है कि इन नहरों का काम पूर्ण करवाया जाए। नहरों और बांध को मिलाकर कम से कम 15-20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं उसका किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है।

2006-07 में भारतीय जनता पार्टी का राज था वहां गोड़ाखोज बांध का निर्माण करवाया गया था। उस समय सावंरमलजी जाट मंत्री थे। उन्होंने उस बांध की नींव रखी थी, 17 करोड़ रुपये की स्वीकृति उस समय हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धराजी ने निकाली थी।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब वे 2002 और 2003 में परिवर्तन यात्रा में वहां पधारी थीं, जनता ने उनसे मांग की थी कि यहां पर एक बहुत बड़ा बांध बन सकता है। जैसे ही वे राज में मुख्य मंत्री निर्वाचित होकर आयीं, उन्होंने वहां 17 करोड़ की लागत से उस बांध की स्वीकृति दी और बांध 2010 में पूरा हो चुका है। मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां नहरों का काम कराया, नहरें टूटी-फूटी होने की वजह से आज वहां बिलकुल भी पानी नहीं मिल रहा है। पिछले सत्र में भी मैंने इस बात को उठाया था मगर वहां पर भी जो दो नदी की हालत है, वही के वही हाल हैं और किसानों की जमीन बर्बाद हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जावे, उसकी जांच की जावे कि वहां सरकार द्वारा निविदायें भी निकाली जा रही हैं, परन्तु किसी प्रकार का टेण्डर नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। उस पर भी सरकार द्वारा थोड़ा ध्यान दिया जावे। आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे मेरी इस पर्ची का थोड़ा जवाब दे देवें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, वे सारी सही हैं। मैं अगर जांच कराने लगूंगा तो मेरा सारा स्टाफ, जो राजस्थान का है, वह जांच में ही लगा रहेगा। इसलिये जांच को छोड़कर जो आपने एक तो बताया डीगवास बांध है, इसकी नहर की मरम्मत के लिये, माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब उदयपुर पधारी थीं तो उन्होंने 307.82 लाख रुपये की घोषणा की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में टेण्डर हुए तीन दफा, तीनों दफे ही वे टेण्डर बैक-आउट हो गये। अब 16.03.2015 को टेण्डर आमंत्रित किये हैं, 27.04.2015 को ये निविदायें खुलेंगी और खुलने के बाद इसका काम शुरू हो जायेगा।

(डा. रामप्रताप)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह तालाब है भूटड़, इसके अन्दर इसकी पाल का कार्य भी चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। 13.03.2013 तक का इसको एक्सटेंशन दिया गया है, उसमें अपना काम पूरा कर देगा। तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, गोडाखोज बांध का निर्माण तो हो चुका है लेकिन नहर के मामले में यहां भी वही स्थिति है, जो यह ठेकेदार था, वह कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में फैसला इसके खिलाफ हो गया है। दोबारा हमने इसकी निविदायें आमंत्रित कर ली हैं। निविदायें खुलने के बाद में इस काम को भी पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर, और कितना करोगे। यह जो आपने बोलने के लिये पर्ची दी है, ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बारे में, बहुत चर्चा हो गई है। आप भी संक्षेप में बोल लीजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): संक्षेप में, मुझे कुछ क्लीयर करना है, अध्यक्ष महोदय। इसके बारे में मैंने पर्ची लगाई है।

श्री अध्यक्ष: वह क्लीयरेंस पूछ लो आप, ठीक है।

ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त केलू, पोस व पक्के मकान

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए केलू पोस एवं पक्के मकान जो वन विभाग एवं चरनोट जमीन पर बसे हुए हैं, उसके बारे में मुझे कुछ स्पष्टीकरण करना है। इसके बारे में आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

सर्वप्रथम तो मैं हमारी प्रगतिशील मुख्य मंत्री और सम्माननीय गुलाबजी भाई साहब और साथ में आपको भी धन्यवाद दूं।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्री।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): गृह मंत्रीजी, ओलावृष्टि को तो आप ही देख रहे हैं ना। साथ-साथ आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें आपने, आपदा राहत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने तत्काल दो-तीन घण्टे में, जो ओलावृष्टि से हमारी क्षति हुई, उस पर बोलने का समय दिया और तत्काल ही आपने निर्देश दिया कि आप लोग दो दिन जाइये और अपने क्षेत्र का जायजा लीजिये, वास्तव में कितना नुकसान हुआ है। उसी

(श्री हरिसिंह रावत)

के अनुरूप, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत बाघाना, बरजाल, खीमा खेड़ा, छापली, दिवेर, जीरण, नरदास का गुढा, काला गुमान, ये ग्राम पंचायतें और इनकी ढाणियां, करीब 500-700 साल से बसी हुई हैं। ये सब ग्राम-ढाणियां, जो बसी हुई हैं, वे वन विभाग क्षेत्र बिलानाम और चरनोट भूमि पर निवास कर रही हैं। 500-700 सालों से रहने की वजह से अज्ञानतावश इन ग्रामवासियों ने कभी पट्टे नहीं लिये। इनको यह भी पता नहीं कि हम कहां रह रहे हैं। यह तो ओलावृष्टि से जब ये घर क्षतिग्रस्त हुए और सरकार ने वहां गिरदावरी के लिये पटवारियों को भेजा और पटवारी जब वहां गये तो उन्होंने मूल्यांकन और सर्वे किया। सर्वे के बाद पटवारियों ने बोला कि प्रथम तो तुम्हारे यहां पट्टे नहीं हैं, दूसरा तुम गैर-आबादी में रह रहे हो, जिसकी वजह से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक तो भगवान ने प्रकोप किया और दूसरा यह सरकार भी अगर नमक पर हल्दी नहीं लगायेगी तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। वैसे तो ये मुआवजा क्या दे रहे हैं, जो कच्चे केलू, पोस मकान जो क्षतिग्रस्त हुए या जिन घरों की टोटल क्षति हो गई है उसमें तो सरकार ऊंट के मुंह में जीरा देने की बात कर रही है। मेरा आपके माध्यम से आपदा मंत्रीजी से निवेदन है कि 16600 रुपये जो आप मकान के लिये दे रहे हैं, वह तो बहुत ही कम हैं। आज इस मंहगाई के जमाने में एक केलू भी 10-15 रुपये से कम नहीं आता है। एक क्षतिग्रस्त घर में अगर अपन छप्पर या केलू वापस डालें तो कम से 1500-2000 केलू चाहिएंगे। इस प्रकार 1500-2000 केलुओं में तो करीब 30-40 हजार रुपये लग जाते हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें भी कुछ पैसा बढ़ाया जाये या फिर ऐसा किया जाए कि नरेगा के अन्तर्गत जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको मुआवजा दें या उनका घर बनवा दें तो मैं समझता हूं कि गरीबों को एक अच्छी राहत मिल जाएगी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव की भोली-भाली जनता जो वन और चरनोट में रह रही है, इनके पूर्वजों ने बसाया था। जब इनको यह पता लगा कि यह तो बिलानाम और चरनोट है तो इससे इन पर एक बहुत बड़ी आफत आ पड़ी। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आबादी सदियों से उक्त भूमि पर बसी हुई है, उसे वैधानिक कर उन गरीब निवासियों का आबादी क्षेत्र घोषित करे और

(श्री हरिसिंह रावत)

पट्टे दिलाये। पट्टे दिलाने के बाद ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसका भी इनको लाभ दिलाये। इसी के साथ आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमारे विभाग ने, विशेष करके जो चार की मानव क्षति हुई और जो 6 लोग घायल हुए, इन दस को 6 लाख 66 हजार रुपये का पेमेण्ट कर दिया। मानव क्षति के बाद मकान की जो क्षति हुई है, उसमें 1059 मकान की क्षति हुई है। हमने 23,99,950/- रुपया, उनका पेमेण्ट, जो भी हमारे नार्म्स हैं, वे नार्म्स कम हैं, आप उसकी मांग कर रहे हैं, वह बात सही है, लेकिन जब तक नार्म्स आपदा राहत में बदले नहीं जाएंगे तब तक अधिक मदद करना हमारे लिये नियम के बाहर होगा। वह सम्भव नहीं हो रहा है, हम स्वयं भी चाहते हैं। कुछ मकानों के बारे में कहा है कि जो जंगल की जमीन में, या वन में या ऐसी जगह हैं, जहां उनके पास किसी प्रकार का नहीं है, इस केस को हम दिखवा रहे हैं कि किस तरह से मदद सम्भव हो सकती है, उसको हम मदद करने के लिये प्रयासरत हैं। पशु क्षति की दृष्टि से भी, 1217 पशुओं की जो क्षति हुई है, उसमें भी हमने 28,68,800/- रुपये का पेमेण्ट कर दिया है। मैं सोचता हूं कि जो हमको अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हमने सारा चुकारा कर दिया है। केवल वह मकान, जिनके पास अधिकृत कागज नहीं हैं, उनके बारे में अभी विचार शेष है, अभी विचार करके कोई सहयोग का आधार मानते हुए कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम);

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त);

III- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र);

IV- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र); एवं

V- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014.

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री रामलाल गुर्जर।

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2014-15 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2014-2015 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री नारायण सिंह देवल।

याचिका

रानीवाड़ा पंचायत समिति जसवन्तपुरा मुख्यालय में माडल स्कूल

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवन्तपुरा मुख्यालय पर माडल स्कूल खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय

1. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत; एवं

(श्री जगदीश नारायण)

सड़वा मोड़, जयपुर से जमवारामगढ़ बांध तक की सड़क फोरलेन की मांग

2. सड़वा मोड़, जयपुर से जमवारामगढ़ बांध तक की सड़क को फोर लेन बनाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: हमीर सिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

अनार की खेती को बागवानी मिशन व सिवाना में अनार मण्डी की मांग

1- अनार की खेती को बागवानी मिशन में लेने एवं सिवाना क्षेत्र में अनार मण्डी खोलने बाबत; एवं

सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट

2- सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने बाबत।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015

श्री प्रभुलाल सैनी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

पुर:स्थापित कीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री युनुस खान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,82,20,79,000/- (पन्द्रह अरब बयासी करोड़ बीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

दूसरा भी?

श्री अध्यक्ष: हां, दूसरा भी कीजिए।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,84,78,62,000/- (सैंतालीस अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांगें मंजूर करवाइए। मांगें मंजूर करवाई जाएं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी तो शाम को करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है।

माननीय सदस्यगण, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही हमारी मांगों पर आखिरी विचार हो रहा है। इसके बाद आज मुख बंद होगा। मैं आपके सामने दो स्थितियां बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मुख बंद छह बजे होगा और छह बजे के बाद हम दूसरा कार्य करेंगे और छह बजे के पहले माननीय मंत्री महोदय, आप बोलते भी अच्छे हैं और तैयारी भी अच्छी है लेकिन आज आप अपने भाषण को थोड़ा छोटा कीजिए। साढ़े पांच बजे से छह बजे तक आपका भाषण होगा और अब कुल मिलाकर पौने चार घंटे हैं हमारे पास। इन पौने चार घंटे में तीन इधर से और एक इधर के हिसाब से, मेरा तो निवेदन यही है कि पांच और दस मिनट के बीच में अपने सभी बोलने वाले सदस्य अपने विचार रख देंगे तो करीब-करीब कई लोगों का नम्बर आ जाएगा। लेकिन, आएं या नहीं आएं, चाहे प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ठीक साढ़े पांच बजे मैं युनुस साहब को बुलाऊंगा जवाब के लिए और ठीक छह बजे मुख बंद का प्रयोग करूंगा, यह मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप बहुत ही विनम्रतापूर्वक मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे।

अब आज की बहस का प्रारम्भ। श्री निर्मल कुमावत।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दस मिनट की पालना की जाए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के जरिए मैं सूचना देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी तो पाइंट आफ इन्फार्मेशन कुछ है ही नहीं। नो पाइंट आफ इन्फार्मेशन। नो पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दस मिनट से ज्यादा बोलते हैं, सभी को मौका मिल जाए, दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलें कोई। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष: वह तो आप ही बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम तो तैयार हैं दस मिनट में। सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं पौन-पौन घंटा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं बोलने देंगे आज इनको भी। स्व-अनुशासन। अपने पर संयम रखो। स्व-अनुशासन रखो, यह मेरी रिक्वैस्ट है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ठीक है, साहब, ठीक है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। नो इन्फार्मेशन।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, अति आवश्यक मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: नो इन्फार्मेशन। नो इन्फार्मेशन। नोट नहीं हो। यह नई-नई वह नहीं डालना चाहता मैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मांग संख्या-19 और मांग संख्या-21 पर अपने विचार रखता हूं।

(13.36 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते होंगे और अपनी-अपनी बात रखना चाहते होंगे।

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी राज्य अपनी पहचान बनाता है और हर व्यक्ति अपनी उसकी उपयोगिता रखता है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक नई देने की घोषणा की है और सभी माननीय सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।

परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से भी कि हम लगातार 60 सालों से सड़कें बनाते आ रहे हैं और हर वर्ष चाहे यह सरकार आए चाहे वह सरकार आए, सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां पर सड़कें बहुत खराब हैं, हमारे यहां पर नई सड़कें और बनें।

(श्री निर्मल कुमावत)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम अभी वर्तमान में जो नई सड़कें बनाते हैं, चाहे वह मिसिंग लिंक हो, चाहे ग्रामीण, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हो, उसकी औसत लागत 30 से 35 लाख रुपये प्रति किलोमीटर आ रही है और वह सड़क लगभग सात से आठ वर्ष बाद में पूरी तरह से नई बनने योग्य वापस बन जाती है क्योंकि कोई भी कन्सेशनर हो या विभाग के अधिकारी हों, उस पर सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और वह सड़क आठ-दस साल के अन्दर वापस उतना ही पैसा जितना उस पर पहले लगा था, उतनी उसको आवश्यकता पड़ती है रख-रखाव के लिए।

अभी मैं एक चीज के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को भी जो ग्रामीण गौरव पथ योजना आप लेकर आए हैं निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर साबित होगी तो क्यों न जो यह दो हजार किलोमीटर सड़कें नई बनने वाली हैं इनको भी उसी की तर्ज पर, सीमेंट कंक्रीट की नई सड़कें बनाई जाएं ताकि आने वाले 20-30 सालों तक इन पर मेंटिनेंस का कोई नया पैसा नहीं लगे और जो आठ साल, दस साल बाद में इतना ही पैसा आप मेंटिनेंस पर खर्च करके, वैसे भी इसकी लागत दुगुनी कर दी जाती है तो क्यों न उस पैसे में इसको सीमेंट-कंक्रीट की अगर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह विश्वसनीय रहेगी और लम्बे समय तक चलेगी।

इसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी जब पूर्व में वर्ष 2007 में मुख्य मंत्री थीं तो उस समय शहरों के लिए गौरव पथ दिया गया था और वह सड़क सभी नगरपालिका क्षेत्रों में है और मैं जानकारी के लिए शायद, आपके सबके भी है, माननीय सदस्यों के भी होगी, आज तक एक रोड में भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली और किसी में भी मेंटिनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह रोड्स आज भी उसी स्थिति में हैं जब बनी थीं, उसी स्थिति में हैं।

मैं समझता हूं कि एक नई पहचान एक राजस्थान अपने आप में बनाएं, एक नई पद्धति का हम विकास करें और राजस्थान, गुजरात, आज हर जगह बात आती है गुजरात माडल की तो क्यों न राजस्थान माडल एक नया माडल बने, नई सड़कों को लेकर।

एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पी.पी.पी. प्रोजेक्ट में, चाहे केन्द्र सरकार हो, माननीय प्रधान मंत्रीजी की भी सोच है और राजस्थान सरकार की भी सोच है कि सरकार का पैसा कम लगकर निजी भागीदारी से नई सड़कें बनें

(श्री निर्मल कुमावत)

और कम लागत में, कम सरकार के पैसे खर्च और ज्यादा सड़कें बनें। निश्चित तौर पर यह योजना स्वागत योग्य है। परन्तु, मैं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी बताना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज बताना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली सड़क होगी जो पी.पी.पी. माडल में हमारी तत्कालीन गहलोत सरकार, जो कि बड़े-बड़े वादे करते हैं हमारे विपक्ष के साथी, इन्होंने 2011 में महला से होती हुई फुलेरा, जोबनेर होती हुई, रेनवाल होती हुई, चौमूं टोल रोड घोषित की और उसके लिए बड़ी-बड़ी बातें कीं कि हम यह रोड ला रहे हैं, हम टोल पद्धति ला रहे हैं, बी.ओ.टी. ला रहे हैं। इस सड़क की कुल लम्बाई 81.2 किलोमीटर थी। इसका कार्य प्रारम्भ 15 जून, 2012 को होना था और इसका कार्य पूर्ण 16 दिसम्बर, 2013 को होना था। इसकी जो डी.पी.आर. बनी, हमारे इंजीनियरों ने इसकी जो लागत निकाली वह 134.20 करोड़ रुपये निकाली। प्रति किलोमीटर इसकी लागत आई 1 करोड़ 65 लाख रुपये।

सभापति महोदय, यह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इसका एग्रीमेंट हुआ दिनांक 25 मार्च, 2011 को। मुम्बई में इसका एग्रीमेंट होता है मैसर्स यूटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कम्पनी इसकी बिड्स में शामिल हुई और उसको क्वालिफाई माना गया। हमारे इंजीनियर्स ने, विभाग ने इसको क्वालिफाई किया। उसके साथ मुम्बई में एक एम.ओ.यू. हुआ सात पेज का और उसके बाद में जनवरी, 2012 में यह लगभग 250-300 का एक नया एम.ओ.यू. हुआ। दुर्भाग्य की बात मैं बताना चाहूंगा कि नई कम्पनी का जो गठन हुआ उसका नाम हुआ मैसर्स चौमूंमहलां टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड और इसका रजिस्टर्ड आफिस बना मुम्बई में।

माननीय सभापति महोदय, आप और हम भी बैंक में जाते हैं और कर्जा लेते हैं। चाहे गाड़ी का लेते हैं, होम लोन भी लेते हैं, यह पहला प्रोजेक्ट होगा जिसकी जो कोस्ट लागत है, उससे कम से कम ज्यादा नहीं तो 75 परसेंट एबव कर्जा दिया गया है। यह एक सोचने का विषय है। सोची-समझी रणनीति के तहत हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। यह आप ही के राज का घोटाला है, 250 करोड़ रुपये का लोन उठा लिया इस कम्पनी ने, 134 करोड़ रुपये की लागत जिस प्रोजेक्ट की हो, उसने विभिन्न बैंकों से 250 करोड़ रुपये उठा लिये एक नई कम्पनी बनाकर मुम्बई में। माननीय सभापति महोदय, मौके पर अगर इसकी

(श्री निर्मल कुमावत)

फिजिकल जांच कराई जाये, माननीय मंत्रीजी, मैं इस विषय को कई बार प्रश्नों के माध्यम से आपके ध्यान में ला चुका हूं और आपने आश्वासन भी दिया और आप इस पर उचित कार्यवाही भी कर रहे हैं। परन्तु यह एक सोच का और उच्च स्तरीय जांच का विषय है कि जिस सड़क की लागत डी.पी.आर. 134 करोड़ रुपये आई, उसके ऊपर 250 करोड़ रुपये बैंकों ने कैसे इसको लोन दिया? वह लोन किसकी गारण्टी पर मिला? वह सात पन्ने का जो एग्रीमेंट था, उसकी लागत पर वह लोन मिला और वह एग्रीमेंट किसका था? वह गारण्टी किसकी है? वह राजस्थान की जनता की है और राजस्थान सरकार की थी। पर दुर्भाग्य की बात है कि 134 करोड़ का काम 250 करोड़ के ऊपर डाल दिया गया। राज्य सरकार पर इसकी लागत बढ़ाई गई और वह काम मुश्किल से 30-40 करोड़ का भी उसने मौके पर नहीं किया और यह कम्पनी जो नई कम्पनी बनी चौमूं-महलां टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, यह 2014 के अन्दर कम्पनी एक्ट के तहत अपने आपको डिफाल्ट घोषित करती है कि मैं दिवालिया हो गया हूं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। कोर्ट द्वारा भी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट के लिये जाती है तो सीधा-सीधा एक फाइनेंशियल क्राइम, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। शायद ही कोई रोड मंत्रीजी जरूर अपने जवाब में यह बात बताएंगे कि इसके अलावा भी कोई ऐसी रोड आज तक कभी हुई है कि राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर रोड्स के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उस एग्रीमेंट पर 250 करोड़ रुपये उठते हैं। मौके पर 30 करोड़ रुपये लगते हैं और कम्पनी अपने आपको डिफाल्ट घोषित करके भाग जाती है। उस कम्पनी को किसने सर्टिफाइड किया है कि यह केपेबल है या नहीं है? यह भी एक सोचने का विषय है। वह कौन लोग थे उसमें? तत्कालीन सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिह्न है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और लगभग 5 विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को डुबाने का काम किया है और स्टेट हाइवे इतनी बढ़िया जो पहले थी, उसको बर्बाद करने का काम पूर्व सरकार ने किया।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके मंत्रीजी, माननीय सभापति महोदय, इनके कोई एक भी जांच तो करवा लो। जो आप शिकायत करते हो, मंत्री को फायदा हो जाता है। जो आता है उसको अभयदान दे देते हैं मंत्रीजी। कुछ नहीं होने

(श्री रमेश)

वाली जांच में। मंत्रीजी, यह तो भाषण देंगे दो घंटे का, वह सुन लेना बस और कुछ नहीं होने वाला राजस्थान में।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपके मंत्रीजी थे। आप सुनो तो सही। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं इसी प्रोजेक्ट की तुलना करना चाहूंगा कि हमारे स्टेट की भी कई एजेन्सियां काम कर रही हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, कोई भी कल्याणकारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं और वह जिम्मेदारी सरकार की एजेन्सियां भी बखूबी निभा सकती हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आर.एस.आर.डी.सी. राजस्थान सरकार का वह उपक्रम है, जो हर वर्ष सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाता है। इस सड़क का जो मैंने अभी बताया चौमूं-महलां टोल रोड का एग्रीमेंट हुआ। 15 जून, 2012 को इसको वर्क आर्डर दिया गया। इसी के बाद में आर.एस.आर.डी.सी. को एक नई प्रशासनिक स्वीकृति निकाली गयी 12.8.2012 को, इस सड़क का नाम था जयपुर-जोबनेर-कुचामन-नागौर सड़क और बी.ओ.टी. बेसिस पर यह सड़क भी बनी। इसका वित्त पोष भी बैंकों से हुआ। बैंकों ने इसके लिये भी कर्जा दिया। इसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि आई 5 नवम्बर, 2012 और कार्य पूर्ण करने की तिथि थी 5 जून, 2013, मगर इसका कार्य पूरा हुआ दिसम्बर, 2013 में। इसकी कुल लम्बाई थी 155 किलोमीटर, इसकी कुल लागत थी 253 करोड़ रुपये और वही प्रति किलोमीटर अगर इसकी हम लागत निकालेंगे तो एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये इसकी लागत आई थी और एक करोड़ पैंसठ लाख ही चौमूं-महलां टोल रोड की थी और खुशी की बात है कि हमारे इंजीनियर्स, हमारा स्टाफ ऐसी बात नहीं है कि सभी जगह कोई काम नहीं करते, हमारी सरकारी एजेन्सियां भी बहुत अच्छा काम करती हैं और यह सड़क आज समय से बनकर तैयार है और पूरी जनता को लाभ मिल रहा है और इससे हजार गुणा बढ़िया गुणवत्ता में बनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों न ऐसी एजेन्सियों को और मजबूत किया जाये। यदि लोन ही लेना है तो सरकार की कम्पनियां लोन लेकर उसको बनायें, निजी कम्पनियों को नहीं दी जाये।

आप जो नई नीति लाये हैं पीपीपी प्रोजेक्ट की, मैं समझता हूं मंत्री महोदय, ऐसी गलती, दोबारा कभी भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, जो चौमूं-महला टोल रोड पर हुई है, उसकी आप पूरी कोशिश करेंगे और जो आगे आने वाली योजनाएं हैं, जो 20 हजार किलोमीटर सड़कें हम लेकर आने वाले हैं, उसमें हम

(श्री निर्मल कुमावत)

राज्य के हितों को देखते हुए कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं हो, उसके बारे में भी हम लोग पूरा विचार करेंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, टोल के बारे में भी कुछ बात बताना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्य सभी सड़कों से निकलते हैं और सबको जानकारी नहीं कि टोल को लेकर हमारे नियम क्या बने हुए हैं और आई.आर.सी. ने अपने क्या-क्या गाइड लाइन बना रखी है और भारत सरकार ने उसको कब-कब सेटिस्फाई किया है। एन एच आई की जितनी भी सड़कें हैं फोर लेन, उनके लिये स्पष्ट गाइड लाइन है ''The service time of not more than 10 seconds per vehicle at peak flow regardless of methodology adopted for fee collections." इसका मतलब जहां इलैक्ट्रोनिक टोल कलैक्शन, आधुनिक सुविधाएं हैं, वहां 1200 व्हिकल पर-आवर निकलने चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में शायद ही कोई फोर लेन रोड ऐसी होगी, जहां 10 सैकण्ड में कोई टोल क्रोस कर सकते हैं। कम से कम दो-तीन घंटे से पहले कोई भी जो पीक-आवर्स की बात करते हैं, माननीय मंत्रीजी, आपने खुद ने भी देखा होगा। इसके अलावा यही नहीं इन्होंने एक सजेशन भी दिया है ''If any time, the queue of vehicles becomes so large that the waiting time of the user exceeds three minutes, the number of toll lanes shall be increased so that the maximum waiting time is brought down to less than three minutes." दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कानून की कोई पालना नहीं होती हमारे स्टेट में। मैं समझता हूं मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान देंगे और हमारे अधिकारियों को भी कहेंगे कि जो आई.आर.सी. इंडियन रोड कांग्रेस की जो गाइड लाइन्स है, उसके तहत हम क्या काम कर रहे हैं, और क्या नहीं कर पा रहे। यह कम्पनियां हमसे इतनी मनमानी क्यों करती हैं? निजी कम्पनियां हैं तो उनको भी कराया जाये, सरकारी एजेन्सियां हैं तो उनको भी इसके लिये बाध्य किया जाये ताकि जनता को लाभ मिले।

टोल एक्ट के तहत यह बिल्कुल स्पष्ट प्रोविजन्स हैं कि टोल रोड अगर हम रखते हैं तो उसमें सर्विस पूरी देनी पड़ती है, उनको पूरी गुणवत्ता देनी पड़ती है, चाहे टोल कलेक्शन की हो, चाहे वहां ड्रिंकिंग वाटर की हो, चाहे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो, चाहे आपके कैटल क्रोसिंग हो, चाहे ट्रेफिस एड्स हो, चाहे मेडिकल एड्स हो। परन्तु इसकी ओर भी हमको सोचने की बात है कि यह सब सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं या नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि सड़कों पर कितनी गायें मरी हुई रहती हैं, कितने मवेशी मरे हुए रहते हैं, क्यों

(श्री निर्मल कुमावत)

न पालिसी में जब यह चीज है तो जब सड़क बनती है तो क्यों नहीं उसके लिये अलग से प्रोविजन दिया जाता है। चाहे ट्रक बाइपास हो, चाहे बस-स्टैण्ड्स हों, और विशेष तौर से टोल पर ड्रिंकिंग वाटर और फैसेलिटीज की सुविधाएं भी इसमें गाइड लाइन के अनुसार कहीं भी नहीं हैं। अगर टोल के लिये हम एक घंटे खड़े हैं तो वहां किसी को प्यास लगती है, किसी को वोमेटिंग होती है, किसी को टायलैट जाना है, तो कोई सुविधा नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सदन में मैंने 22.7.2014 को बगरू टोल की बात उठाई थी और माननीय मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त किया था कि निश्चित तौर पर पीक आवर्स में वहां डेढ़ से दो घंटे टोल क्रोस करने में लगते हैं। आवश्यक वस्तुएं वहां पर खराब हो जाती हैं। इमरजेंसी में एम्बुलेंस में वहां डैथ का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया। केवल टोल क्रोस नहीं कर पाते। आदमी पैसा भी देना चाहता है, पैसा दे भी रहा है, फिर भी टोल क्रोस नहीं कर पाता। उसके लिये माननीय मंत्रीजी ने मुझे स्पष्ट आश्वस्त किया था कि हम बहुत ही जल्द इसके लिये भारत सरकार से बात करेंगे और नई जमीन अवाप्त करके टोल की लेन की संख्या बढ़ायेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा अपने जवाब में, कि यह रोड सबसे व्यस्ततम रोड्स में राजस्थान में कोई रोड है तो जयपुर से किशनगढ़ तक की टोल रोड है, क्योंकि हमारे तीन-चार सम्भाग अगर जयपुर से जुड़ते हैं तो इसी से जुड़ते हैं और गुजरात पूरा अगर दिल्ली से जुड़ता है तो इसी रोड से जुड़ता है। माननीय मंत्रीजी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जितनी भी सुविधाएं टोल रोड के हिसाब से होनी चाहिये और आने वाला सुनहरा राजस्थान जो हम बनाना चाहते हैं, उसमें आपका विभाग बहुत कुछ कर सकता है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड्स हो, उसके लिये हम हमारे विभाग पर भी कुछ जिम्मेदारी डालें। सारे ही निजी लोगों पर नहीं डालें और यह टोल के विषय में आप जरूर अपना स्पष्टीकरण दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

धन्यवाद दूंगी कि अपने बजट भाषण में राज्य के समग्र विकास हेतु 10 हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों का कार्य व नवीनीकरण कराया जाएगा। जिस प्रकार माननीय पूर्व प्रधानमंत्रीजी, अटल बिहारी वाजपेयीजी के कार्यकाल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल फैला था तथा उससे आज तक भारत की सम्पूर्ण जनता को फायदा पहुंच रहा है, उसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजीकी प्राथमिकता रोड कनेक्टिविटी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जालौर निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, जालौर एक जिला मुख्यालय है इस कारण से पूरे क्षेत्र में दिन भर सड़क मार्ग पर आवागमन होता रहता है। पूरे जिले के प्रमुख कार्यालय, प्रमुख अस्पताल, कालेजेज, स्कूल आदि यहां पर हैं। हमारे यहां एक रेलवे क्रासिंग संख्या 48 जालौर का फाटक है जो 24 घंटे में से 11 घंटे बंद रहता है। इस कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिला मुख्यालय होने के कारण सभी प्रकार के छोटे-बड़े कार्यों के लिए आसपास की जनता को आना-जाना पड़ता है, यहां तक कि इस रेलवे फाटक के कारण मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का कार्य किया जाए जिससे जनता को बहुत राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सायला उपखण्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक डाक बंगले की अति आवश्यकता है, मैं इसकी भी मांग करती हूं, यह भी खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रामीण गौरव पथ योजना में पंचायत मुख्यालयों पर दो हजार किलोमीटर से भी अधिक आर.सी.सी. रोड के कार्य प्रगति पर हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जालौर के सायला तहसील में एक तूरा ग्राम है जिसकी आबादी दो हजार से भी अधिक है परन्तु यह गांव आज भी सड़क मार्ग से वंचित है, सायला, बागोड़ा मुख्य मार्ग से पांच किलोमीटर दूर है, इसे बनाया जाए। इससे गांव की जनता को बहुत राहत मिलेगी।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

इसी प्रकार जालौर ग्रामीण क्षेत्र में एक सड़क नून से बासड़ाधनजी पांच किलोमीटर है, अगर यह भी बनायी जाए तो जालौर से वाया भीनमाल सीधा जुड़ जाएगा, इससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि जालौर में जो टोल रोड बने हुए हैं उनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। टोल रोड के नोर्म्स के हिसाब से जितना टोल लगता है वो उससे भी ज्यादा टोल लेते हैं तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इनका दोबारा से पुनर्मूल्यांकन हो ताकि जनता से टोल रोड के जो फालतू पैसे लिये जाते हैं उससे भी जनता को राहत मिले और ज्यादा पैसे नहीं लेकर जितना टोल रोड की सीमा है उतने ही पैसे लिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जितनी भी मांगें रखी हैं, मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय इन पर गौर करेंगे। जालौर में जो ओवर ब्रिज वाला मैंने कहा है, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दो-तीन मौतें भी हो चुकी हैं। डिलीवरी के लिए महिलाएं जब अस्पताल में जाती हैं, जब वहां से जोधपुर रैफर करना पड़ता है तो जाते-जाते अगर रेलवे क्रासिंग बंद है तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। मैं यह कहना चाहूंगी इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जितेन्द्र गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने इस बजट में 20 हजार किलोमीटर रोड का जो लक्ष्य रखा वो वास्तव में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से हमारा प्रदेश बाकी प्रदेशों की तुलना में अग्रिम पंक्ति में आयेगा। माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे पांच साल के कार्यकाल में मात्र चार हजार किलोमीटर रोड का निर्माण कराया, इससे सरकार की अपनी क्षमता का आकलन हो जाता है।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

मानतीय सभापति महोदय, यहां पर हमारे मंत्रीजी विराजमान हैं, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके सभी विधायकों को जो मिसिंग लिंक रोड और गौरव पथ, इस तरह के जो काम दिये उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जो गौरव पथ के काम इस सरकार ने हम लोगों को दिये वो गौरव पथ आज एक ऐतिहासिक काम के रूप में निकलकर आने लगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में लगभग दस गौरव पथ तैयार हो गये हैं और गांव के लोगों में उसको लेकर अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो में जितने भी काम किये गये हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उन कामों की गुणवत्ता को जांचा जाए और उन ठेकेदारों को एक रेटिंग ग्रेड दिया जाए जिससे कि उन्होंने जो काम किये हैं वैसे काम वो आने वाले समय में ना करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ही बात करें तो खण्डार के अन्दर रोड की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर पूरे 15-20 सालों के अन्दर 100 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति मेरे खण्डार विधान सभा क्षेत्र की रही।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार से सवाई माधोपुर जिला हैड-क्वार्टर लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सभापति महोदय, 40 किलोमीटर का रास्ता ढाई घंटे में तय होता है और कई बार ऐसा होता है कि खण्डार पी.एच.सी. में जब किसी महिला को डिलीवरी के लिए लेकर जाया जाता है और उसको सवाई माधोपुर रैफर कर दिया जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसे रास्ते में ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार से सवाईमोधोपुर रोड की जो दूरी है, 20 से 40 किलोमीटर की दूरी है जिसमें 20 किलोमीटर का काम चल रहा है, बाकी बची 20 किलोमीटर की रोड बहराउण्डा खुर्द से खण्डार तक की, सवाई माधोपुर तक की 18 किलोमीटर की रोड, उसकी लागत लगभग 20 करोड़ है, वो रोड मुझे देने की कृपा करें ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को उसकी सुविधा मिल सके। ऐसा माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

मेरी विधान सभा क्षेत्र खण्डार में एक महाराजपुरा से करणपुर रोड है, वो करणपुर मात्र चार किलोमीटर की रोड है, मंत्री महोदय, अगर हमारे खण्डार से किसी को करौली कैला माता जी के, करौली माता जी के जाना हो तो सवा सौ किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है अगर महाराजपुरा–करणपुर रोड बन जाती है तो मेरे खण्डार के लोग, हम मात्र 25 किलोमीटर में करौली पहुंच सकते हैं।

इसी तरह एक हमारे यहां पर कोवालजी का धार्मिक स्थान है, उस स्थान की अपनी बहुत महत्ता है, कहते हैं कि उस समय पांडवों ने वहां पर कुछ समय बिताया था। ऐसा एक स्थान है, एक छोटी सी पुलिया के कारण हम लोगों को बूंदी जाने के लिए लगभग 90 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस चाकल की पुलिया को भी बनवाकर मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसा आपसे आग्रह है।

आप कभी जयपुर से शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गये हों तो लगभग 100 किलोमीटर के रास्ते में टोंक रोड तक तो आपका रास्ता आधे घंटे में बीत जाता है लेकिन वहां से जो 25 किलोमीटर का रास्ता है उससे वहां तक जाने के लिए लगभग दो घंटे चाहिए। उस दो घंटे के रास्ते को कम करने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौनी से शिवाड़-चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर रोड को स्वीकृत करें ताकि वहां पर जो यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं उनको बहुत असुविधा होती है वो असुविधा नहीं हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में बनास नदी और गलवा की नदी आती है। बारिश के समय कई बार ऐसा होता है कि तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच महीने तक हमारा क्षेत्र एक टापू बन जाता है जिसमें एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जाया जा सकता। इतना अधिक पानी होता है कि जब तक वह पानी नहीं उतरता, चार-चार, पांच-पांच महीने तक हमारा गांव का आदमी, चौथ का बरवाड़ा का आदमी शिवाड़ नहीं जा सकता और शिवाड़ का आदमी तहसील हैड-क्वार्टर चौथ का बरवाड़ा नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस गलवा पुलिया और बनास की पुलिया को बनवा कर मेरे क्षेत्र की इस समस्या का समाधान करें।

(14.00 बजे)

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

इसी तरह से हमारे यहां खण्डार में किसी भी आने वाले अतिथि के लिये कोई रुकने का स्थान नहीं है। मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे यहां डाक बंगला बनवाएं, ताकि आने वाले अतिथि वहां पर रुक सकें।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे खण्डार विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा चम्बल नदी से लगता हुआ है और आए दिन, आप भी अख़बार में पढ़ते होंगे कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा होने के साथ-साथ डाकुओं से भी प्रभावित क्षेत्र है। कई बार महीने, दो महीने में वहां फायरिंग होती रहती है। लूट की वारदात होती है। वहां पर रोड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि आपके विभाग से कोई विशेष पैकेज देकर इस पिछड़े हुए क्षेत्र खण्डार पर कृपा की जाए जिससे कि 60 साल में एक नया इतिहास बने और ऐसा लगे कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेष कृपा की कि यहां के रोड सारे ठीक हो गये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सड़क की मांग पर चर्चा करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 2 बजटों में घोषणाएं तो कीं लेकिन 2014-15 और 2015-16 के बजट में जो भी आपने घोषणाएं कीं, उसमें 2014-15 के बजट में आपने 20 हजार किलोमीटर पीपीपी मोड पर सड़क बनाने की बात की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको 400 दिन के लगभग हो गये, इन 400 दिनों में आपने एक किलोमीटर सड़क भी पीपीपी मोड पर बनाने का काम नहीं किया है।

इस पीपीपी मोड के लिए आपकी तरफ से 250 करोड़ का बजट था लेकिन इसके ऊपर आपकी जो उपलब्धि है वह 0.24 परसेंट है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग में आपको जो बजट मिला, उसमें आप 55 परसेंट से ज्यादा नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 64 परसेंट से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। केन्द्रीय सड़क निधि में आप 68 पाइंट ही जा पाए। सड़क विकास निधि में आप 49.88 प्रतिशत ही आंकड़ा पकड़ पाए। केन्द्रीय सड़क निधि में भी आपका 248.7 करोड़ रुपया 2014-15 में था, उसमें से 155.47 ही खर्च कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पाए। सीमावर्ती सड़कों के लिए जो बीआरओ हैं, उसमें आपको 5033.82 करोड़ का बजट प्रावधान था लेकिन आप 2108.47 करोड़ ही खर्चा कर पाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के आने के बाद में, इस सरकार के आने के बाद में 273 लिंक सड़कें जो हमारी सरकार ने पास की थीं, जिसके लिए 300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बजट में आपने जो कटौती की है, वह निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो आम जन हैं, उसके हकों की अनदेखी आपने की है। हमारी जो केन्द्र की 10 परियोजनाएं थीं, वह आज रेंग रही हैं। उनके ऊपर भी आपने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। गुणवत्ता पर आपने अपने भाषण तो खूब लम्बे-चौड़े दिये, लेकिन न तो गुणवत्ता की आपने जांच करायी। आप जांच कराते भी कहां से? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि हमने एक क्वालिटी कंट्रोल चीफ इंजीनियर का पद सृजित किया था, आपने उस पर सिविल का इंजीनियर नहीं लगाकर मैकेनिकल का चीफ इंजीनियर लगा दिया, जो सिविल की तकनीकी रिपोर्ट देने के लिये सक्षम नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो इस सरकार को गुणवत्ता की चिंता है। आपकी जो लैबोरेट्री हैं, उसमें जांच में लोकायुक्त ने भी आपसे रिपोर्ट मांगी है कि इतनी देरी क्यों होती है, सब जगह घालमेल चल रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मिसिंग लिंक में आपने 2 हजार किलोमीटर जो सड़कें देने की बात कही है इस बजट में। हमसे 6 महीने पहले प्रस्ताव मंगाये लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज से प्रस्ताव मंगाये हैं। कांग्रेस या विपक्ष के एक भी सदस्य से इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं मंगाया। यह परम्परा रही है। पहले भी वसुंधरा राजेजी मुख्य मंत्री थीं तो सब विधायकों से पूछा जाता था। अबकी बार माननीय अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके राज में क्या हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो। विराज जाओ। आप एम.पी. रहे हुए हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके राज में भी यही हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस छोटे सदन में, आपके लिए छोटा पड़ रहा है यह सदन।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके राज में कभी बीजेपी वालों को नहीं पूछा है ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आपने नहीं भेजी...(व्यवधान) दोषारोपण कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि अशोकजी गहलोत की सरकार ने 16 किलोमीटर सड़क दी थी। सब एमएलएज को पूछा गया था...(व्यवधान) इसमें राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले बजट में मंत्रीजी ने घोषणा की थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, कि ओपीआरसी सब जिलों में लागू कर देंगे। सम्भाग वाइज ठेके दे देंगे, 8 हजार करोड़ का उसको दे देंगे। केवल 2 जिलों में अबकी बार घोषणा दोबारा की है। पिछले बजट में जो घोषणा की थी, वह केवल मात्र घोषणा रह गयी। वित्त विभाग ने आपको अनुमति नहीं दी। इसलिए ऐसी घोषणाएं इस सदन में नहीं होनी चाहिए जो प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने घोषणा की थी इस सदन में कि टोल नीति बनाएंगे। आज टोल नीति कहां है? यह पीपीपी मोड की जो बात कर रहे हैं, अगर 20 हजार किलोमीटर इनकी सड़कें बनेंगी तो प्रदेश में 1 हजार टोल लगेंगे और 25 परसेंट और बढ़ोतरी होगी इन टोलों में। इस प्रकार से पूरा प्रदेश टोल माफिया की जकड़ में आ जायेगा, यह ठीक नहीं है।

जो आप पीपीपी मोड की बात कर रहे हैं। आपने घोषणा की थी कि हम 115 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनायेंगे पीपीपी मोड पर, आज 400 दिन के लगभग हो गये, 6 हजार किलोमीटर तो कम से कम सड़कें आपकी हो जानी चाहिये थी लेकिन आपने नहीं बनायी। एक काम जरूर किया इस पीपीपी मोड पर कि सर्वे के नाम पर एक किलोमीटर का एक लाख रुपया, यानी 320 किलोमीटर के 3 करोड़ रुपये प्राइवेट फर्मों को देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पैसा आम जनता का है और राजस्थान की जनता का है। इसको लुटाने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण गौरव पथ, बहुत बढ़-बढ़ करके, पहले 18 हजार करोड़ की बात की, 3 साल में पूरा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करने की बात की, 6 हजार करोड़ रुपये एक साल का खर्चा होता है, आपने अभी तक एक रुपया ग्रामीण गौरव पथ के नाम पर खर्च करने का काम नहीं किया। केवल 2100 गांवों में थोड़ा सा काम किया लेकिन वह केवल स्वीकृतियां हुई हैं। इस ग्रामीण गौरव पथ में भी राजनीतिक भेदभाव किया गया है। हम लोगों को बिलकुल नहीं पूछा गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जिनकी जमानत जब्त हो गयी, जो 11-11, 12-12 हजार से हारे, 30-30 हजार से हारे, उनको पूछा जा रहा है। यह कहां का न्याय है सभापति महोदय?

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे कहा था कि आपके और हमारे गांव में, जो सालासर से डीडवाना पीपीपी मोड पर सड़क कर रहे हैं, उसका काम अभी चालू कर देंगे। यह पिछले बजट की बात है। आज तक एक ट्रोली, एक ट्रक पत्थर का, कंकरीट का नहीं पड़ा। यह कब करेंगे? यह सारा का सारा काम केवल वाहवाही लूटने, प्राइवेट लोगों को फायदा देने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह टोल माफिया अगर इस प्रदेश में पनप जाएंगे, क्या हुआ था, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चौमूं के टोल पर आप गये थे, क्या हुआ? किस तरह से एक मंत्री को अगर टोल माफिया रोक दें और उनसे बहस करने लग जायें, उनसे उलझ जायें, फिर मंत्रीजी को अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कहना पड़े कि मैं तो जांच करने गया था। अगर आप सही में जांच करने गये थे तो आज की तारीख में जब आप जवाब दें तो बतायें कि उस जांच में क्या हुआ? उस टोल माफियाओं ने क्या गड़बड़ कर रखी थी और किस तरह से उनको पनिश किया गया? यह सब चीजें भी देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके एनएचएआई के अध्यक्ष ने कहा है कि पीपीपी मोड पर सड़कें नहीं बन सकतीं। कम्पनियां नहीं आ रही हैं, इसलिए इस बात को छोड़ दीजिये। एक बहुत बड़ा काम, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सड़कों की चौड़ाई करने के नाम पर जो टोल वसूल करने की प्रदेश की सरकार तैयारी कर रही है, वह जनता के अहित में है। आमजन उससे पीड़ित हो जायेगा। जो चौड़ाई है वह राज्य सरकार अपने संसाधन से करे। उसको टोल पर देने की जरूरत नहीं है। केवल चौड़ाई करने के लिए आप टोल लगा रहे हो। प्रदेश की जनता कहां तक बरदाश्त करेगी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मानननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 20 हजार किलोमीटर बना रहे हैं। अब के बजट में 10 हजार पीपीपी मोड की बात की है। शायद इसकी 11 फरवरी लास्ट डेट थी, कम्पनियों के पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट के लिए आने के लिये। इनके पास में एक भी कम्पनी नहीं आई। इसलिए मंत्री महोदय को मजबूरी में 27 फरवरी डेट बढ़ाने के लिए कहना पड़ा।

इसलिए यह सब्जबाग आप मत दिखाइए, थोथी वाहवाही लेने की चेष्टा मत कीजिए। हकीकत में कुछ काम कीजिए, गुणवत्ता की दृष्टि से काम करना चाहिए। आज जो हमारे अखेपुरा में टोल लगा हुआ है माननीय मंत्रीजी, वहां से आप भी जब अपने गांव जाते हैं तो जाते हैं। वहां पर वन विभाग के नियमों के मुताबिक पौधे नहीं लगाए फिर भी वहां पर टोल चालू है। आज हमारे रींगस से लेकर सीकर का जो बाइपास है उस पर अभी तक पलसाना का बाइपास नहीं बना फिर भी हम लोगों को टोल देना पड़ रहा है, आए दिन झगड़े होते हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप राजनीतिक भेदभाव के आधार पर सड़कें नहीं दें, ठीक करें। आज लक्ष्मणगढ़ से सीकर फोरलेन का काम चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है कि एक मोटी बड़ी संस्था को बचाने के लिए आपके नालेज में है कि नहीं मैं यह नहीं कह सकता, अगर नालेज में नहीं है तो नालेज में ले लें और उसको ठीक कराने का काम करें। एक संस्था को बचाने के लिए एक साइड में सड़क और नाला बनाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण गौरव पथ में आप जो कर रहे हो ठेकेदारों पर मेहरबानी करके उस मेहरबानी को भी बन्द करने का काम करें। आम सड़क अगर बनती है तो उस ठेकेदारों की गारंटी होती है पांच साल और अब आप ग्रामीण गौरव पथ में सीसी सड़क, मजबूत और 1800 करोड़ रुपए लगा रहे हो उसमें आपने गारंटी पीरियड ठेकेदारों का घटाकर पांच साल की बजाय तीन साल करने का काम किया है, यह प्रदेश की जनता के साथ में कुठाराघात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको इसको तीन साल करना पड़ा। एक सीमेंट की सड़क तीन साल तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है उसका और तीन साल में जब बिगड़ता नहीं तो पांच साल की बजाय तीन साल करने का काम क्यों किया? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने कहा कि सड़कों पर दुर्घटनाओं को भी हम रोकेंगे, खुद का बयान है मंत्रीजी का कि 3500 पाइण्ट ऐसे हैं जहां दुर्घटनाएं होती हैं और प्रदेश में हजारों लोग साल के मारे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन 3500 पाइन्ट्स को आपने चिह्नित तो कर लिया लेकिन उसमें काम कहां किया यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन पर काम करने की जरूरत है जो आपने घोषणाएं की थीं वह घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह गई।

नए राजस्व गांवों को 1600 करोड़ रुपए से जोड़ने की जो बात थी, वह भी आप नहीं कर पाए। 3000 गांवों को सड़कों से जोड़ने के 950 करोड़ रुपए आपने जो पिछले बजट में लिए थे, वह भी आप नहीं कर पाए और पीपीपी मोड पर माइनिंग सड़कों का निर्माण करने की भी आपने बात की थी लेकिन हमारे नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई बनी क्या, कितनी सड़कें आपके माइनिंग जोन है नीमकाथाना, एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए इस बात को छोड़िए, समय थोड़ा सीमित है। आपके पास में सवा तीन साल का भी समय है, उसमें से बारह महीने पहले डंका बज जाएगा, वापस जल्दी हो जाएगी जाने की कि अब जाना है, उतर भीखा मेरी बारी, कांग्रेस को राज में आना है। इसलिए आप काम नहीं कर पाएंगे। आपके लिए यह दो साल का समय है, आप कर दीजिए जनता के लिए, सड़कों की गुणवत्ता सुधारिए, इन इन्जीनियरों पर लगाम कसिए...(व्यवधान) ये बेलगाम घोड़े हैं, खाते हैं और पूरा का पूरा इसलिए इन पर लगाम लगाएं। भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों में कमीशन खाते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप आरोप मत लगाओ, 21 ही आए हो। आपकी सरकार पर हाई कोर्ट क्या बोली?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं कब कह रहा हूं कि मंत्रीजी गड़बड़ हैं, मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई की तरह हैं, मेरे गांव के हैं लेकिन इन पर लगाम लगाने की जरूरत है इन्जीनियरों पर, जो गारण्टी पीरियड की सड़कें हैं माननीय सभापति महोदय, एक भी समय पर ठीक नहीं हो रही है और सारे के सारे जो इन्जीनियर हैं वे घालमेल करते हैं उनको कहते हैं कि तेरा बारह महीना रह गया, मैं तेरी चिट्ठी नहीं चलाउंगा, उनका जो पैसा जमा रहता है उसको वापस देते हैं और सड़कें टूटी हुई रहती हैं। उन पर लगाम लगाने की जरूरत है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप युवा हैं, मेहनती हैं, आपसे उम्मीद है पूरे प्रदेश को, आपको मौका मिला है, पूरा बहुमत भी आपको मिला है। आप माननीय मुख्य मंत्रीजी के गुणगान भी करते हैं, सुना है एक नम्बर पर आप ही हैं तो इस एक नम्बर का इस प्रदेश की जनता को लाभ तो दिलाओ। राजेन्द्र राठौड़ साहब के आपने दो नम्बर कर दिए तो इस एक नम्बर का सड़कों में प्रदेश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं तो विशेष रूप से निवेदन करूं कि मेरे यहां तीन सड़कों के टेण्डर हो गए थे, घाणा से रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा से जालू और बठोठ से लोठ, यह तीनों सड़कें आपने खुद ने कहा था कि मैं वित्तीय संसाधन उपलब्ध, आपके हुए नहीं क्या, दो बजट तो पेश कर दिए। वित्तीय संसाधन कब होंगे बताओ तो सही। वित्तीय संसाधन पर एक सड़क नहीं, ग्रामीण गौरव पथ में किसी कांग्रेस के, किसी विपक्ष के एमएलए को पूछा नहीं, मिसिंग लिंक की सड़कों के उनसे प्रस्ताव लिए नहीं, यह राजनीतिक भेदभाव कब तक चलेगा? माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है।

आपको काम करने का मौका मिला है, आप काम कीजिए और यह जो टोल माफिया हैं, यह पीपीपी मोड छोड़ दीजिए। जब गडकरीजी यह कह रहे हैं हमारे केन्द्रीय मंत्री कि कोई कम्पनी आ ही नहीं रही है हम तो ठेकदारों के हाथ जोड़ रहे हैं और एक दो ठेकेदार बड़ा काम करने वाले यहां भी बैठे हैं सदन में लेकिन वह भी हाथ नहीं डाल रहे हैं। उनको पता है यह उलझा कर रख देंगे, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और हमारा नीम्बू निचोड़ देगी, हमारा पैसा नहीं मिलेगा इसलिए वह भी नहीं आ रहे हैं। जब आपके लोग नहीं आ रहे, आपके कहने से कम्पनियां नहीं आ रहीं, आपके कहने से बड़े लोग नहीं आ रहे तो इस पीपीपी मोड का राग अलापना बन्द कीजिए और जनहित में जो खराब सड़कें हैं, उनको ठीक कराने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क न तो नई बनी आज तक पन्द्रह महीने में और न एक किलोमीटर का कोई नवीनीकरण हुआ, न कोई उसकी कोई मेंटीनेंस हुई। एक पीपा लिए घूमते हैं दो चार आदमी, सड़क ठीक करा लो, सड़क ठीक करा लो, यह आपकी पालिसी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सड़कों के काम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ठीक कीजिए, जगह-जगह गड्ढे पढ़े हैं, हमारे समय की जो परियोजनाएं हैं उनको ठीक करने का काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, जो राजनीतिक भेदभाव से सड़कें दी हैं, उसमें हम लोगों को भी शामिल कीजिए। जनप्रतिनिधि की न तो कोई जाति होती है, जनप्रतिनिधि जब तक चुनाव लड़ता है तब तक पार्टी का होता है, उसके बाद में आम जनता का होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जीत गया तो क्या उस पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का नहीं है क्या वह एमएलए? इसलिए इतना मत कीजिए, यह महंगा पड़ेगा। इस बहुमत के जोर पर अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता सारा देख रही है, आपको माफ नहीं करेगी। मुझे तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें थीं कि आप सीकर के हो, जाये जन्मे हो, इतना बड़ा मौका आपको दूसरी बार मिला है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के आप एक नम्बर चहेते हो, उसके बावजूद भी एक किलोमीटर सड़क लक्ष्मणगढ़ को जहां कि आपकी जन्मभूमि है वहां नहीं दी। एक सड़क की घोषणा की थी पीपीपी मोड पर वह भी आज की तारीख में चालू नहीं की है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, आप टोकें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में, सीकर जिले में माइनिंग जोन नीमकाथाना में, जहां-जहां भी सड़कें खराब हैं, आप ठीक कराइए। सीकर जिले का आप पर कर्ज है, आप सीकर जिले में जन्मे हो इसलिए उस कर्ज को उतारने का समय आया है, यह दोबारा, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अगली बार ऐसा नहीं हो कि आप कह दो कि हम तो केवल योजनाएं बनाते रह गए, हमसे नहीं हुआ, अब आप कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो, मैं समझता हूं कि आप ठीक करेंगे।

ग्रामीण गौरव पथ की जो सड़कें हैं उनके मौखिक निर्देश थे एक अप्रैल से ठेकेदार, इन्जीनियर, एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनानी है क्योंकि सरकार के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जब कौड़ी ही नहीं तो 1800 करोड़ 3 साल में कहां से लगा रहे हो? 20 हजार किलोमीटर सड़कें कहां से बना रहे हो, एक भी कम्पनी आपके पास नहीं है। ओपीआरसी स्कीम कहां से ला रहे हो, जब आपका वित्त विभाग आपकी बात नहीं मानता है। इसलिए इन चीजों का देखने की जरूरत है।

विशेष रूप से मेरा अन्त में निवेदन है कि यह जो टोल माफिया पनपाने का जो आप षड्यंत्र रच रहे हो, यह प्रदेश की जनता के अहित में है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यह टोल माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, आपने समय दिया माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती राजकुमारी जाटव। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने अपनी मांग रखी है, बनाएं, नहीं बनाएं, नहीं बनाओ तो घोड़ी पड़े तो एक मजा, सुना है क्या मारवाड़ी में? घोड़ी पड़े तो एक मजा और सवार पड़े तो दो मजा। अगर बना देंगे तो वाहवाही होगी कि ठीक है डोटासरा एमएलए था, नहीं बनाओगे तो खींच कर आपकी जमानत जब्त करके आऊंगा भारतीय जनता पार्टी की।

श्री संजीव कुमार (भादरा): आपने तो पांच किलोमीटर ही नहीं बनाई। पांच साल थे आपके पास, पांच साल में पांच किलोमीटर भी नहीं बनाई। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय डोटासराजी, आप मेरी बात का जवाब देंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो हमारे खास हो, आप क्यों बोल रहे हो?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): वर्ष 2013-14 में 500 करोड़ रुपए मुख्य मंत्री सड़क योजना में रखे थे, सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया सभी विधायकों के बराबर दूंगा। क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 16 किलोमीटर नहीं मिली क्या मिसिंग लिंक आपको? 16 किलोमीटर मिसिंग लिंक मिली है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): पांच साल में आपने कितनी बनाई वह बता दो? पांच साल थे आप। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 व 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया। अभी माननीय सदस्य गौरव पथ व रोड्स के बारे में बात कर रहे थे। हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, जैसाकि डोटासराजी अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया, वो किया, लेकिन 5 साल के अन्दर एक भी रोड मुझे नहीं मिली कि हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने बनायी हो।

(श्रीमती राजकुमारी)

बनायी तो ऐसी रोड बनायी कि 6 महीने में रोड का ही पता नहीं, वह रोड कहां है। हमारी सरकार ने आने के बाद में गौरव पथ बनाने का निर्णय किया, यह बहुत ही सराहनीय है।

मैं गौरव पथ योजना के लिए कहना चाहूंगी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी विराजमान हैं, अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 रोड स्वीकृत हुई हैं, उन पर काम चालू होने वाला है लेकिन जिस हिसाब से ये रोड बनाये गये हैं, जिन विधान सभा क्षेत्रों में काम हो चुके हैं उससे वाकई आम जनता को फायदा मिलेगा। अभी भाईसाहब बोल रहे थे कि कांग्रेसी सदस्यों को इसमें मौका नहीं दिया। क्या इनके विधान सभा क्षेत्र में ऐसे रोड सैंक्शन नहीं हुए? आज हमारी सरकार ने एजुकेशन के लिए हर ग्राम पंचायत में बारहवीं तक के स्कूल किये। इस तरीके की कोई योजना हमारी सरकार ने नहीं की जिसमें राजनीति की हो। माननीय वसुन्धराजी, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, आमजन को ध्यान में रखते हुए योजना बनायी है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि हिण्डौन शहर में एक ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। वह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि ट्रेफिक व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, इस ओवर ब्रिज पर ध्यान दिया जाय। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में जिक्र किया है, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। हिण्डौन शहर है इससे करौली व आसपास का एरिया, कैलादेवी माता का मेला भी चल रहा है, इस क्षेत्र में जो व्हीकल्स निकलते हैं उनमें बहुत लम्बी-लम्बी कतारें लग जाती हैं। जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है इस काम को भी यहां से एक टीम भेजकर दिखाया जाय, घटिया क्वालिटी का काम कराया जा रहा है।

माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि दो रोड सीतापुर से चोरारी, 3 किलोमीटर की रोड 80 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी, ठेकेदार इस काम को अधूरा छोड़कर चला गया है। करीब 7-8 महीने से यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत बोल से देवलान 5 किलोमीटर का रोड है, यह भी इसी ठेकेदार का है, काम बंद पड़ा हुआ है, वहां के स्थानीय एक्सईएन ने भी इसके लिए लिख दिया है कि ये काम करना नहीं चाहते। इस रोड के लिए मैं जल्दी ही कहना चाहूंगा कि इसे चालू कराया जाय, दोबारा किसी ठेकेदार को काम दिया जाय।

(श्रीमती राजकुमारी)

इसी तरह से कई रोड हमारे यहां मिसिंग लिंक में है जिनके लिए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि कुटी के बालाजी से एक रोड है जिसको जोड़ देंगे तो हमारी 8-10 ग्राम पंचायतों को फायदा मिलेगा। एक और है, ग्राम पंचायत सीतापुर से पालीवाला रोड है, इसमें पुलिया है और यह रोड नहीं बनेगा तब तक इधर के लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इन रोड्स को बनाया जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपालकृष्ण जोशी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। आज मांग संख्या 21 और मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें भाग लेना चाहूंगा और जहां तक सम्भव होगा मैं अपने बीकानेर तक ही सीमित रहूंगा। सड़कों का महत्व तो सबने बताया, सड़कों के बिना न तो डवलपमेंट हो सकता है, न ही आवागमन हो सकता है। जहां कहीं भी बड़े-बड़े लोगों के विचार देखे हैं उनमें यही कहा गया है कि सड़कों का विकास कहीं नहीं है तो उस जगह का, उस देश का विकास भी नहीं हो सकता क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय से आता हूं। वहां पर शहर दो भागों में बंटा हुआ है बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम। मैं पश्चिम से आता हूं। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि बीकानेर पश्चिम के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से एक भी पैसा सड़कों के लिए नहीं दिया गया है। क्या कारण है, यह मेरे समझ में नहीं आता। कुछ समय पहले, आज से कई वर्ष पहले, एक या दो सैशन चले गये, उससे पहले जो मंत्री यहां पर थे उन्होंने बीकानेर की पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया था लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने पता नहीं क्यों वापस ले लिया। बीकानेर शहर को एक पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन वहां कमियां बहुत हैं। आप मेहरबानी करें और विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में सड़कों के निर्माण के लिए कुछ पैसे दें, मेरा यही निवेदन रहेगा।

विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में चौकुटिका आर.ओ.बी. मंत्री महोदय आपने लोकार्पण किया था, निवेदन यह है कि उसके नीचे सर्विस सड़क बननी चाहिए थी वह अभी तक नहीं बनी, इससे लोग बहुत तंग हैं। आज साल

(श्री गोपाल कृष्ण)

भर से ज्यादा हो गया होगा और साल भर में उस आरओबी की सड़क नहीं बन सकी, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर उसका लोकार्पण किया था।

सड़कों में गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि बीकानेर में कम से कम उनको भरवा दें तो भी मैं समझूंगा कि कम से कम गड्ढे तो भरे गये और तो कुछ नहीं। बीकानेर पश्चिम में अन्दरूरनी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं करने से इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां न तो यूआईटी कुछ काम कर रही है, न वहां नगर निगम अभी तक कोई काम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी कम से कम गड्ढे भर दे और कुछ नहीं करे तो। सड़कें बनाएं, पहली बात तो यह है, सड़कें न बना सकें तो गड्ढे भर दें। कई सड़कें जिनकी विशेष तौर से आवश्यकता है जैसे नत्थूसर गेट से लेकर सुजानदेसर की तरफ जो सड़क जाती है उसको आप बनवा दें तो भी बड़ी मेहरबानी होगी।

एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि कोट गेट के पास रेलवे क्रासिंग की समस्या बड़ी विकट है। इसके अन्दर अभी सरकार और रेलवे की तरफ से यह निर्णय लिया जा रहा है कि आरयूबी बना दें, मतलब रेलवे अण्डरब्रिज। रेलवे अण्डरब्रिज अगर बने तो कम से कम 10-15 फीट का एक डूब बन जाएगा, स्लाप बन जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा और इतना पानी भर जाएगा कि अगर कभी कोई अन्दर चला गया तो मरकर ही निकलेगा। यह मौत का कुआं साबित होगा। इसलिए यह आरयूबी किसी हालत में नहीं बनना चाहिए, इस बात का आप खयाल रखें।

विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में कई अधूरे जो कार्य हैं लोक निर्माण के, वे आप कर दें, जैसे हमारे डूंगर कालेज है, एमएस कालेज है, यह भी जर्जर पड़ी हैं। शिक्षा निदेशालय है, पीबीएम हास्पिटल है, पुलिस स्टेशंस हैं, रंगमंच, टाउन हाल आदि कुछ ऐसे लोग हैं जो बार-बार मेरे पास आते हैं कि इसको आप ठीक करवाइये, इसकी छत डलवा दीजिए, यों कर दीजिए, यह पीडब्ल्यूडी का काम है, यह लोक निर्माण का काम कम से कम कर दें।

श्रीमानजी, बीकानेर क्षेत्र में हमारी सड़कों की कुल लम्बाई देखें, बीकानेर-बीकानेर के अन्दर 140 किलोमीटर सड़कें हमने ऐसी मालूम की हैं, दो वर्षों में शहर में किसी प्रकार का न तो नवीनीकरण हुआ है और न चौड़ाईकरण हुआ है। और कोई काम नहीं हुआ है। पानी नाली से ओवरफ्लो बहता है, दोषपूर्ण सीवरेज, ड्रेनेज व्यवस्था के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त है जहां पर

(श्री गोपाल कृष्ण)

सी.सी. सड़क भी नहीं है और इसलिये अगर कई जगह, जहां जरुरत हो, वहां सी.सी. सड़क बनाई जाए तो फिर अगर यह ओवरफ्लो भी हो तो कम से कम कीचड़ नहीं हो। लोगों के पांव गंदे पानी से गंदे हो जाते हैं और वे लोग गंदे पांवों से घरों में जाते हैं। ग्रामीण सड़कों के लिये वैसे तो नान-पेचेबल की तरह काफी सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया, अब शहर में आप क्यों नहीं करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। यह कह सकते हैं कि यू.आई.टी. और आपकी नगर निगम करेगी। नहीं करे तो? न तो नगर निगम करे, न यू.आई.टी. करे और न आप करें। आप करें तो यहां पर बीकानेर के लोग शुक्रिया करेंगे।

पिछला जो अपना सेशन था उसमें हमने एक शिकायत की थी कि जो हमारे यहां पर एक्स.ईएन. लगे हुए थे, वे ठीक नहीं हैं। एक वर्क फाइनल किया उनके किसी ए.ईएन. ने, तो दूसरों ने दबाव डाल कर कहा कि यह कम है नहीं, इसका फाइनल नौ लाख का होना चाहिए उन्होंने नहीं किया तो उस ए.ईएन. को तो हटवा दिया और उसे नौ लाख का बाद में फाइनल करवा दिया। ऐसे एक्स.ईएन. को हटाने के लिये, जो आपसे पहले मंत्रीजी थे उस समय उनको रिक्वैस्ट की लेकिन वे नहीं हटे तो मैंने एक पैसा विधायक कोटे से इसलिये नहीं दिया कि जब तक यह आदमी नहीं जाएगा बीकानेर से, तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा और अब तक नहीं दिया। अब पैसा शुरू किया है, क्योंकि आपने दूसर आदमी लगा दिया उसके बाद में। तो कम से कम यह देखें कि आदमी अच्छा हो, काम ठीक करता हो तो हम निश्चित रूप से उसके साथ को-आपरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप कम से कम ऐसे आदमी को लगाएं। जो तीन लाख का काम हो और नौ लाख का फाइनल करें तो वह अच्छी बात नहीं है।

कुछ मिसिंग लिंक सड़कें हम चाहते हैं कि यह आप कम से कम प्रोवाइड करें हमारे लिये जो अभी तक नहीं की है। मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक की सड़कों के तहत यदि आठ किलोमीटर की लम्बाई हमको एक जगह पर दे दें, नान-पेचेबल के तहत, बाहरी क्षेत्र सड़कों का नवीनीकरण करने के लिये 8.06 दे दें। शहरी क्षेत्र में सीमेण्ट कंक्रीट की सड़कें, कम से कम 12 किलोमीटर की दें तो हमारे यहां छोटी-छोटी गलियां हैं, दूसरी, उन छोटी-छोटी गलियों के अन्दर आपकी दूसरी सड़कें बनने की नहीं हैं। अगर समझ लीजिये कि कहीं पर वे कहते हैं कि आपके छोटे-छोटे ब्लाक लगा देंगे, ये ब्लाक लोग उखाड़ कर ले जाते हैं रात

(श्री गोपाल कृष्ण)

को, क्योंकि यह तो रेत पर लगे रहते हैं, कोई पेच लाकर लगाया और वह सड़कों से उठाकर ले जाते हैं। सी.सी. सड़क ही काम की है, आपकी यह ब्लाक किसी तरह की काम की नहीं है। विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें भी कम से कम 8 किलोमीटर हमको दें तो मैं समझता हूं कि हमारा काम बन सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं ज्यादा काम नहीं कराना चाहता, बीकानेर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिये काम कर दें, अभी कुछ नहीं हो रहा है इसलिये कह रहा हूं और आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था। अब आप कितना करते हैं। आपके द्वारा लोकार्पण की हुई जो आर.ओ.बी. है, उसके नीचे सर्विस सड़क भी आपको बनानी है। कोट गेट पर आर.यू.बी. कम से कम हमारे न बने, यह मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें आदमी मरेंगे। यह एक गुलेटिन होगा, यह एक मौत का कुआं होगा, इसमें डूब कर अन्दर मरेंगे, मैं यह चाहता हूं कि ऐसा फिर हमको कहने का आप मौका नहीं दें, और जो भी काम आप करें लेकिन जल्दी से जल्दी हमारी यह कुछ मांगें मान लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ में सड़कों की हालत खस्ता है। रावतसर से पीलीबंगा जाने वाली सड़क, जो एन.एच. 11 हनुमानगढ़ से जयपुर को जाती है उससे जुड़ती है। यह सड़क बहुत ही बुरी हालत में है। लखुवाली से पीलीबंगा की रोड जो 40 किलोमीटर है, जिसमें चार गांव बड़े-बड़े आते हैं, जिनका जो बस स्टैण्ड है, वहां पर एक-एक किलोमीटर में इतने गड्ढे पड़े हैं कि वहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव से गांव, 9 पंचायत हैड-क्वार्टर को जोड़ने के 70-72 के लगभग सड़कों के निर्माण के पांच किलोमीटर तक के प्रस्ताव दिये हुए हैं। इससे श्रीगंगानगर जिले से जुड़ाव हो सकता है। व्यापारिक व सैन्य दृष्टि से बार्डर के लिये इन सड़कों का बहुत ज्यादा महत्व व उपयोग रहेगा। सभापति महोदय, मिसिंग लिंक में सड़कों के निर्माण में वरीयता दी जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर में से इन्दिरा गांधी नहर 91 आर.डी. का पुल निर्माण करवाया जाए ताकि रावतसर से सूरतगढ़ जाने का रास्ता छोटा हो जाये और जनता को 20 से 25 किलोमीटर जो घूम कर जाना पड़ता है वह भी

(श्रीमती द्रोपती)

नहीं जाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा में पी.बी.एन. नहर बुर्जी नम्बर 32 पर जो पुल बना हुआ है यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इससे जो मार्ग जाता है वह लिखमीसर, गुरसर मोडिया, जहां बहुत बड़ा आंखों का हास्पिटल व लड़कियों का कालेज बना हुआ है। इस पुल से भारी तादाद में वाहन जाते हैं, इसी पुल से श्रीगंगानगर को भी रास्ता जाता है, यह पुल 60 साल पुराना है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि समय रहते दूसरा पुल निर्माण करवाने के लिये विभाग, पी.डबल्यू.डी. या नहरी विभाग, जो भी जिम्मेवार हो, वह वहां जाकर जांच करे व दूसरा पुल निर्माण करवाने का योजना का प्रस्ताव शीघ्र भिजवाये।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 29 एस.टी.जी. नहर पर पुल बनवाया जाये। इस पर पुल बन जाये तो 10 गांव जुड़ जाते हैं। नहर के दोनों तरफ पक्की सड़क है। गांवों के नाम इस प्रकार से हैं, 29 एस.टी.जी., निहालपुरा, लुढाना पंचायत हैडक्वार्टर, सराम पंचायत हैडक्वार्टर, 12 एस.टी.जी. व माणक थेड़ी व बडोपल इत्यादि गांव जुड जाते हैं। आगे भी यह मार्ग सूरतगढ़ को जोड़ता है।

सभापति महोदय, कालीबंगा से पीलीबंगा जाते हैं तो बीच में घग्गर नदी पर जो पुल बना हुआ है, वह भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। कभी भी हादसा हो सकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसे गम्भीरता से लेकर मेरे क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण भी शीघ्र करवाने का कष्ट करें।

पीलीबंगा रेलवे स्टेशन, जिला हनुमानगढ़ के फाटक संख्या 83-सी पर अण्डर पास की बहुत बड़ी मांग है। रेल लाइन के दोनों तरफ कालोनियां बसी हुई हैं, जैसे कि श्रीपती कन्या कालेज, मधुबन कालोनी, बीरबल विहार कालोनी-प्रथम, बीरबल विहार कालोनी-द्वितीय, जग्गेश्वर कालोनी। यहां जाने हेतु जनता को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

ऐसे ही सभापति महोदय, पीलीबंगा से रावतसर रोड पर भी रेलवे फाटक है, यह भी 24 घण्टों में से लगभग 18 घण्टे बंद रहता है, रेलों का आवागमन लगा रहता है, वाहनों की कतार फाटक के दोनों ओर लगी रहती है। एम्बुलेंस जैसे वाहन भी बीच में ही फंसे रहते हैं। सभापति महोदय, जो रेलवे फाटक 24 घण्टों में से 18 घण्टे बंद रहता है उससे जनता को कितनी परेशानी होती होगी।

(श्रीमती द्रोपती)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि मेरा क्षेत्र सड़कों व पुलों के निर्माण में पिछड़ा हुआ है, जिस पर आपकी विशेष मेहरबानी होनी चाहिए व मेरे पीलीबंगा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। अभी लक्ष्मणगढ़ से आये माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे थे कि राजनीतिक भेदभावपूर्ण बातें हो रही हैं। जबकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं लेकिन मंत्री महोदय के पास मैं जब-जब भी कोई काम लेकर गया, उन्होंने सदैव मेरा काम किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब ये बने ही थे, उस समय हमने रोड नवीनीकरण के लिये कुछ प्रस्ताव इनको दिये थे, उन सभी रोड्स को इन्होंने पास कर दिया और नवीनीकरण भी हो गया और काम चल भी रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ग्रामीण गौरव पथ शुरू किया। (व्यवधान) लेकिन अभी तो बी.जे.पी. का नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य: वह टिकट ही तो नहीं दी थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल एक कटारियाजी ही नहीं करते, बाकी सारे कर ही रहे हैं आपके काम।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): नहीं, कटारिया साहब भी मेरे काम करते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण गौरव पथ भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं उनके ऊपर भी कुछ पर काम शुरु हुआ है कुछ पर काम शुरु होने वाला है। जो मिसिंग लिंक रोड हैं, उनकी भी सूचनाएं हमसे मांगी गई हैं और आपने स्वीकृत भी कर दिया है और निश्चित तौर पर उनका भी आप कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद ही मंत्रीजी ने आपको आश्वासन दे दिया है।

सभापति महोदय, मेरी दो-तीन जनरल बातें मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो यह है कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, उनके दोनों तरफ पीडबल्यूडी की जमीन पड़ी हुई है लेकिन उन पर समाज कंटक कब्जे करते जा रहे हैं और कई जगह तो रोड तक पर वे लोग आ गये हैं तो ऐसी ड्राइव चलाई जाये कि जितनी भी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, उनके आसपास में

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

जितनी भी जमीन पीडब्ल्यूडी की है, वह पीडब्ल्यूडी के खाते में रहे और उस पर कोई कब्जा नहीं करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी जगह माइन्स का ओवर बर्डन रोड्स पर डाल देते हैं जिससे वहां पर जंगली जानवर बसने लग गये और कई बार जानवरों पर अटैक करते हैं, मनुष्यों पर भी अटैक कर रहे हैं तो माइन्स का जो ओवर बर्डन है, उसके लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिये।

मेरे यहां पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बागथल रोड के हिसाब से सैंक्शन हुई थी लेकिन रेलवे क्रोसिंग नहीं मिलने के कारण वह रोड अधूरी पड़ी हुई है। उसमें जरूर सेविंग हुई होगी। एक तरफ तो काम हो गया, रेलवे की दूसरी तरफ काम नहीं हुआ तो वह जो सेविंग है, हमने अभी वहां के अधिकारियों को बताया है, किस जगह से उसको जोड़ा जा सकता है तो उसको कृपा करके आप उस दूसरी तरफ से जोड़ने का प्रयास करायें।

उदयपुर शहर के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में भीण्डर नगर सबसे बड़ा एक शहर है उस जिले में, उसमें एक बाइपास की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अस्पताल और नगरपालिका और सभी कार्यालय उसी रास्ते पर पड़ते हैं और काफी ट्रैफिक रहता है, जिससे दुर्घटना भी बहुत होती हैं। तो भीण्डर में एक बाइपास के लिए आपके पास प्रस्ताव है, उसको आप पास करने का कष्ट करायें।

मेरे यहां पर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है आदेश्वर महादेव। अबकी बार आपने मंदिरों के लिए कोई रोड्स नहीं निकाली। तो आदेश्वर मंदिर है कानोड़ नगरपालिका के पास, वह आधा-एक किलोमीटर की रोड है, उसको स्वीकृत करायें। बाकी मंत्री महोदय, नेशनल हाइवे-76 मेरे विधान सभा क्षेत्र से निकल रहा है। आपने नाथद्वारा से भटेवर तक नेशनल हाइवे घोषित कर दिया है लेकिन भटेवर से मंदसौर वाया भीण्डर, कानोड़, धरियावद और प्रतापगढ़ इस रोड के लिए आपके पास प्रस्ताव भेज रखा है। इससे दो राज्य जुड़ जायेंगे। माननीय जनजाति विकास मंत्री श्री नन्दलालजी मीणा भी यहां विराजे हुए हैं। इनका क्षेत्र भी उससे जुड़ जायेगा तो भटेवर से मंदसौर के लिए आप प्रस्ताव बनवाकर भिजवायें। मैंने केन्द्रीय मंत्रीजी के यहां पर भी पत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि स्टेट अगर चाहेगा, स्टेट अगर लिखकर भेजेगा तो हम निश्चित रूप से इसको स्वीकृत कर देंगे तो उसको भी आप कराने का प्रयास करायें। सभापतिजी, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लादूराम विश्नोई।

श्री लादूराम (गुढामालानी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-21 और 19 पर मुझे आज बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से सड़कों के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि बाड़मेर जिला सड़क के क्षेत्र में शुरु से ही पिछड़ा हुआ है। सन् 2001 में यहां सड़क घनत्व था वह केवल 18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के फलस्वरूप वर्तमान में 41 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर तक पहुंच गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में वर्तमान में डामर सड़कों की लम्बाई 1,208 किलोमीटर एवं रोड डेन्सिटी 26 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न योजनाओं यथा पीएमजीएसवाई, आरडीएफ, बीएडीपी इत्यादि में सड़क निर्माण द्वारा क्षेत्र की रोड डेन्सिटी एवं सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जनसंख्या 300 से 500 के ग्रुप में नौ हैबिटेशन को जोड़ने हेतु 9.50 करोड़ रुपये की लागत से 30.40 किलोमीटर डामर सड़क का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 250 से 350 तक की जनसंख्या के 23 हैबिटेशन को जोड़ने हेतु 31.75 करोड़ रुपये की लागत से 80.2 किलोमीटर डामर सड़क बनाने हेतु प्रस्तावित है।

नोन पैचेबल एवं नवीनीकरण:- राजस्थान सड़क विकास समिति 2013 के अनुसार सड़कों का नवीनीकरण चक्र चार से आठ वर्ष है परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 से 15 वर्ष पुरानी सड़कों का भी नवीनीकरण बकाया चल रहा है। इस प्रकार की 23 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य 345 लाख रुपये की लागत से वर्तमान में प्रगतिरत है।

ग्रामीण गौरव पथ:- मेरे विधान सभा क्षेत्र की छह बड़ी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ कार्य राशि 2.86 करोड़ रुपये की लागत से 6.2 किलोमीटर सड़क कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं पांच ग्राम पंचायतों भाखरपुरा, बेरी गांव, खारी, कोजा एवं राणासर कलां में ग्रामीण गौरव पथ के अन्तर्गत डामर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेरी 18 ग्राम पंचायतों में करीब नौ करोड़ रुपयों की लागत की ग्रामीण पथ योजना में सड़कों की मैं मांग कर रहा हूं।

बीएडीपी:- सीमांत क्षेत्र होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई

(श्री लादूराम)

सड़कों का निर्माण बीएडीपी योजना में पूर्व के वर्षों में किया जा चुका है। इन सड़कों में से पांच सड़कों का 14 किलोमीटर लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य 210 लाख रुपये की लागत से इसी योजना में करवाया जा रहा है।

वर्तमान में कई महत्वपूर्ण सड़कों के मध्य मिसिंग लिंक रह गये हैं। इन मिसिंग लिंक के कारण ग्रामवासियों को मार्केटिंग शैल्टर तक आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमजन को आवागमन की सुविधा के लिए लघुत्तम मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से 13 किलोमीटर लम्बाई की चार सड़कों का निर्माण कार्य 2014-15 में प्रस्तावित कर रहा हूं। (1) गादेवी से पादूटड़ी, 3.8 किलोमीटर, 1.20 करोड़ रुपये (2) लूणवा से पादूटड़ी, 1 किलोमीटर, 25 लाख रुपये (3) बारोड़ी से रामपुरा जिला सीमा तक 1 किलोमीटर, 25 लाख रुपये (4) डेढी नाड़ी से छोटू वाया भीलों की ढाणी नया कुआ 7.2 किलोमीटर, 1.80 करोड़ रुपये। कुल 13 किलोमीटर की लम्बाई और 3.50 करोड़ रुपये।

मिसिंग सीडी कार्य:- पायलां कलां से दरगुड़ा डामर सड़क लूणी नदी पर पुलिया बना हुआ नहीं होने के कारण लगभग 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर 700 मीटर लम्बाई में पक्की रपट निर्माण कराने हेतु 339 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। यह कार्य वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किया जाये।

इसी प्रकार भवन निर्माण में तहसील प्रशासनिक भवन धोरीमन्ना, उपखण्ड कार्यालय प्रशासनिक भवन धोरीमन्ना, उपखण्ड अधिकारी रिहायशी भवन धोरीमन्ना, उपखण्ड कार्यालय प्रशासनिक भवन गुढ़ामालानी, राजकीय महाविद्यालय भवन, गुढामालानी, पुलिस थाना भवन, रागेश्वरी तथा अन्य रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, कुल मिलाकर 13.33 करोड़ रुपये के ये कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में होने जरूरी हैं।

इस बारे में मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं कि मेगा हाइवे रामजी गोल से बालोतरा तक की जो रेपो मीटर की रीडिंग 2,000 की आनी चाहिये थी, उसकी जगह 7 से 8 हजार आ रही है जिसके कारण इस सड़क पर जगह-जगह खड्डे पड़ रहे हैं और रिडकोर वाले ठेकेदार पैच-अप करके काम चलाऊ कार्य कर रहे हैं। इस सड़क पर 50 टन के छह नम्बर टर्बो ट्रक हर मिनट पंजाब से गांधीधाम जा रहे हैं, इसलिए इस सड़क पर बहुत ही गुणवत्ता पूर्ण रिपेयर वर्क होना चाहिये।

(श्री लादूराम)

आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने यह मेगा हाइवे वर्ष 2007 में बनाकर पब्लिक यूज हेतु सौंपा था। उस वक्त इस मेगा हाइवे की चमक की पेरिस की सड़कों से तुलना की जाती थी परन्तु आज वर्तमान में इस मेगा हाइवे की दुर्दशा हो रही है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मेगा हाइवे का पहले की तरह पुराना लुक पुन: वापस स्थापित करना चाहिये।

मैंने पिछले तीस साल से बाड़मेर-जालौर जिले में विभिन्न सड़कों पर आवागमन किया है, उससे मैंने महसूस किया है कि बाड़मेर में मूंगिया, जिसकी वाटर एब्जार्बिंग कैपेसिटी एक प्रतिशत है। बाड़मेर जिले का मूंगिया काम लेने के कारण इस जिले में सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है, जबकि जालौर जिले में जहां पर रानीवाड़ा के मूंगिया का वाटर एब्जार्बिंग कैपेसिटी ढाई प्रतिशत है। यह मूंगिया जालौर जिले में काम लेने के कारण इस जिले में सड़कों की स्थिति बहुत ही खस्ता है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं।

जहां तक सड़कों की क्वालिटी का सवाल है, कई ए-क्लास कांट्रेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं जबकि कइयों के काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बाड़मेर से सांचौर तक 138 किलोमीटर के मेगा हाइवे पर 1982 से मैं आवागमन कर रहा हूं, जिसमें मेरा अनुभव यह रहा है कि यह हाइवे बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन पिछले कांग्रेस राज में वर्ष 2009 के 2013 से दौरान धौरीमन्ना से सांचौर तक इस हाइवे की हालत बहुत खराब हो गई थी। हमारा राज आते ही आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने इस हाइवे के नवीनीकरण का काम बहुत ही बढ़िया ढंग से किया। इसके लिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। डामर सड़कों का निरीक्षण दूसरे जिले के एक्स ईएन क्वालिटी कंट्रोल से कराया जाता है। ऐसे इंस्पैक्शन करने के एवज में खराब क्वालिटी व कम गुणवत्ता वाली सड़कों के एवज में कितने अधिकारियों को चार्जशीट दी गई तथा भविष्य में कितना सुधार हुआ? इस बारे में आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी अपना विवरण पेश करें तथा मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: शत्रुघ्न गौतम (अनुपस्थित)। श्री धनसिंह रावत (अनुपस्थित), श्री रामलाल गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले एक बार जय बोलो, साहब।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): आपने कहा, जय बोलना, जय तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। भोले भण्डारी शंकर की जय हो। सब एक साथा बोलो, शर्म क्यों आती है? भोले भण्डारी शंकर की जय हो, चारभुजा नाथ की जय हो, बाबा रामदेव की जय हो और 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो।

आज मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल की इस डिमाण्ड पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत हार्दिक आभार। राजस्थान में सड़कों की हालत आप सबको मालूम है कि 2008 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, वसुंधरा राजेजी की सरकार थी। जिस समय छोड़ी उस टाइम में तुलना होने लग गई थी कि हमारी राजस्थान की सड़कें और गुजरात की सड़कें अगर देखें तो हिन्दुस्तान में तो सबसे टाप सड़कों में था यह राजस्थान और गुजरात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस समय मंत्री कौन था?

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): उस समय हमारे मंत्री महोदयजी, यहां पर विराजमान राठौड़ साहब थे। उस समय सड़कें बहुत ही चमचमाहट लिए थीं और एक पहचान बनी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, उसके बाद पिछले पाँच सालों में सड़कों के हालात यह कर दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हूरडा और गुलाबपुरा और गुलाबपुरा से फोर लेन तक जो वहां और अच्छा खासा शहर है, लेकिन वहां सड़कों की यह हालत थी कि अगर डिलीवरी के लिए किसी को ले जाओ जीप वगैरह में तो मेरे हिसाब से डाक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे हालत थे। हमारी वसुंधरा राजेजी उस टाइम परिवर्तन यात्रा में आई थी। उस टाइम हमने बताया था कि सड़कों की हालत यह है, आप देख लीजिए। जैसा कि पिछली बार हमारी सरकार ने नार्थ साउथ कोरिडोर का विकास 1 हजार करोड़ की लागत से किया था और इस बार राज्य की छह प्रमुख मार्गों के 1 हजार किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई की सड़कें, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर विकास का निर्माण करवा रहे हैं। इस तरह चरणबद्ध तरीके से 20 हजार किलोमीटर डामर की सड़कें राजस्थान में बनेंगी तो राजस्थान को देखने के लिए लोग आएंगे कि इतनी शानदार सड़कें राजस्थान में कैसे बनीं। इस वर्ष से ही कार्य चालू हो गया है और 2017 तक सभी सड़कों का कार्य चालू हो जाएगा। इसके सिवाय शहरों की सड़कें चमचमाहट लिए थीं, जब भी कोई गांव

(श्री राम लाल गुर्जर)

के लोग जाते कि शहरों की सड़कें बहुत शानदार हैं लेकिन अपने यहां पर गांवों में जाते तो देखने को मिलता कि गांवों में मामला गम्भीर है। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी के मन में पीड़ा थी कि गांवों में भी शहर के जैसा विकास हो और गांव में जाने वाला भी देखे कि शहर के मुकाबले हमारी सड़क भी है और ग्रामीण पथ के लिए किया, वहां आधा किलोमीटर से दो-दो किलोमीटर की सीसी रोड जो बन रहे हैं बहुत शानदार बन रहे हैं, बहुत अच्छी खासी थिकनैस से बन रहा है। यह बहुत ही अच्छा काम है। इस पर आगामी इन तीन वर्षों में लगभग 1800 करोड़ की लागत खर्च होगी और इस पर 9177 पंचायतों में से 2147 पंचायतें प्रथम चरण में आ गईं जिस पर 1108 करोड़ खर्च होगा।

नरेगा के अन्दर भी, कांग्रेस शासन में नरेगा का काम नहीं के बराबर था, लेकिन अब हमारी सरकार आने के बाद अब यह काम सड़कों पर भी चलेगा। जैसा कि 250 से 499 की आबादी के 530 गांव, 509 करोड़ की लागत से 1294 किलोमीटर की लम्बाई की सड़कों का निर्माण भी हुआ है। यह हमारे माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने यह सपना गांवों के लिए सोचा था कि गांवों को भी आगे लाना चाहिए। जैसा कि सड़कों पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4547.25 करोड़ रुपये व्यय किया है। प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात कर लें। प्रधान मंत्री सड़क योजना में 2652 किलोमीटर की सड़कों की लम्बाई और इसके सिवाय 837 ढाणी व 7 गांव नाबार्ड के तहत 751 किलोमीटर, विश्व बैंक योजना के तहत 945 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कर 392 गाँवों को, कुल इस तरह 3850 गांवों की लम्बाई की सड़कें बनीं, 837 गांव, ढाणी, मजरे और 579 गांव जोड़े गए और 272 किलोमीटर की जैसा कि मिसिंग लिंक का कार्य भी पूरा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सुझाव भी देना चाह रहा हूं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मैटल सड़कों की चौड़ाई, सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रेवल सड़कों का जो निर्माण होता है, यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा थोड़ा कम होता है तो इस ओर थोड़ा ध्यान देकर के ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, ताकि आम पब्लिक को भी रोजगार मिल सके और काम की भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। लगभग 70 परसेंट आबादी गांवों में निवास करती है। 2014 में कुल सड़कों की लम्बाई 2 हजार 164 किलोमीटर थी जिसमें से डामर, मैटल और ग्रेवल सड़कें थीं। राज्य में सड़कों का घनत्व 58.75 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर है जबकि राष्ट्रीय घनत्व 148 किलोमीटर का है। भवन निर्माण के लिए मेरे यहां भी एक तहसील हैड क्वार्टर बनना बकाया है, वह हो

(श्री राम लाल गुर्जर)

जाए। इसके सिवाय जो डामरीकरण के कार्य होते हैं, मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि पैच वगैरह भरे जाते हैं लेकिन सड़क के किनारों को नहीं भरते हैं, किनार ऊपर रख देते हैं ताकि वो वापिस टूट करके सड़क यथावत जैसी पहले थी, वैसी हो जाती है। टोल नाकों के लिए भी मेरा सजेशन है कि टोल नाकों वालों को भी थोड़ा ठीक ढंग से किया जाए ताकि यह कम से कम आवागमन के लिए ज्यादा बाधक नहीं बने। बाकी कांग्रेस शासन की दिल्ली की सिक्स लेन सड़क ले लें, अगर दिल्ली जाना है तो मेरे हिसाब से दिल्ली जाने में तो बहुत ज्यादा समय लगता है। आज अब धीरे-धीरे जाकर के हमारी आने के बाद, केन्द्र में नरेन्द्र मोदीजी की सरकार आने के बाद उस सड़क की थोड़ी दशा सुधरी है, बाकी दिल्ली जाना बहुत मुश्किल था। लोग हवाई जहाज या ट्रेन से जाना पसंद करने लग गए थे, बसों की यात्रा छोड़ने लग गए थे। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे गुलाबपुरा हुरडा के बीच का दो किलोमीटर और दो किलोमीटर गुलाबपुरा से फोर लेन का जो टुकड़ा है, वैसे उसको ठीक करवया, पेच भरवाये, ठीक किया, लेकिन अभी उसमें काम की कमी है अगर वह हो जाए तो अच्छा रहेगा। कई बार यहां पर लोगों ने धरने प्रदर्शन भी दिए और इसके लिए टावर पर भी चढ़े थे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको थोड़ा पहले वरीयता में लेकर के करवाया जाए।

इसके सिवाय मेरे विधान सभा क्षेत्र आसींद में, वैसे तो राजस्थान में सभी ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर डामर की सड़क से जुड़ चुके हैं लेकिन मेरे यहां रतनपुरा एक पंचायत है वो आज तक डामर से नहीं जुड़ी है। सात आठ साल पहले एक ठेकेदार ने ली थी और उस ठेकेदार ने उसका काम लेकर के अधूरा छोड़ दिया, गिट्टी रोड तो उन्होंने कर दिया। लेकिन गिट्टी रोड के बाद उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा कई दफा टेण्डर हुए लेकिन अब वो चाहते हैं कि उस रेट में काम करें पुरानी रेट में और पुरानी रेट पर अब ठेकेदार कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि सात-आठ साल में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए नई रेट से ये टेण्डर होकर वापस पंचायत हैड क्वार्टर जो डामर की सड़क से जोड़ने का काम है यह हो जाए तो कम से कम एक समस्या का निदान हो सकेगा।

इसके सिवाय रूपाइली बायपास का जो पिछली बार स्वीकृत हुआ था काम, लेकिन रूपाइली बायपास काम नहीं होने की वजह से रूपाइली गांव में

(श्री राम लाल गुर्जर)

होकर ट्रक वगैरह नहीं जा सकते। गांव में पंचायत हैड क्वार्टर पर जहां गाड़ियां जाती हैं, मान लीजिए, खाखले का ट्रक जाए या पट्टियों का भरा ट्रक जाए तो वहां निकल नहीं सकता है। इसलिए ये बायपास की व्यवस्था भी की जाए।

बाकी ग्रामीण बस सेवा की व्यवस्था चल रही है और भी जो मैंने प्रपोजल दिए हैं वो ग्रामीण बस सेवा के थोड़े किए जाएं तो अच्छी बात है।

इसके सिवाय भीलवाड़ा ब्यावर रोड का काम हुआ था और वह भी ठेकेदार ठीक ढंग से नहीं कर पाया तो वह वापस टूट गया था फिर वापस किया लेकिन जगह-जगह वापस टूट रहे हैं तो ऐसे काम की जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो थोड़ा ठीक होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल के लिए कम से कम पांच-पांच किलोमीटर के डामरीकरण के रोड दिये जाएं तो उचित होगा। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अभी दो हजार किलोमीटर डामर की सड़कें मिसिंग लिंक के तहत दी हैं, उसके लिए उनका बहुत-बहुत हार्दिक आभार। आपने बोलने का समय दिया इसके लिए आभार। जय भारत।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री रतन लाल जलधारी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आज सदन में सड़कें एवं पुल की मांग पर विचार रखे जा रहे हैं तो इस विषय पर मैं भी अपने विचार एवं मांग रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण, 2015-16 में राज्य के समग्र विकास के लिए रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष दस हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य करवाने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले बजट भाषण में प्रदेश में निजी जन सहभागिता के आधार पर बीस हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को विकसित किये जाने की घोषणा की थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 में डूंगरगढ़, सरदारशहर, राजगढ़ डेढ़ सौ किलोमीटर, गंगानगर, रायसिंहनगर, बीकानेर 227 किलोमीटर, दूदू, मालपुरा, टोडारायसिंह 104 किलोमीटर, दर्रा खानपुर, अकलेरा 89 किलोमीटर और सीकर, लाडनूं, नोखा दो सौ किलोमीटर इन सभी स्टेट हाइवेज पर कार्य शुरू किया जाएगा।

(श्री रतन लाल जलधारी)

माननीय सभापति महोदय, सीकर, लाडनूं, नोखा स्टेट हाइवे का कार्य शुरू करवाने के लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इस हाइवे के निर्माण से सीकर जिले के साथ-साथ नागौर एवं बीकानेर जिले के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही यातायात की सुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्री ने वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में इस वर्ष गांवों की आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो हजार किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की भी घोषणा की है। इसके लिए नौ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है तथा ढाई सौ से चार सौ निन्यानवे तक की आबादी वाले छह सौ गांवों को पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से एक हजार चार सौ चालीस किलोमीटर की लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा दो सौ पचास से अधिक आबादी वाले गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूरा करने हेतु नौ सौ साठ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

(15.03 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके साथ ही आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट भाषण में प्रदेश में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज एवं रेल अण्डरब्रिज के निर्माण कार्य को भी पूरा कराने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। मैं उनका ध्यान मेरे सीकर शहर स्थित रेलवे फाटक राधाकिशनपुरा की ओर दिलाना चाहूंगा क्योंकि ये फाटक शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित है, जिसके दोनों ओर अति महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं तथा जिले का सबसे बड़ा एस के हास्पिटल स्थित है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, परन्तु कई बार फाटक के काफी समय तक बंद रहने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल मरीज तथा गम्भीर प्रकृति के मरीजों को फाटक बंद होने के कारण एम्बुलेंस अथवा किसी भी प्रकार का वाहन जो मरीज को ला रहा हो, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण घायल व्यक्ति तथा गम्भीर रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस फाटक के पास ही सीकर जिले का सबसे बड़ा सरकारी शैक्षणिक संस्थान एस के कालेज भी है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में विद्यार्थी अपने-अपने वाहनों से अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहर अथवा आसपास के इलाकों से पढ़ने आते हैं, परन्तु फाटक बंद होने के कारण समय पर कालेज नहीं पहुंच पाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का

(श्री रतन लाल जलधारी)

नुकसान होता है। इसी प्रकार इस फाटक के दूसरी ओर रेलवे स्टेशन, रिजर्व पुलिस लाइन सीकर एवं अन्य कई प्रकार के सरकारी कार्यालय हैं जिनमें प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोगों का आना-जाना होता है तथा यातायात का काफी दबाव रहता है, परन्तु इस फाटक पर कोई ओवरब्रिज नहीं होने के कारण आमजन को कई प्रकार की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। साथ ही झुंझुनूं बाई पास से आने वाला यातायात भी इधर से ही गुजरता है। इससे फाटक बंद होने पर यहां घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे इसके आस-पास की कालोनियों में रहने वाले स्थानीय बाशिन्दों को काफी तकलीफ होती है। कई बार जाम के कारण मरीजों को भी समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर शहर के राधाकिशनपुरा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की इसी बजट में घोषणा करें, ताकि सीकर शहर की इस सबसे बड़ी समस्या से आम जन को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सीकर शहर स्थित नवलगढ़ पुलिया की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय, सीकर शहर में स्थित नवलगढ़ पुलिया पर यातायात का बहुत ज्यादा दबाव है, इसका विस्तार होना बहुत आवश्यक है। पिछली कांग्रेस सरकार में इसके विस्तार के लिए राशि स्वीकृत की गई थी और टेण्डर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी परन्तु उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अभी तक इस पुलिया के विस्तार और चौड़ाई के काम में कोई प्रगति नहीं हुई है और वर्तमान में पुलिया की स्थिति जस की तस है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्तमान में सीकर शहर की आबादी चार लाख से ज्यादा हो चुकी है और फिर ये पुलिया तो सीकर से दिल्ली एवं नीमकाथाना, कुचामन की तरफ जाने के मार्ग में स्थित है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पुलिया पर यातायात का कितना दबाव रहता होगा। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि सीकर शहर की बीस प्रतिशत आबादी इस पुलिया के दूसरी तरफ रहती है, पुलिया की चौड़ाई कम होने के कारण इस पर घंटों तक लगने वाले जाम के कारण रोजाना परेशानी होती है, इसलिए इस पुलिया का विस्तार एवं चौड़ाई का कार्य किया जाना अति आवश्यक है। इस पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने एवं विस्तार कराने के लिए मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पहले भी पत्रों के माध्यम से आग्रह किया है। माननीय सभापति महोदय, आज एक बार फिर से

(श्री रतन लाल जलधारी)

मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नवलगढ़ पुलिया का विस्तार एवं चौड़ाई बढ़ाने की आज इस सदन में घोषणा करें ताकि सीकर के लोगों के साथ-साथ यहां से गुजरने वाले सभी मार्गों के लोगों को भी लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के ऐसे गांव एवं ढाणियां जो डामरीकरण सड़कों से अभी भी वंचित हैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। राजपुरा ग्राम पंचायत में राजपुरा से धीरूवाला जोहड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाताश तक, धीरूवाला जोहड़ा से ढाणी केरवाल तक पांच सौ मीटर, बेरी धर्मशाला ग्राम पंचायत से गोरू मील की ढाणी से रघुनाथ गुर्जर की ढाणी तक। गोरू मील की ढाणी से खीरोल सीमा तक साढ़े तीन किलोमीटर, बेरी से तारपुरा तीन किलोमीटर, बालाजी नाडा से खिरोल सीमा तक सड़क, कोलीड़ा ग्राम पंचायत से बेरी स्टैण्ड से केशरनगर तक सड़क, कोईड़ा से घडेल नगर तक सड़क, कोईडा से कृष्ण नगर तक सड़क।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सड़कों से वंचित इन सभी गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मेरे सीकर से आठ किलोमीटर दूरी के ऊपर हर्ष पर्वत एक पहाड़ी है वो राजस्थान में दूसरे नम्बर ऊपर आती है और उसके ऊपर 6 किलोमीटर की सड़क बनाना भी अति आवश्यक है। तो, हर्ष पर्वत के ऊपर भी 6 किलोमीटर की सड़क अगर मंत्री महोदय अभी आज ही पास करें तो मैं उनका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बनने वाली सड़कें जो भी 2001 की जनगणना के अनुसार बनाई जा रही हैं उन्हें भी 2011 की जनगणना के अनुसार बनाया जाए जिससे कि सभी गांव ढाणियां सड़कों से जुड़ सकें।

अंत में माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती गीता वर्मा।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19 और 21 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती गीता वर्मा)

सभापति महोदय, किसी भी देश व प्रदेश की सड़कों में पुलों, भवनों का निर्माण उस देश की प्रगति का द्योतक है। आज हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी का सपना जो स्वच्छ भारत का सपना है उसी को आधार मानते हुए मैं अपनी मांग के साथ-साथ एक सुझाव भी रखना चाहूंगी कि आज हमारे यहां राज्य में जितने भी स्टेट हाइवे और मेगा हाइवे हैं उन हाइवे पर जितने भी बड़े कस्बे पड़ते हैं उन कस्बों पर एनएचएआई की तर्ज पर बस स्टैण्ड, यूटिलिटी और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वहां पर आने वाले यात्री गणों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और बड़े-बड़े गांवों और बस स्टैण्डों पर स्वच्छता रह सके।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी गांव व तहसील का विकास मूलत: सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था पर निर्भर करता है। उसमें सड़कें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। माननीय आज भी मेरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें जो दौसा विधान सभा क्षेत्र से लगती हुई हैं उनमें सड़कों का अभाव है। बारिश के दिनों में वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय की निम्न सड़कें किसी भी योजना के तहत स्वीकृत करने का श्रम करें ताकि वहां के गांवों का विकास हो सके, वहां के गांव वालों को सुविधाएं मिल सकें। खास तौर से पापड़दा से मुंडघीसिया वाया शालावास, पहले भी यह सड़क स्वीकृत हो चुकी थी और इसका शिलान्यास भी हो चुका था लेकिन न जाने किन कारणों से वह सड़क आज भी नहीं बन पाई है और वहां के ग्रामीणों के मन में टीस है कि हमारी सड़क स्वीकृत होने के बावजूद भी नहीं बन पाई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नांगलचापा से शालावास और भगलाव से आलूदा वाया रामसिंह पुरा होते हुए, यह तीन महत्वपूर्ण सड़कें ऐसी सड़कें हैं जो कई गांवों को कनेक्ट करती हैं और उन लोगों को 13 किलो मीटर ज्यादा का फेर लगाकर दौसा आना पड़ता है उनको होने वाली इन असुविधाओं से भी निजात मिलेगी, वहां के स्कूली बच्चों को भी फायदा होगा।

इसलिए माननीय मंत्री महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जनता की मजबूरियों को समझते हुए आप इन सड़कों की आज ही अपने कटौती प्रस्ताव में घोषणा करें ताकि वहां की आम जनता को राहत मिल सके। खास तौर से सिकंदरा और गंगापुर जाने वाला जो मेगा हाइवे है, वह सड़क आज इतनी जर्जर अवस्था में हो चुकी है कि वहां जगह जगह खड्डे पड़े हुए

(श्रीमती गीता वर्मा)

हैं। पैचवर्क किया गया था लेकिन अभी बारिश के कारण वह पैच वर्क भी उखड़ गये हैं। वहां पर डिपार्टमेंट के लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का तो डेली वहां आना-जाना है क्योंकि हमारा तो वह क्षेत्र पड़ता है। खास तौर से टोडाभीम विधायकजी ने भी यह बात रखी थी, मैं भी सदन के माध्यम से यह बात रखना चाहती हूं कि उसको पीपीपी मोड पर आपने लिया हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उसका जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर किसी भी योजना के तहत उसका कार्य करवाइए। जल्दी से जल्दी वह सड़क बन सके और हम सब लोगों को राहत मिल सके। खास तौर से नादौती में तो इतने बड़े गड्ढे पड़ गये हैं कि वहां से लोगों के साधन गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अत: मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज ही अगर आप इनकी घोषणा करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता कटारा (अनुपस्थित) । श्री मानसिंह किनसरिया।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 व 21 के सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य के समग्र विकास के लिये सड़क सम्पर्क व्यवस्था का मजबूत होना अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से निवेदन है कि सड़क सम्पर्क व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये, क्षेत्र की जनता के लिये लाभकारी बनाने के लिये कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार की जो डिफक्ट लायबिलिटी के नियम है उसमें केन्द्र सरकार ने डिफक्ट लायबिलिटी के लिये पांच साल का समय निश्चित किया हुआ है। अभी डोटासराजी बता रहे थे कि आपने तीन साल का कर दिया जबकि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में यह नियम तीन साल का किया हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको वापस बढ़ाकर पांच साल की अवधि की जाय तो राज्य सरकार के लिये यह ठीक होगा।

माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे एक निवेदन और है, पीपीपी माडल पर जो सड़कें बनाने की योजना हमारे राज्य में चालू की गई है और वह अभी चल रही है उसमें आने वाले समय में हमारे स्थानीय ठेकेदारों को कार्य मिले, यहां रोजगार बढ़े उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको दो भागों में बांट कर दो पैकेज बनाया जाये, एक बड़ी सड़कें जो लम्बी दूरी की सड़कें हों, उनका

(श्री मानसिंह किनसरिया)

एक बड़ा पैकेज बनाया जाये और छोटी सड़कों का अलग से पैकेज बनाया जाय जिससे हमारे स्थानीय ठेकेदार भी काम करेंगे और उनके साथ जुडे हुए जो मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको दो भागों में विभक्त करके छोटा और बड़ा पैकेज बनाया जाये जिससे यहां की जनता को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कमिर्शियल ट्रैफिक दो तरह से गुजरता है, एक है उत्तर से दक्षिण कोरिडोर और एक पूर्व से पश्चिम कोरिडोर जो कि पाकिस्तान की सीमा पर जाकर रुक जाता है। मेरा निवेदन है कि जो उत्तर से दक्षिण कोरिडोर आता है उसमें ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं वह बाहर के स्टेट से आते हैं और जो दिल्ली होते हुए गुजरात व अन्य स्टेट में जाते हैं उसमें स्टेट को ज्यादा फायदा होता है। मेरा निवेदन है कि उस रूट पर आने वाले जो स्थान हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा टोल रोडें बनाई जाएं जिससे कि राज्य के व्हीकल्स को फायदा होगा क्योंकि उस रूट पर ज्यादा बाहर से आने वाले व्हीकल्स आते हैं, राज्य के व्हीकल कम होते हैं और जो पूर्व से पश्चिम में कोरिडोर है जो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर रुक जाता है उसमें स्टेट व्हीकल ज्यादा होते हैं। मेरा निवेदन है कि उस रूट की जो सडकें हैं उसमें कम से कम टोल रोडें बनाई जायं और राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के सहयोग से उन हाइवे को बनाया जाये तो निश्चय ही राज्य के व्हीकल को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, राज्य की जनता को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, पीपीपी मोड पर जो भी सडकें बनाई जाती हैं, उसमें जिन कम्पनियों से उन सड़कों को बनाने का एग्रीमेंट होता उस पर एक आवश्यक मानीटरिंग जरूर की जानी चाहिये क्योंकि एग्रीमेंट हो जाता है, कम्पनियां सड़कें बना लेती हैं लेकिन उसके पश्चात एग्रीमेंट में सुविधाओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके लिये मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप उस पर प्रभावी तरीके से ध्यान दें। उनमें कई सुविधाएं हैं जैसे एम्बुलेंस की सुविधा है, टायलेट की सुविधा है और टोल रोड पर कर्मचारियों का व्यवहार है, उस पर समुचित ध्यान दिया जाये जिससे कि यहां के नागरिकों को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि जो अभी जयपुर से किशनगढ़ हाइवे है इसके ऊपर टायलेट की हालत अगर आप देखेंगे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, अन्दर गंदगी है, व्यवस्था ठीक नहीं है। आप प्रभावी तरीके से इन

(श्री मानसिंह किनसरिया)

व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे तो भी फायदा होगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे स्टेट में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट भी इतने भयावह हो रहे हैं कि एक साथ 10-10, 20-20 व्यक्तियों की जान चली जाती है और कइयों के अंग विक्षत हो जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि कहां है, ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनको रोकने के लिये मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आपको रोड सेफ्टी एक्ट भी बनाना चाहिये जिससे दुर्घटना के लिये जिम्मेदार वाहन व व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जा सके और हाइवे ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की जा सके। हाइवे पुलिस की नफरी में भी वृद्धि की जानी चाहिये जिससे हाइवे दुर्घटनाओं में ज्यादा से ज्यादा कमी लाई जा सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हाई वे ट्रैफिक एक्ट भी बनाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कुछ नई सड़कों को बनाने से मेरे क्षेत्रवासियों को फायदा होगा। इसमें भावसिया गांव से परबतसर के लिए, रूपरा पंचायत से दूसरी पंचायत के लिए, पीपलाद, कालीठेडा पुष्कर के रूट को डबल लाइन बनाई जाए। हरियाजून से भवलीगुडा ग्राम के लिए परबतसर शहर के मध्य की सड़क को फोरलेन करने के लिए मकराना से नागौर जाने वाली सड़क को भी अगर डबल किया जाए तो उसका भी फायदा होगा। मैं माननीय मंत्रीजी को गौरव पथ और हमारे विधान सभा में नवीनीकरण के कार्य करवा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह अच्छी तरह से कार्य हो रहे हैं। आप लोग मिसिंग लिंक भी दे रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 व 21 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे राज्य में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में, सड़कों के ऊपर नई-नई योजना लाकर, राजस्थान के विकास का सपना देखा जा रहा है। शहरों में ही नहीं गांवों तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होकर गांव के व्यक्ति को भी सड़कों की, अच्छी रोड की सुविधा मिले इसके ऊपर काफी काम करने की हमारी योजनाएं बनी है। चाहे वह गौरव पथ हो, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे मजरा ढाणी से जोड़ने वाली रोड़ हो। निश्चित रूप से इनकी जो घोषणाएं हुई हैं, आज हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी

(श्री हीरालाल नागर)

आलोचना करें लेकिन आने वाले समय में राजस्थान का जो परिदृश्य होगा निश्चित रूप से इसके बदलने में बहुत बड़ी भूमिका इस विभाग की रहेगी। निश्चित रूप से इस पर हमें आज गौरव है। आज हमारी मुख्य मंत्री ने, चाहे पीपीपी मोड़ पर सड़कें दी हों, चाहे 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का जो हमने सपना देखा है, जिस दिन यह साकार होगा उस दिन निश्चित रूप से यहां बैठे हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हमने पांच साल का पिछला कार्यकाल देखा, उस कार्यकाल में केवल घोषणाएं हुईं वह भी अंतिम वर्ष में। अंतिम वर्ष में जो घोषणाएं हुईं वह बिना बजट के, बिना प्रावधान के इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी गईं कि आज जो यह कह रहे हैं कि हमें अभी काम नजर नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि पिछली जो घोषणाएं हुई थी उन्हीं पर हमारा पिछला बजट भी लग गया। आने वाले बजट में से भी, कई बजट की परियोजनाएं हैं वह भी उन्हीं पर खर्च हो रही हैं। इन्होंने पिछले काम घोषित किए थे, उन्हीं को पूरा करने में इस विभाग को काफी समय लगा। अब आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए एक सौहार्दपूर्ण होगा। इस तरह से इस विभाग द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी मैं तारीफ करता हूं।

मैं हाड़ौती क्षेत्र से आता हूं। हमारा राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, चाहे वह पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिण पूर्ण का हमारा हाड़ौती का क्षेत्र हो, दोनों में, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की जमीन, वहां की मिट्टी है उसमें काफी फर्क है। हम पश्चिमी राजस्थान में रोड बनाएं उसकी लागत अलग आएगी। हाड़ौती के अन्दर रोड बनाएंगे उसकी लागत ज्यादा आएगी। अभी जो प्रावधान है उसमें एक ही तरह से बराबर प्रावधान लेकर जो रोड बनाई जा रही है उसमें हाड़ौती में ब्लैक काटन सोइल है, काली मिट्टी है उनके प्रावधानों को चेंज करके स्पेसिफिकेशन बदलने की आवश्यकताएं हैं। वह बदला जाता है तो हम चाहे कितनी भी रोड बना लें, आने वाले समय में वह रोड एक बरसात भुगतती है, उसके बाद काली मिट्टी में पानी ऊपर चढ़ता है, उस पर से जब ट्रैफिक गुजरता है तो वह रोड डेमेज होती है। उसके बाद उन रोड्स की जो दुर्दशा होती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोकल मिट्टी का यूज किया जाता है। उसकी जगह ट्रान्सपोर्ट करके ऐसी सोइल यूज की जाए जिसके द्वारा उसको मजबूती मिले, स्ट्रेंथनिंग मिले, उस मिट्टी से वह सड़कें खराब नहीं हो इसकी भी व्यवस्था हो, अपने स्पेसिफिकेशन में बदलाव करके करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से हम चाह रहे हैं, हमारे केन्द्र के मंत्रीजी भी

(श्री हीरालाल नागर)

चाहते हैं कि सीसी रोड बने, बड़े-बड़े रोड बनें। तो फिर हम क्यों यह काली मिट्टी की रोड बना रहे है। हमारी पुरानी स्पेसिफिकेशन है उनको बदलने का काम यह सरकार करेगी तो यह हाड़ौती के लिए बहुत बड़ा काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कई समस्याएं हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र से एक फोर लेन ईस्ट वैस्ट कोरिडोर है वह गुजर रहा है। उस पर जो अंडरपास बने हुए हैं, उन अंडरपास से जितने भी ग्रामीण रोड गुजर रहे हैं, गांव के लोगों को खेतों में आवागमन के लिए जाना पड़ता है, एक भी अंडरपास ऐसा नहीं है जो चालू स्थिति में हो। सभी अंडरपास में पानी भरा हुआ है, उनकी सर्विस रोड में डेमेज है। उसके लिए जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि एनएचआई का काम है। एनएचआई से कहते हैं तो वह कहते हैं टोल रोड वाले ठेकेदार का काम है। न तो टोल रोड का ठेकेदार उस काम को सही तरीके से कर रहा है, न हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग कर पा रहा है। इसका खामियाजा उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसका कारण है कि उनको कई किलोमीटर चक्कर काटकर आना पड़ता है या फिर वह सीधे उल्टे तरीके से उस रोड पर चढ़ते हैं जिसके कारण वह मौत के ग्रास बनते हैं। एक्सीडेंट के कारण से कई मौतें होती हैं। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दें हमारे अधिकारी, एनएचआई के साथ मीटिंग करें, उनको बुलाएं, जहां-जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं उसका समाधान करने की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र में 258 करोड़ का एक आरएसआरडीसी के द्वारा रोड बनाया जा रहा है। उस रोड में न तो कोई बाइपास दिया गया है तीन जगह पर, न वहां कालीसिंध पर पड़ने वाली पुलिया है उस पर कोई हाई लेवल का ब्रिज बनाया गया है। जब इतना बड़ा रोड बन रहा है और उसके ऊपर टोल लग रहा है तो टोल लगने के बाद भी, टोल देकर कोई वाहन वहां आएगा तो जब कालीसिंध की नदी आती है, कई दिनों तक उस पर पानी रहता है, उसके कारण से इस रोड की वायबिलिटी नहीं आएगी। वहां के क्षेत्र में शहर के अन्दर से यह रोड निकलेगा उसकी वजह से भी इसकी वायबिलिटी नहीं आने से यहां पर बाइपास का प्रस्ताव था उसमें भी सर्वे करवाकर, उसकी डीपीआर बनाकर काम चालू करने की आवश्यकता है। इसी तरह से धरा से कनवास और धूलेट और अकरेला तक स्टेट हाइवे 74 नम्बर है उस पर भी कई उच्च स्तरीय पुल हैं उन पर भी सीआरएफ में योजना बनाकर उन पुलियाओं को बनाया जाना

(श्री हीरालाल नागर)

चाहिए ताकि 74 नम्बर स्टेट हाइवे पर वर्षा ऋतु में आवागमन बंद हो जाता है उससे लोगों को सुविधा मिले।

मेरे क्षेत्र में आदर्श ग्राम पंचायत माननीय नरेन्द्रजी मोदी के आह्वान पर वहां के सांसद महोदय ने घोषित की है। वहां से निकलने वाला रोड है वह एक सम्पर्क सड़क है। काफी बड़ा आवागमन का साधन है। पांच साल बीत गए, गारंटी पीरियड में थी, गारंटी पीरियड समाप्त हो चुका है लेकिन उस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि पिछले एक साल से गारंटी पीरियड समाप्त नहीं हुआ था तब से उस पर कोई रिपेयरिंग नहीं की गई। उस पर कोई पैचेज नहीं किए गए। आज उसकी यह दशा है, इसके पीछे जो वहां अधिकारी रहे उन्होंने उसको छूट दी, उसके कारण है। उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। उसकी जांच की जानी चाहिए। पिछले एक साल में उस पर क्या काम हुआ, क्यों नहीं रिपेयरिंग की गई इसकी भी जांच हो। गारंटी पीरियड में उस सम्बन्धित ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जब्त की जाए। उस काम को अगर पिछला ठेकेदार नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाकर उसको सरकार द्वारा या विभाग द्वारा पूरा किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई रोड टूटी हुई हैं, जो नोन पैचेबल हैं उन पर भी बजट जारी करने की आवश्यकता है। सांगोद क्षेत्र में मिसिंग लिंक है उनकी भी घोषणा की जाती है तो ऐसे कई आवागमन के रोड हैं जिन पर कई किलोमीटर तक होकर लोगों को जाना पड़ता है, आवागमन का मुख्य साधन है, मिसिंग लिंक के द्वारा जो घोषणा की गई है उसमें भी शामिल किया जाए तो उस विधान सभा क्षेत्र में और वहां के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं इतना कहकर धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गिर्राज सिंह मलिंगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र की करीबन एक लाख की आबादी है। इसके कारण शहर में आये दिन दुर्घटना होती रहती है और बाड़ी शहर को जोड़ने के लिये बाड़ी सिटी में जो गांव से लिंक रोड लगी हुई हैं, वह मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं बाड़ी से सैपऊ रोड, धनोरा रोड, अलीगढ़ रोड, रानपुर रोड, जो बाड़ी शहर के मुख्य बाजार के बीचों-बीच में हैं, इनके कारण आये दिन जाम लगा रहता है, दुर्घटना होती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बीच बाजार में एक रेलवे क्रोसिंग भी है, जैसे ही रेलवे फाटक बंद हो जाता है, वहां पर काफी वाहन इकट्ठे हो जाते हैं। वाहन इकट्ठे

(श्री गिर्राज सिंह)

होने के बाद एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और टक्कर होने के बाद में लोग एक-दूसरे के साथ हाथापाई भी करते हैं, गाली-गलौच भी हो जाती हैं और अक्सर करके पुलिस को भी वहां पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्रीजी भी हमारे यहां बाड़ी में गयी थीं, तब भी मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि बाड़ी की यह एक सबसे बड़ी समस्या है, तो आप इसका समाधान करें। सभापति महोदय, इस बाड़ी की आबादी को देखते हुए माननीय जिला कलक्टर महोदय ने भी, वह इनके ही हैं, जिला कलक्टर महोदय जी हमारे कहने से तो भिजवाने से रहे, इन्होंने प्रपोजल मांगे। जिला कलक्टर महोदय ने भी प्रपोजल भिजवाये हैं राज्य सरकार को कि बाड़ी में बाइपास बनाने की जरूरत है, पूरी बाड़ी के अन्दर रिंग रोड बनाई जाये। मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि आज ही इसकी घोषणा करें। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का भी क्षेत्र रहा है, जो अपना सैपऊ है, पहले वह चुनाव लड़ी थीं तो मुझे याद है मैं छोटा-सा ही था, तब मुख्य मंत्रीजी ने धौलपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में जो सैपऊ है, वहां सैपऊ से मुख्य मंत्रीजी को इतनी भारी संख्या में वोट मिले थे, उनकी जो पहली जीत हुई थी वह सैपऊ से हुई थी। तो वह मुख्य मंत्रीजी का भी पूर्व में विधान सभा क्षेत्र रहा है और हमारे सभापति महोदय ऊपर आसन पर विराजमान हैं, इनका भी एक क्षेत्र बसईनवाब मेरे विधान सभा क्षेत्र में आ गया है, वहां भी आये दिन अक्सर जाम रहता है, तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि बाड़ी में रिंग रोड बनाई जाये। सैपऊ में बाई-पास की व्यवस्था करें। सैपऊ में बाई-पास बनाया जाये और बसईनवाब में भी मेरे क्षेत्र में बाई-पास बनाया जाये।

सभापति महोदय, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैपऊ मुख्यालय जाने के लिये मात्र एक ही रोड है और उस रोड की हालत ऐसी है, इतना उसके ऊपर ट्रैफिक चलता है, पत्थर के 200-300 ट्रक रोजाना निकलते हैं। सैपऊ की जनसंख्या 2 लाख की है, तीन लाख के करीबन जनसंख्या बाड़ी और बाड़ी ग्रामीण की है। उस रोड को देखते हुए, इतनी छोटी रोड है, उस पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। लोगों में लूटपाट की घटनाएं होती हैं। अक्सर करके उस रोड पर जाम रहता है और सभी रोड्स की हालत इतनी बुरी हो रही है। सभापति

(श्री गिर्राज सिंह)

महोदय, आप भी गये होंगे कभी न कभी तो उससे निकलकर, सिंगल रोड है, आने-जाने के लिये एक ही रोड है। माननीय मंत्री महोदय, इसको गम्भीरता से लेना, आप इसको हवा में मत उड़ा देना। कहीं मिसिंग लिंक की तरह या गौरव पथ की तरह इसके लिये भी यह सोचें कि यह तो कांग्रेस के लोग हैं, इनसे अपन को क्या लेना-देना। मुख्य मंत्रीजी तो हमारे ही जिले की हैं। उनका तो ध्यान रखो, अगर उनको ध्यान में रखेंगे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा, तो हमारा उद्धार करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलें कृपया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने बाड़ी के अन्दर एक डाक बंगला बनाने की घोषणा की और उसके टेण्डर भी हुए थे, उस पर छोटा-मोटा काम होकर वह काम ही बंद हो गया। बाड़ी में सभापति महोदय, कोई भी ऐसी सरकारी जगह नहीं है कि अगर कोई मंत्रीजी आयें, या कोई सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जायें तो उनको बैठाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी के घर पर सरकारी अधिकारी जाते हैं तो इनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि यह कांग्रेस का है, यह बीजेपी का है, तो सभापति महोदय, कहीं न कहीं जायेंगे चाहे अधिकारी जायें, चाहे मंत्रीजी जायें, या कोई एम एम ए जाये, या कोई एम पी जाये, तो वह कहीं न कहीं जाकर बैठेंगे तो सही। जब उनके लिये कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है बैठने के लिये तो वह किसी न किसी के घर पर बैठेंगे तो फिर उस पर आरोप लगते हैं। तो, मेरा सभापति महोदय, निवेदन है मंत्रीजी से, कि इस डाक बंगले के काम को शीघ्र कराया जाये और जल्दी से जल्दी इस काम को चालू कराकर पूर्ण करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र और बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिये, यहां बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र की सदस्य भी बैठी हैं, इनसे पहले पूर्व में सुखरामजी ने भी आवाज उठाई थी कि बाड़ी में नगरा बिदोराई गांव पड़ता है पंचायत मुख्यालय और एक नोरा पंचायत मुख्यालय, इन दोनों को गांव से जोड़ देने के लिए। हमारे बाड़ी और बसेड़ी के लिये, धौलपुर आने-जाने के लिये हम लोगों को करीब 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है बसेड़ी-बाड़ी वाले लोगों के लिये, तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको भी ध्यान में लें।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय सभापति महोदय, कुछ मेरी नई मांगें हैं कि बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में जंगल का इलाका काफी पड़ता है और इसको मैं ही नहीं पूरा सदन जानता है, अच्छे से मुख्य मंत्रीजी जानती हैं और हमारे गृह मंत्रीजी भी जानते हैं कि यह डकैती क्षेत्र है। मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा क्षेत्र के लिये कुछ नई रोड दी जायें, जो पूर्ववर्ती सरकार ने भी दी और उसके टेण्डर भी जारी हुए थे। बीजेपी सरकार आने के बाद में इन्होंने पता नहीं किस कारण से वह हमारे टेण्डर कैंसिल कर दिये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सिंगरोई, कुंजी का नगला, पंचायत मुख्यालय गढ़ी खिराना, गांव दिल्ली का पुरा, रामपुर रोड पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थीं, इनके टेण्डर शीघ्र ही जारी कराये जायें मंत्रीजी। एक धनोरा रोड से धोदे का पुरा, सुवांस होकर हासुई गांव को जोड़ने के लिये माननीय सभापति महोदय, एक गांव कोलुवा से अराई जाने के लिये करीबन एक किलोमीटर का टुकड़ा है, अब समझ में नहीं आता है कि धौलपुर वाले अधिकारियों से बात करते हैं तो वह तो यह कह देते हैं कि बाड़ी वाले करेंगे और बाड़ी वालों से बात करते हैं तो वह यह कह देते हैं कि धौलपुर वाले करेंगे।

सभापति महोदय, उसमें पूरा पैसा लग गया। बाड़ी का एक गांव पड़ता है वहां पर बाड़ी का बोर्डर खतम हो जाता है, पर वह धौलपुर का ही गांव पड़ता है, उसका वह बोर्डर खतम हो जाता है। करीबन एक किलोमीटर की दूरी है, नहीं तो 15-15, 20-20 किलोमीटर, सभापति महोदय, दोनों तरफ से रोडें बन गयी हैं और इस एक किलोमीटर टुकड़े को नहीं जोड़ पाते हैं वह उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, वह उसके ऊपर लगा देते हैं। वह कहते हैं मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरा लास्ट गांव है, वह कह देता है मेरे में नहीं है। सभापति महोदय, यह तो अब हमारे मंत्रीजी क्लियर करें कि वह किसके क्षेत्र में आता है, किसका गांव है? है तो जिले में, कहीं जिले से बाहर तो वह रोड है नहीं। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस रोड को भी आप गम्भीरता से लें।

सभापति महोदय, एक गांव बुधवा के नगला से मडा जाने के लिये, यह भी करीबन एक किलोमीटर का अधूरा टुकड़ा पड़ा है। एक सभापति महोदय, हासई से करोलुवा गांव के लिये, जबकि गांव दोनों रेवेन्यू विलेज है, यह भी करीबन दो किलोमीटर के आस-पास अधूरी पड़ी हुई है।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय सभापति महोदय मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश से लगा है एक तरफ और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से लगा है। मतलब, मैं तो दोनों तरफ ऐसा लगा हूं कि एक तरफ यू.पी. और एक तरफ एम.पी., राजस्थान में तो हमको कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं, ऐसी स्थिति कर रखी है।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरे क्षेत्र में चन्दू का नगला गांव है जो यू.पी. बोर्डर पर है। पूर्व में आपके क्षेत्र में ही आता था वह अब मेरे में आ चुका है। एक गांव शाहपुर जो यू.पी. बोर्डर पर है, मुझे भी, इन दोनों गांवों की करीबन दो-दो किलोमीटर की लम्बाई है। माननीय सभापति महोदय, मालोनी पवार से जाटो की मंढिया तक, वह भी करीबन तीन किलोमीटर के आस-पास है। यह तीनों रोड्स हैं, वह सभापति महोदय, यू.पी. से टच है। यू.पी. के लोगों का राजस्थान में आना-जाना, सगाई-ब्याह सम्बन्ध में यहां आना-जाना रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं बाडी गयी थीं और आपने स्वयं भरतपुर में जाकर अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी की थी। उसमें आपने यह घोषणा की थी कि सोने के बुर्जा वाले पुल को हम बनाएंगे। एक घोषणा आपकी वह हो गयी। दूसरी, आपने घोषणा कर दी, माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपने बजट भाषण में ही कहलवा दिया अगले वर्ष और अबकी बार बजट आपने पेश किया तो उसका कहीं जिक्र भी नहीं आया और न उस पुल पर आपने कहीं भी कोई प्रक्रिया की। न तो उसका काम चालू किया गया सरकार द्वारा और न आपने किसी ठेकेदार को उसका ठेका दिया तो कम से कम मंत्रीजी यह तो सोचो कि आप मुख्य मंत्रीजी को, सदन में आप घोषणा करवा रहे हैं। सरकार आपके द्वार जा रही है। दो-दो बार घोषणा करने के बाद में करीबन 14 महीने हो गये आपकी घोषणा हुए और अभी तक आपने इस पर काम चालू नहीं करवाया। तो, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन सभी कामों को देखते हुए शीघ्र ही इन कामों को चालू करवाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पूर्व में जो हमारे साथ बर्ताव किया गया कि आपके बी.जे.पी. के एम.एल.एज. हैं, उनसे तो आपने प्रपोजल मंगवा लिए पंचायत मुख्यालय के लिए। 'गौरव पथ' आपने एक नाम रख दिया, 'गौरव पथ', नाम तो बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर रखा है, 'गौरव पथ' और आपने अपने चहेते बी.जे.पी. के जीते हुए लोगों को दे दिए और जो आपके हारे हुए हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, जो तीन-तीन बार, दो-दो बार, चार-चार बार हार गये और कोने में बैठे हैं, उन लोगों से आप प्रपोजल मंगवा रहे हैं। हमारा भी राज रहा था, हमने कभी आपके संग ऐसा नहीं किया। हमारे मुख्य मंत्रीजी गहलोत साहब ने आप सभी एम.एल.एज. को बराबर मिसिंग लिंक दी, बराबर आपको काम दिया, बराबर आपको रोड्स दीं। अब हमारे साथ में माननीय मंत्री महोदय, दोबारा जब आप मिसिंग लिंक दें और जब दोबारा 'गौरव पथ' के आप प्रस्ताव लें तो हमारे संग में ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आपके इन कामों को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 15)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2015 को मध्याह्न पश्चात 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने ग्यारहवें, बारहवें एवं चौदहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2015 से बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 तक सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2015	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015; 2. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015; एवं 3. राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015- पर विचार एवं पारण।
सोमवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2015	1. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015; 2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015; एवं 3. राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015- पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 07 अप्रैल, 2015	1. राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015; 2. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015; एवं 3. राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015- पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015	राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 - पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्रीचन्द कृपलानीजी।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा गला भी खराब है और माइक भी छोटा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-19 एवं 21 के समर्थन में बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय आज रखी। मध्य-काल में शेरशाह सूरी का नाम हम लेते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की सड़क का निर्माण किया था और माननीय सभापति महोदय, मेरे मन में कभी-कभी इस बात की तकलीफ और दु:ख होता है।

रामेश्वरजी, आप भी सुनना कि आपके माननीय सदस्य यहां पर काफी लम्बे-चौड़े भाषण दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में यह हुआ और कोई काम नहीं हुआ डेढ़ साल में, पहले भी नहीं हुआ। ईमानदारी से आप इस बात का विचार करना कि आजादी के बाद 50-55 साल तक आपका शासन रहा है। राजस्थान में भी रहा है और हिन्दुस्तान में भी रहा है।

(15.48 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

अगर, आप ईमानदारी से सड़कों का निर्माण करते तो आज हिन्दुस्तान के और राजस्थान के किसी भी गांव में सड़क के लिए मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ब्रिज बनाने की मांग करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन 50-55 साल तक इस देश को भ्रष्टाचार के अलावा आपने कुछ नहीं दिया। विकास छोटा-मोटा हुआ होगा लेकिन जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मुझे इस बात का सौभाग्य मिला, उस समय मैं भी सांसद था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने इस देश में सड़कों के मामले में अगर देखें तो आमूल-चूल परिवर्तन उन्होंने किया। पहली बार हिंदुस्तान की जनता को यह महसूस हुआ कि सड़कें बनाने का कार्य सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है। भारत सरकार के प्रधान मंत्री, उसकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो वह भी हिन्दुस्तान में सड़कों का निर्माण करवा सकती है और अटल बिहारी वाजपेयीजी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना बनाकर इस देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का जो

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कार्य किया है, हिन्दुस्तान की जनता कभी नहीं भूल सकती। डोटासराजी, यह काम नरसिम्हा रावजी भी कर सकते थे, राजीव गांधी भी कर सकते थे, इंदिरा गांधीजी भी कर सकती थीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी कर सकते थे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आडवाणीजी भी कर सकते थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आडवाणीजी और अटलजी एक ही थे उस समय। वह उप प्रधान मंत्री थे। उन्होंने ही किया है लेकिन आप लोगों ने नहीं किया इस देश में वह काम।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हमारे तो कोई भी करो आपने क्यों नहीं किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने तो किया ही नहीं न। माननीय सभापति महोदय, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर की बात हो, चाहे स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना बनाकर इस देश को जोड़ने की बात हो, को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयीजी ने किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सोते हुए कोई माननीय सदस्य नहीं टोक सकता। यह सोते हुए, मुख्य सचेतक महोदय, सोते हुए टोकते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि कोई सोता हुआ किसी को टोकता है क्या? कितनी बेहूदी बात ऐसी यहां सदन में आकर इतने बड़े पद पर माननीय सचेतक बने हुए हैं प्रतिपक्ष के और कह रहे हैं कि सोते हुए टोकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बेहूदी असंसदीय है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सोता हुआ टोकता, आप इसका मतलब सोते-सोते टोकते हो किसी को?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मुख्य सचेतक महोदय, यह दृष्टि दोष है, आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अहा, दृष्टि दोष। आपका नम्बर इनकी जगह आने वाला है दस-पांच दिन में।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ज्योतिषी हो क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, राजस्थान में भैरों सिंहजी शेखावत साहब मुख्य मंत्री बने 1977 में और पहली बार राजस्थान की जनता ने महसूस किया, क्योंकि उसके पहले आपका राज था, आप बोल जरूर रहे हो लेकिन पहली बार पंचायत हैड क्वार्टर को ही भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने जोड़ा। उसके पहले आप पंचायत हैड क्वार्टर को भी सड़क से नहीं जोड़ पाए थे। यह स्थिति कांग्रेस के राज में थी। आज मैं कह सकता हूं कि भैरोंसिंहजी के बाद चाहे वसुंधरा जी का पहले का शासन रहा हो, चाहे वसुंधराजी के ये सवा साल–डेढ़ साल का राज अभी जो प्रारम्भ हुआ है, जितने कार्य वसुंधराजी के पिछले शासन में हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और राजस्थान की जनता आज भी उनको याद करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उस समय के मंत्री राजेन्द्र राठौड़जी को जो यहां नहीं बैठे हैं, मुझे ध्यान है, मैं उस समय सांसद था, खाली हम फोन करते थे और सड़क का काम प्रारम्भ हो जाता था टेंडर होकर। पांच साल तक गहलोत साहब का राज रहा, निर्माण हुआ, नहीं हुआ वो तो रिकार्ड बता रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि शहंशाह सूरी के बाद चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार रही हो, भैरोंसिंहजी की रही हो, चाहे वसुंधराजी की रही हो, चाहे राजेन्द्रजी राठौड़ मंत्री रहे हों, अब युनुस खानजी घूर-घूर कर देख रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, युनुस खानजी को भी धन्यवाद देता हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किस बात का? किया क्या है डेढ़ साल में वो तो बताओ फिर देना धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सड़कों का और वो भी बताएंगे। जब धन्यवाद देंगे उस समय आपको बताएंगे। जब मांग पारित करायेंगे उस समय सुन लेना कि क्या-क्या किया है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को और युनुस खानजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस वर्ष 10 हजार किलोमीटर विभिन्न श्रेणियों की सड़क निर्माण करने की घोषणा की है। काफी सड़कों का काम भी चल रहा है, 20 हजार किलोमीटर पी.पी.पी. मोड पर है, चाहे गौरव पथ का निर्माण कराना हो उसके लिए इन्होंने 2154 पंचायतों में 1113 करोड़ की राशि स्वीकृत की है वो आपको ध्यान है या नहीं है। आप कह रहे हो न कि किया क्या है तो मेरे यहां खुद के क्षेत्र का बता रहा हूं कि जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सभी के काम चल रहे हैं। कोई विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, आपका भी हो सकता है, आप बार-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बार कह रहे थे कि मेरे कहने से काम नहीं हो रहे हैं, आपके कहने से नहीं हो रहे होंगे लेकिन आपके क्षेत्र में तो हो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं हुए, एक भी चालू नहीं हुआ मेरे यहां।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ पहली बार मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 करोड़ रुपये खनिज क्षेत्र की सड़कों को दिए हैं क्योंकि खनिज क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा है। वो सड़कें 20 साल पहले बनी थीं और उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने इसमें भी काफी पैसा दिया है और मुझे उम्मीद है कि बचे हुए साढ़े तीन साल में, अभी डोटासराजी कह रहे थे कि दो साल रह गये हैं आपके पास, साल भर पहले चुनाव के डंके बजेंगे, डोटासराजी, मैं आपको कह रहा हूं कि इन दो सालों में इतना काम होने वाला है कि अगली बार 21 भी आप जीतकर नहीं आओगे और 11 ही रह जाओगे, यह हालत हो जाएगी आपकी। जिस तरह के कार्य होना प्रारम्भ हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ये असंसदीय बात है इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): असंसदीय बात क्या है? (व्यवधान) 11 असंसदीय है। चलो ठीक है मान लिया। अभी नई गाड़ी टवेरा निकली है जिसमें 9 सवारियां आ सकती हैं, उसकी व्यवस्था करा देंगे आपकी।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में माननीय नरेन्द्र मोदीजी की सरकार बनी और राजस्थान में वसुंधराजी की सरकार बनी। आपको पता होगा कि हिन्दुस्तान के केन्द्र में मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, सड़कों के मामले में देखें तो बम्बई से जो पूना रोड है उसका निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। तो उनको जितना अनुभव है और फिर हमारे मंत्रीजी, युनुस खानजी भी लगातार पिछले साल भर से, चाहे विपक्ष वाले नहीं मानें लेकिन धीरे-धीरे जो कार्य स्वीकृत हुए वो कार्य गति पकड़ने लगे हैं और जिस तरह की व्यवस्था राजस्थान के गांव-गांव में हो रही है, मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में हमारी मुख्य मंत्रीजी का जो सपना है, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने हजार से 500, 500 से 250 की आबादी तक सड़कों का निर्माण कराया है, आने वाले समय में मजरे-ढाणियां सब सड़कों से जुड़ जाएंगी इस बात का मैं विश्वास

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

करता हूं। मैं माननीय युनुस खान से कम शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि काफी लम्बे समय से इस बात का प्रयास कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र में एक ताईनवापुरा सड़क मार्ग गम्भीरी नदी पर है जिस पर पुलिया का निर्माण कराना है, 100 गांवों का रास्ता उधर से होकर जाता है, चित्तौड़ का हाइवे रोड कभी-कभी जाम हो जाता है तो उस रास्ते पर जाते हैं और बाई पास होने की वजह से वह पुलिया टूट गई है। साथ ही रानीखेड़ा मम्लाचारण थ्रू रूट 10 किलोमीटर की सड़क है, एक भम्भौरी से जलोधा, तीन-साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क है, वहां पिछले कई सालों से निर्माण नहीं हुआ है।

अभी यहां पर डाक बंगले की बात हो रही थी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी सादड़ी तहसील हैडक्वार्टर है, एसडीओ साहब भी वहां बैठते हैं लेकिन वहां छोटी सादड़ी में डाक बंगला नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि वहां भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सभापति महोदय, मुझे इस बात का मन में बड़ा दु:ख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 का हमारे यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। चित्तौड़ से लेकर मध्य प्रदेश की बोर्डर तक उसको सड़क से जोड़ा जा रहा है लेकिन उसके बीच में आने वाले गांव रानीखेड़ा, डल्ला, मरजीवी मार्ग तथा बड़ोली माधोसिंह के पास जहां अंडरब्रिज बनाने चाहिए थे वहां पर पता नहीं क्यों अंडरब्रिज नहीं बनाए गए। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर जो मड्डा चौराहे से प्रतापगढ़ रोड जा रहा है, हमारे मंत्रीजी भी बैठे हैं, छोटी सादड़ी -प्रतापगढ़ रोड पर जो मेगा हाइवे का निर्माण हो रहा है वहां पर जितने भी बाइपास निकल रहे हैं और बाई पास के पास जो गांव बच गये जैसे निम्बाहेड़ा शहर रह गया, बाड़ी रह गया, सिमेला रह गया, इन गांवों में जहां पर ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, एनएचआईए में कानून भी है कि जो गांव छोड़कर आप बाइपास निकालते हो तो उसका निर्माण कराया जाता है लेकिन उनका निर्माण नहीं कराया गया है। इससे वो सड़कें जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गई हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 113 नम्बर रोड पर जितने भी गांव आ रहे हैं उन गांवों की सड़कों का पुनर्निर्माण आप कराएंगे तो काफी सुविधा रहेगी क्योंकि निम्बाहेड़ा शहर भी बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। उसी तरह सेमरला, बाड़ी गांव, छोटी सादड़ी शहर के गांधी चौराहे से लेकर मोमाणा मोड़ तक को छोड़ दिया है इसलिए इन सबको आप ध्यान में रखकर निश्चित रूप से कराएंगे।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मैं युनुस खानजी, आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैंने पहली बार इस बात को देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्रारम्भ हुआ और इसमें जो मुआवजा दिया जाता है तो हर 5-6 किलोमीटर पर मुआवजे की राशि का पता नहीं क्या किया है एस.डी.ओ. से मिलकर, उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी थे उनसे मिलकर उस राशि को बदल दिया गया। जिनकी जमीन जा रही थी उन काश्तकारों को तीन गुना पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को राजनीतिक आधार पर जहां कांग्रेस को वोट देते थे उन गांवों को अच्छा पैसा दे दिया और जहां भारतीय जनता पार्टी के गांव थे उस रोड पर उनके लिए अलग से ही कानून बना दिया कि डीएलसी रेट तय कर दी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 79 नम्बर रोड और 113 नम्बर मेगा हाइवे पर एक बार आप फिर जांच कराएं और काश्तकारों को मुआवजा सही नहीं मिला हो तो सही मुआवजा दिलाने का प्रयास करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुंधराजी पर पूरा भरोसा है। हमारे लोकप्रिय सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनुस खानजी पर पूरा भरोसा है कि आने वाले वर्षों में जो इन्होंने चाहे गौरव पथ की बात की हो, चाहे मिसिंग लिंक बनाने की बात की हो, निश्चित रूप से इन कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन मंत्रीजी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि गौरव पथ में भी आपने जो कुछ नये मार्गदर्शन दिए हैं, हालांकि अब सब लोग, विधायक महोदय आपसे अलग से मिलेंगे, आपके सामने उन्होंने बात भी रखी है कि कुछ उसमें समस्या है तो एक बार हमको सुनकर उन समस्याओं का समाधान करें। गौरव पथ बनना चाहिए, अच्छी बात है और बढ़िया गौरव पथ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आप तो कह रहे थे कि बन ही चुकी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): काम चल रहे हैं। आप गलत सुन रहे हैं, मैंने कहा कि काम प्रारम्भ हो गए हैं। एक साथ 1/3 ही बन रही है न अभी तो। मैं तो बाकी की बात कह रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरे मन में एक बड़ा कष्ट है कि कांग्रेस के राज में एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया कि इतनी आबादी में सड़क बनाई जाएगी और इतनी आबादी से कम

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

होगी तो सड़क नहीं बनाई जाएगी। तो युनुस खानजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप थोड़ा चैंज करो। एक तरफ तो आपके स्वास्थ्य मंत्रीजी परिवार नियोजन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आबादी इतनी होगी तो सड़क बनाएंगे तो आबादी कम करें या ज्यादा करें, यह बताओ हमें तो। फिर तो आबादी बढ़ाकर सड़कें बनवाएं हम लेकिन आप विकास करना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहां सबसे कम आबादी हो वहां पर पहले सड़क बनवाओ। (व्यवधान) ये जैसलमेर-बाड़मेर वाले खुश हो रहे हैं। (व्यवधान) वर्ना उनको आबादी बढ़ाने की परमिशन दो। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं सभापति महोदय।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य महोदय, आपने जिन-जिन विषय पर आसन को इंगित करके मंत्री महोदय के लिए निवेदन नहीं रखा, हो सकता है कि नियम में मंत्री महोदय उन चीजों को स्वीकार न करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। मंत्रीजी मानें या न मानें, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं।

श्री सभापति: इसलिए आसन के प्रति आपकी आस्था यथासम्भव बनी रहे, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मुझे विश्वास है, सभी विधायक तालियां बजा रहे हैं इसका मतलब मैं बहुत वाजिब बात कह रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे आसन पर पूरा भरोसा है।

श्री सभापति: आसन भी मंत्री महोदय से निवेदन करता है कि सहानुभूतिपूर्वक इनकी बातों पर विचार किया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री खेमारामजी।

(16.00 बजे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक मिनट।

कृपलानीजी हाउस कमेटी के चेयरमैन भी हैं और जब आज पी.डब्ल्यू.डी. का मैटर चल रहा है तो मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की है, हमारे जो एम.एल.ए. क्वार्टर्स हैं क्या उनको भी सुधारेंगे या उनमें पानी ऐसे ही टपकता रहेगा या टूट-फूट होती रहेगी? पुताई-वुताई करायेंगे या नहीं करायेंगे,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मरम्मत करायेंगे या नहीं करायेंगे? डेढ़ वर्ष हो गया उसमें रहते हुए, तो यह प्रपोजल भी तो आप रखें, आप हाउस कमेटी के मैम्बर हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं मैम्बर नहीं हूं, चेयरमैन हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारी, चेयरमैन। चेयरमैन होकर के आप कोई निर्णय नहीं ले सकते?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह काम पी.डब्ल्यू.डी. का नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपकी जानकारी नहीं है, आप पढ़ कर आया करो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसकी गलती है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप मेरी बात तो सुनो। पी.डब्ल्यू.डी. वाले तो वर्क करायेंगे लेकिन पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट स्वीकृत करता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह औरों का कैसे हो रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मंत्रियों से भी बढ़िया-बढ़िया कोठियां बना रहे हैं एम.एल.ए.।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी तो एक ही हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मलिंगाजी, मेरा निवेदन तो सुनिये।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्यजी, अब आप विराज जाएं। इसमें जो विसंगति है वो मैं दूर कर देता हूं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्रीजी पी.डब्ल्यू.डी. में ही तो आते हैं, हम मंत्रीजी से मांग कर रहे हैं।

श्री सभापति: सदस्य महोदय, सदस्य महोदय, आप भी विराज जाएं।

जो भी लेजिस्लेटिव कमेटीज हैं वो अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है इसलिए अगर कोई भी ऐसा विषय है तो आप अध्यक्ष महोदय को लिखिए, वहां कमेटी के चेयरमैन्स उस पर करेंगे। श्री खेमारामजी। आपका दायित्व ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ठीक है।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 लोक निर्माण और 21 सड़कें एवं पुल पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने गौरव पथ के अलावा मिसिंग लिंक और पी.पी.पी. मोड पर तीन बड़ी सड़कें हमें स्वीकृत करायी हैं और वो सड़कें मेरे सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से होती हुई गुजर रही हैं जिसके कारण से सुजानगढ़ वासियों को, विधान सभा क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जैसे नागौर-डीडवाना-सालासर यह 104 किलोमीटर है, लोसल-सालासर-रतनगढ़ 86 किलोमीटर है, बिदासर से डूंगरगढ़ 82 किलोमीटर है और सीकर-लाड़नूं-नौखा 200 किलोमीटर, यह सारी रोड सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से होते हुए गुजरेगी और इससे काफी लोगों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, सुजानगढ़ हाई-वे रोड नम्बर 65 शहर के अन्दर से गुजर रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के क्षेत्र से बाइपास रोड बनायी जावे। क्या है कि यह रोड पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के अन्दर से गुजर रही है, रास्ता इतना बड़ा नहीं है और वहां बार-बार जाम लग जाते हैं, कई बार तो वहां घंटे-घंटे भर जाम लगा रहता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो 65 नम्बर रोड है इसको बाई पास बनाया जाए।

विशेष तौर से सुजानगढ़ के बीचों बीच रेलवे लाइन जो अभी ब्राडगेज लाइन में तब्दील हुई है और उस कारण से इतनी सारी गाड़ियां, माल गाड़ियां वहां से निकलती हैं, पूरे दिन वो क्रासिंग बंद रहता है और उस कारण से आधा शहर अलग से बंटा हुआ है। अधिकांश जो व्यवस्थाएं हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो पुल बनाने की बात है या ओवर ब्रिज है वो इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे वहां इस बजट में भी नहीं है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ में इस रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज और अण्डर ब्रिज जरूर बनाएं। सुजानगढ़ के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है और काफी वर्षों से है। इसके लिए हम बार-बार निवेदन भी करते आ रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ओवर ब्रिज बनाया जाये।

इसके साथ-साथ कृषि मण्डी के ऊपर नेशनल हाई-वे रोड 65 है, वहां चार-छह महीनों से काफी बड़े-बड़े खड्डे पड़े हैं। कई बार मैंने अधिकारियों को

(श्री खेमाराम)

फोन भी किया, माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने निवेदन किया लेकिन हाई-वे रोड पर इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं, पता नहीं किस कारण से हैं, मैंने एस.ई. साहब को भी कई बार फोन पर कहा लेकिन अभी तक वो खड्डे नहीं भरे गये हैं और उससे कई बार बड़े-बड़े गाड़ियों के ट्रोले वहां उलट गये हैं और कई एक्सीडेंट भी हो गये हैं। तो, मैं माननीय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन खड्डों को अतिशीघ्र भरवाने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ-साथ हमारे शहर में यह हाई-वे रोड नम्बर 65 जो सी.सी. रोड बनी है, यह सी.सी. रोड तो बना दी लेकिन उसके साइड में जो काम होना था वो साइडें अभी बाकी पड़ी हैं और यहां साइडों में छह-छह इंच के, एक-एक फुट के, दो-दो फुट के खड्डे पड़े हैं। कई बार अगर गाड़ी साइड से थोड़ी सी स्लिप हो जाती है तो गाड़ी पूरी उलट जाती है और बहुत बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। तो अभी जो सी.सी. रोड बनी है उसके साइड का काम अतिशीघ्र कराया जाये ताकि इस तरह की घटना न घटे।

इसके साथ-साथ सुजानगढ़ में 382 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो डी.एल.पी. के अन्तर्गत आ गयी हैं, उन सड़कों की हालत बहुत खराब है और संवेदकों द्वारा गारंटी होने के बावजूद भी उन सड़कों पर आज तक रिपेयर का कोई काम किसी ने देखा नहीं। मैंने इस बारे में कई बार उन अधिकारियों से भी कहा है लेकिन अभी तक उन रोड्स की मरम्मत का कार्य उन संवेदकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन अधिकारियों के और उन संवेदकों के खिलाफ कार्यवाही करावें। यह रोड़ जो खराब पड़ी हैं वो उनकी गारंटी पीरियड में हैं तो कम से कम गारंटी पीरियड में तो उसको ठीक करायें या सरकार अपने हिसाब से, अपने पैसों से करवाये।

2004-05 में सड़कें बनी हुई हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, जिनको अब तक नवीनीकरण में नहीं लिया गया जैसे गोपालपुरा से बाळेरा, सुजानगढ़ से डूंगरास -आंथूणा, बालेरा से हेमरासर-आंथूणा, बिदासर से ढढेरू भामुआन 18 किलोमीटर, हालत बहुत खराब पड़ी है, मूंदड़ा से लिखमणसर, यह जो रोड हैं इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इनका नवीनीकरण कराने की बहुत ही आवश्यकता है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका शीघ्र से शीघ्र नवीनीकरण कराया जाए।

(श्री खेमाराम)

मेरे सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कुछ स्कूलों का निर्माण कराने का ठेका मिला हुआ है और वो निर्माण कार्य अधूरे ही पड़े हैं। मैंने जानकारी की यह जो अधूरी स्कूलें पड़ी हैं इन पर किसी पर छत नहीं डाली गयी है, किसी पर छत डाल दी तो आगे काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है। बजट की पिछले कई दिनों से समस्या है। इस कारण से चार-पांच बड़े-बड़े हायर सैकण्डरी स्कूल के भवन बंद पड़े हैं, जैसे ऊड़वाला है, सांडवा है, भीमसर है, इन स्कूलों में अभी भी 116.50 लाख ही स्वीकृत हुए थे लेकिन सिर्फ 49.60 ही स्वीकृत हुए हैं और इतना सारा रुपया बाकी पडा है, 96 लाख रुपये की स्वीकृति अभी पेंडिंग है। तो मैं चाहूंगा कि यह स्वीकृति भी दिलायें ताकि सुजानगढ़ में जो स्कूलें अधूरी पड़ी हैं उनका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।

सुजानगढ़ में डी.टी.ओ. आफिस के लिए 82.17 लाख की स्वीकृति हुई और उसको आपने राशि दी है 45.12 लाख, उसमें अभी काम अधूरा पड़ा है, उसमें ट्रैक बनना है, वहां भवन में बहुत कुछ काम बाकी पडा है। अभी आपने उसकी दस लाख की स्वीकृत दी, दस लाख से कुछ होने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर भी बजट की स्वीकृति प्रदान करावें ताकि यह डी.टी.ओ. आफिस शीघ्र से शीघ्र बन कर तैयार हो जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ प्रस्ताव हैं, जो मिसिंग लिंक है वो बहुत ही आवश्यक है। जैसे चरला से सारोठिया 6 किलोमीटर, कोलासर से भीमसर प्याऊ 5 किलोमीटर, भीमसर प्याऊ से मलसीसर 6 किलोमीटर, लालपुरा से चारियां, बाळेरा से चाड़वास वाया रूपेली 6 किलोमीटर, बीलंगा से मालकसर 5 किलोमीटर, जोगलसर से जाक, बेरासर से धनेरू डूंगरगढ़ तहसील में, लुहारा से चरला 6 किलोमीटर, बेणाथा से दड़ीबा 4 किलोमीटर, यह रोड हैं तो मिसिंग लिंक में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रोड बहुत ही आवश्यक है, इन रोड से अगर एक गांव जुड़ जाता है तो उससे आगे के लिंक हो जाते हैं और बहुत लम्बी दूर से राउंड काटकर नहीं जाना पड़ेगा और गांव वासियों का उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

मेरी विशेष तौर से एक रोड है छापर से बिदासर, यह तीन-चार बार बन भी गयी और मैंने तो जब से देखा है उस रोड को कभी ठीक हुए देखा ही नहीं। अभी हालात यह हैं कि उस रोड पर आपको कहीं डामर दिखेगा ही नहीं।

(श्री खेमाराम)

एक छापर से लेकर बिदासर 18 किलोमीटर है और बहुत ही हालत खराब है। कई बार उसके ये पैच वर्क वगैरह कराये गये लेकिन पैच वर्क नाममात्र के हुए हैं और उनके ऐसे ही बिल बनाकर के और यह रोड वैसी की वैसी पड़ी है।

मैं चाहूंगा कि इसमें भी आप अतिशीघ्र कार्यवाही करावें। यह रोड बहुत ही आवश्यक है। सुजानगढ़ भी नई पंचायत समिति बनी है, वहां उपखण्ड कार्यालय है, अधिकांश लोगों का उधर से जाना होता है। इस रोड का कार्य काफी दिनों से पैंडिंग पड़ा है। मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको पीपीपी मोड की योजना में भी शामिल नहीं किया जा सकता। यह 2008 में बनी थी, उसके बाद में कई बार इस पर रिपेयरिंग वगैरह हुई लेकिन इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी लम्बाई 23.10 किलोमीटर है। इसकी लागत 1800 लाख रुपये है। मैं चाहूंगा कि इसको भी आप स्वीकृति में शामिल करावें।

पीएमजीएसवाई योजना में सड़कें पिछले 5 साल के कांग्रेस के राज में बनी थीं, वह रोडें बहुत ही घटिया किस्म की बनीं। उन रोडों में एक कारण यह भी रहा कि रोड की जो सेविंग थी, उससे अतिरिक्त कार्य कराये गये। वह अतिरिक्त कार्य कहां कराये गये? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो कार्य है वह सुजानगढ़ शहर के अन्दर, बीदासर शहर के अन्दर नगरपालिका क्षेत्र में कराये गये, उन रोडों का अभी पता नहीं है। नगरपालिका को पता नहीं है कि यह रोड हमारी है। वह कह रहे हैं कि हमारी है और पीडब्ल्यूडी के लोग कह रहे हैं कि यह हमारी है। उन रोडों का कोई धणी-धोरी नहीं है। न उसको कोई रिपेयर करने वाला है। हालत यह कि मैंने कई बार जानकारी भी चाही कि यह रोडें जो पीएमजीएसवाई में बनी हैं, वह कहां-कहां बनी हैं। लेकिन आज तक मुझे उसकी लिस्ट नहीं दी गयी कि यह रोड हमारी है। उस टाइम रोडें जिस ढंग से बनीं, उसकी अधिकारियों के पास भी लिस्ट नहीं है कि कहां से कहां तक बनी है।

जो रोड की सैंक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि फलां घर से फलां घर तक, लेकिन मौके पर जाकर देखते हैं तो वहां रोड मिलती ही नहीं है। वह तीसरी गली में मिलती है। जहां उस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। यह हालत इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में है, उसमें नार्म्स भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आप इतना सारा पैसा देते हो और उस पैसे से उस शहर में जो सड़क बन रही है, वह पहले नगरपालिका की बनी हुई सड़क है। उसके ऊपर न आपको डब्ल्यूबीएम करने की जरूरत है, न वहां कोई

(श्री खेमाराम)

लेवलिंग करने की जरूरत है। न वहां कुछ और ज्यादा लगाने की जरूरत है। एक आपने री-कारपेट कहीं किया होगा तो री-कारपेट में भी आपने पीएमजीएसवाई के नार्म्स के अनुसार उनको भुगतान किया है। यह बहुत ही गलत काम किया है। मैंने कई बार इसके बारे में मांग भी की है लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ।

विशेष तौर पर पीएमजीएसवाई में जो शहर के अन्दर सड़कें बनी हैं, यह सेविंग राशि और उसमें मैंने कई बार जानकारी की कि यह रोड कहां है तो वह कहते हैं कि अतिरिक्त कार्य में बनायी हुई है, लेकिन उनका मिलाप यहां से यहां नहीं मिल रहा है। जैसे गोपालपुरा से सुजानगढ़ की रोड बनी है, अब उसमें जिस भी कारण से तकनीकी कमी रह गयी, उन्होंने कह दिया कि यह 14 किलोमीटर है लेकिन वास्तव में सुजानगढ़ की और गोपालपुरा की डिस्टेंस 10-12 किलोमीटर है। उसके बावजूद भी उस ठेकेदार को, क्योंकि वह ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वह जिला परिषद का सदस्य रहा हुआ था। उस कारण से, एक इंटेंशनली उस पर यह आरोप लगाते हुए उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उस पर 36 लाख रुपये की पेनल्टी लगा दी।

हमने इनसे बार-बार पूछा, फाइल मंगाकर जानकारी मांगी तो यह पाया कि ए ईएन यह कह रहा है कि यह रोड संवेदक द्वारा सही बनाई हुई है। यह 12 किलोमीटर पर ही सुजानगढ़ को टच होती है। अब वह कह रहे हैं कि हमारी रोड घंटाघर से है। घंटाघर नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता है। आज से सैकड़ों साल पुराना शहर बसा हुआ है। नगरपालिका के द्वारा वह सड़कें संचालित की जा रही हैं लेकिन जबरदस्ती कि हमारी तो घंटाघर से हैं जब हमने अधिकारियों से जानकारी ली, यहां से जांच के लिए लिखा, जांच हुई कि नहीं हुई पता नहीं लेकिन वह कह रहे हैं कि घंटाघर से है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह रोड घंटाघर से हो ही नहीं सकती। वहां रोड कोई बनी हुई है ही नहीं। नगर पालिका कह रही है कि हमारी रोड बनाई हुई है, चार बार रोड नगरपालिका की बन गयी। फिर भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी बनायी हुई है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड की आप यहां से कमेटी बनाकर जांच करावें। गलत जो पेनल्टी लगायी गयी है, अधिकारी कह रहे हैं कि पेनल्टी लगने के बाद वह माफ नहीं की जा सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि गलत पेनल्टी अगर लग जाती है तो गलती में सुधार किया जा सकता है। आपका ए ईएन, आपका एक्स ईएन लिख रहा है,

(श्री खेमाराम)

आपका एसई लिख रहा है, आपका एडिशनल चीफ लिख रहा है, आपका चीफ इंजीनियर खुद कह रहा है कि इसकी दोबारा जांच करायी जाये। उसके बावजूद भी अधिकारी किस ढंग से इस पर अड़े हुए बैठे हैं कि नहीं, यह पेनल्टी लगेगी ही। उस कारण से उसके परिवार पर क्या बीत रही है। इस ढंग से यह बदला लेने की जो नीति है, यह अच्छी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसकी आप एक कमेटी बनाकर के जांच करावें। इसके साथ-साथ जो सड़कें गलत रूप से बनी हुई हैं, उनकी भी जांच करायी जावे। पिछले 5-6 साल में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत जो रोडें बनी हुई हैं, मैं तो यह कहता हूं कि एक रोड पर दो-दो बार पेमेंट उठ गया। ऐसी रोड्स की भी मैंने लिखित में शिकायत की है। उन रोड्स की भी जांच करायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी चीजों पर निश्चित रूप से गौर फरमायें। अभी मैंने कुछ रोड्स के बारे में बताया है, उनकी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 के बारे में मैं मेरे कुछ विचार रखना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग था कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता था। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया और इस पीडब्ल्यूडी का बंटाधार कर दिया, वह इनकी सरकार थी।

माननीय सभापति महोदय, आज यह बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहे हैं। मगर पीडब्ल्यूडी वह थी, जिसके अन्दर एक चीफ इंजीनियर होता था और वह पूरा राजस्थान चलाता था। आज उसमें दुनिया भर के अधिकारी कर दिये, मगर काम इतना नहीं हो रहा है, इतने सारे अधिकारी बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मैंने वह समय भी पीडब्ल्यूडी का देखा है, जब अडिअप्पा साहब यहां चीफ इंजीनियर थे। मनमोहन स्वरूपजी चीफ इंजीनियर थे, छैलबिहारीजी चीफ इंजीनियर थे। उस समय पीडब्ल्यूडी के नाम से हर विभाग थर्राता था। जोधपुर के अन्दर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो पीडब्ल्यूडी की नहीं हो। करीब-करीब

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

यह समझ लो कि 70 प्रतिशत पीडब्ल्यूडी की सड़के हैं। जितने भी स्कूल, सरकारी बंगले सारे ही पीडब्ल्यूडी के अन्दर आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, सूर्यकान्ताजी कह रही हैं कि एक चीफ इंजीनियर था और उससे लोग डरते थे। अब इतने अधिक चीफ इंजीनियर हो गये हैं। तो अपने यहां एक कहावत है, 'कै तो रोला डूबे, कै बोला डूबें'।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात रखूं तब तक मुझे आप टोकना नहीं, क्योकि मैं बहुत ही कम बात करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, पीडब्ल्यूडी महकमे के बारे में कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सारी तो स्कूलें, सारे बंगले और जो भी सरकारी भवन हैं, वह सारे पीडब्ल्यूडी के अन्दर आते हैं। रोडें करीब-करीब जोधपुर की पीडब्ल्यूडी के अन्दर हैं। मगर पिछली सरकार ने जिस तरीके से अकलिया चौराहे से लेकर चौपासनी तक की रोड, वह पीडब्ल्यूडी की रोड, फिर भी इन्होंने जेडीए को दे दी। आज तक उसका बंटाधार है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सारी सड़कों का थोड़ा वर्णन करना चाहूंगी, इसी तरीके से एम्स की रोड है, उसका भी यही हाल हुआ, पीडब्ल्यूडी की है और दे दी जेडीए को। यह अपनी मर्जी और मनमानी से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी कई सड़कें हैं जिनको इन्होंने जेडीए को दे दी और आज तक कुछ नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से पाल रोड है, उसको इस तरीके से बनाया गया है, नाले बनाये गये हैं, आज तक नाले के अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं गया और उसमें करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। उस नाले का पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिला, वह कचरे से भरा पड़ा है। वह पिछली सरकार की देन है।

जब हमारी सरकार आई तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह सोचा कि किस तरह से काम किया जाए तो सबके सुझाव मांगे। मैंने जब मेरे सुझाव उनको दिये तो उन्होंने यह कहा कि ऐसे कैसे हुआ। अब कैसे हुआ, जब पिछली सरकार ने जो किया वह हमको मानना पड़ा। हम क्या करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर अधिकारियों के इतने बंगले हैं, उनको ठीक करने के लिए तो पैसे आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी के पास और सड़कें ठीक करने के लिए

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अधिकारियों के बंगलों पर तो करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। उनमें अधिकारी भी आते हैं, जजेज भी आते हैं सारे, उनके तो काम हो जाते हैं मगर सड़कों के काम करने के लिए नहीं है, स्कूल के सुधार करने के लिए इनके पास फण्ड नहीं है, यह पिछली सरकार का सारा नमूना है, वह मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जोधपुर शहर के अन्दर में 1980-82 के अन्दर म्युनिसिपैलिटी की मैम्बर थी, माननीय सभापति महोदय, मैं नगर पार्षद थी, शिवचरणजी माथुर उस समय मुख्य मंत्री थे, मैं उनसे मिलने गई और कहा नगर निगम की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? मैंने कहा कि कुछ सड़कें आप पीडब्ल्यूडी को दिलवा दें तों उन्होंने मुझे कहा कि आप तुरन्त लिखकर लाओ, मैंने कहा मेरे पास लैटर पैड नहीं तो उन्होंने कहा कि सादा पाने पर लिखकर ले आओ, मैंने जाकर उनको दिया, पन्द्रह-बीस दिन के अन्दर उन्होंने चार सड़कें पीडब्ल्यूडी को दी, वह है जालौरी गेट से लेकर फतेहपोल, खाण्डा फलसा से सिंवाची गेट, आडा चाटा से सराफा बाजार, गांचा बाजार, गंगोई बाजार, वह तो शहर की और इसी तरीके से कबूतरों के गेट से सोजती गेट तक, यह चार ही सड़कें उन्होंने उस समय की। राजस्थान में 2003 के अन्दर जब वसुन्धराजी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई तो मेरे को सबसे पहले पूछा कि आप क्या कराना चाहती हो, मैंने कहा कि मैं जालौरी गेट से फतेहपोल की सड़क कराना चाहती हूं। मैं आपको आज भी कह रही हूं कोई भी जाकर देख सकता है, वह कोई गोदरेज की अलमारी नहीं है। वह सड़क इतनी बढ़िया बनी, आज तक पीडब्ल्यूडी ने उसके ऊपर एक पैसा भी लगाया हो तो आप हिसाब पूछ लीजिए। मगर आज तक का यह रिकार्ड है कि खांडा फलसा से वह सड़क सिवांची गेट वाली नहीं बनी, आडा बाजार वाली नहीं बनी, यह तो शहर की सड़कें नहीं बनीं, इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगी, यहां अति महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे गुरो का तालाब, यह पीडब्ल्यूडी की सड़क है, कुत्तों का बाड़ि या सम्पर्क सड़क है, घोड़ों की गाड़ी-सिवांची गेट-खाण्डा फलसा-बैचेन सड़क, निर्माण करने की स्वीकृति करें।

माननीय सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो ऐसी सड़कें हैं जिनको तुरन्त बनाने के लिए आपसे चाहूंगी कि यह सड़कें

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जल्दी से जल्दी करें। जोधपुर में पांचवीं रोड चौराहा, शनिश्चरजी का थान से जालौरी गेट तक, सोजती गेट पर, पावटा चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण अति आवश्यक है। वहां पर आजकल अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो मेरी एक मांग है कि वहां पर फ्लाई ओवर बन जाए तो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से पाली रोड पर दीवार के सहारे सहारे नवीनीकरण कर आदर्श माडल स्थापित किया था, इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर भी जहां भी सड़कें हों तो उसके आसपास के अन्दर अच्छी तरह से पौधे वगैरह लगाए जाएं और जोधपुर का सौन्दर्यीकरण किया जाए और जोधपुर के अन्दर जितनी भी सड़कें हैं, कायलाना से लेकर सूरसागर तक की सड़क, सूरसागर से लेकर मावड़ियाजी की घाटी तक की सड़क यह सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी की है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, जो यहां मौजूद नहीं हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि ये जो सारी सड़कें हैं ये कब तक ठीक हो जाएंगी और कैसे हो जाएंगी इसकी जानकारी दें। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 20 हजार किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों का कहा है, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि इसका बाइफरकेशन करें कि जोधपुर को कितनी सड़कें देंगे और जोधपुर में किस तरीके से सड़कें कराई जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, कई जगह तो ऐसी अव्यवस्था है कि एन्क्रोचमेंट बहुत हुए हैं न तो वह एन्क्रोचमेंट हटते हैं और न सड़क चौड़ी होती है। पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं वह मैं आपके माध्यम से यह उम्मीद कर रही हूं कि जो-जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें करें उसके साथ पानी की निकासी की भी व्यवस्था करें, अगर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की तो सड़कें बिलकुल खराब हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, पीडब्ल्यूडी में एक और प्रावधान है, अगर ठण्डा डामर यह कर दें तो मैं समझती हूं कि सड़कों की और अच्छी उम्र बढ़ेगी और सड़कें अच्छी होंगी। पीडब्ल्यूडी के अन्दर ऐसा भी प्रावधान है, अब कोई चेंज कर दिया हो तो ध्यान नहीं है, हर तीसरे साल एक पूरी सड़क, ये कम्पलीट करेंगे, करने का है, मगर आज तक उन्होंने सड़कों पर कभी ध्यान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नहीं दिया। मेरा आपसे कहना है क्योंकि अभी विपक्ष के सचिव डोटासरा जी बहुत लम्बी बात कर रहे थे, मुख्य सचेतक हैं तो वह बता रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया, अब आपकी सरकार का मेरे से क्या-क्या लेना चाहते हो, मैं आपके सामने सारा चिट्ठा लाकर रख देती हूं कि आपने क्या-क्या किया और क्या-क्या नहीं किया। वह हमारे से कोई छिपा हुआ नहीं है, अब हमारी सरकार आई है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह सारे काम पड़े हैं वह सब होंगे और माननीय मंत्रीजी भी इस बारे में ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भजनलाल।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 19- लोक निर्माण एवं मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र वैर बहुत ही पिछड़ा इलाका है जहां विकास के नाम खानापूर्ति ही कही जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, एक टीम गठित कर मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करवाएं तो आपको सत्यता की जानकारी मिलेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर की मुख्य जो सड़कें हैं एनएच 11, झाला टाला से भुसावर तक, वैर से हंतरा एनएच 11, वैर से जहाज तक, बयाना से तालचिड़ी तक, समराय के उमरैन तक, लखनपुर से खैरा तक, बागरेन से श्यामपुरा तक, ध्वजा मोरोली से खरकवास तक और वल्लभगढ़ से गोविन्दपुरा तक। माननीय सभापति महोदय, जो एक सड़क मैंने बताई है वैर से जहाज तक उस सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य करवाना आवश्यक है क्योंकि यहां पर पवित्र स्थल देव बाबा का मन्दिर है, देव बाबा मन्दिर होने के कारण प्रतिवर्ष दर्शनार्थी, तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं, सड़क की चौड़ाई बहुत कम होने के कारण वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा वाहनों का जाम लग जाता है जिससे यात्रियों को दो-दो किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है जिससे यात्रियों को रात्रि में गुजरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त स्थान की सड़क के साथ वहां पर हाई मास्ट लाइटें भी लगाई जाएं ताकि प्रतिदिन आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

(श्री भजन लाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी इसी सत्र में भरतपुर से हिण्डौन तक की जो सड़क है उसका नवीनीकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन इस सड़क का बजट में कहीं भी अंकन नहीं किया है। कई ऐसी मुख्य सड़कें जिनकी हालत नाजुक है, जिनसे गुजरना मुश्किल हो गया है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाले मेगा हाइवे छोकरवाड़ा से धौलपुर का कार्य अभी आज दिन तक अधूरा पड़ा हुआ है और उस सड़क पर वाहनों से नाजायज टोल वसूला जा रहा है। सड़क कम्पलीट नहीं हुई और टोल चार से पांच महीने पहले चालू हो गया और जो मेगा हाइवे धौलपुर तक गया है उसमें तीन टोल लगाए गए हैं। यदि सड़क कम्पलीट हो जाती, टोल उसके बाद लिया जाता तो जनता को परेशानी नहीं होती और मैं मांग रखता हूं कि टोल के आसपास के पांच किलोमीटर के गांव हैं उनसे टोल नहीं वसूला जाए क्योंकि वहां पर बदमाश लोगों द्वारा टोल वसूला जाता है। माननीय सभापति महोदय, उसी मेगा हाइवे के अन्दर भुसावर, वैर और बयाना और बयाना से बसेड़ी का बिलकुल काम नहीं हुआ है। अकारण वहां जाम लगता है, आये दिन घटनाएं होती रहती हैं। जो रोड बन भी रहा है उसका लेवल ऊंचा कर दिया गया है। ऊंचा लेवल करने से वहां के निवासियों को बहुत परेशानी सहनी पड़ रही है, दुकानों का तल नीचे हो गया है। बरसात के दिनों में वहां पानी भर जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो पुरानी रोड है उसको जेसीबी द्वारा निकलवाकर उस रोड को डलवाया जाय।

(16.30 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र वैर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर खानों व क्रेशरों द्वारा गिट्टी निकाली जाती है। वाहनों की ओवरलोडिंग होने के कारण 5 से 6 महीने के अन्दर सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कि आये दिन अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। एक तो वाहनों की ओवरलोडिंग व दूसरा ठेकेदारों द्वारा निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग ये दोनों ही आम जनता के लिए मौत का कारण बन चुके हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

(श्री भजन लाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, मैं बाई-इलेक्शन में वैर विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। राज्य के करीब सभी मंत्री महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रचार हेतु पधारे थे, अनेक माननीय विधायक भी मेरे क्षेत्र में आये थे।

श्री सभापति: यह आपका सौभाग्य रहा कि सब लोग आपके यहां आये।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): उनका हमने समर्पण भाव से भव्य स्वागत सत्कार किया था। मंत्री महोदय ने असत्य घोषणाएं, थोथी घोषणाएं कर दीं जिसमें शिक्षा मंत्रीजी द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा मंत्रियों द्वारा सड़कों का नवीनीकरण, डामरीकरण कराये जाने और पानी के ट्यूबवैल व हैण्डपम्प आदि की घोषणाएं कर डालीं लेकिन आज दिन तक एक भी घोषणा की क्रियान्विती नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब भ्रमण हेतु क्षेत्र में जाता हूं... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): हर पंचायत हैडक्वार्टर पर हायर सैकण्डरी हो गई माननीय सदस्य।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा, मैं स्वागत करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आएं और पंचायतों में देखें। चक दरसोनी ग्राम पंचायत है। माननीय शिक्षा मंत्री वहां घोषणा करके आये थे। अब उनको वे लोग ढूंढ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप रोड पर आ जाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य। आप स्कूल से रोड पर आएं।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): आ गया, रोड पर ही आ गया। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्रीगण जहां पर उप चुनाव हुए थे उन क्षेत्रों में गये और बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके आये थे कि हम आपके गांव में रोड बना देंगे, आपके गांव में लाइट लगा देंगे, आपके गांव में हैण्ड पम्प लगाएंगे। कम से कम वह घोषणा तो पूरी करवा दो जो घोषणा इन्होंने की थी।

श्री गोरधन (धोद): आपने क्या किया था 5 साल में, वह हमें याद है।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सभापति महोदय, स्कूल भी क्रमोन्नत करने का आश्वासन देकर आये। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो 10 किलोमीटर की गौरव पथ योजना स्वीकृत थी उस 10 किलोमीटर में से 4 सड़कें ऐसी हैं जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती ही नहीं हैं। वे दूसरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं ही नहीं। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, सचेतक महोदय का जवाब दे रहे हैं इनके सदस्य। सचेतक महोदय कह रहे थे कांग्रेस के लोगों की सड़क स्वीकृत नहीं की, ये कह रहे हैं हमारे यहां बन रही है।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): स्वीकृत हुई हैं, अभी वित्तीय राशि नहीं आयी।

श्री सभापति: आप अपने विषय पर रहें।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सभापति महोदय, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हम तारीफ करते हैं कि आज बाबा साहब नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मुख्य सड़क का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किया जाय ताकि जिन बाबा साहब की हम बात करते हैं उनको भी सम्मान मिलेगा और हमें भी सम्मान मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय अम्बेडकर।

श्री सभापति: श्री सुशील कटाराजी। सिर्फ दो मिनट। आप एक स्पेसिफिक विषय पर ही बोलेंगे, इसीलिए आपको समय दिया है। लिखा हुआ है इसमें।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): सभापति महोदय, मैंने खाली दो मिनट का ही समय मांगा था और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपका नाम है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): फिर बीच में कहां से?

श्री सभापति: बीच में, अब ऊपर से निर्देश आया है। विराजिए। निर्देशानुसार।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, दो ही मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: आप अपनी बात संक्षेप में कह दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इस विधान सभा में इससे ऊपर कौनसी जगह है? यह ऊपर से निर्देश आया, सभापति महोदय, आप ही सर्वोपरि हो, ये निर्देश भी आपके हैं सभापति महोदय। हम जैसे निरीह और सीधे लोगों की तरफ अंगुली करके यह कहना ऊपर से निर्देश। सभापति महोदय, हम आपसे कितना नीचे बैठे हैं। और कितना नीचे ले जाएंगे सभापति महोदय?

श्री सभापति: मैंने जो कहा कि ऊपर से आया है, इसका मतलब ऊपर से आया है। विराजिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करके...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं अलाउ भी नहीं करूंगा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिकली में माही और अनास नदी पर कडाना व माही बांध का बारह महीने पानी भरा रहता है, उधर बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है, इधर चिकली क्षेत्र में गुजरात से, पंचमहल से, साबरकांठा, अरावली जिले से और डूंगरपुर जिले के चौरासी के सभी क्षेत्र से रोज एक-दो हजार लोग नाव से आना-जाना करते हैं। मैंने मंत्री महोदय से भी कहा है कि पूरे पांच साल में एक ही काम दें और यह पुलिया बना दें तो निश्चित रूप से हर रोज आने वाले लोगों के लिए खतरा बना रहता है नाव के माध्यम से। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। डा. प्रेमचंद बैरवा।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में 10 हजार किलोमीटर रोड देने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में राजमार्ग संख्या 37(अ) जो दूदू से मालपुरा, टोडारायसिंह जाता है उसकी भी इस बजट में घोषणा की है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में 4 राजमार्ग हैं। चार में एक राजमार्ग मार्ग संख्या 2 है जो मेरे इस क्षेत्र में 1960 से बनी हुई है और 3 मीटर चौड़ाई उस रोड की है जो दूदू से फागी व चाकसू निकलती है। मैं आपके

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस रोड की चौड़ाई भी 3 मीटर है और आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो रोड बन रही हैं उनकी चौड़ाई भी पौने चार मीटर की होती है। इतनी पुरानी सड़क है इसलिए इसका नवीनीकरण, चौड़ाई व सुदृढ़ीकरण करके इसको बनाया जाय क्योंकि इस रोड पर राजमार्ग संख्या 8, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है,

यहां से दौसा और आगरा जाने वाले सीधे इस रोड से जाते हैं इसलिए इस पर भारी दबाव बना रहता है इसलिए इस रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण कर इस रोड को बनाया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजमार्ग संख्या 8 है, यह रोड डिग्गी-मालपुरा और जयपुर से निकलती है, इस पर टोल बना हुआ है और वह टोल पहले ही बन गया जबकि रोड वहां पर अत्यधिक खराब है। गांवों में नालियों की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं है फिर भी टोल लगाया गया है और वो भी मात्रा में वसूला जाता है। छोटी गाड़ियों से 70 रुपये और बड़ी गाड़ियों से 450 रुपये लिया जा रहा है जबकि वहां पर रोड बनी तब से वो खड्डों में ही तब्दील है और उस रोड पर आवागमन बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस टोल प्लाजा पर निगरानी करके इस कम्पनी को आप कहें कि इस टोल प्लाजा पर जो राशि वसूली जाती है उसे कम किया जाए।

माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिनके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मेरी इन मिसिंग लिंक सड़कों को बनाएं ताकि मेरे गांव जुडें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो मुख्य सड़कें हैं वो हैं रामपुरा भूटिया से सावली 3 किलोमीटर, मांगलवाड़ा से मौजमाबाद 3 किलोमीटर, बाघेत से बंधे के बालाजी 3 किलोमीटर, झकोलड़ से बिंगोलाव 4 किलोमीटर खेड़ीसुवा से गणेशपुरा 3 किलोमीटर, तुम्बीपुरा से ककराला 4 किलोमीटर, नानण से पंवालिया 3 किलोमीटर, नासनोदा से खटवाड़ 6 किलोमीटर, अखेपुरा से गंगातीकला 4 किलोमीटर, बल्लू खां की ढाणी से चांदरमूल 4 किलोमीटर, महेशपुरा से चांदरमूल 2 किलोमीटर, दातड़ा से एमडीआर 85, सावरदा से रेडी बालाजी 5 किलोमीटर, छप्या से सुनाडिया 6 किलोमीटर, उरसेवा से लापोडिया 4 किलोमीटर....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं अब, दोबारा गलती न करें।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): साली से साली रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर, साखून से लदेरा 4 किलोमीटर, झाग से सालरसू 4 किलोमीटर, सादड़ा से राताखेड़ा 3 किलोमीटर, चौरू से छापरी 3 किलोमीटर और जसूपुरा से पड़ासोली 3 किलोमीटर, दांतरी से केरिया 4 किलोमीटर, गागरडू से बैरवों की ढाणी 1 किलोमीटर की ये सड़कें हैं जिनको किया जाना चाहिए। मेरे कई मिसिंग लिंक हैं लेकिन यदि इन सड़कों को कर दिया जाए तो मेरे क्षेत्र में अत्यधिक गरीब लोग हैं, जो मजदूरी के लिए यहां शहर में आते हैं वो गांव से गांव, कस्बों से जुड़ जाएं तो वो कम समय में ही यहां मजदूरी के लिए आ-जा सकते हैं। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रानी सिलौटिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यहां जो बोलते हैं वो रिकार्ड होता है और रिकार्ड होने के बाद मंत्रीजी के पास जाता है और यदि मंत्रीजी ने लिखा भी नहीं होगा तो उनके पास पहुंच जाएगा। अपनी जगह चले जाओ आराम से।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी को सब याद रहता है।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधराजी ने प्रदेश में जो 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है यह एक ऐतिहासिक कदम है। उनकी यह दृष्टि प्रदेश को अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में ले जाने का प्रयास है। माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में मात्र 4 हजार किलोमीटर सड़कें बनाईं, जो उनकी अक्षमता को दर्शाता है। साथ ही मुख्य मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने विधायकों को मिसिंग लिंक एवं अन्य योजनाओं को शुरू कर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का वादा किया है।

सभापति महोदय, इस प्रदेश में ग्रामीण जन को ग्रामीण गौरव पथ देकर मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण जनता को सरकार का भरोसा दिलाने का काम किया है, साथ ही सुराज यात्रा के समय किया अपना वादा भी पूरा किया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जो गौरव पथ, हमने गांव में जो लिंक रोड दी हैं और जो नान पैचेबल दी है उससे हमारी जनता बहुत खुश है। इसका उदाहरण है कि अभी जब मैं अपनी पंचायत में गई तो वहां की जनता बड़ी खुश थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक नहीं किया, इससे अब

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

हमारे नये दिन आ गए हैं। पिछली सरकार में तो हम इतने दु:खी थे कि हमारे यहां बच्चों की सगाई भी नहीं होती थी जब रोड नहीं जुड़ी थी लेकिन महारानी ने उनका यह काम भी किया है।

श्री सभापति: अब तो सगाई होकर बच्चे भी हो गये न। विराजो। हां, बोलिये।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): सभापति महोदय, बसेड़ी विधान सभा में जो लिंक रोड हैं, जो गांवों को जोड़ती हैं वह बहुत क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, गड्डे हो रखे हैं तो उनको नई, नान पैचेबल बनाने के लिए कहना चाहती हूं। बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से यू.पी. बोर्डर जो कि जारगा और सिहोली से होकर यू.पी. बोर्डर तक जाती है उसमें इतने बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं कि उसमें पेचवर्क तो किया ही नहीं जा सकता। कहीं-कहीं पर तो रोड भी नहीं है इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वहां पर नई सड़क बनाएं और उस पर काम करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में झीरी पंचायत है जो कि डांग है, चम्बल के किनारे पर बसी हुई है उस रोड की चौड़ाई पौने चार मीटर है, वह सरमथुरा से 26 किलोमीटर लम्बी है तो कृपया इसकी चौडाई पांच मीटर की जाए। वहां पर एक भरमूंजरा के पास पुल आता है जो एक खार नाला है, जहां पुलिया संकरी बनी हुई है जिससे बरसात में वहां पर कई हादसे हो चुके हैं इसलिए उस पुलिया को भी चौड़ा किया जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से हमको कभी जयपुर जाना होता है तो हमारा एकमात्र रास्ता है बसेड़ी से बयाना होकर और उसकी इतनी हालत खराब है कि वहां से निकलना दूभर होता है, जिससे हमें 100 किलोमीटर घूमते हुए धौलपुर-आगरा-भरतपुर होकर जयपुर आना पड़ता है। इससे समय भी 6 घंटे लगते हैं जबकि मात्र तीन घंटे का रास्ता है। इसलिए मैं मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगी कि इस रोड पर विशेष ध्यान दिया। बसेड़ी बोर्डर से जो बंधबारेठा तक की 22 किलोमीटर रोड है उसकी हालत बहुत ही खराब है। तरसुमा से लेकर बंधबारेठा तक तो रोड है ही नहीं है, नाममात्र की रोड रह गई है। या तो उस रोड को पूरा ही हटा दिया जाए जिससे गाड़ी फिर भी निकल सकती है इसलिए कम से कम उस रोड को तो मंत्रीजी जरूर लें क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पास वहीं से जयपुर जाने के लिए पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है कि अगर कोई बीमार भी हो

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

जाता है, उसे रैफर किया जाता है तो उसे आगरा होकर 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है इसलिए मंत्री महोदय, इस रोड को सबसे पहले जल्दी से जल्दी से करवाएं क्योंकि हमारी जनता इससे बहुत परेशान है। अगर हम भरतपुर भी जाते हैं तो जगनेर होकर जो रोड गई है उसमें भी इतने गड्डे हो रखे हैं कि भरतपुर के लिए भी हमको 20-25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है इसलिए इन सड़कों पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक विलोनी है जो सरमथुरा से विलोनी, बथुआकोर से विलोनी के लिए जो सड़क जाती है उसमें एक पुल है जो बरसात में बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। वहां पर कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं तो उस पुल का निर्माण करवाएं। मंत्रीजी से कहूंगी कि वहां एक मंदिर है और जनता सबसे ज्यादा वहां जाती है इसलिए उस पुल का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मईगुलाबली पंचायत में जब नहर चलती है तो पुलिया में पानी भर जाता है। वो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि उस समय रास्ता बन्द हो जाता है तो उस पुलिया को भी ठीक कराएं।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजें। श्री घनश्याम मेहर। श्री धर्मपाल चौधरी। नहीं, अब नहीं, अब तीन के बाद आएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज एक ऐसी महत्वपूर्ण मांग है जिससे गांव का विकास जुड़ा हुआ है, 21वीं सदी के अन्दर सड़क की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि पहले के जमाने में गांवों में सड़कें होती ही नहीं थीं और गांवों में ऐसे साधन भी नहीं होते थे। बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी ऐसे साधन होते थे जो कच्चे रास्ते में चलते थे। लेकिन आज के इस युग में गांव के अन्दर अगर विकास की आवश्यकता है तो उसमें सड़क की बहुत बड़ी महती आवश्यकता होगी। इसको देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने सोचा कि गांवों के अन्दर विकास कैसे हो सकता है तो प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश में 1,000 की आबादी से सड़कें बनाना चालू किया...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: विराज जाओ। बैठिये एक मिनट। प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया गया।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ...तो इस तरह से 1,000 की आबादी से लेकर आज 250 की आबादी तक गांवों के अन्दर सड़कें बनने जा रही हैं, 500 की आबादी तक बनीं, अब 250 से 500 की आबादी पर बन रही हैं। इस तरह से गांवों के अन्दर सबसे बड़ा विकास हुआ, इस विकास में देश के पूर्व प्रधान मंत्रीजी को हमेशा याद रखा जायेगा कि आज गांवों के अन्दर विकास किया और गांवों के अन्दर सड़कों का इतना बड़ा निर्माण हुआ है, उसके अन्दर पूर्व प्रधान मंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयीजी ने सोचा। इस बजट में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं कीं कि आज चाहे पीएण्डबी माडल के अन्दर 20,000 किलोमीटर की सड़कें बनें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक भी नहीं बनी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अभी थोड़ी तसल्ली तो रखो। बन जायेगी। तुमने बना दी थी क्या? पहले खुद के अन्दर झांक लो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अब भी नहीं बनाओगे क्या? ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। हमने नहीं बनाई तो आप भी नहीं बनायेंगे?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब ऐसा है, तुम छाती क्यों कूट रहे हो? नहीं बनायेंगे तो बताना। अभी तो हमने कहा है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है और मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 20,000 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे। 10,000 किलोमीटर उन सड़कों के अन्दर जो सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गईं, उनके अन्दर दोबारा सुदृढ़ीकरण करके, उन सड़कों का निर्माण करेंगे और 250 से लेकर 500 की आबादी के 600 गांव बच गये, उनमें से 966 करोड़ रुपया खर्च

(श्री धर्मपाल चौधरी)

करेंगे। इस तरह की हमारी मुख्य मंत्रीजी हैं और मंत्रीजी हैं। आज गौरव पथ बनना चालू हुआ है, 33 प्रतिशत गांव और पंचायत हैडक्वार्टर को इस बार लिया है और उन पर काम चालू होगा। थोड़ा इंतजार करो।

एक माननीय सदस्य: हो गया भैया। हो गया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब तुम्हारे तो चाहे कुछ भी कर देंगे ना तो तुमको तो कुछ दिखना नहीं है क्योंकि तुम तो अंधे हो रहे हो, पट्टी बंध रही है और उसका परिणाम है कि आज राजस्थान की जनता ने...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम आपको धन्यवाद देंगे। आप सचिव के लायक हो गये। अब सरकार सचिव बना देगी आपको। हम आपको धन्यवाद देंगे।

श्री सभापति: माननीय श्रीचन्द कृपलानीजी। आप एमपी रह चुके हैं। एमएलए रह चुके हैं। आपसे ऐसी आशा नहीं कि आप उठकर उनके बीच से निकलकर जायें। आप मेरे और उनके बीच में से गये हैं ना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सारी। क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आज गौरव पथ के रूप में 33 प्रतिशत पंचायत हैडक्वार्टर्स को जोड़ने की घोषणा की। आपसे भी मांगी। कांग्रेस वालों ने पिछली बार किसी को दी क्या?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं मांगी। हमसे मांगी कब है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमसे नहीं मांगी। असत्य बोल रहे हो।

श्री सभापति: आप इधर आसन को सम्बोधित करेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमसे मांगी कब है? कोई लैटर दिया हो। किसी आपके जे ईएन या एईएन ने पूछा हो, कोई एक्स ईएन ने पूछा हो, कोई इंजीनियर ने पूछा हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, इनको तो चाहे कुछ भी दे दो, ये तो यहां पर नटेंगे कि हमको कुछ नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप देंगे तो हम आपकी वाहवाही करेंगे, देओ तो सही।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है, आप बार-बार क्यों टोकते हो? थोड़ी देर सुन लो। क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? मरोड़े चल रहे हैं क्या तुम्हारे? थोड़ी बहुत तसल्ली रखो, ये मरोड़े सब ठीक हो जायेंगे। (व्यवधान) इस तरह से सरकार...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति रखें। आप बोलिये, बोलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापतिजी, इनको रोको। ये हर बात में इनके...

श्री सभापति: इनको रोकने का काम आपको करना है। सरकार को करना है। वह रोकेगी इन सबको। वैसे ये रुके हुए ही हैं। अपन चाहेंगे, आपके लोग चाहेंगे तो रुके रहेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ...तो इस तरह से गौरव पथ के रूप में भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, गांवों के अन्दर एक किलोमीटर सीसी रोड की सड़क बने, स्वच्छ और साफ हो। गांव के अन्दर जो महिलाएं रह रही हैं, उनको दिक्कत नहीं हो और नाली, मेन नाली का निर्माण करने के अन्दर गौरव पथ का निर्माण हो रहा है। पूरा काम जिसमें समय लगता है, धीरे-धीरे होगा।

अब मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बार-बार, जब भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रश्न उठते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल की बात सबसे ज्यादा उठती है कि सड़कें बन भी जायेंगी, सड़कों का काम भी हो जायेगा लेकिन पांच साल के कांग्रेस के राज की सड़कें बनीं, वहां तो आज सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। सड़क का निर्माण हो, सरकार का पैसा लगे और पैसा लगने के बाद आपको उसका रखरखाव करने में ही परेशानी है। आज पांच साल का गारंटी पीरियड है। पांच साल के गारंटी पीरियड में कौनसे समय में जब छह महीने में सड़क खराब हो जाये, उस समय साढ़े तीन, चार साल तक वह दौड़ते रहे, खड्डे उनमें भरे नहीं जाये लेकिन अगर शुरु से क्वालिटी कंट्रोल हो तो ये सड़कें पांच साल तक ठीक रहनी चाहिये। सबसे बड़ा ध्यान इस बात की ओर देने की जरूरत है।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे क्षेत्र में जो सड़कें और मेन सड़कें हैं शाहजहांपुर से बड़ौद सड़क, नियम 295 के माध्यम से और अनेकों माध्यम से शाहजहांपुर से दादिया, शाहजहांपुर से बर्डोद जो मेन सड़कें हैं, उनके बारे में जब जवाब मांगते

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हैं तो उसमें उत्तर आता है कि अभी गारंटी पीरियड के अन्दर हैं तो वह गारंटी पीरियड में सड़क की जगह सड़क है नहीं। (व्यवधान) तारीफ करने के लिए और आपके टाइम की बनी सड़कों की तारीफ की है ना बीच में, उसमें बताया था कि वह पांच साल की बनी हुई सड़कें हैं।

श्री सभापति: हां, आप इधर रहो। आप इधर मुखातिब रहें। हां बोलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): उनकी हालत बता रहा हूं। थोड़ा बहुत उनको भी दिखा दें साहब चेहरा, वह जो भी देखने के लिए ज्यादा तत्पर हैं। ऐसी इन सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से मेरे क्षेत्र में सर्किट हाउस या रैस्ट हाउस बने हैं, जिससे उस क्षेत्र का काम हो सके। सरकारी बिल्डिंगों का रखरखाव करने के लिए जो भी काम हैं। आज नीमराना सब डिवीजन हैडक्वार्टर है, वहां पर एसडीएम का कार्यालय नहीं, वहां तहसील कार्यालय की बहुत समय से मांग है। जो पुरानी बिल्डिंग थी राजा-महाराजाओं के टाइम में, उसमें तहसील कार्यालय चल रहा है। वहीं पर सब-रजिस्ट्रार का आफिस है और आज एसडीएम, बीडीओ कार्यालय में बैठते हैं तो वहां पर एसडीएम कार्यालय का भवन बनने जा रहा है, उसका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण हो।

इनका सिर्फ एक ही मंत्र है कि मंत्रीजी, आपका ऐसा विभाग है जो विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अन्दर ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल का और मुझे पूर्ण भरोसा है सभापतिजी, आपके माध्यम से कि मंत्रीजी, आगे बनने वाली सड़कों पर पूर्ण रूप से क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखेंगे और जो पुरानी खराब सड़कें हैं, समय-समय पर हमने इनको अवगत कराया है। वह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उन सड़कों को जल्दी ठीक करके निर्माण करवायेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिये, धन्यवाद। मैं आपको बुलाऊंगा घनश्यामजी, आप रूकें एक मिनट। यह माना जाता है कि जब नाम पुकारा जाता है तो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं। सदन चलते समय यह माना जाता है, नियम यह है कि एक बार जब नाम पुकारा जाये और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हों तो उनको अवसर नहीं दिया जाये। लेकिन आपने आग्रह किया है तो मैं उनको समय दूंगा लेकिन अब बारी पर ही समय दूंगा। आपको बुलाऊंगा एक के बाद में, इसलिए आप बैठिये। श्री कंवर लाल मीणा।

(17.00 बजे)

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय सभापतिजी, आपने मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे माननीय सदस्य ने आज पीडब्ल्यूडी पर चर्चा की, उनका मैं समर्थन करता हूं।

देश की संरचना और विकास में रोड और पुलियाओं का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे गांव और ढाणी हैं, इनको शहर से, तहसील से, जिले से और प्रदेश से जोड़ती हैं। रोड कैसी बननी चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में माननीय नरेन्द्रजी मोदी ने और वसुन्धराजी ने और आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश का पहला प्रोजेक्ट एनडीएचपी फेज-4, पीपीपी मोड पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1.49 करोड़ रुपये का रोड बना है और यह देश का पहला रोड मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरा होने जा रहा है। जो उसकी समय सीमा थी उसके छह महीने पहले पूरा होने जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय वसुंधराजी को और माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रोड हमारे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना को दिया है। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसमें बहुत सारे मोड़ थे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चढती थी, उतरती थी, उस पहाड़ी को काटकर बिलकुल सीधा रोड किया है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम ढाई घंटा लगता था, मैं मंत्री महोदय, को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मात्र 32 मिनट में वह दूरी तय होने लगी है। रोड कैसा होता है, रोड कैसे बनता है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का रोड वास्तव में देखने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने 58 रोड का उद् घाटन कर दिया था वहां के एमएलए ने, सब जगह बोर्ड लगा दिये थे। जबकि वह न तो अभी तक बनी है और न ही उसके लिए कोई स्वीकृत बजट था। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से और यह मेरी मांग है मांग संख्या 19, 20 पर कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जो 58 रोड बने हैं।

श्री सभापति: 19, 20 ठीक नहीं है, 19, 21 है। इक्कीस होना ही ठीक रहता है।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): सारी, मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं और मेरी उनसे हाथ जोड़कर मांग है कि जो 58 रोड हैं, वो एक साथ न बना सके तो तीन साल में उसको बना दें तो आपका बहुत-बहुत आभार होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिए, धन्यवाद। साढ़े पांच बजे मंत्रीजी जवाब देंगे, मैं पांच-पांच मिनट का समय सभी माननीय सदस्यों को दे रहा हूं। श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 लोक निर्माण और मांग संख्या 21 सड़कें व पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की बात करता हूं। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, पर टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र अभी 50 वर्ष पीछे चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं उसमें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ हैं, जैसे केला देवी है, मदन मोहनजी है और श्री महावीरजी, जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है, मेहंदीपुर बालाजी भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय तीर्थ है। इन सबकी सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेहंदीपुर बालाजी में तीर्थ यात्री लाखों की संख्या में आते हैं, इतने ही तीर्थ यात्री श्री महावीरजी में आते हैं और श्री महावीरजी सड़क पर आज पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है, जो भी यात्री जयपुर से या बाहर से पूरे भारतवर्ष से आते हैं, वो हमारी सरकार को और हमको बहुत बुरा बताते हैं। वो राजस्थान से एक ऐसा मैसेज लेकर जाते हैं कि राजस्थान की सड़कों की क्या हालत है? करौली में विश्व प्रसिद्ध पत्थर का व्यापार होता है। पत्थरों के व्यापारी भी बाहर से आते हैं और वो लोग भी वहां की सड़कों की हालत देखकर व्यापार में कम रुचि लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार यह कह रही थी कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनाएंगे और एक नया राजस्थान बनाएंगे। चौदह महीने बीत गए हैं पर आज तक वहां 20 मीटर सड़क भी जमीन पर नहीं बनाई गई है, यह बहुत शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं सिकन्दरा से गंगापुर तक की जो सड़क है, वह स्टेट हाइवे-25 नम्बर रोड है और स्टेट हाइवे रोड के नाम पर अगर वहां मौक़े पर कोई अधिकारी जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि वहां रोड का नाम ही नहीं है और बरसात के दिनों में तो यह रास्ता बिलकुल पूरी तरह बंद रहता है। रोडवेज बसें फंस जाती हैं, आये दिन गाड़ियां वहां फंस जाती हैं। सोलह किलोमीटर का रास्ता तो ऐसा है जिसमें रोड नाम का कोई वो नहीं है और खेतों में होकर के रास्ता लोगों ने बना रखा है उससे आवागमन हो रहा है। बाकी गांवों की सड़कों की हालत तो आप जान सकते हैं, जब स्टेट हाइवे सड़क की स्थिति यह है तो गांवों की सड़कों का क्या हाल होगा?

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि करौली जिला जहां पत्थर की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जो सड़कें पहले सैंक्शन की गई थीं उन पर आज तक भी कोई काम नहीं कराया गया है। पैच वर्क के नाम पर तीन-चार सड़कों का पैच वर्क कराया गया है पर वह नाम मात्र के काम हुए हैं। वो पन्द्रह दिन बाद जैसे ही बरसात हुई, वो पैच वर्क दोबारा खराब हो गए हैं। जैसे शहर से गुढाचन्द्रजी है, नादौती से टोडाभीम है, टोडाभीम से गुढाचन्द्रजी है, श्री महावीरजी से मेहंदीपुर बालाजी है इन सड़कों का काम होना अति आवश्यक है। मेहंदीपुर बालाजी से गंगापुर को एक रोड जाती है, जो सिंगल रोड है उसको 7 मीटर चौड़ी करने के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, यहां राष्ट्रीय तीर्थ को देखते हुए इस रोड को 7 मीटर चौड़ा किया जाए। इसके साथ ही साथ पुलों की हालत भी यह है जैसे गंभीरी नदी पर जो पुल है वह जर्जर हालत में है। लपावली नदी पर भी पुल के लिए सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको तुरन्त प्रभाव से बनाना चाहिए। छह महीने तक यह रास्ता बंद रहता है, तीर्थ यात्री भी आते हैं तो उस पुल की भी और महावीर जी का जो पुल है उसकी भी गिरने की स्थिति आ गई है।

माननीय सभापति महोदय, 2015-16 का जो बजट पेश किया गया, उससे उम्मीद लगाई गई कि शायद मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की कुछ घोषणाएं जरूर होंगी परन्तु सभापति महोदय, बजट में मेरे क्षेत्र में सड़कों की कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जैसे टोडाभीम क़स्बे में होकर के जो सीधा मार्ग जाता है वहां रोज चार घंटे जाम रहता है। उसमें बाइपास होना चाहिए। टोडाभीम में डाक बंगले की सुविधा भी नहीं है। पिछले पचास साल से इसकी मांग उठती आ रही है, वहां डाक बंगले की कोई व्यवस्था नहीं है। तीर्थ यात्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं पर वहां रुकने का कोई साधन नहीं है या तो कोई धर्मशाला में ठहरो या अपनी होटल में कोई व्यवस्था करे। इसके साथ ही श्री महावीरजी में भी एक डाक बंगले की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री महावीरजी में धर्मशालाएं बहुत हैं पर यात्रियों का जब मेला चलता है तो वहां ठहरने का कोई भी साधन नहीं होता है। इसी प्रकार नादौती से गढमौरा जो सड़क है उसकी इतनी जर्जर हालत हो गई है कि दो साल से लोग 30 किलोमीटर का रास्ता बदलकर के गुढाचन्द्रजी से गढ़मौरा पहुंचते हैं। गढ़मौरा भी मोर ध्वज की नगरी है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है,

(श्री घनश्याम)

उसकी सड़क को भी तुरन्त ठीक कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, घनश्यामजी विराजिए। श्री कृष्ण कड़वा।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आज लोक निर्माण कार्य, सड़कें तथा पुल से सम्बन्धित मांग संख्या 19 तथा 21 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आजादी के उपरांत एक लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद हमारे प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण के उपयोग तथा पुल आदि के विषय में काफी कुछ किया जा चुका है लेकिन अभी जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें और भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी प्रदेश के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। इससे आम जन को आवागमन में काफी असुविधा होती है। आप यदि ऐसे स्थानों का लोकल साइट सर्वे करायें तो आप पाएंगे कि किसी मिसिंग लिंक अथवा पुल या पुलिया के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक अभियान चलाकर ऐसे स्थानों को चिह्नित करें। जहां इस प्रकार की समस्या है और ज्यादा राशि खर्च किए बगैर आमजन को राहत दी जा सकती है। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसे निर्माण कार्य कराये जाने चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वर्तमान में राजमार्गों, मेगा हाइवे आदि का निर्माण पीपीपी मोड के अन्तर्गत कराया जा रहा है और मार्ग की लागत की वसूली तथा रख-रखाव के उद्देश्य से ऐसे मार्गों पर टोल की वसूली की जाती है। प्राय: यह देखने में आया है कि टोल मार्गों पर लागत वसूली के उपरांत भी टोल की दर प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। जबकि टोल रोड के रख-रखाव के लिए नगण्य राशि का ही व्यय होता है और टोल भी उसी अनुपात में घटाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब टोल रोड का निर्माण होता है तो टोल की वसूली हेतु जो टोल प्लाजा के स्थान का चयन किया जाता है उसमें स्थानीय लोगों की आपत्ति होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में टोल प्लाजा के लिए स्थान निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन करें। उसमें स्थानीय निवासियों की आपत्तियां प्राप्त की जाएं तथा समिति का सदस्य क्षेत्रीय विधायक को भी बनाया जाए।

(श्री कृष्णा कड़वा)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ मिसिंग लिंक हैं जिनका निर्माण होने से लगभग बीस-पच्चीस ग्रामों को फायदा होगा। जैसे ग्राम ढाबा से हरियाणा सीमा लोहगढ़ तक तीन किलोमीटर, नगराणा टोल नाका से मल्लड़खेड़ा तक 2.5 किलोमीटर, नाथवाना से बोलावाली 5 किलोमीटर, दो तीन केएसपी पर 3 किलोमीटर, चक हीरासिंह वाला से ग्राम लंबी ढाब तक 3 किलोमीटर।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि संगरिया में रेलवे क्रोसिंग के लगातार बंद रहने से आमजन को हो रही असुविधा के निराकरण के लिए अण्डरपास का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है जो इस प्रकार है, भटिण्डा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर संगरिया में फाटक संख्या सी-50 किलोमीटर संख्या 65/2-3, इसी तरह इसी मार्ग पर ग्राम नगराणा में किलोमीटर संख्या-74/8-9 एवं ग्राम पंचायत रतनपुरा में किलोमीटर संख्या-71/13-14 पर अण्डरपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। सभापाति महोदय, मेरे क्षेत्र के ग्राम टीकरवाली, नाथवाना, मोरजंडशिखान, अमरपुराजालू, शाहपीणी, सिहंपुरा, इन्द्रपुरा, बुगलांवाली, जंडवालाशिखान, नुकेरा, किशनपुरा, उतरादा, राशूवाला, इन्द्रगढ़ नगराणा और रतनपुरा के ग्रामवासियों को इससे बहुत फायदा होगा।

सभापति महोदय, कुछ गांववासियों को अपने खेत में जाने के लिए दस से पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है क्योंकि उनके खेत लाइन के दूसरी तरफ है जिससे इनके लिए कृषि कार्य की लागत बहुत बढ़ जाती है और सभापति महोदय, खेती फायदे का सौदा वैसे ही नहीं है इसलिए यह अण्डरपास बनाये जाएं तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। वैसे भी इन ग्रामवासियों ने लगभग बीस-तीस साल से आंदोलन किये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति जारी करवाकर जनता को राहत प्रदान करेंगे। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए एक बार पुन: धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, कड़वाजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: हां, बोलिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं इस मांग पर मेरी बात रखना चाहता था लेकिन मेरे दल की तरफ से सूची में मेरा नाम नहीं है आप मुझे अनुमित दें तो मेरा लिखित टेबल कर दूं?

श्री सभापति: नहीं माननीय सदस्य, आप विराजें। अपने यहां यह व्यवस्था की हुई है कि कट मोशन जितने माननीय सदस्यों के आते हैं उन कट मोशंस का माननीय मंत्री महोदय जवाब भिजवा देते हैं। हमारे यहां जो सूची आती है माननीय सचेतकों के द्वारा उसके हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय बोलने का समय तय करते हैं इसके अलावा जो माननीय सदस्य निर्दलीय हैं और जो अन्य दलों के हैं उनको भी बोलने का कुछ अवसर देते हैं। अगर ये परम्परा डालेंगे, हमारे यहां तो लिखित भाषण की नहीं, हमारे यहां तो लिखित में पढ़ने की भी अनुमति नहीं है इसलिए आपके जो कट मोशंस गये हुए हैं, वो कट मोशन ही आपका लिखित माना जाएगा। कट मोशन के अलावा कोई चीज इसमें आप नहीं कह सकते। इसलिए आपके कट मोशन का जवाब मंत्रीजी देंगे और तब तक मैं श्री जयराम जाटव को..। अब आप माननीय सदस्य, जो अब नम्बर आ रहे हैं वो बोल चुके हैं एक-एक बार। जो पहली बार एक बार भी नहीं बोले उन सबके पूरे हो गये हैं, उनको दो-दो मिनट बुलवायेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: अब पहले जयरामजी का नाम पुकार लिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, मैं आप जो बोल रहे थे उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह पार्लियामेंट में टेबल कराने का सिस्टम है वो शुरू कर रखा है यहां पर काफी दिनों से मैं भी देख रहा हूं इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं श्री रामहेतजी।

श्री सभापति: मैंने जो व्यवस्था दी है अगर वो व्यवस्था अध्यक्षजी बदलेंगे तो ठीक है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा): आपकी तो मान रहे हैं साहब, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की है यह निवेदन था।

श्री सभापति: कट मोशन जो हैं वो ही व्यवस्था है। कट मोशन डिमाण्ड्स में ही माननीय सदस्य की इच्छा है कि मेरे क्षेत्र में ये काम किया जाए उनका मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में अब चूंकि आसन ने व्यवस्था दे दी है तो उसमें मुझे कुछ कहना

(श्री रामहेत सिंह यादव)

नहीं है लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा होता रहा है इसलिए मैंने आग्रह किया था।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। सड़कें मांग संख्या-21 और लोक निर्माण-19 इन दो मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: समय संक्षिप्त है। आप बोलें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, 5.15 पर बोलना चालू किया है, पहली बार बोल रहा हूं इसलिए दस मिनट लूंगा। इस पवित्र सदन में बजट सत्र की उस पवित्र पुस्तक में सड़कों के माध्यम से जो बजट दिया गया, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार इस राजस्थान के गांवों की सुध ली। इसमें ग्राम पंचायतों में जिन गांवों में जो सड़कों की बात हुई उन गांवों का नाम ऐसा रखा गया कि हम जब गांव का नाम लेते हैं तो हमारा गौरव बढ़ता है हमारा कद बढ़ता है। जिन सड़कों का नाम ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर में है, गौरवपथ के नाम से दिया इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, 3 करोड़ 42 किलोमीटर के क्षेत्रफल में राजस्थान बसा हुआ है। बहुत लमबे चौड़े भूभाग में राजस्थान है। आप पश्चिम में देखेंगे तो रेत ही रेत है। अभी बाड़मेर से आने वाले एक सदस्य कह रहे थे कि मेरे जहां आबादी कम है वहां सड़कों को बनाया जाए। पचास-पचास, बीस-तीस किलोमीटर दूर-दूर तक ढाणियां और मजरे हैं। इसलिए आज जो दो हजार किलोमीटर सड़क की बात आ रही थी सड़कों की मिसिंग लिंक की, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वह तीव्र गति से बढ़ रही है और इस देश में सड़कों की कोई बात करने वाला अगर पैदा हुआ है आजादी के 68 साल बाद तो वो श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी हुए थे। जिन्होंने इन गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जहां लगभग पचासों साल से गांव के लोग तरसते थे कि हमारे गांव में कभी सड़क आएगी और जब पीएमजीएसवाई की सड़कों की बात करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये याद क्यों कर रहे हैं। अपनी बात कहने में हमको किस बात का संकोच है और दिल से इनको भी स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान

(श्री जयराम जाटव)

प्रदेश की मुख्य मंत्री ने जो मिसिंग लिंक और गौरव पथ की सड़कें दीं तो उनके लिए धन्यवाद इनको भी देना चाहिए। हम सारे विधायक मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं।

(17.19 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा राजस्थान में गौरव पथ के साथ-साथ मिसिंग लिंक के साथ-साथ लगभग 960 करोड़ की व्यवस्था में लगभग ढाई सौ की आबादी से 499, पांच सौ की आबादी के गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ने की जो बात कही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। जहां सड़कें जाती हैं वहां सभ्यता जाती है।

अब इस महत्वपूर्ण मांग में मैं जो बात कह रहा था वर्ष 2015 का जो बजट है जिसमें 4000 किलोमीटर, 847 करोड़ रुपये उसके सौन्दर्यीकरण के लिए दिया जा रहा है, उसके सुधार के लिए दिया जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को, दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हमारे जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमारे साथ-साथ आप मंत्री थे, इनकी कार्यशैली में बड़ा वो है, बहुत अच्छी कार्यशैली है। हमको पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं वह ऐसा काम करायेंगे। अभी सड़कों के मामले में जो शिकायतें आई हैं उसमें निश्चित रूप से पारदर्शिता से काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जिले में जाम लगता था, जयपुर रोड पर उसमें हमारे लिये 30 करोड़ रुपये अलवर के लिये दिया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दस मिनट का टाइम मिला है अभी केवल पांच मिनट हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आते ही इसलिए हंस रहे हैं कि मुझे पांच मिनट के लिये कहा है, मैंने दस मिनट मांगे हैं, पहली बार बोल रहा हूं। हमारे अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है।

श्री अध्यक्ष: पहली बार बोल रहे हैं आप।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): जी। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में आजादी के 68 साल बाद में राजस्थान के गांवों की सुध, पांच साल पहले जब राजस्थान प्रदेश में श्रीमती वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं मैं भी जब विधायक था, इस राजस्थान में जितना काम हुआ, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, इतनी सड़कें कभी नहीं बनीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलवर ग्रामीण क्षेत्र से जीत कर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का पहला ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है। मैं जब विधायक बना मैं चुनाव में गया था तो मैंने देखा कि एक भी सड़क साबुत नहीं थी। हमारे पार्लियामेंट चुनाव में पार्लियामेंट के प्रत्याशी को ले गये एक गांव में तो 20 किलोमीटर में 3 घंटे लग गये। कांग्रेस पार्टी के विधायक कहते हैं क्या किया माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाने की बात आ रही है, कितनी योजनाओं के माध्यम से सड़कें बन रही हैं, कितना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है आंकड़े उठाकर नहीं देखते हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि योजना, राजस्थान राजमार्ग जिला सड़कें, 13वें वित्त आयोग द्वारा राज मार्ग, ग्रामीण सड़कें, पीपीपी परियोजना के माध्यम से सड़कें, नाबार्ड आईआईडीएफ 13 से 19 तक की सड़कें, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, अंतरराष्ट्रीय सड़कें, 13वें वित्त आयोग गैर योजना सड़कें, इतनी सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, यह मैं 2014-15 की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण मांग है इसमें मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन मांगों पर निवेदन करना चाहता हूं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्टेट हाइवे 44 नंबर है वह अलवर से वाया मालाखेडा कस्बा होकर लक्ष्मणराज जाता है, वह रोड भरतपुर जाता है, उसमें हमारा जो नटणी का बारा है उसमें पुराना पुल है, जो स्टेट हाइवे नंबर 44 है सीआरएफ के माध्यम से रोड बना है, उसमें अब पुल बनना चाहिये। श्यामगंगा पर जो उसी रोड पर पुल पड़ता है वहां पानी का बहाव है वहां बनना चाहिये, बड़ा खतरा रहता है। इंद्रगढ़ से शालपुर यह हमारे रूपारेल नदी के नाम से फेमस नदी है, वहां 20-30 गांवों का 6 महीने तक रास्ता बंद हो जाता है। अलवर से वाया बहरोड रोड के ऊपर से पडीसल होकर खैरथल रोड जा रहा है, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं केवल हमको उसका एमडीआर रोड दे दीजिए, सड़क तो है। उसका नाम राजस्थान स्टेट रोड से जुड़ जायेगा तो आगे सड़कों का काम हो जायेगा। एक छोटी सी 19 नंबर

(श्री जयराम जाटव)

की मांग है डाक बंगलों की, हमारे जयपुर से वाया सिकंदरा और अलवर जाना पड़ता है इसमें रास्ते में कोई डाक बंगला नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई मंत्री जाये तो आप लोगों की व्यवस्था के लिये हम कुछ कर नहीं पाते हैं, मालाखेड़ा में आप डाक बंगले की व्यवस्था करा दें। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं दो मिनट पहले अपना टाइम पूरा कर रहा हूं। इस सबके लिये आप सबको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह टेबल कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नंबर नहीं आया, टेबल करने की अनुमति दो।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए नंबर लेंगे। श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर मैं अपने आपको चर्चा में सम्मिलित करता हूं। आज सड़कें व पुल और लोक निर्माण पर बहस चल रही है। आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयीजी को याद किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब 1988 में आदरणीय रामनिवासजी मिर्धा साहब, जो कपड़ा मंत्री थे, हम लोगों ने परबतसर और डेगाना के गांवों का दौरा किया था वहां के लोगों ने एक ही बात कही थी कि हमारे गांव में सड़क नहीं है इसलिए हमारे को न कोई बच्ची देता है और न कोई लेता है। वह सपना आदरणीय वाजपेयीजी ने पूरा किया तो मैं उनको इस सदन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार का एक साल पूरा हुआ तो हमने जश्न मनाया, मैं मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करुंगा कि उन्होंने हमारी उस सड़क को जिसका आदरणीय गडकरीजी ने उद्‌घाटन किया, उसका शिलान्यास किया, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जो नागौर से जोधपुर सड़क है, उस पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और 19 तारीख को मेरा इस पर एक प्रश्न भी था कि इस सड़क पर कितने आदमियों की डेथ हुई, कितने एक्सीडेंट हुए, उस सड़क के भी इन्होंने करोड़ों रुपये दे

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

दिये और उसका कार्य भी चालू हो गया है, मैं आदरणीय गडकरीजी को, मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मेरे नागौर से 4 हाइवे निकलते हैं एक तो अजमेर-बीकानेर, जयपुर फलौदी, लाडनूं-जोधपुर और आधा हिस्सा डीडवाना का, यह चारों हाइवे नागौर में से निकलते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को और मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने नागौर शहर के चारों ओर बाइपास के लिये भी करोडों रुपये दिये हैं और उनका काम भी चालू हो गया। किसानों की जमीन जो अवाप्त की उनको भी इन्होंने पैसे दे दिये हैं इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को और मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर बीकानेर फोर लेन का काम चालू है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसका काम बहुत स्लो चल रहा है। उसके जो बाइपास है जैसे थांवला है, पादू है, कुचेरा है, मुंडवा है, इनाणा है सबसे पहले इनका काम होना चाहिये क्योंकि हम गांवों के अन्दर से निकल ही नहीं सकते। काम भी चल रहा है, एक हाइवे मेरे सिटी में से निकलता है अध्यक्ष महोदय, एक आरओबी जो मेरे कृषि मंडी फाटक पर बननी थी हालांकि मंत्रीजी ने उस आरओबी को दिल्ली तो भेज दिया लेकिन दिल्ली नेशनल हाइवे ने उस आरओबी को कैंसिल कर दिया, यह कहते हुए कि जब हम बाइपास बना रहे हैं तो आरओबी की क्या जरूरत है। मंत्रीजी इस बाइपास को बनने में 5-6 साल लगेंगे और यह हाइवे अन्दर से निकलता है। चाहे ट्रोला हो, ट्रक हो, उसके आजू बाजू में हमारे 6 हास्पिटल हैं, गोगलाव रोड पर जो हास्पिटल है वह भी इसकी वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा, नागौर सिटी के लोग कह रहे हैं कि पहले आरओबी बनाओ। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसकी घोषणा आज ही करें। जब 25 आरओबी दिल्ली से स्वीकृत होकर आ गये, मेरा नागौर का यह आरओबी 18 नंबर पर था, रेलवे ने तो इसको 8 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये, अभी इसी 16 तारीख को रेलवे के जीएम आये थे, अख़बार में मैंने हैडिंग में पढ़ा कि यह आरओबी जब ही बन सकती है जब नेताओं की इच्छा शक्ति हो। आज हमारी गवर्नमेंट है, क्या हम एक आरओबी नहीं बना सकते जो बहुत इंपोर्टेंट है, हालांकि नेशनल हाइवे का काम चालू है और इसको बनानी भी चाहिये। मैंने मंत्रीजी से कल भी कहा था और मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है ...(व्यवधान) अब इनका धीरे धीरे नया जिला बन रहा है

यह तो जिला हमारा ही नागौर। यह मंत्रीजी पूरे राजस्थान के हैं, नागौर के नहीं। हर आदमी इनसे पैसे मांगता है। (व्यवधान) 25 करोड़ का...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सड़क मांगते हैं, सड़क।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आप भी थोड़ी सिफारिश करें, 25 करोड़ रुपये का है, इस रिप्लाई में यह घोषणा करें, क्योंकि इन्होंने खूब पैसे दिए हैं मुझे इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी और इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लोक निर्माण में मैं कहना चाहूंगा.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं ।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मरे यहां पोलीटेक्निक कालेज बनी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह हमारे मंत्रीजी इमेज खराब कर रहे हैं। हर आदमी इनसे पैसे मांगता है, कौनसे पैसे मांगते हैं इनसे। मंत्रीजी कह रहे हैं मेरी, इनकी इमेज खराब हो रही है इसमें।

श्री अध्यक्ष: आप भी मांग लें।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, वह कालेज चालू हो गई है। जब इसका एस्टीमेट बनता है तो पानी, नल का भी बनना चाहिए। प्रिसिंपल मेरे से परसों मिले थे उन्होंने 80 लाख का एस्टीमेट निकाला। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा आप भी उस दिन हास्पिटल का, गेस्ट रूम का उद्‌घाटन करने आए थे। हास्पिटल में भी पानी, नल की व्यवस्था नहीं है। पोलिटेक्निक कालेज उसके बाजू में ही है। जब बिल्डिंग बनती है तो इसका एस्टीमेट साथ में होना चाहिए, 80 लाख रुपये कौन देगा नल पानी के। मंत्रीजी इसकी आप व्यवस्था कराएं।

आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सड़कें हैं, जैसे गौरव पथ योजना आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाई, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हम जब भी गांव में जाते थे लोग कहते हैं कि सड़क हमसे एक किलोमीटर दूर है, क्योंकि गांव से सड़क बाइपास निकल जाती और गांव में हमेशा कीचड़-कादा बना रहता था इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

इसमें मेरा सुझाव है कि आपने जो यह चार मीटर की है उसको साढ़े पांच मीटर करें। गांव में एक चौक है, जैसे सड़क जाती है, एक चौक होता है, चाहे नीम हो या चाहे पीपल हो, उसके आजू-बाजू भी इसमें लो क्योंकि यह सड़क अधूरी है अध्यक्ष महोदय। अगर हम एक किलोमीटर बनाते हैं और सामने कीचड़ रहता है तो उस गांव में यह सड़क काम में भी नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मेरा सुझाव है इसमें।

श्री अध्यक्ष: हां सुझाव दे दिया, आप विराजिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी कार्य सलाहकार समिति में जब हम बैठे थे तो प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा था हमारे ज्यादा मैम्बर बोलेंगे, हमारे मुख्य सचेतक ने भी कहा था थोड़ा समय, थोड़ा ढिलाई, आप थोड़ा उदारता बरतो, हमारे भी सब बोल लेंगे। इसलिए मुखबंद का टाइम, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी आए थे कि साहब आधा घण्टा कम होगा, मुझे भी थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, तो मुखबंद का टाइम सात बजे तय करता हूं। मंत्री महोदय का भाषण सवा छह बजे चलेगा। सवा छह से पौन घण्टा यह बोलेंगे। सात बजे मुखबंद होगा । उसके पहले 30-33 मिनट हैं उसमें जो तीन चार आदमी नहीं बोल पाए हैं, सुखारामजी आपको भी दे दूंगा, मानिकजी आपको भी दे दूंगा, पांच-पांच मिनट बोलें। मानिकजी आप वकील हैं आप तो पेश ही कर देंगे। श्री मानिक चंद सुराना। हां, आपको भी दूंगा,। दूंगा, दूंगा, मैंने कहा 33 मिनट, 40 मिनट बढ़ा दिए उसमें 5-7 आदमी और एड कर लूंगा पर बोलें कम-कम। (व्यवधान) अब शांति, शांति।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सड़क निर्माण की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है। उस योजना का पहला मुख्य बिन्दु यह है कि 20 हजार किलोमीटर सड़कें, 20 हजार करोड़ रुपये राज के और पीपीपी माडल में 50 हजार करोड़ रुपये अपन सोच रहे हैं कि आएंगे और 20 हजार किलोमीटर बड़ी सड़कें बनेगी। 10 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण का तो इस वर्ष आपका लक्ष्य है ही है। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। विभिन्न श्रेणी के जो भी मार्ग हैं वह 10 हजार किलोमीटर बनेंगे। खैर हम मिसिंग लिंक को भी नहीं भूले हैं और 250-500 की आबादी को भी नहीं भूले हैं, 250 की आबादी को भी नहीं भूले हैं।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों में यदि कोई 10-15 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बचा हुआ है और उतना सा टुकड़ा बनने से दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का आपस में आवागमन शुरू हो सकता है, मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान भर में इस पोटेंशियलिटी को देखें। आपके खुद के ध्यान में है क्योंकि मेरा पत्र आपको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को गया है, वहां से प्रिसिंपल सैक्रेटरी साहब को आया है, अनेक स्तरों पर चर्चा हुई है। बीकानेर से लूणकरणसर और सूरतगढ़ रोड, हाइवे है, बीकानेर से रतनगढ़ हाइवे है, इन दोनों सड़कों का आपस में मिलान। लूणकरणसर प्रोपर से ढाणी भोपालाराम और ढाणी भोपालाराम से सहजरासर, सहजरासर से खरड़ा, यह 12 किलोमीटर सड़क बनने से दोनों हाइवे का लिंक होता है। लोग पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर, हनुमानगढ़ से पूरणासर हनुमानजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वहां जाते हैं। कम से कम साल में एक लाख यात्री इन चारों जगह से पूरणासर हनुमानजी के मंदिर जाते हैं। हम धार्मिक टयूरिज्म की बात करते हैं। धार्मिक स्थानों के महत्व को बढ़ाने की भी बात करते हैं। मेरा निवेदन है कि गत वर्ष, मैंने बहुत प्रयत्न किया कि यह सड़क तो कम से कम बने। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह महत्वपूर्ण लिंक है, माननीय मंत्रीजी आपके पास इस साल काफी बजट है, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे क्षेत्र में है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां भी राष्ट्रीय राजमार्गों में से दोनों का लिंक 10-15 किलोमीटर के गांवों की सड़क बनने से हो सकता है उस सिद्धान्त को मान्यता दी जानी चाहिए। इस आधार पर सड़कों का निर्माण राजस्थान के अनेक हिस्सों में होना चाहिए, जिससे आवागमन में वृद्धि हो।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि राजस्थान की तहसीलों के आवागमन में अनेक स्थान ऐसे हैं कि 8-10 किलोमीटर सड़क बन जाए मेरे क्षेत्र में, तो हम सरदार शहर से जुड़ जाते हैं। चूरू में जो भी सड़कों का जाल है उससे जुड़ जाते हैं। दो जिलों, दो तहसीलों को जोड़ने वाली सड़कों को ध्यान में रखकर, हमारी जो सड़क नीति है उसमें ऐसे, ठीक है हम 250 को तो ध्यान में रखें ही, 250 से 500 को भी ध्यान में रखें, वर्षों से पिछड़े गांव हैं, इनको तो महत्व देना ही है। लेकिन जो भी सड़क तंत्र एक तहसील और दूसरी तहसील में बना हुआ है माननीय मंत्रीजी, मेरे क्षेत्र में मकडासर से सवाईसर, सवाईसर बीकानेर का गांव है, सवाईसर तक, बीकानेर की बहुत महत्वपूर्ण सड़कें आती हैं। पर यह जो पेच है मकडासर से सवाईसर , हार्डली पांच किलोमीटर का पैच है। इस पांच किलोमीटर के पैच में, सवाईसर मुसलमान भाइयों का गांव है, मकड़ासर ब्राह्मणों का गांव है। इन गांवों को आप जोड़ें ताकि इनके आवागमन और बीकानेर जाने में भी 15 किलोमीटर शोर्ट, लूणकरणसर के आदमी को 15

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किलोमीटर कम चलना पड़ता है। बीकानेर के आदमी को भी इन गांवों में आने के लिए कम चलना पड़ता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के बारे में मैंने आपसे एक सवाल पूछा। माननीय मंत्री महोदय, सवाल है 4544, तारीख 4.8.2014 को आपका जवाब आया। मैंने पूछा कि सम्भाग में, दूसरे हमारे सम्भाग के जितने जिले हैं इसमें चारों जिलों की सड़कों की स्थितियां क्या है ? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनमें सड़क निर्माण अभी तक हुआ है उसकी क्या स्थिति है ? माननीय अध्यक्षजी, इनके द्वारा जो जवाब आया है, उसी में इनका एक पैरा पढ़ता हूं। जी हां, यह सही कि उक्त चारों जिलों में बीकानेर जिले में उपलब्ध बी.टी. सड़कों की लम्बाई जिलों के क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम है जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। बीकानेर जिले में बी.टी. सड़कों की लम्बाई बढ़ाना वित्तीय साधनों पर, इस पर, उस पर निर्भर है, वह तो खैर निर्भर है ही। मेरे यहां सड़कों की जो लम्बाई आपने दी है, माननीय मंत्री महोदय, 100 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 21.4 सड़क है। मेरे से छोटा जिला चूरू, उस छोटे जिले में...

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, स्थान ग्रहण कीजिये। एक मिनट और ले लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट और ले लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्षजी, मैं सिर्फ रिकार्ड की बात कह दूं कि वहां जो सड़क है, मेरे यहां 21.6 है और उनके यहां पर 31.45 है। गंगानगर में 55.4 है, सौ स्क्वायर किलोमीटर में, और हनुमानगढ़ में 50.5 है। मेरा निवेदन है कि आप क्षेत्रीय संतुलन भी बनायें, किसी भी जिले के साथ भेदभाव न करें। हनुमानगढ़, गंगानगर का क्षेत्रफल हमारे से 33 परसेंट है, 35 परसेंट है, लेकिन सड़क निर्माण में मेरे यहां सिर्फ 216 गांवों में प्रधान मंत्री सड़क योजना बनी है। आप इस बात को एक्जामिन करें कि 216 ही क्यों बनी है, चूरू में भी 216 है, यह जो असंतुलन है, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क हो, चाहे दूसरी कैटेगिरिज की रोड्स हों। मैंने विशेष तौर से आज की इस बहस में भागीदारी सिर्फ इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये की है। आपने समय दिया उसके लिये आपका बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। पांच मिनट, कृपया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिये सड़क इतनी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे भी चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण की बहुत लम्बी-चौड़ी बात करता नहीं। कुछ सुझाव हैं, विभाग के बारे में, जिनको अपनी तरफ से मैं रखना चाहता हूं। हम लोगों ने खूब मंथन किया, खूब बातें कीं, खूब भाषण दिये, आलोचना, समालोचना, सारी बातें हुईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तंत्र जिसके भरोसे लोक निर्माण विभाग चलता है, क्या हम लोग उस तंत्र को पूरा मजबूत करने की स्थिति में हैं? क्या हम लोग इस बात के बारे में चिन्ता करते हैं कि यह इंजीनियरिंग विंग, जिसके भरोसे पी.डबल्यू.डी. चलती है, क्या उसको हमने सुचारु रूप से पूरा मजबूत कर रखा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं। वर्षों से चलता आया है, इस विभाग में नाबार्ड के माध्यम से, सी.आर.एफ., एम.डी.एफ., मेंटिनेंस का हैड, 3054, 5054, चाहे कोई से भी हैड के माध्यम से हम सड़क का निर्माण करें, पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि जो कोई भी काम हम लोग तय करते हैं, उसका एस्टीमेट, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नींव से बनकर आना चाहिए, जे.ईएन., ए.ईएन. को बनाकर भेजना चाहिए पर होता यह है कि ऊपर के लेवल पर सचिवालय से तय किया जाता है, फलां गांव में 50 किलोमीटर सड़क बनानी है और 50 लाख रुपये हैं, एस्टीमेट बनाकर लाओ क्या ऐसा सम्भव है? ऐसा होता है, इसलिये हमारी गुणवत्ता गिरती जा रही है। गुणवत्ता के लिये हम लोगों ने तय कर रखा है, जे.ईएन., ए.ईएन. क्वालिटी कण्ट्रोल करेंगे। क्या जे.ईएन. के पास क्वालिटी कण्ट्रोल करने के लिये कोई और साधन है? क्या हमारे असिस्टेंट इंजीनियर के पास साइट्स पर जाने के लिये कोई साधन हैं? ए.ईएन. के पास एक व्हीकल होना चाहिए, ताकि वह सड़कों की देख -रेख कर सके, जे.ईएन. के पास एक इस प्रकार का व्यक्ति हो जिसको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, वह रहे ताकि साइट पर ही अपने मैटेरियल को चैक कर ले। हम लोग करते हैं कि वह लैब में जाकर जाएगा, लैब उस मैटेरियल को फेल करेगा, फिर वह ठेकेदार के पास जायेगा, आपने सड़क पर माल डाल दिया, आपका माल फेल है, आप काम नहीं कर सकते। क्या वह ठेकेदार उस माल को वापस उठाएगा, ऐसा नहीं हो पायेगा।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो

(श्री शुभकरण चौधरी)

सुपरवाइजरी स्टाफ है, उसके पास वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहां एक्जीक्यूट कराने वाला आदमी है, जे.ईएन., उसके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो टीम वहां की क्वालिटी को उसी वक्त कण्ट्रोल कर ले ताकि वह मैटेरियल जो उस ठेकेदार ने डाला है, वह खराब न हो और दोबारा उसको वहां से उठाने की जरुरत न पड़े। अध्यक्ष महोदय, उठता है भी नहीं। खण्ड कार्यालयों के अन्दर हमने प्राइवेट कम्प्यूटर आपरेटर बैठा रखे हैं। आपको सूचना चाहिए, आपको एस्टीमेट बनाने हैं, प्राइवेट कम्प्यूटर वाले की मर्जी, जब चाहे काम करे, जब मर्जी न करे, उस वक्त क्या होगा, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि वह डिपार्टमेंट के किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तय कर रखा है, विभाग की सूचना है कि ढाई सौ तक की आबादी जोड़ दी गई है। विडम्बना देखिये, मेरे पास एक सूचना आई है, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के बारे में। एक गांव आदर्श नगर जिसकी आबादी है दो हजार, वह नहीं जुड पाया, क्योंकि वह राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुआ। कहां यह मापदण्ड तय कर रखा है कि राजस्व ग्राम होना चाहिए। जनसंख्या जब ढाई सौ की जोड़ रहे हो तो आदर्श नगर जिसकी जनसंख्या दो हजार है, नंगली निर्वाण जिसकी जनसंख्या 1540 है, काटलीपुरा जिसकी जनसंख्या 1728 है, रामनगर जिसकी जनसंख्या 998 है, ये आज तक नहीं जुड़े, अध्यक्ष महोदय। इन गांवों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों है, मैं नहीं जानता। फिर हम लोग जो एस्टीमेट बनाते हैं, हमने एक एस्टीमेट बनाया एस.एस.-82 का, यह सड़क लक्ष्मणगढ़ से रवाना होती है और खेतड़ी जाती है। तय कर रखा है, मुझे नहीं पता किसने एस्टीमेट बनाया। बढ़ाऊ से रसूलपुर के माध्यम से आप उसको प्रस्तावित कर रहे हैं। ककराणा, दीपपुरा, नौरंगपुरा और बबाई जाने के लिये जमीन एक्वायर कर रखी है, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। इधर से बनेगी तो सड़क की स्थिति ठीक होगी, लैण्ड का पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपने जो प्रस्तावित किया है, उसमें पैसा भी देना पड़ेगा और सड़क को 14 किलोमीटर लम्बा जब बनाओगे, तब आपकी खेतड़ी जुड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह पैसा गलत खर्च कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नदी है। एक गांव है बहुत बड़ा चंवरा चौफुला और दूसरा है चंवरा कैम्प, जहां कभी हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की सड़कें बनी थीं तो जोड़ने के लिये रह गई थीं, उस नदी के बीच में अगर कोई रपटा बन जाये तो बरसात के मौसम में हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होती है, उनको जाने का रास्ता ठीक हो जाएगा तो वहां से वे निकल जाएंगे। बहुत सी सड़कें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

पी.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से आपने तय कर रखा है, आप लैण्ड एक्वायर नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, अनगिनत सड़कें ऐसी हैं, जिन पर लोग स्टे ले आते हैं और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी एक अच्छी योजना बनने से रह जाती है कि किसान को आप मुआवजा दे नहीं सकते। स्टे आते हैं और आप फाइनल करके बैठ जाते हो। वह गांव जुड़ता नहीं, और हम लोग मानते हैं कि वह जुड़ गया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ही नहीं, चाहे वह मेंटिनैंस की हो, चाहे 3054 का मामला हो, चाहे गांव का मिसिंग लिंक हो, सारी सड़कों के आसपास इतनी भूमि हमें एक्वायर करनी चाहिए या लेनी चाहिए ताकि किसानों के फव्वारे जो सड़कों के ऊपर चलते हैं, उन फव्वारों का पानी सड़कों पर नहीं जाये। वर्ना तो आप तीन-तीन साल की गारण्टी की बात करते हैं, सड़क छह महीने में टूट जाती है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं जानना चाहता हूं, कैसी विडम्बना है कि गुणवत्ता वही, सामग्री वही, सड़क वही, एक दिन बैठकर कार्यालय में तय किया जाता है कि सड़कों का गारण्टी पीरियड, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पांच साल किया जाएगा। छह महीने बाद उसमें क्या कमी-खामी आती है कि तीन साल किया जाएगा। कभी कहते हैं, दो साल किया जाएगा। ऐसा क्यों है। जब मैटेरियल वही है, सड़क वही है, जब बनाने वाले अधिकारी वही हैं, जब काण्ट्रेक्टर वही हैं तो यह बार-बार बदलते क्यों हैं। एक व्यक्ति पर पांच साल का जिम्मा आपने डाल दिया, एक पर सात साल का जिम्मा डाल दिया। एक को कह दिया, आपको तीन साल की गारण्टी लेनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पांच साल और तीन साल का डिफरेंस जो आपने किया, क्या उसकी टेण्डर प्रीमियम में कोई डिफरेंस आया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): जब काण्ट्रेक्टर वही टेण्डर प्रीमियम दे रहा है, जब समय आप बदल रहे हैं तो इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं खामी तो है। इस खामी को सुधारने के लिये, न तो भ्रष्टाचार इसका कारण है, न कोई और इसका कारण है, हमारी जो नीति बनी हुई है, अध्यक्ष महोदय, कि एस्टीमेट नीचे से बनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो सुपरविजन स्टाफ है, उसको स्ट्रांग करने के लिये साधन दिये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब इतनी बात कही है तो मेरी दो-तीन सड़कों के नाम तो बताने दें।

श्री अध्यक्ष: नाम बता दो बस, आप एक मिनट।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): हां। अब सड़क के सिवाय कोई नाम नहीं बताऊंगा।

मेरे पापड़ा से नीमकाथाना एक 8 किलोमीटर की सड़क है, जो दो जिलों को जोड़ती है। उस सड़क को इसलिये बनाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार अभी सुरानाजी कह रहे थे, ये दोनों सड़कें जुड़ेंगी तो एक जिले से जुडाव हो जाएगा।

एक अध्यक्ष महोदय, छोटी सी बात। हमारा ग्रामीण गौरव पथ, बहुत इम्पोर्टेण्ट सड़क अभी बन रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सड़क पौने चार मीटर की जगह साढ़े पांच मीटर होनी चाहिए। गांव के अन्दर हम सड़क बना रहे हैं, एक गाड़ी निकलती है, सामने से दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती तो फिर उसके बनने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बराबर में नाली बनाने का तो मंत्री महोदय ने आदेश कर दिया, मेरा निवेदन है कि उसकी साइड में जो तीन, पौने चार मीटर का भी एस्टीमेट हो गया, टेण्डर हो गये और मेरे साथ तो ऐसा है, हमारे माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, वे कह रहे हैं कि शुरू नहीं हुआ, मेरे तो जितनी सड़कें गौरव पथ में थीं, सारी बन चुकी हैं, इसलिये उसकी साइड में शोल्डर होने चाहिए ग्रेवल के।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, उन सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएं और सोलर लाइट लगाई जाए ताकि वह वाकई गौरव पथ बने।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर। पांच मिनट, सिर्फ। (व्यवधान)विराजिये, शुभकरणजी, आपने बता दिया। आप लिखकर दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मेरे गुढा बड़ा शहर है, उसमें बाइपास बनाया जाए तो मंत्री महोदय का बड़ा ...(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 21-सड़कें और पुल पर चर्चा हो रही है। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री और

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण सड़क आपने स्वीकृत की है, जिसकी लम्बाई 55 किलोमीटर है और वह 77 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। आपने बजट का प्रावधान भी किया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ सड़कें भी दी हैं और 77 ग्राम पंचायतें मेरे यहां पर हैं, उनमें से 17 अभी, 29 अभी बनने वाली है, लेकिन एक कमी उसमें है। कमी यह है कि अभी जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि पौने चार मीटर वह सड़क बनेगी सी.सी. की, गौरव पथ अब मुझे बताओ कि मेरा एक छोटा व्हिकल है, वह छह फीट का होता है और 12 फीट चौड़ी सड़क बनाओगे, इधर से ट्रैक्टर आ गया तो इधर से मेरी गाड़ी आ गयी तो खड्डे में गिरेगी या मैं कहां जाऊंगा इसलिए साढ़े पांच मीटर सड़क चौड़ी होनी चाहिए। इसमें आपको यह तय करना पड़ेगा कि गौरव पथ जब तक आप साढ़े पांच मीटर की चौड़ाई पर नहीं बनाओगे तब तक उस गांव वाले को कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। गांवों में तो ट्रैक्टर ही होते हैं। यह एक ट्रैक्टर दूसरा आ गया, दूसरा ट्रैक्टर जा नहीं सकता, बैक लेना पड़ेगा इसलिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो होशियारी से बच जाओगे, पड़ेगा तो दूसरा ही पड़ेगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो मेरी सड़क है जो आपने 55 किलोमीटर की दी है, यह लगभग नारेला से भूपालसागर वाया सूरजपुरा जो कपासन जोड़ेगी, भूपालसागर जोड़ेगी, राश्मी उप खण्ड को जोड़ेगी। यानी पूरी विधान सभा को जोड़ने वाली यह सड़क आपने दी है। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह सात मीटर चौड़ी सड़क बनेगी, 50 गांवों को इसका लाभ मिलेगा और कम से कम एक लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सड़कें तो खूब हैं, 650 किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछा हुआ है लेकिन वर्तमान में 350 किलोमीटर सड़कें नोन-पैचेबल हो गयीं। डामर नहीं है, सड़कों पर खड्डे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि आप नोन-पैचेबल सड़कों को ठीक करने के लिए पैसा दें। वैसे आपने प्रावधान किया है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जो माइन्स की रोड्स हैं, तो मेरे यहां पर बनास नदी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं। बजरी वहां से लोड होती है, 50-50 टन के ट्रक निकलते हैं और सारी की सारी सड़कें चौपट हो गयी हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि जहां से भी बजरी के ट्रक्स निकलते हैं उन सब सड़कों को बढ़िया तरीके से बनायें।

मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो आपका डामर है यह क्वालिटी का डामर नहीं आ रहा है इस कारण से भी यह सड़कें टूट रही हैं। यह भी आपको देखने की जरूरत है।

मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब चालू की थी तो मैं इस सदन में माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को याद करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब देशवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उन्होंने गांव वालों को सड़क दी। यह सोचते हुए कि गांव में कभी डामर की सड़क आएगी या नहीं आएगी, तो उन्होंने उनका सपना साकार करने के लिए अटलजी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू करके हजार की आबादी, पांच सौ की आबादी तक की सड़कें बनाकर हमको एक गौरव प्रदान किया है, देशवासियों को सड़क दी है। मेरा यह आग्रह है मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदया से कि 100 की आबादी तक के गांवों को भी आप जोड़ें और जो राजस्व गांव नहीं है और जिनकी आबादी ज्यादा है, वहां तक भी आप सड़क ले जाने का काम करें।

मेरे क्षेत्र में पांच बड़े तीर्थ स्थल हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, सांवलिया सेठ, शनि महाराज, दीवाना शाह बाबा की दरगाह, मातृकुंडा के मंगलेश्वर महादेव, मरमी मातेश्वरी का स्थान, जहां पर हर दशहरे पर मेला लगता है। यह पाँच बड़े तीर्थ स्थल हैं। इन सब तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए 7 मीटर चौड़ी सड़क बन जाए ताकि वहां पर हजारों यात्री जो आते हैं उनको इस बात का लाभ मिल सके।

मैं अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने दो हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें दीं। पिछले साल की हमारी मिसिंग लिंक सड़कें कहां हैं, उसका मुझे पता नहीं चला। पिछले साल की और इस साल की सड़कें एक साथ करके, एक-एक विधायक को कम से कम 30-30, 40-40 किलोमीटर दें और शहरों में तो आवश्यकता ही नहीं है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रावधान कर सकते हैं कि जब शहर वालों को, जैसे जयपुर के विधायक हैं 14 उनको जरूरत ही नहीं है। उनके एम.एल.ए. कोटे की जरूरत नहीं है। वह सारा का सारा पैसा दूसरे विधायकों को मिल जाए तो सारा काम ठीक हो सकता है। यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि दस हजार किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम भी आपने हाथ में लिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस एक मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अभी भूपालसागर और आप भी कभी वहां रुको तो रुको कहां? आपका तो फार्म हाउस है इसलिए ठीक है आप रुक जाते हो वर्ना आज नया उप खण्ड बना है तो वहां पर डाक बंगला नहीं है। राश्मी नया उप खंड बना है, डाक बंगला नहीं है। भदेसर उप खण्ड बना है, डाक बंगला नहीं है। कपासन पुराने समय से उप खण्ड है लेकिन वहां पर सिर्फ एक कमरा है और उस एक कमरे में अधिकारी रुकेगा या नेता रुकेगा? कौन रुकेगा? उसके विस्तार का काम आप करें।

आपने मुझे समय दिया और मैं अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भूपाल सागर- आकोला रोड पर भी तो बोल दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, एक और कह रहा हूं। एक निवेदन है कि आप यदि उस सड़क को बनाओगे, मेरे सबसे पहले मिसिंग लिंक सड़क में वहां फार्म हाउस तक जाने की जो सड़क है वह मेरे कोटे से यह मिसिंग लिंक में सबसे पहले देने की घोषणा कर रहा हूं मैं, एक तो यह।

दूसरा, आपने पी.पी.पी. माडल में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. माडल में जो सड़कें दी हैं अब आप एक बात बताओ कि इधर से आप हर चीज पर टैक्स ले रहे हो हमसे सड़क के नाम से और एक तरफ पी.पी.पी. माडल में सड़कें बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जब पी.पी.पी. माडल में सड़क बनेगी, एक तो आपने सड़क कार्बी से कपासन, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ दिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सुखरामजी, पांच मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक सैकिण्ड सर, कीर की चौकी से लगाकर फतहनगर वाया आकोला, इतनी सड़कों को तो आप बनाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। आप चेयर को सहयोग कीजिए, पांच मिनट। शार्ट कर लीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में रोड्स की जो रिपेयर हो रही है वह 2000 के पहले की रोड्स अभी तक रिपेयर नहीं हुई है और रोड रिपेयर का जो साइकल बना हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.डी.आर. रोड है वह 7 साल के बाद, गारंटी के बाद में, ओ.डी.आर. रोड है वह 8 साल के बाद में और बी.आर. रोड 10-11 साल के बाद, यह पूरे साइकल इसलिए फेल है कि पुराने पैटर्न पर रोड बनाई जा रही है। रोड की डामर की मोटाई कम है। पहले तो दस टन की ट्रकें चलती थीं और आज पचास टन की ट्रकें चल रही हैं। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस पैटर्न को चैंज किया जाए, इस सड़क की मोटाई ज्यादा की जाए ताकि जो पचास टन की, साठ टन की ट्रकें चल रही हैं, वह आपकी रोड टूटे नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने 12 रोड्स स्वीकृत कीं और एक पैकेज के साथ स्वीकृत कीं। उस 12 में से सिर्फ एक रोड बनी है और बाकी 11 रोड अभी तक नहीं बनी। मेरा माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि पूरी की पूरी सैंक्शन, मंत्रीजी, चीफ और जो एम्पावर कमेटी बनी है, वह बैठ कर निकालते हैं जबकि डेढ़ करोड़ तक का पावर आपने एस.ई. को दे रखा है, तीन करोड़ तक का आपने मतलब,

(श्री सुखराम विश्नोई)

एडिशनल चीफ को दे रखा है टेंडर करने का। पहले जो परम्पराएं थीं कि वहां के चीफ लेवल का अधिकारी, एस.ई. लेवल का अधिकारी टेंडर करेगा। आप पैकेज जारी करते हो और पैकेज वह आगे जाकर सबलैट करते हैं, छोटे ठेकेदारों को देते हैं और उनका शोषण करते हैं और शोषण करने से न तो बढ़िया रोड बनती है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो टेंडर में सेंटरलाइजेशन कर रखा है आप लोगों ने इसका वापस विकेन्द्रीकरण करें ताकि वह जो पुरानी परम्परा आएगी तब ही जाकर छोटे ठेकेदारों को फायदा मिलेगा। ठेकेदार बेरोजगार बैठे हैं, उन्होंने साधन खरीद लिए। वह साधन किस में लगाए? क्योंकि जो सबलेट करने वाला है, लेने वाला है, वह उनकी मनमर्जी से लेगा, पूरे पैसे देगा नहीं इसलिए मेरी जो रोड्स रुकी हुई हैं, 11 रोड्स इसलिए रुकी हुई हैं कि पूरा पैकेज किया। आज यह 11 रोड्स बंद पड़ी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने तीन पुलिया स्वीकृत की और एक रोड स्वीकृत की, मैं माननीय मंत्रीजी से भी मिला। बजट का प्रावधान नहीं है। अधिक पैसे खर्च कर दिए इसलिए आपकी रोड मंजूर नहीं हो सकती। पूरे खारिज कर दिए। मैं माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2012-13 में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था 19.11...(व्यवधान)... करोड़ का उसके अगेंस्ट में 16.73 ही खर्च हुए है और 2013-14 में 28.17, ...(व्यवधान) उसके अगेंस्ट में 27.65 ही खर्च हुए जब राशि कम खर्च हुई हैं और हमारे को आप लोगों ने कह दिया कि आपके ज्यादा पैसे खर्च हो गये इसलिए आपकी पुलिया हम खारिज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि जो जरूरी पुलिया स्वीकृत किए थे उन्हें वापस बहाल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

पी.पी.पी. माडल की बात कर रहे हैं, बीस हजार किलोमीटर रोड बनाएंगे। आप एक तो रोड बताओ, कौन सा ठेकेदार, कौन सी पी.पी.पी. रोड लेकर गया? एक भी पी.पी.पी. रोड बनी नहीं। केवलमात्र आपने पिछले बजट भाषण में भी कह दिया कि बीस हजार किलोमीटर बनाएंगे, इस भाषण में फिर रिपीट कर दिया। केवल मात्र रिपीट कर रहे हैं। एक भी रोड नहीं बनी है। एक भी ठेकेदार जो टोल की रोड, एक भी लेने नहीं आ रहा है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मानानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि इस तरह बार-बार घोषणा रिपीट नहीं की जाए। कथनी और करनी में फर्क नहीं रखा जाए।

जहां तक गौरव पथ का सवाल है। गौरव पथ छोटा है और गांव में तो यह परम्परा है कि आमने-सामने ट्रैक्टर आते हैं, गाड़ी आती है, लोग रोड पर खड़े रहकर बात करते हैं। एक व्हिकल के अलावा दूसरा व्हिकल चल भी नहीं सकता। जो गौरव पथ बनाये हैं वह केवल गौरव पथ उन डामर सड़कों के ऊपर बनाये, एक तो सड़क तोड़ी और कोई उस पी.पी.पी., उसका गौरव पथ का फायदा नहीं हुआ। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, दो-तीन जो रोड्स बनी हैं। लोग कह रहे थे कि ग्राम के बीच में से बनाओ। कहां नाली बनाओगे?

जबरदस्ती राजनीतिक दबाव से उस पुरानी रोड के ऊपर बना दिया। एक तो वह रोड टूटी और गौरव पथ का फायदा नहीं मिला। माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि गौरव पथ की बढ़-चढ़कर बातें की गयीं कि दो किलोमीटर तक बनाएंगे। परन्तु जहां भी गौरव पथ बने, या तो 500 मीटर बने या 700 मीटर बने, 500-700 से एक भी गौरव पथ, माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी पूरे राजस्थान में एक भी गौरव पथ बता दें कि हमने दो किलोमीटर पूरा बनाया, कोई दो किलोमीटर नहीं बना, खाली बात की है। केवल मात्र 500 मीटर में सीमित हो गये। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: केवल एक मिनट में।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक मिनट। धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिये पिछली सरकार ने दो-तीन किलोमीटर का प्रावधान रखा था। आपने इस बजट में एक किलोमीटर का भी धार्मिक स्थलों को जोड़ने का प्रावधान नहीं रखा। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि जालौर जिले के अन्दर सांचौर से जालौर जाने के लिये चार रेलवे क्रासिंग बीच में आते हैं और वह जो रेल लाइन अंग्रेजों के टाइम पर बनी हुई है, ब्राडगेज बनी हुई है, हर आधे घंटे के बाद मालगाड़ी चलती है और घंटे-घंटे रुकना पड़ता है। चार क्रासिंग में से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है चाहे आर.ओ.बी. बनाओ, चाहे

(श्री सुखराम विश्नोई)

आर.यू बनाओ, भीनमाल शहर के अन्दर और जालौर के पास में चाहे अंडर ग्रांउड बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ, एक बनना चाहिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बड़े सहृदयी निकले, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो टेबल करने जा रहा था, आपने मुझे रोक दिया। आप में जो मैं देखता हूं न कभी करुणा का भाव लगता है, कभी आप हंस जाते हो, कभी रौद्र रूप धारण कर लेते हो, कभी सम्मोहन हो जाते हो, कभी चुपचाप बैठे रहते हो। माननीय अध्यक्षजी, मैं बहुत बढ़िया एक शेर कहकर मेरी बात पूरी करना चाहूंगा- एक आदमी के अन्दर अलग अलग तरीके से देखोगे, अलग अलग तरीके से देखेगा-हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है, बार-बार देखे। हम सवा साल से आपको देख रहे हैं तो ही पता नहीं लग रहा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: गौतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण और सार्वजनिक निर्माण की इस मांग पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को मंगलवाड़ से डूंगला होते हुए बड़ी सादड़ी सड़क टू-लेन कराने के लिये जो आपने मुझे ठोस आश्वासन दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ओर से एवं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टू-लेन के लिये मुझे पुन: आपको निवेदन नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदयजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मिसिंग लिंक, सड़कों के नवीनीकरण के जो प्रस्ताव हमने आपको दिये थे, मरम्मत के प्रस्ताव दिये थे, उन सब प्रस्तावों को तो आपने पास किया ही है, आपने स्वीकृति भी दी है और कुछ के टेण्डर भी हो गये हैं, और कुछ के काम भी चालू हो गये हैं। उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जैसाकि अभी कपासन से आने वाले माननीय विधायकजी ने मिसिंग लिंक के लिये कहा था। चूंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 550 गांव हैं तो अगर मिसिंग लिंक थोड़े-से और बढ़ा देंगे तो आपस में कनैक्टिविटी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता आने वाले कई वर्षों तक आपको याद करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कें तो बहुत सारी बन रही हैं

(श्री गोतम कुमार)

सरकार और भी बहुत बनायेगी। पूर्व में भी सड़कें बनी हैं, लेकिन वह सड़कें का डिफैक्ट लायबिलिटी के आधार पर बनती हैं और कैसे भी बनती है, निश्चित रूप से उनका रख-रखाव होना चाहिये, क्योंकि सड़कें, भले ही किसी ठेकेदार ने बना दीं, डिफैक्ट लायबिलिटी में है तो पांच साल की दी, तीन साल की दी, लेकिन उनका रख-रखाव वह नहीं करते हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि कोई न कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाये, हर जिले वाइज बनाओ, डिवीजन वाइज बनाओ, जिसमें आप जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों को रखकर एक ऐसी सामूहिक कमेटी बनाकर साल में एक बार, दो-तीन बार वह निरीक्षण करे। किस तरह से वह अच्छा रिजल्ट दे सकें और समिति जब उसके एस.डी. रिटर्न का टाइम हो, तीन साल का हो, पांच साल का हो, जब भी उसकी एस.डी. रिटर्न हो, तो उस समिति की अनुशंसा हो। चूंकि हमने देखा है कि किस तरह से हमारी अभी रोड बनी थी भदेसर से लेकर अवेडा चौराहे से लेकर निकुम्भ चौराहे तक की, उसकी लायबिलिटी, डिफैक्ट लायबिलिटी पांच साल से अभी पूरी हुई और लास्ट साल में छोटा-मोटा कुछ काम करवाकर उसकी एस.डी. उठा ली। समिति की जब तक अनुशंसा नहीं हो तब तक वह रुपये नहीं उठा सके, एस.डी. रिटर्न नहीं करवा सके।

माननीय अध्यक्षजी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र प्रतापगढ़ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फटाफट से। जल्दी-जल्दी रखो।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जल्दी-जल्दी, बहुत जल्दी रखूंगा। प्रतापगढ़ में एक सरिपीपली पंचायत है और उठाखेड़ा एक और गांव को जोड़ती है। वह गांव वन क्षेत्र में है और चूंकि उस गांव का आने-जाने का और कोई रास्ता नहीं है, और जब जाखम डैम की नदी चलती है तो महीने-महीने भर उस गांव में कोई आ-जा नहीं सकता है। अभी ए.ईएन., एक्स.ईएन. साहब का एक दिन फोन आया था कि अभी पुलियाओं के लिये आपने प्रस्ताव मांगे हैं तो अभी जो प्रस्ताव जा रहे हैं, उसमें सिर्फ स्टेट हाइवे और एम डी आर रोडों को ही लिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि वह स्टेट हाइवे और उनके साथ में कुछ जरूरी जो पुलियाएं हैं, उनको भी आप स्वीकृत कराने का प्रयास करें। जैसे इसमें यह जरूरी है और चूंकि महीने-महीने भर तक वे लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में वहां पुलियाओं की जरूरत रहती है। क्योंकि प्रतापगढ़ में बहुत सारी नदियां आती हैं तो मैंने वहां के प्रस्ताव भी आपको प्रस्तुत कर

(श्री गोतम कुमार)

रखे हैं तो उन प्रस्तावों का एक-एक का नाम लूंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा। हमारी डूंगला पंचायत समिति में भी एक ईडरा के पास माजबावजी का स्थान है, मतलब एन.एच. 76 से ईडरा गांव जाती है उसके बीच में तेलनखेड़ी की एक पुलिया है। एक डूंगला पंचायत समिति की आदरणीय प्रमुख शासन सचिव साहब भी विराजे हुए हैं, वह 'सरकार आपके द्वार' में हमारे यहां पधारे थे, उनको भी यह सारी मांगें ध्यान में हैं। भूतखेड़ा से घोड़ाखेड़ा के बीच में सड़क है, पुलिया है डूंगला पंचायत समिति में, भूरकिया से चान्द्राखेड़ी, वागन नदी पर भी एक पुलिया है, जो भी बहुत आवश्यक है। एक हमारी पाल पंचायत है, लगभग सात हजार लोग उसमें रहते हैं और वहां आने-जाने के लिये ग्यासपुर से पाल के बीच में केवल एक ही पुलिया है और उस पुलिया पर, अभी अजय सिंहजी किलक साहब, जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, वह प्रभारी मंत्री भी रहे थे और वह उस गांव में गये थे, तो वाइल्ड लाइफ, जंगल के बीच में है, और वहां आने-जाने के लिये सिर्फ एकमात्र वही पुलिया है। मेरा आपसे निवेदन है सात हजार की आबादी है और बारिश के दिनों में वहां कोई आ-जा नहीं सकता है। इतनी भंयकर उसकी हालत खराब हो जाती है और अभी भी उस पुलिया को वन विभाग वालों ने बना रखा है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के मार्फत, या पी.डब्ल्यू.डी. के मार्फत उस पुलिया का थोड़ा-सा काम हो जाये तो निश्चित रूप से वहां की जनता आपको धन्यवाद देगी और आप वहां आकर देखेंगे कि आजादी के 67 सालों में भी उनको आजादी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में वह है। डिमांड तो और बहुत सारी है, एक लोक निर्माण पर दो बात और करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचंक घंटी)

श्री अध्यक्ष: दो बात और कर लीजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सिर्फ दो बात हैं। एक तो उपखण्ड मुख्यालय हमारा टोंक रियासत के समय में भी हमारी डूंगला तहसील बनी हुई थी और उस टोंक जमाने की जो तहसील बनी हुई है, वह तहसील भवन गांव के बीच में है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस तहसील भवन के लिये भी इस बार स्वीकृति हो जाये। अभी तो चूंकि गांव बड़ा है और उस गांव के बीच में वह तहसील भवन है, आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। अगर गांव के बाहर बन जाये, जमीन हमारे पास है, अच्छी लोकेशन की जमीन है। अगर वहां तहसील भवन बनेगा तो निश्चित रूप से तहसील भवन सुन्दर भी लगेगा और आने-जाने वालों को थोड़ी सुविधा भी होगी।

(श्री गोतम कुमार)

एक हमारे डूंगला में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई डाक बंगला नहीं है तो वहां उपखण्ड मुख्यालय भी है, सरकार आपके द्वार में भी अभी सारे अधिकारी, प्रभावी सचिव आये थे, उस समय 70 किलोमीटर उनको रुकना पड़ा। आस-पास में ऐसी कोई जगह नहीं थी अगर डूंगला और एक मंगलवाड चौराहा है, मंगलवाड चौराहे पर भी अगर डाक बंगला बन जाएगा तो आप भी कभी जयपुर से बीच में पधारें तो निश्चित रूप से..

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

और बहुत सारी बातें हैं अभी। एक लास्ट में।

श्री अध्यक्ष: लिखकर दे दीजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक रेवेन्यू विलेज के बारे में अभी आदरणीय चौधरी साहब ने बताया कि ऐसे हमारे रेवेन्यू विलेज, जो नहीं बने और लगभग आबादी 500-700-1000 की आबादी के ऐसे 20 गांव हैं।

श्री अध्यक्ष: गांवों की सूची दे दीजिये। विराजो।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तो अगर उनको भी गैर-राजस्व गांवों को, चूंकि मानपुरा और ढलम गांव हैं, ढलम गांव की आबादी कुल 150 है। रेवेन्यू विलेज वो है, मानपुरा की आबादी 1200 है लेकिन वह अभी तक नहीं जुड़ा है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तो ऐसे लगभग 20-25 गांव हैं उनको जुड़वाने का प्रयास करें, स्वीकृति दिलाने का प्रयास करें। बोलने के लिये तो इस विभाग के लिये बहुत कुछ है, लेकिन आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रामलालजी, बोल चुके पहले। आप बोल चुके पहले दो मिनट। नहीं बोले क्या? यहां लिख रखा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ना-ना, नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष: तो आपने दो मिनट मांगे थे, आपको दो मिनट दिये जाते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं तो एक मिनट ही बोलूंगा, अध्यक्षजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीन मिनट। बोलने दीजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य थे, उनसे आज आग्रह किया कि कल जो बात कही थी, उन शब्दों को आप वापस लें। तो उन्होंने वापस ले ली है, इसलिये आप अगले जनम की चिन्ता ना करें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार आने के बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण, कृषि विपणन बोर्ड और पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी सड़कें बनी हैं, उसके लिये तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी जो समस्या है अध्यक्ष महोदय, वह समस्या है कि एक चौमूं-महलां जो पीपीपी मोड के ऊपर सड़क का सुदृढ़ीकरण करना था, जो हाड़ोता से शुरू होना था, अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता मैं बयां कर रहा हूं कि हाड़ोता से लेकर अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के कालाडेरा तक कोई व्यक्ति मोटर साइकिल से अगर घर चला जाये तो घर पहुंचते-पहुंचते कम से कम 200 ग्राम डस्ट पेट के अन्दर पहुंच जायेगी, 200 ग्राम डस्ट उसके पेट के अन्दर पहुंच जायेगी और घरवाले उसको पहचानने से भी मना कर देंगे, यह हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे आप डिपार्टमेंट से करायें लेकिन चौमूं से महलां की जो सड़क है वह अधूरी बनी पड़ी हुई है, एक साल से काम बंद है, अब री-टेण्डर आप कब करोगे? कब उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करोगे? मेरे खयाल से एक साल का समय और लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि कम से कम डिपार्टमेंट से एक बार उस सड़क की स्थिति को सुधरा दें ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वह भी रुकें और उसके ऊपर कम से कम आवागमन के जो साधन हैं वो ठीक प्रकार से चल सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि जो राजस्व गांव 2002 के बाद में बने हैं, उनकी आबादी भी बहुत अधिक है, कृपा करके आप उन गांवों को भी जोड़ने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक अंतिम बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, अंतिम बात कह दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, यहां सभी माननीय सदस्यों ने गौरव पथ की बात की है, इस गौरव पथ में मेरा एक सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, जिस गांव में आप गौरव पथ बना रहे हो वहां की स्थिति के अनुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनाएं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर यातायात का दबाव बिलकुल नहीं है और अगर वहां आप 8 इंच का गौरव पथ बनाओगे तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। यदि आप एक हजार मीटर का गौरव पथ बना रहे हैं और अगर आवश्यकता है कि वो गौरव पथ 1200 मीटर तक बने तो वहां जो भौगोलिक स्थिति है, उस गांव की स्थिति के अनुसार जहां नालियों की आवश्यकता नहीं है वहां नालियां नहीं बनाकर उस रोड को आगे बढ़ा दें तो मेरे ख्याल से उसका लाभ अधिक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तलाजी, आपने दो मिनट मांगा है, दो मिनट से आगे आप नहीं बोलेंगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, दो मिनट तो देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट आपको भी दूंगा, 6.15 से आगे नहीं बढ़ूंगा।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): एक नहीं हुकुम, दस मिनट।

श्री अध्यक्ष: नो। (व्यवधान) नो, नो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि हम तो सिर्फ मेन रोड आलनपुर से बानसूर तक जो जाता है।

श्री अध्यक्ष: हां, वो बोल दो आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उसकी हालत बहुत खराब है, सिंगल रोड है और उसमें एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गहरे खड्डे हो रहे हैं तो उसे नया बनवाएं। जो नेशनल रोड नया बनाया जा रहा है, जो जयपुर से बानसूर होता हुआ ततारपुर चौराहे जा रहा है उसमें डेढ़-डेढ़, दो-दो फीट साइड ऊंची है, नया रोड बन रहा है, वहां अभी पिछले महीने ही दो-तीन एक्सीडेंट हो गये जिसमें दो जनों की मृत्यु भी हो गयी है तो अगर ऐसी रोड की साइड साथ-साथ बनते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

कुछ पुलिया हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी बारिश के दिनों में बच्चे कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाते, गूंता रोड पर मांची के बीच में है, मांची से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आने वाले बच्चे, रामपुर में खारी का बास, चांदपुरी रोड पर बामनवास कांकड़, बणजारा की ढाणी, लेकड़ी में मीणा की ढाणी और एक है जैनपुर बास, यह एन.एच. आठ पर है, यहां भी बनें क्योंकि बहरोड़ और कोटपूतली बच्चे स्कूल, कालेज जाते हैं, वहां पर काफी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उसे भी बनाने के लिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है ।

हमारे बानसूर में एस.डी.एम. आफिस के सामने तहसील के लिए और सरकारी आवास के लिए जमीन स्वीकृत है लेकिन वहां पर अभी तक सरकारी आवास बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है तो जल्दी से जल्दी स्वीकृति कराएं जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान न हों, इधर-उधर नहीं रहें।

सरकारी अस्पताल में सार्वजनिक हाल बने जिससे मरीज के साथ आये हुए लोगों को परेशानी नहीं हो।

टूटी-फूटी रोड में एक सबसे ज्यादा है हमीरपुर से जयसिंहपुरा छींड को जाती है और एक अलवर से जयपुर के लिए वाया नारायणपुर होते हुए जो रोड है, वो बहुत ज्यादा टूटी पड़ी है जिसमें आने जाने में बहुत समय लगता है।

मंत्रीजी सामने बैठे हैं, मंत्री महोदय, यह तालावाला जो रोड़ है ताला से थानागाजी, इसको भी बनवाएं, बहुत बुरी हालत है। एक आडीगेली से गढ़ी तक, इससे दो तहसीलें जुड़ जाएंगी। सामोता स्टैण्ड से नारायणपुर तक खारी का बास होता हुआ राजपुरा सिख से नरवद का बास, केरपुरा रोड से कोटपूतली रोड तक, डांगीवास से सिलामपुरा तक जिससे बहरोड़ की सीमा जुड़ जाएगी। तोलावास से भड़ाना की बाल, मुण्डावर से डोरीवाली तक जिसमें छोटा पुल भी बन जाएगा तो गांव की परेशानी दूर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्री, श्री युनुस खान। (व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आपने फरमाया था न मेरे को।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब समय हो गया।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरे को दो मिनट दे दो।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। आपने दस मिनट बोल दिया इसलिए ... (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मैं बोला ही नहीं, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: विराजो आप। माननीय युनुस खान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आ जाए, मुखबंद मांगें पूरी और पारित हो जाएं तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आज का कार्यक्रम बोलो, उसमें वो भी है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आज की कार्य सूची पूरी होने तक।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाया।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्षजी, टेबल कर दूं, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दो आप।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मुझे दो मिनट बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

समय बढ़ाया गया। (व्यवधान) टेबल कर दें।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्षजी, आपने लाइट तो लगा दी।

श्री अध्यक्ष: आइन्दा दे देंगे टाइम, अब कल देंगे, बैठो आप।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16, अनुदान की मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21, इसके सम्बन्ध में आज सदन में अब तक 34 माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही अनुभवी विचार रखे, बहुत सारे सुझाव दिये और इन दोनों मांगों के संदर्भ में मांग संख्या 19 में कुल 151 कटौती प्रस्ताव

(श्री युनुस खान)
61 माननीय सदस्यों ने दिये और उसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या में 21 में 363 कटौती प्रस्ताव 102 माननीय सदस्यों ने दिये।

श्री अध्यक्ष: यह ले लो।

(माननीय सदस्यगण सर्व श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण), संजीव कुमार (भादरा), विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा), लक्ष्मी नारायण बैरवा (चाकसू), नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा), सुरेश सिंह रावत (पुष्कर), घनश्याम (टोडाभीम), फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर), भंवर सिंह (कोलायत), हमीर सिंह भायल (सिवाना), छोटूसिंह (जैसलमेर), हरिसिंह रावत (भीम), शिमला बावरी (अनूपगढ़), नानालाल अहारी (खैरवाड़ा), अजीतसिंह (टोंक), मानसिंह (गंगापुर), रामहेतसिंह यादव (किशनगढ़ बास) द्वारा मांग संख्या 19 व मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन सब के सुझाव और इन सब की जो राय और जिस तरीके के विचार आये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब सात दिन में माननीय सदस्यगण के निवास स्थान पर या कार्यालय में भेज दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की आज जो चर्चा चली उसमें सड़क के बारे में, भवन निर्माण के बारे में, भवन मरम्मत के बारे में, इन सब विषयों पर आज जिस तरीके का विचार-विमर्श हुआ, यह बात सही है कि पी.डब्ल्यू.डी. इस तरीके की सड़कों का निर्माण करती है और अगर हम प्राचीनतम काल का इतिहास देखें तो लगभग छह हजार बी सी पहले सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ था जो आज 2001 में जिस तरीके की सड़कों का निर्माण हुआ है, अलग-अलग समय में स्वरूप बदलता गया। यह विभाग राजा-महाराजाओं के जमाने में भी काम करता था, अंग्रेजों के जमाने में भी काम करता था। पहले इस विभाग का नाम इंजीनियरिंग महकमा था और बदलकर के आजकल सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि हो गये। पहले भी सार्वजनिक, चाहे बावड़ी हो, कुएं हों, भवन हों या किले हों, इनका निर्माण यह विभाग करता था और अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवनों का निर्माण करता है।

(श्री युनुस खान)

आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी हाउस में जो 9 मार्च को बजट रखा था उसमें जिस तरीके की सौगातें उन्होंने राजस्थान की जनता को सड़क के क्षेत्र में दी हैं, अभी हमारे विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्य अपनी चर्चा में बात कह रहे थे कि यह सिर्फ घोषणाएं ही हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2003 से 2008 तक माननीय वसुन्धराजी का कार्यकाल राजस्थान की जनता ने देखा है और उनके काम में, उनके विजन में और उनके निर्णय में जो क्षमता है उसका सानी इस हिन्दुस्तान में आज के किसी भी मुख्य मंत्री में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको आज की तारीख में वित्त मंत्री के रूप में एक अनुशासित प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। वो घोषणाएं नहीं करती हैं, जब तक वित्तीय प्रबन्धन नहीं हो जाता तब तक घोषणाएं नहीं करती हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको वो पूरा करेंगी। यह मैं आपके माध्यम से इस सदन को और राजस्थान की जनता को, माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हड़प्पा-जोदड़ो से लेकर के और माननीय वसुन्धराजी के शासन तक जो सड़कों का इतिहास है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो आज के दिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर लगभग 1,39,681 किलोमीटर सड़कें फरवरी, 2015 तक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 13 दिसम्बर, 2013 को पुन: माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी थीं उस समय हमारे को लगभग 1,33,663 किलोमीटर की सड़कें मिलीं और पूर्व शासन की जो पाइप लाइन में थीं वो मात्र 1722 किलोमीटर की सड़कें थीं, जिसकी क्रेडिट तो 31 मार्च, 2014 तक हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ले सकती है लेकिन जो चर्चा बार-बार हाउस में आती है कि इनके शासन में किसी भी तरीके से सड़क का नया निर्माण नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में जो मैंने 1722 किलोमीटर की सड़कों की चर्चा की है उसके अलावा 6018 किलोमीटर सड़कें विभिन्न योजनाओं में हमारी इस वर्तमान सरकार ने बनायी हैं और उसमें लगभग 2177 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि अब हमारा एक साल निकल गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता फिर भी चूंकि

(श्री युनुस खान)

इन्होंने हाउस में बार-बार इस बात को रखा है तो मैं कहना चाहूंगा कि 2003-08 तक माननीय वसुंधराजी के शासन काल में 38,176 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। जबकि माननीय गहलोत साहब के शासन में 2008-13 तक मात्र 10,315 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से जो सड़क निर्माण का कार्य है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और किसी भी प्रदेश को आगे ले जाने के लिये, उसके विकास के लिये, उसकी बहबूदी के लिये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्राथमिकता दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमें एक वर्ष हुआ है, 14 महीने की चर्चा कर रहे हैं। जब 13 दिसम्बर, 2013 को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली थी, उस समय वह बजट वर्ष 2013-14 का था, उसमें जितनी राशि का बजट में इन्होंने प्रावधान किया था, वह तो दिसम्बर तक चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्होंने खर्च कर दी। बार-बार चर्चा आती है कि हमारी सड़कें निरस्त कर दीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और मैं पुन: इस बात को दोहराना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने वित्त मंत्री के रूप में जब बजट रखा था तो उन्होंने सड़कों के बजटीय प्रावधान में मात्र 2,242 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था। उन्होंने 4 हजार करोड़ की सड़कें स्वीकृत कर दी थीं। उसी तरीके से मुख्य मंत्री प्राथमिकता सड़कों में उन्होंने 150 करोड़ का प्रावधान किया था और उसके अगेंस्ट में उन्होंने 600 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं। यही कारण है कि बिना बजटीय प्रावधान के, बिना वित्तीय प्रावधान के इन्होंने जो घोषणाएं कीं, उनकी स्वीकृतियां जारी कीं, उनके बोर्ड लगाये और वे काम पूरे नहीं हुए जो आज यह कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने कैंसिल कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कटिबद्ध है कि राजस्थान की जनता को, राजस्थान के गांवों को सड़क से ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाये। चूंकि अभी एक साल हुआ है और हमारी अभी शुरूआत है। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि अब 3 साल बचे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 साल बचे हैं या 4 साल बचे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हम राजस्थान को सड़कों के क्षेत्र में अव्वल प्रदेश बनाएंगे। राजस्थान को एक माडल प्रदेश बनाएंगे।

(श्री युनुस खान)

मानानीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हम सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाते बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। आज हाउस में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने और विशेष रूप से विपक्ष ने इस बात की आशंका रखी कि यह जो पीपीपी माडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो माडल है, यह माडल आज का नहीं है। यह कोई हमारा लाया हुआ नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें भी इस पर काम करती रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 हजार किलोमीटर की सड़कों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको मेगा हाइवे में परिवर्तित करने के लिए पिछले बजट में घोषणा की थी। जिन 20 हजार किलोमीटर सड़कों की घोषणा की, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी सड़कों का न तो एक दिन में टेंडर लग सकता है। सबसे पहले तो हमने उन सड़कों का चिन्हीकरण किया और उन 20 हजार किलोमीटर में से प्रथम चरण में 8,910 किलोमीटर का चिन्हीकरण किया। वह फिजिबल है कि नहीं है, इसको देखने के लिए 132 सड़कों का हमने सर्वे करवाया। उसका भी टेंडर होता है। जिसके बारे में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने फिजूल खर्च कर दिये। अगर हम उनकी फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करवायेंगे तो भारत सरकार का डीईए हमें 20 परसेंट नहीं देगा। कोई भी कंसेशनर उसमें आयेगा नहीं और कोई भी बैंक उस पर लोन नहीं देगा। इसलिए इन सड़कों के निर्माण के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया को करने के लिए हमने एक तरफ तो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई। पहली बार राजस्थान में हुआ है कि 35 काबिल अफसरों की अलग से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की एक डिवीजन खोली है। उसके अलावा आपको ध्यान होगा, 1 अगस्त, 2014 को हम एक बिल, राजस्थान स्टेट हाइवे बिल भी लेकर आये थे। उसको इसी हाउस से पास करवाया। उसी प्रक्रिया के अन्दर बीकानेर में जब हमारी सम्भाग की मीटिंग थी, कैबिनेट ने पूरे राजस्थान के नक्शे का कि हम किस तरह से सड़कें बनायेंगे, कहां से वित्तीय प्रबंधन करेंगे, इसकी व्यवस्था की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी कड़ी में आज माननीय सदस्यों ने टोल नीति घोषित करने की बात कही। कहा कि इनकी टोल नीति आज तक आयी नहीं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 18 मार्च, 2015 को हमारी इस टोल

(श्री युनुस खान)

नीति का बाकायदा सारे प्रोसीजर से आते हुए नोटिफिकेशन हो गया है, जो माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन पीपीपी प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं और जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, आज उसको कहते हुए खुशी हो रही है, हमने जिन 83 सड़कों की अभी तक विवेचना करवाई है, उसमें 2,135 किलोमीटर की सड़कें, लगभग 28 सड़कें वायबल पायी गयी हैं। उनको हम इसी महीने के एंड तक या प्रथम सप्ताह तक डीईए को, हिन्दुस्तान सरकार को हम भेज देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से जो 60 सड़कें लगभग 3894 किलोमीटर की नान वायबल हैं, उनको भी हम बनायेंगे। उसका भी विभाग ने पैरेलल एशियन डवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जायका के साथ में हमारे अधिकारियों ने बार-बार सीटिंग करके, इन सारे प्रपोजल्स को रखा है और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि 3 हजार करोड़ रुपये हमारे को एडीबी ने लोन देने की बात कही है। उसी तरीके से 3 हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक हमें लोन के रूप में देगा। यह जो 6 हजार करोड़ रुपये आयेंगे, उससे जो हमारी नान वायबल सड़कें हैं उन सड़कों का हम निर्माण करेंगे। इसलिए इस हाउस को और विपक्ष को निराश होने की जरूरत नहीं है कि यह किस साधन से उन सड़कों का निर्माण करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 हजार किलोमीटर सड़कों की घोषणा की है, उस कार्य को जो हाथ में लिया है, उसको पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2015-16 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब रखा, उस समय लगभग 779 किलोमीटर, जिसमें डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़, गंगानगर-रायसिंहनगर-बीकानेर, दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह, सीकर-लाडनूं-नोखा, दरा-खानपुर-अकलेरा, इन 5 सड़कों के लिए इसी वर्ष हम पूरी प्रक्रिया करके इन सड़कों का कार्य शुरू कर देंगे। जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे मुख्य सचेतक, विपक्ष और मेरा, तीनों का गांव उसी रोड पर पड़ेगा। उस रोड का काम भी हम, मैंने पिछली बार कहा था जब हमारे विपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे, कांग्रेस के सचेतक महोदय कह रहे थे...।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो युगलबंदी लगती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसके लिए हमने पहले ही टेबल बजा दी थी। नहीं हुआ है इसलिए दोबारा कह रहे हैं। अब दोबारा काहे की टेबल बजाएं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक बार और बजा दें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपके घर तक रोड बना देंगे। चिंता मत करो, बजा दो आप तो ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अपने-अपने घर की ही रोड बना रहे हैं तीनों मिलकर के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मुझे समय सीमा में बांधा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्रीजी मिलकर के घर-घर की रोड बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा और बोल सकते हैं। अपना भाषण आप पूरा कीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में और की थी ग्रामीण गौरव पथ की। हमने जिस गौरव पथ की बात कही, उस गौरव पथ का निर्माण शुरू हो गया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अगर आज हम उसकी प्रगति देखें, क्योंकि कोई भी टेंडर अगर छूटता है तो उस ठेकेदार को काम करने के लिए न्यूनतम 6 से 8 महीने का समय देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी 2154 ग्राम पंचायतों में जो 1,113 करोड़ रुपये की 2119 किलोमीटर सड़कों की टेंडर प्रक्रिया पूरी की है, उसका निर्माण 8 महीने के अन्दर पूरा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बार-बार इस बात को उठाया कि अभी उसकी प्रगति क्या है, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में 905 ग्राम पंचायतों में यह काम शुरू हो चुका है। उनमें से 85 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका काम पूर्णतया हो गया है। उस काम को कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 820 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें काम या तो शुरू हो गया है या कम्प्लीट हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और यहां इन गौरव पथ के विषय में आयी कि राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से काम किया गया। मैंने पहले ही

(श्री युनुस खान)

निवेदन किया था कि जो हमारे 187 ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें से सभी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों को हमने 10 से लेकर के 15 तक सड़कें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में दी हैं। हमारी सरकार ने चाहे वहां जन प्रतिनिधि के रूप में कोई कांग्रेस से आया हो, निर्दलीय आया हो, बसपा से आया हो या बीजेपी से आया हो, पूरे राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा राजेजी हैं, इसलिए उनके शासन में किसी भी तरीके का राजनीतिक द्वेष या भेदभावपूर्ण कार्य नहीं होगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने उसकी लम्बाई को, उसकी मोटाई को, उसकी चौड़ाई को लेकर बात कही थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनकी स्वीकृति के चयन का आधार क्या रहा, वह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, डोटासराजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप चयन का आधार तो बताएं, मंत्रीजी, कि इन्होंने किसके कहने से स्वीकृत की?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान की ग्राम पंचायतें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपकी समझ के बाहर है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई पाकिस्तान में नहीं बनाई हैं सिर्फ राजस्थान की ग्राम पंचायतों में राजस्थान की जनता के लिए बनी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके ग्राम में आपके घर पर भी बनेगी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भ्रांतियां ग्रामीण गौरव पथ को लेकर हैं। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस भाव से इन सड़कों की घोषणा की थी कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो गांवों में काम करती हैं, उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। उसका जो मूल थीम था वह यह था कि गांव की वह गली या सड़क ली जाए जिसमें बहुत ज्यादा कीचड़ है तो उन सड़कों को लिया जाना था लेकिन कुछ त्रुटिवश, कुछ जगह पर पीडब्ल्यूडी की आलरेडी जो सड़कें थीं उनको ले लिया गया, उनका भी माननीय जन प्रतिनिधियों और हमारे आफिसर्स से चर्चा करके अलाइन्मेंट चेंज कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री युनुस खान)

पहले हमने, यह बात सही है कि 6 इंच मोटी और 3.75 मीटर चौड़ी और एक किलोमीटर की स्वीकृतियां जारी की थीं लेकिन कहीं ऐसा है कि भार बहुत ज्यादा है, भारी वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है इसलिए उन सड़कों की मोटाई अगर 8 इंच तक भी की जाएगी तो उसको हम अलाउ करेंगे और उसकी लम्बाई 1 किलोमीटर बजाय 750 मीटर कर देंगे क्योंकि यह जो हमने कांट्रेक्ट दिया है, टेण्डर जो दिया है वह क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिया है तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से ही और अगर चौड़ाई भी करना चाहेंगे तो वह भी हम अलाउ करेंगे, यह इस शंका को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूर कर देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस शख्सियत को भी याद करना चाहूंगा जिसकी चर्चा आज हाउस में हुई। यह बात सही है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी ने सन् 2000 के अन्दर प्रधान मंत्री सड़क योजना...(व्यवधान) उसमें 2001 की जनगणना को आधार मानकर उन सड़कों का निर्माण किया और 2001 की जनसंख्या में राजस्थान में जब यह योजना शुरू हुई उस समय 39753 गांव थे, उनमें से उस समय 20,009 गांव ऐसे थे जो सड़कों से जुड़े हुए थे, शेष 19744 गांव ऐसे थे जो किसी भी तरीके से कनैक्ट नहीं थे। इस योजना की जो 250 तक ट्राइबल एरिया और मरुस्थलीय एरिया, 500 तक सामान्य एरिया के जो नियम थे उनके मुताबिक सिर्फ 10863 गांव ऐसे थे जो जुड़ सकते थे और इन 10863 गांवों को राजस्थान में आज की तारीख में जोड़ दिया गया है। शेष जो बचे हैं, 8881 गांव उनमें चूंकि यह प्रधान मंत्री सड़क योजना लागू नहीं हो सकती इसलिए इन गांवों को जोड़ने के लिए एक नई योजना आरआरएमएसएमपी लागू की गई, उसमें इन गांवों में से 1056 गांव आज की तारीख में और जोड़ दिए गये। इसके अलावा नाबार्ड से लोन लेकर 1337 गांव इस योजना के अलावा इन गांवों को और जोड़ दिया। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6488 गांव ऐसे हैं आज भी इन 39753 में जो किसी भी तरीके की योजना से नहीं जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि 250 से 499 तक के गांव ऐसे हैं उनको जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने एक ठोस रणनीति बनाकर काम करने की शुरूआत की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 में पीएचईडी का सर्वे हुआ था, उस पीएचईडी के सर्वे में कुछ

(श्री युनुस खान)

हैबिटेशन ऐसे थे जिनकी संख्या 121323 थी जो जोड़ने लायक छोटे-छोटे अलग-अलग जगह पर ढाणियां थी, लायक थे नहीं तो उनका जब सर्वे हुआ तो हैबिटेशन के रूप में 46272 गांवों को, हैबिटेशन्स का चिह्नीकरण किया और इनमें से 5749 हैबिटेशन्स को जोड़ने लायक समझा गया क्योंकि छितराई हुई ढाणियों में हर खेत में तो सड़क, माननीय अध्यक्ष महोदय, जा नहीं सकती इसलिए उनका क्लस्टर बनाया उसमें 5749 हैबिटेशन्स एलिजिबल पाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें से 3796 हैबिटेशन्स को जोड़ दिया गया और शेष जो रहे हैं वह है 1953, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में इन 1953 की भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाकर भारत सरकार को दे दी है और मुझे कहते हुए खुशी है कि उनमें से 1445 हैबिटेशन्स ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने प्रीईसी में स्वीकार कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष में लगभग हमें 1597 करोड़ रुपए इस हैड में हमें मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि 5779 हैबिटेशन्स थे उनको भी हम 2015-16 तक जोड़ने में कामयाब होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस योजना की मैंने पीएमजीएसवाई के साथ में राजस्थान रोड सैक्टर माडनाईजेशन प्रोजैक्ट की बात कही, उसकी चर्चा मैंने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी जैसा कि मैंने पहले शुरूआत में कहा, 1056 गांवों को जोड़ दिया और हमारी सरकार आने के बाद हमने लगभग 432 गांवों को और जोड़ने के लिए पूरे टेण्डर कर दिए हैं, उनका काम भी शुरू हो गया और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको हम शीघ्र जोड़ देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अब राजस्थान को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से अलग-अलग सैक्टर में, चाहे वह पीपीपी है, चाहे वह पीएमजीएसवाई है, चाहे हमें नाबार्ड से पैसा मिलता हो, चाहे हम वर्ल्ड बैंक से लें, इस पूरे राजस्थान का पूरा खाका, जिन सड़कों की मैंने चर्चा की, लगभग आज बिटुमिन की 139000 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी मेन्टेन करती है, उन सड़कों को तो हम चौड़ा करके स्ट्रेंथनिंग करेंगे। कुछ गांवों को जोड़ने की अलग से योजना है और पीपीपी में जो सड़कें ले रखी हैं हमने वैसे तो वह सड़कें बनी हुई हैं पर कुछ जगह हम नई, उसके नए स्ट्रैचेज तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर अगले चार साल में पूरे राजस्थान के अन्दर हर सेक्टर में चाहे वह

(श्री युनुस खान)

गांव का सैक्टर हो, चाहे वह शहर का सैक्टर हो, चाहे वह हाइवे का सेक्टर हो, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इस ओर आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नई सरकार हमारी दिल्ली में बनी, उस सरकार के बनने के बाद में दोनों जगह, दोनों प्रदेशों में एक ही दल की सरकार हो गई। यह बात सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूर्ववर्ती सरकार में जब माननीय गहलोत साहब यहां मुख्य मंत्री थे तो राजस्थान को ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया था, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता केन्द्र के अन्दर मंत्री बने थे तो राजस्थान की जनता को इस बात की खुशी हुई थी कि दिल्ली में हमारे इतने बड़े नेता राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री बने हैं तो इसका राजस्थान को फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए तकलीफ और दु:ख है कि इसका फायदा राजस्थान को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि दो बड़े नेताओं के बीच में जिस तरीके का कम्युनिकेशन गैप था, मतलब गैप था ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सीपी जोशीजी ने ही दिलाया था राजस्थान प्रदेश को ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सीपी जोशीजी ने तो खाया है। दिलाया नहीं, खाया है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं, यह बात सही है, सीपी जोशी साहब ईमानदारी से काम करना चाहते थे लेकिन यहां तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उनके मन में यह बात थी कि अगर जोशी साहब के शासन में अगर इस राजस्थान में काम हो गया...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हमने तो काम किए हैं, मुख्य मंत्रीजी ने काम किए हैं, सीपी जोशीजी ने पैसा दिया है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने तो टोल की रेट बढ़ाई है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो 25 परसेंट और बढ़ा रहे हो, हजार टोल लगा रहे हो और 25 परसेंट पैसा बढ़ा रहे हो टोलों पर। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने जिनको अनावश्यक दिया है

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उनको अभी बन्द किया है, पिछले महीने 64 टोल बन्द कर दिए हमारे गडकरीजी ने। आपकी बेइमानी को पकड़ा उन्होंने। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उस बात पर नहीं जाना चाहते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे राष्ट्रीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस सैक्टर में राजस्थान को बहुत सारे ऐसे तोहफे दिए हैं जिन तोहफों को 13 दिसम्बर, 2014 को जब यहां जलसा हुआ था जिसमें स्वयं हमारे नितिन गडकरी जी आए थे और 4000 करोड़ रुपए की सड़कों की नींव और शिलान्यास उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रखी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नितिन गडकरीजी के आने के बाद में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से हमारे एनएचएआई के 3303.8 करोड़ रुपये के 7 कार्य हमें इस नई सरकार से, माननीय मोदीजी की सरकार से एनएचएआई के सैक्टर में मिले हैं।

इसी तरह से नागौर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, इनको भी बहुत बड़ा तोहफा मिला है, लगभग 115 करोड़ की राशि का बाइपास इनको मिला है। जोधपुर से नागौर की सड़क भी माननीय मंत्रीजी ने उसमें स्वीकृत की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पुल की आपने डिमाण्ड की, यह बात सही है कि पहले यह स्वीकृत था, नागौर से आने वाले सदस्य ने जिसकी चर्चा की, पहले एनएचएआई की सड़क उधर से निकल रही थी, चूंकि अब एनएचएआई ने बाइपास बना दिया, इसलिए एनएचएआई ने कहा कि हम हमारा शेयर नहीं देंगे। तो जो 4 करोड़ रुपये की राशि रेलवे की स्वीकृत है, वो ही रह गई। अब हमने उसको टेक-अप किया है और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारा जिला मुख्यालय है, उससे उतना ही स्नेह है जितना हमारे नागौर से आने वाले माननीय सदस्य को है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि माननीय वसुन्धराजी के कार्यकाल में ही उस पुल को हम बनाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अभी एक नई स्वीकृति और मिली है। जब माननीय प्रधान मंत्रीजी सूरतगढ़ आये थे उससे पहले लगभग 400 करोड़ रुपये की गंगानगर से सूरतगढ़ तक की सड़क उन्होंने और स्वीकृत की है जो हमारे को बहुत बड़ा तोहफा मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वह सड़क पीडब्ल्यूडी की है, चाहे वह एनएचएआई की है चाहे एनएच की है, उनकी प्रोपर मोनिटरिंग करने की व्यवस्था हमने की है। हम भारत सरकार के नियमित रूप से सम्पर्क में हैं और समय-समय पर जहां-जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसका निवेदन उनसे करते हैं। मैं पुन: माननीय नितिन गडकरी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरीके से राजस्थान में वे रुचि लेकर हमें काम में मदद कर रहे हैं वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क तंत्र प्रत्येक प्रदेश के लिए जरूरी है। उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भी सड़कों को जोड़ने का काम करेंगे।

एक सड़क, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे से पूर्ववर्ती जो मिनिस्टर रहे, क्योंकि इनका झगड़ा खाली जयपुर और दिल्ली के बीच में ही नहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका झगड़ा कोटा में भी चलता था। कोटा की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी कोटा से एनएच 12, कोटा से दर्रा, दर्रा से झालावाड़, झालावाड़ से तीनधार और तीनधार से मध्य प्रदेश बार्डर तक थी। चूंकि एक ही जिले से दोनों माननीय मंत्रीगण आते थे और दोनों में इतनी खींचतान थी कि उस सड़क को 5 साल तक लटकाये रखा। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से अभी हमें 621 करोड़ रुपये कोटा से दर्रा की स्वीकृति और मिल गयी है। यह बहुत बड़ी समस्या थी। उसका समाधान भी किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में मैं जो हमारे बाड़ी से माननीय सदस्य आते हैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहूंगा। जो सोने का गुर्जा पुलिया की पिछले बजट में बात कही थी और आज माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया कि इस बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वह क्रोकोडाइल सैंक्चुरी का क्षेत्र है, चम्बल का क्षेत्र है। यह पुलिया बहुत पहले बनने लगी थी,

(श्री युनुस खान)

लेकिन राजनैतिक कारणों से, उसके घटिया निर्माण से, उसके गिर जाने से बहुत सारी परेशानी हुई। लेकिन इस सारे मुद्दे को हम लेकर गये, वन विभाग से इसकी क्लीयरेंस करवा ली। जितने चैनल हैं सारे क्लियर कराकर, क्योंकि वह क्रोकोडाइल सैंक्चुरी है, अब इनका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में गया है और वह भी शीघ्र स्वीकृत होकर आ जाएगा तो उसका निर्माण कार्य भी, सोने का गुर्जा का भी जल्दी कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबलगढ़ से मण्डरायल, जो शायद सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य भी उठाते रहते हैं उसका भी मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर निर्माण करेंगी। वह पुल भी मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला पुल है, उसकी भी सारी स्वीकृतियां हो गई हैं। वह प्रपोजल भी माननीय उच्चतम न्यायालय के यहां स्वीकृति हेतु गया हुआ है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं तो वह पुल भी शीघ्र निर्माण हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे साथियों ने डाक बंगलों की चर्चा की। यह बात सही है कि डाक बंगलों में मेंटिनेंस उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से होना चाहिए। वैसे भी ज्यादातार लोग डाक बंगलों में रुकते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह हमारी एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। इसकी हमने कैटेगरी करवायी एबीसीडी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसको भी पीपीपी मोड पर दे दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दे देते हैं, आप कहते हैं तो दे देते हैं। चलो, आपने मांग रखी है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने 11 का प्रस्ताव ले रखा है, 11 पीपीपी मोड पर डाक बंगले दे रहे हो। जब रुकते ही नहीं तो दे क्यों रहे हो?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो डाक बंगले बनने हैं उनमें दो-दो कमरे की जगह 4-5 कमरे बड़े बनाए जाएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात सही है कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया, क्योंकि पिछले बजट के समय मैंने यह घोषणा की थी जो महत्वपूर्ण डाक बंगले हैं जिसमें अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, अलवर,

(श्री युनुस खान)

भीलवाड़ा, नाथद्वारा, माउंट आबू, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण सम्पत्तियां हैं। इन सम्पत्तियों को पीपीपी माडल पर विकसित करने के हमने टेण्डर निकाले हैं। मैं यह कह सकता हूं कि अगले तीन साल में इनका बेहतरीन निर्माण करके राजस्थान में एक सम्पत्ति का निर्माण हम और करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्राइवेट लोगों को दे रहे हो, निर्माण क्या कर रहे हो? आप करो ना। सरकार अपने संसाधन से करे। आप तो माफियाओं को दे रहे हो गवर्नमेंट की इतनी कीमती जमीन को।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति एक सड़क निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये पीपीपी माडल में देता है, अगर आप उसे माफिया कहोगे तो मैं सोचता हूं यह शोभनीय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति राजस्थान के डवलपमेंट के लिए, राजस्थान की जनता की सुविधा के लिए अगर एक हजार करोड़ रुपये लगाता है और उसको हम बार-बार माफिया कहें तो यह उचित नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, सरकारों के साधन सीमित होते हैं, उनके बजट भी सीमित होते हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा करूं आज जब 3410 करोड़ का बजट हमने पीडब्ल्यूडी का यहां पेश किया है, इन्होंने 2200 करोड़ का पेश किया था। हमने लगभग 1400 करोड़ बढ़ाये हैं तो 1400 करोड़ में एक सड़क बन सकती है। इसलिए सरकार किसी की भी रही हो या किसी की भी आये, किसी की भी जाये, उसको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा और जनभागिता के सहयोग से सड़क हो, चाहे भवन हो, उनका निर्माण करवाना पड़ेगा। यह माडल एक ऐसा माडल है, यह आज नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, यह तो अंग्रेजों के जमाने में उस समय इंग्लैंड में 1515 के अन्दर आ गया था। उन्होंने पर गैलन पैसा लगाकर, पैट्रोल के ऊपर सैस लगाकर सड़कों का निर्माण शुरू किया था। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जिसमें सबसे विकसित देश जो अमरीका है, आज उसमें सारा काम टोल पर हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। जो पैसा लगाता है उसको हम बार-बार माफिया कहें तो मैं इसको उचित नहीं मानता। फिर भी इनके अपने भाव हैं, ये कुछ भी कहें, मुझे इन पर कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं दो सड़कें जो पिछली बार रिडकोर को दी गयी थीं जिसमें

(श्री युनुस खान)

भाड़ौती से लेकर मथुरा बार्डर तक और दूसरी जिसकी चर्चा बार-बार माननीय सदस्य हाउस में करते हैं वह सड़क नोहर-भादरा से पंजाब के बार्डर तक है। इन सड़कों के लिए भी मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नोहर से पंजाब बार्डर तक जो सड़क है उस सड़क को मैंने दिसम्बर, 2015 तक पूरा करने की बात कही है, उनको भी हम पूरा करेंगे। दूसरी सड़क की मैं आज हाउस में घोषणा करना चाहता हूं जो भाड़ौती से लेकर मथुरा बार्डर तक है। उसको हम आरएसआरडीसी के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे जिससे गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य 4 माननीय विधायक उस क्षेत्र में पड़ते हैं उनके विधान सभा क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है, क्योंकि समय है, आपने मुझे कहा है कि आपको 7 बजे तक करना है तो मैं मेरी बात को विराम देने से पहले एक निवेदन...

श्री अध्यक्ष: आप आगे भी बढ़ सकते हैं, पूरा भाषण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मिसिंग लिंक में।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने 45 हजार गांवों में से 39 हजार गांवों का ही हिसाब किया है। मेरे भी 30 गांव ऐसे हैं जो 250 से ज्यादा आबादी के हैं, उनको आपने कवर नहीं किया, 45 हजार गांव हो गये हैं राजस्थान में, 39 को ही कवर किया है आपने।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी चाहता हूं कि कृषि मण्डी की जो सड़कें हैं उनका क्या होगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो ये रोड स्वीकृत हुए हैं 250 और 500 की आबादी वाले तो क्या उनकी सूची विधायकों को पहुंचाई जाएगी? हमारे किए ही नहीं, आप करते ही नहीं, आप करने ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब आ रहा है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): डोटासराजी के पास भिजवा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मामा को ब्याह मां पुरसगारी करै और फेर-फेर आपका न ही दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, बार-बार नहीं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक भ्रांति दूर करना चाहता हूं। आज की तारीख में जो प्रधान मंत्री सड़क योजना है उसमें 2001 की जनगणना में जो 39753 गांव थे वो ही कवर होते हैं। उसमें भी मैंने आपके माध्यम से कहा कि 5700 गांव उस योजना में कवर नहीं हो रहे हैं जिनको भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में राजस्थान में 45446 राजस्व गांव हैं। क्योंकि अभी हमारे माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया, उनमें भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो 2001 के बाद में राजस्व गांव बने हैं। यह बात सही है कि उन गांवों की भी या तो जनसंख्या 1200 है या 2000 है हमारे माननीय सदस्यों के और जनता के यह भ्रांति रहती है कि जब यह 250 तक के गांव जोड़ दिए तो मेरा 1200 की जनसंख्या का गांव क्यों नहीं जोड़ा, मेरा 2000 की जनसंख्या का गांव क्यों नहीं जुड़ा। तो वह इसलिए नहीं जुड़ा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के जो नार्म्स हैं उसमें 2001 की जनगणना ही आती है। इसलिए मैं सारे सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह हमारे 45446 गांव हैं उनमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाये। माननीय अध्यक्षजी, हमने उस सब की सूची बना ली है, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार सूची बनवा ली है और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2018 तक, क्योंकि एक साथ हम सारे गांवों को नहीं जोड़ पाएंगे, 2018 तक सभी गांवों को हम सड़क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, यह आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सड़कें बन गईं, सड़कों पर आवागमन इतना ज्यादा हो गया, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक करोड़ 15 लाख व्हीकल्स का पंजीकरण हो, वहां पर दुर्घटनाएं होना सम्भव है। चाहे वो सड़क निर्माण में त्रुटि रही हो या वाहन चालक की लापरवाही रही हो या अन्य कोई गलती रही हो, उससे भी दुर्घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता फिर भी आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम 2014 के वर्ष को ही लें तो इसमें 24628 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 10289 लोगों की मृत्यु हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्रीजी भी समय-समय पर चिंता करते रहते हैं क्योंकि पुलिस महकमा आपके पास है, आपने भी इसमें चिंता जाहिर की है।

माननीय अध्यक्षजी, आज मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जन जाग्रति ही ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से हम

(श्री युनुस खान)

वाहन चालकों को जाग्रत कर सकते हैं। क्योंकि इतना एन्फोर्समेंट, राजस्थान का लगभग 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, 2 लाख 6 हजार किलोमीटर में सड़कें बनी हुईं, उसमें मानिटरिंग करना न तो पुलिस के वश की बात है, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास में सीमित कर्मचारी हैं उनके वश की। गांव में जो व्यक्ति रहता है वो तीन सवारी बिठाकर चलेगा, जीप में 25 सवारी बिठाकर चलेगा तो दुर्घटनाएं स्वाभाविक हैं। कई व्हीकल ओवरलोडेड चलते हैं तो दुर्घटनाएं स्वाभाविक हैं। इसलिए इसमें जन जाग्रति लाने के लिए आज मैं आपके माध्यम से यह घोषणा करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो 9900 ग्राम पंचायतें हमारी हैं उन प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम 15 मई से पहले एक दिन ऐसा है कि जो हमारे आई.टी. सेंटर हैं उन पर एक अभियान चलाएंगे जिसमें स्कूल के बच्चे होंगे, वहां के जन प्रतिनिधि सरपंच होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे, जिला परिषद के सदस्य होंगे और मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान में आप भी जुड़ें और अपने क्षेत्र में जहां से आप चुनकर आए हैं, इस अभियान में जुडकर काम करें। माननीय अध्यक्षजी, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को, यानी 9900 ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये भेजेंगे जिससे वो वहां स्कूल के बच्चों को एकत्रित करें, टैण्ट लगाएं और एक किट भेजेंगे जिसमें पूरा जन जाग्रति का लिटरेचर होगा, सी.डी. होगी, पम्पलेट्स, होर्डिंग होंगे और बुक्स होंगी जिनमें सड़क सुरक्षा के बारे में, सावधानी कैसे बरती जाए, इन सब चीजों की चर्चा होगी। 9900 ग्राम पंचायतों में हम इस कार्यक्रम को करवायेंगे। उसके बाद में हमारे पड़ौस में बैठे हैं, यू.डी.एच. मिनिस्टर हैं, इनके भी 186 जो नगरपालिकाएं हैं, सैकण्ड फेज में उनमें भी हम सड़क सुरक्षा के लिए इस तरीके का जन-जागरण अभियान चलाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैं विशेष रूप से जिस क्षेत्र से आता हूं यह बात सही है कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हम दोनों एक ही जिले से आते हैं, एक ही जिले से नहीं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही पड़ौस के गांव के हैं। माननीय अध्यक्षजी, सालासरजी का मंदिर....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): युनुस जी, फिर आपके विपरीत विचार उनके क्यों हैं? उनके आपके जैसे क्यों नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि जो विपक्ष में बैठेगा वो हमारे अगर गुणगान करेगा तो इनको मुख्य सचेतक विपक्ष कौन रखेगा इसलिए हमारी बुराई करना तो इनकी मजबूरी है और मजबूरी में इनको बुराई करनी पड़ेगी। हम दोनों साथी हैं। फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घोषणा जो है वो धार्मिक है क्योंकि सालासर बालाजी में, मैं भी पड़ौस में रहा हूं, मेरी भी आस्था है और सालासर बालाजी में जो पैदल यात्री आते हैं लक्ष्मणगढ़ से सालासर तक, तो माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं और उन दुर्घटनाओं की बदौलत वहां पर जो बहुत सारे यात्री, जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो जाती है। उसी तरीके से हमारे रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र से भी, दूर-दराज से, चूरू से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, पंजाब से पैदल यात्री आते हैं वो भी दुर्घटना में कालग्रसित हो जाते हैं इसलिए ये दो योजनाएं ऐसी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें हम पैदल यात्रियों के लिए एक फुटपाथ बनाएंगे, लक्ष्मणगढ़ से सालासर तक और रतनगढ़ से सालासर तक, जिनसे यात्री चलने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जिन मुद्दों को हमारे माननीय सदस्यों ने रखा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): रामदेवरा का भी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रामदेवरा का काम चल रहा है, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी धन्यवाद दिया, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे केशोरायपाटन से आने वाले और पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्यों के बीच में चम्बल नदी थी जिसको गेतामाखीजा का पुल कहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इनको कोटा आकर फिर पीपल्दा और बहुत चक्कर काटना पड़ता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि राजस्थान में 1100 किलोमीटर पाकिस्तान का बोर्डर है और 300 किलोमीटर में यह चम्बल नदी बहती है तो चम्बल नदी की वजह से ही हमारा सबलगढ़ वाला, गेतामाखीजा का और हमारे सोनेकीबुर्ज, इन तीनों पुलों की आवश्यकता थी तो इन तीनों पुलों को हमने प्राथमिकता पर लिया है और इनको भी 102 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी हैं, अध्यक्ष महोदय, इनके वहां बाकी तो चौड़ाई हो गई, हनुमानगढ़ टाउन और

(श्री युनुस खान)

हनुमानगढ़ शहर के बीच में लेकिन जो पुलिया थी वो अभी भी संकड़ी है तो उसको भी चौड़ा करने के लिए हमने हनुमानगढ़ घग्घर नदी पर 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय, दी है। इस तरीके से लगभग यह 402 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां हमारे माननीय सदस्यों की पिछले बजट में जो मांग रखी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अरबी में एक कहावत है, अरबी का एक स्लोगन है इन्न्लला मा साबरिंग, जो सब्र रखते हैं उनके साथ ईश्वर है। इसलिए इन लोगों ने सब्र रखा, पिछले बजट में बात कही और लगातार उसका परस्युएंस करते रहे, उसी का परिणाम यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे दो माननीय सदस्य, चौमूं-महला भी वास्तव में यह प्रोजेक्ट पी.पी.पी. का प्रोजेक्ट था। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर हुआ और लगभग 134 करोड़ रुपये की लागत बताई गई। वहां कंसेशनर ने, यह बात सही है कि अब तक 250 करोड़ रुपये पता नहीं किस माध्यम से बैंक से ले लिया लेकिन कंसेशनर तो ब्लैक लिस्ट होगा ही होगा, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही है वो हम करेंगे। लेकिन मैं दोनों माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि अब हम हमारे संसाधन से जो जनता को दुविधा हो रही है उसको नहीं होने देंगे और हमारे संसाधन से उसको तैयार कराएंगे।

यह मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय, सिवाना-समदड़ी...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप जिस कुर्सी पर विराजते हैं...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मंत्रीजी, खण्डार का भी ध्यान रखना।

(19.00 बजे)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप वैसे तो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम में आप कोई मांग भी नहीं कर सकते लेकिन चूंकि आपको भी जनता ने चुना है, आप चुनकर आये हैं और आपकी जनता की भी बहुत सारी समस्याएं हैं...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनकी जनता तो राजस्थान की पूरी है। मंत्रीजी, आपने कहा है कि मेरे लिए तो पूरा राजस्थान है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब मत बोलो। इस सदन में यह घोषणा करता हूं कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है भीलवाड़ा, उसमें बाइपास की...

श्री अध्यक्ष: शाहपुरा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारी, शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें साढ़े आठ किलोमीटर का बाइपास 17 करोड़ रुपये की लागत से हम इसी वर्ष में बनायेंगे। यह घोषणा भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने...

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मंत्री महोदय, बीकानेर के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। मंत्री महोदय, मेरी भी आवाज सुनिये, मेरी रिक्वेस्ट सुनिये। बीकानेर में जो कोटगेट के पास में रेलवे क्रोसिंग है... (व्यवधान) आप कुछ तो बोलिये बीकानेर के लिए। वहां पर जो हालत है, अगर उसको आप देखोगे तो कभी भी आप ना नहीं कर सकते।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): सिवाना-समदड़ी। आदरणीय मंत्रीजी, सिवाना-समदड़ी। सिवाना से समदड़ी, कल्याणपुर।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की 476 किलोमीटर सड़कों को पीडब्ल्यूडी में लिया जायेगा और उनका विकास किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक साल बीत जाने के बावजूद इस बजट में भी उन सड़कों के लिए मुझे लगता है कि एक किलोमीटर का इन्होंने प्रावधान नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, चार-पांच जिलों को ये सड़कें प्रभावित करती हैं और पूरी तरह से ये सड़कें टूटी हुई हैं। मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि आईजीएनपी की इन 476 किलोमीटर सड़कों का निर्माण आप करवायें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों का जिक्र किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा और मैं आपके

(श्री युनुस खान)

माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमने 847 करोड़ रुपये के लगभग 4200 किलोमीटर और 1200 सड़कों के पूरा वापस पुनरुद्धार के लिए ये स्वीकृतियां जारी कर दी हैं, उनका वर्कआर्डर दे दिया है और 30 जून तक ये लगभग 4000 किलोमीटर सड़कें एकदम परफेक्ट कर देंगे। यह भी मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज माननीय सदस्य छबड़ा वाले यहां हैं नहीं, उनकी भी छबड़ा-छीपाबड़ौद... मैं आ रहा हूं ना आपकी बात पर। आप बैठो तो सही।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मंत्रीजी, सांचौर से लगाकर जोधपुर तक जो बीमार होता है, अस्पताल जाने के लिए भी जोधपुर-समदड़ी और सिवाना से समदड़ी वाला जालौर जिला भी उससे प्रभावित होता है, यह अगर एक सड़क नहीं होगी, मतलब वह लूणी नदी के किनारे है और यह कल्याणपुर तक जुड़ती है। मतलब सांचौर से लगाकर सायला-गुढामालानी, सारा जालौर भी उससे प्रभावित होगा, हुकुम, यह करवायें कैसे भी करके। सिवाना से समदड़ी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, आपने हमीर हठ का नाम सुना है ना, हमीर हठ। अब वह हमीर हठ हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह बात सही है कि हमीर हठ का मैं अनुभवी हूं। सवाई माधोपुर में जो हमारा हमीरगढ़ सर्किल से लेकर भैरूं दरवाजे तक का एक इश्यु है, वह बार-बार आता है। उस सड़क की हमारे प्रभारी मंत्रीजी मांग करते रहते हैं, हमारे सवाई माधोपुर से आने वाली सदस्या भी मांग करती रहती हैं। हालांकि उनको हमने 30 करोड़ रुपये की जो भैरूं दरवाजे वाला सब कैरिज-वे है, वह स्वीकृत कर दिया और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस हमीर हठ की बात कही है। हमीर हठ, वह वास्तव में अटका हुआ है, यह बात सही है। (व्यवधान) लेकिन माननीय अध्यक्षजी, कुछ चीजें ऐसी हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू, पारदर्शी एवं कुशल बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नवीनतम सोफ्टवेयर तैयार किये जा रहे हैं। विभाग में आनलाइन मोनेटरिंग, ग्रामीण गौरव पथ, आरआरएसएमपी, नाबार्ड, आरआईडीएफ योजना के तहत कार्यों की आनलाइन मोनेटरिंग होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जितनी भी सड़कें बनेंगी, उन सब

(श्री युनुस खान)

सड़कों का हम सारा, जैसा मैंने कल डीएलपी की 41330 किलोमीटर सड़कों के लिए कहा कि हम हमारी वैबसाइट पर डाल देंगे। उस तरीके से प्रत्येक सड़क का राजस्थान में जितनी बनी हुई हैं, उसकी हिस्ट्री अगले छह महीने में कि यह सड़क कब बनी, लास्ट इसका रिन्युअल कब हुआ और इसकी पोजिशन क्या है, यह सब वैबसाइट पर डाल देंगे। अभी जो हमारे ग्रामीण गौरव पथ बन रहे हैं, उनके निर्माण से पहले की स्थिति, अब निर्माण हो रहा है, उस समय की स्थिति और निर्माण होने के बाद की स्थिति, तीनों स्थितियां हमने लगभग अब तक 9000 फोटोज गैलेरीज वैबसाइट पर डाल दी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो देखी जा सकती है। सड़कें अच्छी बनें, यह पूरे हाउस की चिंता थी। उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, पूरे हाउस की चिंता थी। उसको मोनेटरिंग करने के लिए हमने इस तरीके की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो हमारा मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम है, उसके माध्यम से हम करेंगे और अब हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी...

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): हर विधायक को 20 किलोमीटर चाहिये कम से कम मिसिंग लिंक की सड़क।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी इंजिन की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्रीजी, मंत्रीजी, ठाई की पुलिया का क्या हुआ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोल रहा हूं, सर, आ रहा हूं। अब ये बीच-बीच में डिस्टर्ब करोगे तो वह बनेगी नहीं साहब फिर। (व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप तो बोल देना, हुकुम। मेहरबानी करके याद रखना, बस। अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धमकी दे रहे हैं आपको।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, धमकी नहीं। आप बड़े भाई हो, धमकी नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्री महोदय, हमारा भी ध्यान रखना। बोलने वालों के अलावा चुपचाप बैठने वालों का भी ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब शांत रहें। मंत्रीजी को भाषण देने दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब चीजों की एनक्यूएम सिस्टम से हम मानिटरिंग करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। अब ये नहीं। बार-बार नहीं। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पांच साल में मैं कोई काम नहीं मांगूगा, मेरा यह काम बहुत जरूरी है। यह उनका काम नहीं है, यह राजस्थान के जनता का काम है और उन्होंने चिकली पंचायत समिति में बेड़वा गांव के जिस पुल की बात कही है, उसको इसी वर्ष हम बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पुल की बात कही है, उसको भी हम इसी वर्ष इसी बजट में स्वीकृत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की 476 किलोमीटर सड़कें हैं, अभी हम बीकानेर सम्भाग के दौरे पर थे तो घोषणा हुई थी, उनका भी किसी न किसी योजना में, क्योंकि हम एडीबी और वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं, किसी न किसी योजना में लेकर, क्योंकि वह जब आईजीएनपी बनी थी, उस समय उनका निर्माण हुआ था और उसके बाद में किसी तरीके की उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई।

इन सब चीजों के अलावा भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आज मांग हमारी रखी गई है, उसमें सब लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, वह सब मैंने नोट किये हैं, मेरे अधिकारियों ने भी नोट किये हैं, उनको हम समय-समय पर लेंगे। आपके माध्यम से बस मेरे एक शेर से बात पूरी करता हुआ एक निवेदन करूंगा कि पूरा सदन यह विश्वास रखे कि हमने जो योजनाएं हाथ में ली हैं, उनको पूरा करने के लिए हम संसाधन कहीं से भी जुटायें, उन सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अंत में सब सदस्यों की मिसिंग लिंक की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक देने की बात कही है और हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम भी जन प्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपसे हम व्यक्तिश: भी चर्चा करेंगे। आपके प्रस्ताव जो आयेंगे, उनको बिल्कुल सहृदयता के साथ में करने का प्रयास करेंगे

(श्री युनुस खान)

और सारे सदस्यों को जो यहां विराज रहे हैं, हम मिसिंग लिंक की उनसे चर्चा करके, जो जिला कलक्टर से प्रस्ताव आये हैं, उनके अनुसार करेंगे।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहूंगा

"सड़क है तो जीवन की रफ्तार है,
सड़क खोलती प्रगति के द्वार है,
सड़क बिन बहुत ही बुरा हाल है,
और सड़क है तो हर कोई आबाद है"

इसी के साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों को पास किया जाये, यह मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैंने अनुशासन का ध्यान रखा है। मैंने नौ ही मिनट ज्यादा लिये हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या-19 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,82,20,79,000/- (पन्द्रह अरब बयासी करोड़ बीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,84,78,62,000/- (सैंतालीस अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख, बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अब आज मुखबंद की घोषणा करते हुए मैं आपसे मुखबंद के अन्तर्गत आई मांगों को आपके सामने स्वीकृति के लिए रखूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,04,00,000/- (अड़तालीस करोड़ चार लाख) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2–मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–2–मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,01,22,000/- (ग्यारह करोड़ एक लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3–सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,08,34,000/- (तीन अरब दो करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4–जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,13,63,29,000/- (चार अरब तेरह करोड़ तिरेसठ लाख उनतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,62,40,84,000/- (एक अरब बासठ करोड़ चालीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,03,78,79,000/- (छह अरब तीन करोड़ अठहत्तर लाख उन्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,95,80,000/- (बासठ करोड़ पचानवे लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8–राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,07,49,42,000/- (सात अरब सात करोड़ उनचास लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,76,95,14,000/- (छह अरब छिहत्तर करोड़ पचानवे लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,39,81,34,000/- (एक अरब उन्तालीस करोड़ इक्यासी लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12–अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,81,99,60,000/- (सात अरब इक्यासी करोड़ निन्यानवे लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13–आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–13–आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,31,39,36,000/- (एक अरब इकतीस करोड़ उनतालीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)
महोदय को रुपये 4,94,35,84,000/- (चार अरब चौरानवे करोड़ पैंतीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 110,75,89,06,000/- (एक सौ दस अरब पचहत्तर करोड़ नवासी लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18–जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–18–जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,42,04,000/- (तियालीस करोड़ बयालीस लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,72,32,91,000/- (तीन अरब बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,52,22,47,000/- (पांच अरब बावन करोड़ बाईस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25–कोषागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–25–कोषागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,10,75,05,000/- (दो अरब दस करोड़ पचहत्तर लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,88,89,61,000/- (इकहत्तर अरब अठासी करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,10,23,32,000/- (नौ अरब दस करोड़ तेईस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,93,36,24,000/- (दो अरब तिरानवे करोड़ छत्तीस लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,53,17,78,000/- (तेइस अरब तिरेपन करोड़ सत्रह लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,98,88,37,000/- (पांच अरब अठानवे करोड़ अठासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,03,66,000/- (चवालीस करोड़ तीन लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,16,54,98,000/- (अड़तालीस अरब सोलह करोड़ चौवन लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,89,18,000/- (तैंतीस करोड़ नवासी लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,48,37,30,63,000/- (एक सौ अड़तालीस अरब सैंतीस करोड़ तीस लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 53,54,000/- (तिरपन लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,78,48,66,000/- (बत्तीस अरब अठहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 92,79,73,31,000/- (बानवे अरब उन्यासी करोड़ तिहत्तर लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 श्री राजपाल सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.26 बजे गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

359. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की तहसील बिछीवाड़ा में विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन हेतु कोई राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया गया है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्या सरकार बिछीवाड़ा तहसील के विद्यार्थियों के लिये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की तहसील बिछीवाड़ा में विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन हेतु राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उपखण्ड बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सांभर क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु किये गये कार्य

361. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा सांभर क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने हेतु राशि का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि का और उक्त राशि में क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम के तहत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य कितनी राशि के कब से प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी वर्ष में क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजना आयोग, भारत सरकार के द्वारा सांभर झील टाऊन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने हेतु राशि रु. 37.65 करोड़ की परियोजना का वर्ष 2013-14 में अनुमोदन किया गया है। जिसमें प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इसमें से इस वर्ष (2014-15) हेतु राशि रु. 170.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में सांभर में देवयानी कुण्ड एवं मंदिर समूह के संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु राशि रु. 100.00 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी थी। जिसमें से राशि रु. 70.00 लाख वित्त वर्ष 2014-15 में हस्तान्तरित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत कराये गये/ जा रहे कार्यो का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा दिनांक 06.03.2015 को कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

राज्य योजना के तहत स्वीकृत परियोजना अन्तर्गत दिनांक 28.06.13 को कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इसके अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(3) आगामी वर्ष में परिशिष्ट 'स' में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त कराये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी व बाप (जोधपुर) के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

362. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिकाओं को नियुक्ति किया जाता है? यदि हां, तो इनको नियुक्ति करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले के उपखण्ड फलौदी एवं बाप में कितने आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं? क्या समस्त केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी व सहायिका कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विशेष परिस्थितियों में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक, योग्यता में शिथिलता देकर नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में सरकार द्वारा कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिकाओं को मानदेय के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिकाओं को मानदेय सेवा पर चयन करने हेतु मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले के उपखण्ड फलौदी में 229 एवं बाप में 205 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं। फलौदी में 227 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 208 सहायिका एवं 169 सहयोगिनी कार्यरत हैं। बाप में 205 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 186 सहायिका एवं 131 सहयोगिनी कार्यरत हैं। मानदेय कार्मिकों के पद चयन

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

नहीं होने के कारण रिक्त है। आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार आगामी ग्राम सभाओं में योग्य मानदेय कर्मियों के चयन करने एवं उनके प्रशिक्षण के उपरान्त सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र में शिथिलता प्रदान की जाती है। शिथिलता सम्बन्धी नियमों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) वर्तमान में सरकार द्वारा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिकाओं को मानदेय भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर उक्त राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में अपराधों की रोकथाम हेतु आनलाइन सर्विलान्स सिस्टम की योजना

363. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों यथा चैन स्नेचिंग, अपहरण, लूट को नियंत्रित करने व निगरानी के लिये आनलाइन सर्विलान्स सिस्टम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त व्यवस्था हेतु कोटा शहर के किन-किन स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जायेंगे तथा निगरानी का कार्य कौनसी एजेंसी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व निगरानी हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 31-8-2012 (प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न) के अनुसार मैसर्स इन्फोटेल ब्राडबेन्ड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 800 सी. सी. टी. वी. कैमरें उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। नियंत्रण कक्ष हेतु विडियोवाल तथा अन्य आधारभूत

(गृह मंत्री)

आवश्यकताओं के लिये पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आवश्यक राशि स्वीकृति की गयी है।

(2) कोटा शहर में सी. सी. टी. वी. कैमरे लगाये जाने के स्थानों की चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है। चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात चिन्हित स्थानों पर कैमरे लगाये जाकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावेगा। चिन्हित स्थान के कैमरे और नियंत्रण कक्ष आनलाइन जुडा रहेगा, जिससे अपराधों पर नियंत्रण व अपराधियों की निगरानी की जाकर प्रभावी नियंत्रण किया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत पद

364. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किस-किस स्तर के कितने-कितने राजकीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं और उक्त विद्यालयों में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से किस-किस प्रकार के कितने पद कब से कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 01 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में किस-किस प्रकार के पदों को कहां-कहां भरा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में 175 राजकीय प्राथमिक, 82 राजकीय उच्च प्राथमिक, 24 राजकीय माध्यमिक एवं 37 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। संचालित वियालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, रिक्त पद तथा पद कब से रिक्त हैं, का विद्यालय वार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20,000 के रिक्त पदों पर पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 01 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दारोलाई में तृतीय श्रेणी अध्यापक का 01 पद नियुक्ति से भरा गया हैं।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के 01 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक विद्यालयवार भरे गये पदों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बी.डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली को जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की योजना

365. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली के बी.डी.एम. अस्पताल में सालाना 7 लाख मरीज ईलाज कराने हेतु आते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त अस्पताल को जिला स्तरीय बनाकर एवं 100 बैडों का अतिरिक्त विस्तार कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली में वर्ष 2014 में आउटडोर के अन्तर्गत 6 लाख 21 हजार 235 रोगी उपचार हेतु आये।

(2) राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में वर्तमान में 200 शय्याएं स्वीकृत हैं, स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2014 में 97.30 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त चिकित्सालय में 100 शय्याओं की अतिरिक्त वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष पी.जी. चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथा सम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रदेश में सी व डी श्रेणी की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष पैकेज

366. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सी व डी श्रेणी की नगरपालिकाओं की आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दयनीय है तथा अधिकतर नगरपालिका अपने कार्मिकों को वेतन एवं शहर/क्षेत्र की सफाई/रोशनी एवं अन्य व्यवस्थायें भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है? यदि हां, तो अजमेर एवं टोंक जिले की सी व डी श्रेणी के निकायों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सी एवं डी श्रेणी की नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी सहित विभिन्न कार्मिकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार इनको संविदाओं/सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किये गये? क्या सरकार उक्त नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सी व डी श्रेणी की नगरीय निकायों को वेतन भत्तों हेतु चुंगी पुनर्भरण, रोशनी हेतु विद्युत उपकर एवं अन्य व्यस्थाओं हेतु राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग एवं निर्बन्ध अनुदान से राशि आबंटित की जाती

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है। अजमेर एवं टोक जिले की सी व डी श्रेणी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय पत्र दिनांक 01.12.14 के द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध 50 प्रतिशत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर लिये जाने हेतु सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गणेशगंज लिफ्ट परियोजना से टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने की योजना

367. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गणेशगंज लिफ्ट परियोजना जो विधान सभा क्षेत्र अन्ता से प्रारम्भ होकर पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के टेल क्षेत्र एरिये में पड़ने वाले सात गांव प्रेमपुरा, अयानी, डोरली, गणेशगंज, रणोदिया, श्रीपुरा की 4500 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करती है? क्या गत पाच वर्षो से इस टेल क्षेत्र एरिये को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव कमाण्ड क्षेत्र में होने के बाद भी किसानों पर सिंचाई शुल्क बढ़ता जा रहा है?

(3) क्या सरकार लिफ्ट परियोजना से उक्त गांवों को पानी देने के लिये दांयी मुख्य नहर पर लगे हुये 100 एच पी के 6 पम्पों में से एक पम्प इटावा ब्रांच कैनाल पर शिफ्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि गणेशगंज से इटावा ब्रांच कैनाल की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है? यदि हां, तो क्या सरकार गणेशगंज लिफ्ट परियोजना से इटावा ब्रांच कैनाल को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना से विधान सभा क्षेत्र अन्ता जिला बारां एवं विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा जिला कोटा की 6960 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा निर्धारित है।

(जल संसाधन मंत्री)

गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के टेल क्षेत्र एरिया के लाभान्वित गांव व उनके सिंचित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

टेल क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है। गत 5 वर्षो में भी लिफ्ट सिंचाई के लिए निर्धारित सिंचाई संघनता के अनुरूप सिंचाई पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवायी गई है।

इस वर्ष रबी फसलों की सिंचाई हेतु 19 अक्टूबर, 2014 को पम्प चलाकर नहर में जल प्रवाह प्रारम्भ किया गया था। पलेवे हेतु टेल क्षेत्र को सिंचित करा दिया गया था। इसके उपरान्त फसलों की आवश्यकतानुसार 3 जनवरी, 2015 तक प्रथम सिंचाई एवं 6 फरवरी, 2015 तक सम्पूर्ण क्षेत्र (टेल क्षेत्र को मिलाकर) में दूसरी सिंचाई पूर्ण करा दी गई। 6 फरवरी, 2015 तक मुख्य नहर में टेल क्षेत्र में पानी उपलब्ध था। वर्तमान में निर्धारित 5 पम्पों को लगातार चलाकर तीसरी सिंचाई हेतु नहर में जल प्रवाह जारी है व सिंचित क्षेत्र की मध्य रिच व टेल रिच में पानी लिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के लिए राज्य सरकार/विभाग द्वारा वर्ष 1999 में निर्धारित सिंचाई शुल्क की दरों के अनुसार ही वसूली की जा रही है, एवं शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। इटावा ब्रांच नहर का कमाण्ड क्षेत्र 32489 हैक्टेयर एवं डिजाइन प्रवाह क्षमता 466 क्यूसेक पूर्व में नियत है। इटावा ब्रांच के टेल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्धारित सघनता के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे इटावा ब्रांच नहर पर एक पम्प शिफ्ट करना तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपादेय प्रतीत नहीं होता है।

(4) जी हां। जी नहीं, क्योंकि गणेशगंज लिफ्ट का कमाण्ड क्षेत्र इटावा ब्रांच नहर के कमाण्ड क्षेत्र से ऊंचाई (Higher Level) पर स्थित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जायल (नागौर) में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण

368. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में राजकीय महाविद्यालय के स्वीकृत भवन निर्माण हेतु कठौती रोड पर गौशाला के पास

(डा. मंजू बाघमार)

भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो भूमि आबंटन में देरी हेतु कौन-कौन दोषी है?

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय जायल का भवन निर्माण का कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, जायल के लिए जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 04.03.2015 के द्वारा ग्राम जायल के खसरा नम्बर 2518 में 25 बीघा भूमि कठौती रोड गौशाला के पास आबंटित की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, जायल के भवन निर्माण हेतु 3.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के मानदण्ड

369. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिलाने हेतु भारत सरकार से कोई पत्राचार किया है? यदि हां, तो पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्यों को विशेष दर्जा दिये जाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्न हैं-

1. Hilly and difficult terrain; (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र)
2. Low population density and/or sizeable share of tribal population; (कम जनसंख्या घनत्व एवं/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा)
3. Strategic location along borders with neighbouring countries; (पड़ौसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थिति)

(आयोजना मंत्री)

4. Economic and infrastructural backwardness; (आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन)

5. Non-viable nature of State finances; (राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति)

(2) जी हां। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाये जाने हेतु दिनांक 11 सितम्बर, 2009 एवं दिनांक 07 जून, 2014 को भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये हैं जिनकी प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

रायल राजस्थान आन व्हील्स में शेयरिंग के स्थान पर हालेज की व्यवस्था

370. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन विकास निगम के द्वारा दूसरी शाही रेल रायल राजस्थान आन व्हील्स को बनाने की योजना कब बनी व योजना किस आधार पर बनाई गई? उक्त योजना किस स्तर पर अनुमोदित करवाई गई? इसमें लागत व आय का निर्धारण किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जब रेलवे के द्वारा शेयरिंग के स्थान पर हालेज व्यवस्था लागू करने का एम.ओ.यू. किया गया, तो उक्त एम.ओ.यू. हस्ताक्षर से पूर्व निगम में किस स्तर से अनुमोदित कराया गया?

(3) पूर्व में सहमति अनुसार शेयरिंग के स्थान पर हालेज लागू करने से निगम को कितनी राशि वर्ष 2009 से 2015 तक अतिरिक्त देनी पड़ेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बी.जी.-2 (रायल राजस्थान आन व्हील्स प्रोजेक्ट) को रेलवे से सहमति मिलने के पश्चात शेयरिंग के स्थान पर हालेज व्यवस्था लागू करने का निर्णय कब हुआ व शेयरिंग के स्थान पर हालेज को एम.ओ.यू. में शामिल करने के निर्णय का अनुमोदन किस स्तर पर करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पहली शाही रेल गाड़ी (पैलेस आन व्हील्स) की लोकप्रियता तथा लगातार बढ़ते आक्यूपेंसी प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय शाही रेल

(पर्यटन राज्य मंत्री)

गाड़ी (रायल राजस्थान आन व्हील्स) के संचालन का प्रस्ताव माह अगस्त, 2005 में रेलवे बोर्ड को प्रेषित किया गया।

यह प्रस्ताव अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमोदित था। इस प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड द्वारा माह दिसम्बर 2005 में सैद्धान्तिक सहमति दी गई। प्रस्ताव को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बोर्ड द्वारा भी जुलाई 2006 में अनुमोदित किया गया। रेलवे बोर्ड को प्रेषित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार लागत व आय का बंटवारा रेलवे तथा आर.टी.डी.सी. के मध्य 50:50 के अनुपात में प्रस्तावित था।

(2) दिनांक 02.01.2009 को उक्त एम.ओ.यू. आर.टी.डी.सी. की ओर से तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया जो कि निगम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित था।

(3) निगम द्वारा भेजे गये मूल प्रस्ताव में निगम द्वारा रेलवे को रेवेन्यू का 50 प्रतिशत भुगतान करना प्रस्तावित था। रेलवे बोर्ड द्वारा रायल राजस्थान आन व्हील्स के संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग की कोई सहमति नहीं दी गयी थी। रेलवे द्वारा शेयरिंग के स्थान पर हालेज पद्धति लागू करने से निगम पर राशि रु. 2225.13 लाख का अतिरिक्त भुगतान का भार पड़ा है।

(4) रेलवे बोर्ड द्वारा रेवेन्यू शेयरिंग के स्थान पर हालेज चार्जेज लागू करने हेतु नई लग्जरी ट्रेन पालिसी की घोषणा मार्च, 2008 में की गयी थी। तदनुसार दिनांक 02.01.2009 को हस्ताक्षर किये गये एम.ओ.यू. में भी यह व्यवस्था रखी गई। इसका अनुमोदन निगम अध्यक्ष के स्तर पर किया गया था।

अलवर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को सेवा से पृथक करने के प्रकरण

371. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में वर्ष 2015 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनियों को सेवा से पृथक किया गया है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत?

(2) उक्त को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही किस कारण से की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) क्या यह भी सही है कि जिनको सेवा से पृथक किया गया है उनके स्थान पर सरकार द्वारा अन्य का चयन कर नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर में वर्ष 2015 में 05 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 03 सहायिका एवं 04 आशा सहयोगिनियों को बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर के आदेश संख्या 97-115 दिनांक 27-01-2015 द्वारा मानदेय सेवा से पृथक किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेसटिगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/ विंग/185/12/1666-68 दिनांक 09-12-2014 के क्रम में उक्त 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनियों के क्रम में चयन निरस्त करने का निर्णय निदेशालय स्तर से लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अलवर में वर्ष 2015 में सेवा से पृथक की गयी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों के स्थान पर अन्य का चयन नहीं किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

बारां जिले में आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जारी लाइसेंस

372. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में गत 5 वर्षों में जिला कलक्टर द्वारा आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कितनी बन्दूकों के लाइसेंस जारी किये गये? मय नाम पते के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बारां जिले में एक आर्म्स लाइसेंस पर एक से अधिक हथियार जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को तथा एक से अधिक हथियार जारी करने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में गत 5 वर्षों में 87 व्यक्ति/संस्थाओं को लाइसेंस जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। बारां जिले में एक शस्त्र अनुज्ञापत्र पर एक से अधिक हथियार 22 प्रकरणों में जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

373. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में कितने विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां-कहां पर नये विद्यालय खोले गये सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने विद्यालयों में नवीन भवन तथा किन-किन विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 में कितने-कितने विद्यालय कहां-कहां पर खोले जाने व कौन-कौन से विद्यालय क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्ष 2010-11 एवं 2012-2013 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	उप्रावि से मावि	मावि से उमावि
1	2010-11	-	-
2	2012-13	05	04

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र करौली में कोई भी वर्ष 2010-11 में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया केवल वर्ष 2012-13 में 23 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यालय खोले नहीं जाते, अपितु विद्यालय क्रमोन्न्त किये जाते हैं।

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र करौली में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कोई नवीन विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया तथा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 77 चारदिवारियों के निर्माण कार्य कराये गये। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत 83 अतिरिक्त कक्षाकक्ष व 41 प्रधानाध्यापक कक्षों का निर्माण भी कराया गया। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र करौली में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 02 विद्यालयों, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 10 विद्यालयों तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में शून्य, इस प्रकार कुल 12 राजकीय विद्यालयों में, विद्यालय सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य करवाया गया है। चारदिवारी निर्माण सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्ष 2015-16 में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति का कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में उक्त विधान सभा क्षेत्र करौली के 29 रामावि को राउमावि स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है तथा वर्ष 2014-15 में किसी भी राउप्रावि को रामावि में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में अन्य सुविधाएं प्रारम्भ करने की योजना

374. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? संख्या सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(2) उक्त जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में ट्रोमा सेन्टर का उद्‌घाटन कब किया गया?

(5) क्या यह सही है कि उद्‌घाटन से लेकर अब तक उक्त ट्रोमा सेंटर को शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रोमा सेंटर को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त जिला चिकित्सालालय में वातानुकूलित मातृ शिशु चिकित्सा यूनिट का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो क्या इसकी शुरूआत कर दी है? यदि नहीं, तो कब तक शुरू किया जाएगा?

(7) क्या यह भी सही है कि जिला चिकित्सालय बाड़मेर में शव गृह (मोर्चरी) में विद्युत की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण रात में पोस्टमार्टम में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार मोर्चरी में विद्युत व्यवस्था कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़मेर में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़मेर में चिकित्सकों के कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों की संख्या, का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किए जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आर.यू.एच.एस. से चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाडमेर में ट्रोमा सेन्टर का उद्‌घाटन 29 अप्रैल, 2011 को किया गया था।

(5) माह मार्च 2015 में राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़मेर में ट्रोमा सेन्टर संचालित कर दिया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(6) राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़मेर में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है।

(7) राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़मेर के जनरेटर से शव गृह (मोर्चरी) तक विद्युत की लाइन का कार्य पूर्ण कर शव गृह (मोर्चरी) में विद्युत की व्यवस्था की जा चुकी है। अत: पोस्टमार्टम करने में असुविधा नहीं होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में नाहरगढ़ पहाड़ी से कनक वृन्दावन तक रोप-वे बनाने की योजना

375. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में नाहरगढ़ पहाड़ी से कनक वृन्दावन तक रोप-वे बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से एवं इस सम्बन्ध में अब तक किस-किस स्तर/विभाग से क्या-क्या कार्यवाही की गयी? सम्बन्धित आदेशों/पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रोप-वे के लिए आरक्षित एवं उसके पास की जमीन पर होटल-रिसोर्ट के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन की नीलामी की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रोप-वे प्रोजेक्ट को एक निर्धारित समय सीमा में पूरा कर चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में नाहरगढ़ पहाड़ी से कनक वृन्दावन तक रोप-वे बनाये जाने का प्रस्ताव दिसम्बर, 2005 से प्रस्तावित किया गया था, जो विचाराधीन है। सम्बन्धित विभागों से की गई कार्यवाहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक	कार्यवाही का विवरण
29.12.2005	जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र लिखकर BOT के आधार पर कनक वृन्दावन से जयगढ़ रोड तक रोप-वे कार्य करने की अनुमति मांगी। (परिशिष्ट "अ" संलग्न)
10.01.2006	जिला कलक्टर, जयपुर ने रोप-वे निर्माण की स्वीकृति दी। (परिशिष्ट "ब" संलग्न)
21.01.2006	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा BOT के आधार पर बनाने हेतु "मैसर्स दामोदर रोप-वे कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा.लि." को कार्यादेश दिया गया। (परिशिष्ट "स" संलग्न)
08.05.2006	प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान सरकार से फर्म द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सर्वे कार्य करवाने की अनुमति मांगी गई। (परिशिष्ट "द" संलग्न)
10.05.2006	प्रधान वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा 1.3(3) के तहत सर्वे हेतु भारत सरकार से स्वीकृति लेने हेतु कहा गया। (परिशिष्ट "य" संलग्न)
18.05.2006	उप वन संरक्षक, जयपुर द्वारा चाही गई सूचना संलग्न कर सर्वे की अनुमति मांगी गई। (परिशिष्ट "र" संलग्न)
27.08.2008	उप वन संरक्षक, जयपुर (मध्य) द्वारा सर्वे की अनुमति प्रदान की गई। (परिशिष्ट "ल" संलग्न)
16.01.2009	उप वन संरक्षक जयपुर (मध्य) द्वारा सूचित किया गया कि सर्वे कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड भारत सरकार द्वारा सिद्धान्तत: स्वीकृति प्रदान की गई। (परिशिष्ट"व" संलग्न)
03.07.2009	वन विभाग के निर्देशानुसार फर्म द्वारा सर्वे करवाकर प्रस्ताव 18 प्रतियों में प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक शाखा जयपुर को भिजवाये गये। (परिशिष्ट "क" संलग्न)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक	कार्यवाही का विवरण
13.04.2010	माननीय सर्वोच्च न्यायालय की CEC से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति की गई। (परिशिष्ट "ख" संलग्न)
14.02.2011	राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की स्टेन्डिंग कमेटी की 21वीं बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति के पश्चात रोप-वे निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। (परिशिष्ट "ग" संलग्न)
21.02.2012	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वन विभाग में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया। (परिशिष्ट "घ" संलग्न)
23.07.2012	माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुपालना में पुन: सर्वे कर प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाया गया। (परिशिष्ट "च" संलग्न)
25.11.2013	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी ए.सी.एफ. वन विभाग, जयपुर को 1.51 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर प्रेषित किये गये। (परिशिष्ट "छ" संलग्न)
17.02.2014	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर द्वारा जविप्रा से वन भूमि के बदले वन विभाग को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में पत्राचार। (परिशिष्ट "ज" संलग्न)
27.03.2014	जविप्रा द्वारा वन भूमि के बदले वन विभाग को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर को जवाब प्रेषित किया गया। (परिशिष्ट "झ" संलग्न)
07.05.2014	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर द्वारा जविप्रा से वन भूमि पर से गुजरने वाले रोप-वे अलाइनमेंट का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दिनांक	कार्यवाही का विवरण
	मौके पर डिमार्केशन एवं उसमें आने वाले पेड़ों की सूची उपलब्ध कराने हेतु जविप्रा से किया गया पत्राचार। (परिशिष्ट "ट" संलग्न)
09.07.2014	जविप्रा द्वारा उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर को जवाब प्रेषित किया गया। (परिशिष्ट "ठ" संलग्न)
25.07.2014	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर द्वारा कुछ सूचनायें पुन: मांगी गई। (परिशिष्ट 'ड" संलग्न)
09.09.2014	जविप्रा द्वारा उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर को जवाब प्रेषित किया गया। (परिशिष्ट "ढ" संलग्न)

(2) जी हां। रोप-वे लोअर स्टेशन आमेर रोड पर प्रस्तावित योजना में रिसोर्ट एवं होटल के भूखण्डों की नीलामी के प्रस्ताटव उपायुक्त जोन-2 जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुए है। भूखण्डस संख्याउ-1 होटल क्षेत्रफल 4476.80 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 18.09.2014 एवं 19.12.2014 तथा रिसोर्ट भूखण्ड संख्या-2 क्षेत्रफल 11461.73 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 29.09.2014 तथा 11.12.2014 को आयोजित की गई थी। उक्त. भूखण्डोंट की नीलामी हेतु किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लिया गया है।

(3) जी हां। रोप-वे परियोजना नाहरगढ़ अभ्यारण वन क्षेत्र में से गुजर रही, जिसके लिए 1.51 हैक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। इस1.51 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव वन विभाग को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनांक 09.09.2014 को वन विभाग को भिजवाये जा चुके है। यह प्रस्ताव वन विभाग में विचाराधीन है। वन विभाग से 1.51 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा प्रत्यारोपित शर्तों की अनुपालना करने के उपरान्त अन्तिम स्वी कृति जारी की जावेगी।

वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात रोप-वे का निर्माण 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौली में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जल संसाधनों की मरम्मत

376. श्री अशोक (हिण्डौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में अतिवृष्टि से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अनेक एनिकटों, जलाशयों एवं बांधों को नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बांधों/जलाशयों/एनिकटों को पुन: ठीक करवाने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कार्य योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए व्यय किये जाने वाले बजट का निर्धारण किया है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जल संसाधनों का पुन: निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज को स्थानान्तरित एनिकट, जलाशयों एवं बांधों को वर्ष 2014 के अतिवृष्ट से नुकसान पहुंचा था, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विभागीय गुढा बांध की नहरों को हुई क्षति का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) विभागीय बांध की क्षतिग्रस्त नहरों की आवश्यक मरम्मत का कार्य आपदा प्रबन्धन निधि के अन्तर्गत करवाया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। पंचायती राज को स्थानान्तरित एनीकट, बांध, जलाशय की आवश्यक मरम्मत कार्य पंचायतीराज विभाग द्वारा महानरेगा योजनान्तर्गत संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। संसाधन उपलब्धतानुसार मरम्मत कार्य पंचायतीराज विभाग द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पी.टी.ई.टी. की समन्वयक समिति की अनियमितताओं की जांच

377. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ष 2008 से प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट (पीटीईटी) का आयोजन करवाया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वर्ष 2008 से अब तक वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पीटीईटी के आयोजन हेतु समन्वयक कमेटी का गठन किया जाता है? जिसमें वित्तीय सलाहकार भी सदस्य होता है, जिसका पूर्ण दायित्व आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना होता है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए जिम्मेदार वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या् कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्री टीचर्स एज्यूकेशन टेस्टव (पीटीईटी) वर्ष 2008 से 2014 तक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के द्वारा आयोजित करवाया गया है। पीटीईटी के आयोजन से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को वर्ष 2008 से 2014 तक प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है -

<u>वर्ष</u>	<u>प्राप्त राजस्व</u>
2008	194,829,767.00
2009	150,278,338.00
2010	115,313,145.00
2011	133,956,021.00
2012	161,151,465.00
2013	150,192,355.00 (अनन्तिम)
2014	191,305,746.00 (अनन्तिम)
कुल राजस्व	**1,097,026,837.00**

वर्ष 2013 व 2014 के राजस्व में बैंक ब्याल व विविध राजस्व भी वर्ष 2008 से 2012 की भांति सम्मिलित है।

(2) जी हां। वर्ष 2008 को छोड़कर वित्तीय सलाहकार समन्वयक समिति का सदस्य होता रहा है। पीटीईटी आयोजन से प्राप्त होने वाली आय

(उच्च शिक्षा मंत्री)

एवं व्यय का लेखा जोखा रखने का पूर्ण दायित्व समन्वयक समिति का होता है।

वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष अंकेक्षण करवाया जाना प्रस्तावित है जिसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

सलूम्बर में लम्बित कृषि कनेक्शन

378. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में किसानों के कुओं के विद्युत के कनेक्शन वर्ष 2009 से नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे तथा उक्त में विलम्ब होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति सामान्य श्रेणी के मार्च, 09 तक लम्बित मांग पत्र जमा आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनूसूचित जनजाति के आवेदकों एवं अनुसूचित जाति के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के अनुसार मांग पत्र जारी कर जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। बूंद-बूंद/फव्वारा योजना श्रेणी में दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक प्राप्त आवेदनों के मांगपत्र जमा आवेदकों को कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

सामान्य श्रेणी में मार्च, 2009 के पश्चात आवेदित कृषि पत्रावलियों का निष्पादन आगामी वर्षों में, निर्धारित लक्ष्यों व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जायेगा।

विराटनगर में पर्यटन विकास की योजना

379. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में दो शक्तिपीठ कहां-कहां पर स्थित हैं?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) दोनों शक्तिपीठों को पर्यटन नक्शे पर लाने की सरकार की क्या कार्य योजना है?

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कौन-कौनसे पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं तथा इनको पर्यटन सर्किट में लाने की क्या कार्य योजना है?

(4) प्रदेश में बौद्ध स्तूप एवं अशोक के शिलालेख कहां-कहां पर हैं ?

(5) सरकार विराटनगर को पर्यटन स्थल बनाने के लिए भविष्य में क्यां-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में निम्न स्थानों पर शक्तिपीठ स्थित हैं :-

1- मणिबंध गायत्री पर्वत निकट पुष्कर, जिला अजमेर।

2- विराट भरतपुर के पास मां अम्बिका स्थित है।

(2) उक्त दोनों शक्तिपीठों को पर्यटन नक्शें में लाने की कोई विशेष कार्य योजना वर्तमान में पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) विराटनगर में स्थित मुख्य पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल निम्नानुसार हैं :-

1- अशोक का शिला लेख।

2- मुगल गेट।

3- बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध स्तूप।

4- गणेश गिरी मंदिर एवं संग्रहालय।

5- भीमदेव।

6- जैन नसियां आदि।

पर्यटन विभाग के मत्स्य सर्किट में विराटनगर सम्मिलित है।

(4) प्रदेश में निम्न स्थानों पर बौद्ध स्तूप स्थित है :-

1. बौद्ध गुफा एवं पिलर्स, बिनायगा, जिला झालावाड़।

2. बौद्ध गुफा, हाथियागोर, जिला झालावाड़।

3. बौद्ध गुफा, कोल्वीग, जिला झालावाड़।

4. बौद्ध स्तूप, बीजक की पहाड़ी, विराटनगर, जिला जयपुर।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

5. चित्तौड़गढ़ के पास माध्यमिकों (नगरी) में तीन स्तूपों के अवशेष।

अशोक का शिलालेख, विराटनगर (जिला जयपुर) में स्थित है।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के प्रयासों से वर्तमान में सी.एस.एस. योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मत्स्य सर्किट परियोजना में विराटनगर स्थित मुगलगेट पर राशि रु. 33.67 लाख एवं भीम की डूंगरी पर राशि रु. 33.71 लाख के कार्य कराये जा रहे है।

अलवर जिले में घटिया पोषाहार की शिकायतों पर कार्यवाही

380. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित पोषाहार का दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो इसके निरीक्षण की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले में पोषाहार के घटिया एवं खराब होने की शिकायतें एवं प्रकरण दर्ज किए गए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई?

(3) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से अब पोषाहार के घटिया एवं निम्न स्तर के कितने प्रकरण कहां-कहां पाये गये हैं? उक्त प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आगंनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार एवं अन्यह सामग्री के उपयोग के निरीक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित पूरक पोषाहार के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जाकर

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। दिनांक 01-01-2014 से माह फरवरी 2015 तक पोषाहार के दुरुपयोग के दो प्रकरण पाये गये।

परियोजना अलवर शहर में जनवरी 2014 में आंगनबाड़ी केन्द्र, चमेली बाग की कार्यकर्ता द्वारा पोषाहार बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 35 पाउच पोषाहार बेचने का दोषी पाया गया तथा कार्यकर्ता ने पोषाहार बेचने की बात स्वीकार करते हुए मानदेय सेवा से त्याबग पत्र दे दिया। सम्बन्धित कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से हटाते हुए परियोजना कार्यालय के आदेश क्रमांक 241-43 दिनांक 19-03-2014 द्वारा कार्यकर्ता के बकाया मानदेय से पोषाहार की राशि रुपये 1457/- वसूल कर लिए गये हैं। वसूली आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

माह जनवरी 2014 में श्री अगर सिंह गोगादेव निवासी तहसील शेरगढ द्वारा विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत चंद लोगों द्वारा फर्जी समूह बनाकर कम एवं घटिया पोषाहार आपूर्ति करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर को विभागीय पत्र क्रमांक 4534 दिनांक 13-01-2014 द्वारा निर्देशित किया गया था। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

लाभान्वितों को विभागीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। लाभान्वितों को वितरित किया जाने वाले पोषाहार का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार की जांच/गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्याक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियंत्रण समिति, पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/ समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्याक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबंधन समिति तथा पूरक पोषाहार की जांच/गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु नीति निर्धारण एवं समीक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय की अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर समितियां गठित की हुई हैं। समिति गठन के आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर सलंग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) जी हां। माह जनवरी 2014 से अब तक अलवर जिले में पोषाहार के घटिया व खराब होने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें की गयी कार्यवाही का विवरण बिन्दु संख्या 3 में अंकित है।

(3) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से अब तक घटिया एवं निम्न स्तर के पोषाहार के निम्नलिखित प्रकरण पाये गये हैं-

1. स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 20-01-2015 को अलवर जिले की बाल विकास परियोजना, अलवर शहर में पोषाहार के घटिया एवं खराब होने के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर शहर द्वारा समाचार पत्र में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की जांच कराने पर पोषाहार सही पाया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर शहर द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 'द' पर सलंग्न है।

2. आंगनबाड़ी केन्द्र, तलावडा, परियोजना गंगापुरसिटी ग्रामीण में निरीक्षण के समय पोषाहार घटिया पाया गया, जिसके लिए सम्बन्धित एसएचजी से पोषाहार की आपूर्ति बन्द कर दी गई है एवं अन्य एसएचजी से पोषाहार प्राप्त किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

3. माह जनवरी 2014 में श्री अगर सिंह गोगादेव निवासी तहसील शेरगढ़ द्वारा विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत चंद लोगों द्वारा फर्जी समूह बनाकर कम एवं घटिया पोषाहार आपूर्ति करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर को विभागीय पत्र क्रमांक 4534 दिनांक 13-01-2014 द्वारा निर्देशित किया गया था। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

(4) लाभान्वितों को विभागीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। लाभान्वितों को वितरित किये जाने वाले पोषाहार का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार की जांच/ गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियंत्रण समिति, पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/ समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

अध्य क्षता में जिला स्तषरीय पोषाहार प्रबंधन समिति तथा पूरक पोषाहार की जांच/ गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु नीति निर्धारण एवं समीक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय की अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर समितियां गठित की हुई है।

(5) जी हां। पोषाहार गुणवत्ता हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं व राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर पोषाहार की गुणवत्ता की निगरानी तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर सघन निरीक्षण किया जाकर पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। विभाग द्वारा पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिए आपूर्ति किये गये पोषाहार के सैम्पल लिए जाकर प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जाता है तथा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में 28-02-15 तक 224 सैम्पल लिए जाकर परीक्षण कराया गया है। सभी सैम्पल विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन विद्युत कनेक्शन के लम्बित आवेदन

533. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र से नये विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को कनेक्शन उपलब्ध कराये गये? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां गत 5 वर्ष में भी निगम द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण तथा कितने कृषि कनेक्शन दिये गये? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शनों हेतु नये प्राप्त आवेदनों एवं जारी विद्युत कनेक्शनों का निगमवार, वर्षवार एवं जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ' से 'अ-2' पर उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में कृषि सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मार्च-2009 तक आवेदित कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों तथा निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मांग पत्र राशि जमा आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के अनुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। बूंद-बूंद, फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई योजना श्रेणी में दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक प्राप्ति आवेदनों के मांग पत्र राशि जमा आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन नियमानुसार जारी किये जा रहे। यह एक सतत् प्रक्रिया है। विवादित/न्यायालय में विचाराधीन घरेलू कनेक्शनों के अतिरिक्त कोई भी 5 साल पुराना घरेलू कनेक्शन जारी किया जाना लम्बित नहीं है।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में विद्युतिकृत ग्रामों, कृषि कनेक्शनों हेतु प्राप्त आवेदनों एवं दिये गये कृषि कनेक्शनों का निगमवार, वर्षवार एवं जिलेवार विवरण प्रपत्र 'ब' व 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में तहसील मुख्यालय पर प्रस्तावित 132 जी.एस.एस.

534. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में विभिन्न तहसील मुख्यालय पर 132 के.वी. जी.एस.एस. स्टेशन कितने कार्यशील हैं व कितने नवीन प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले की तहसील सराड़ा व इससे नवीन बनी तहसील सेमारी क्षेत्र में लगभग 40000 उपभोक्ता घरेलू व औद्योगिक होने के बाद भी अभी तक क्षेत्र में एक भी 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित नहीं हो पाया है, जबकि वर्ष 2011 में यहां जी.एस.एस. प्रस्तावित किया गया था?

(3) क्या सरकार की आगामी वर्ष में सेमारी या सराड़ा क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में विभिन्न तहसील मुख्यालय पर कार्यशील व नवीन प्रस्तावित 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में तहसील सराड़ा व तहसील सेमारी क्षेत्र में विद्युत भार की मांग पर्याप्त नहीं होने के कारण 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के मद्देनजर एवं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के मानदण्डों के अनुरूप साध्य पाये जाने पर व विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-535

(स्थगित)

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा राज्य को स्वीकृत राशि

536. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीधर)

(1) वर्ष 2008 से अब तक केन्द्रीय योजना आयोग से राज्य को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उक्त स्वीकृत राशि में से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि राज्य को उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) ऐसी कितनी योजनायें हैं, जिनमें केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कम राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? राशि के कम प्राप्ति होने के क्या कारण रहे? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से अब तक योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) योजना आयोग से स्वीकृत उक्त राशि में से वर्ष व योजनावार राज्य को उपलब्ध राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में शामिल है।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा वर्ष व योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) स्वीकृत राशि की तुलना में राज्य को कम राशि प्राप्त होने के कारण परिशिष्ट-1 के कॉलम 7 में वर्णित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले में डी.एल.सी. दरों में वृद्धि

537. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बूंदी जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए डी.एल.सी. दर कमेटी द्वारा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो किस तिथि को और उनको किस तिथि से लागू किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) उक्त मीटिंग में डी.एल.सी. की दरें कितने स्थानों के लिए पूर्व में निर्धारित दरों के स्थान पर 50 प्रतिशत से अधिक निर्धारित की गई हैं तथा किस-किस जगह के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 50 प्रतिशत से अधिक दरें बढ़ाने वाले निर्णय को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के नियम हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला समिति द्वारा बढ़ाई दरों को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार नियमों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और अवैधानिक रूप से लागू की गई डी.एल.सी. दरों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले में वर्ष 2013-14 में डीएलसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। वर्ष 2014-15 में दिनांक 03.07.14 को जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि दरों का निर्धारण किया गया जो दिनांक 07.07.14 से लागू की गई।

(2) जिला स्तरीय समिति द्वारा उप पंजीयक बूंदी के 394 क्षेत्र, हिण्डौली के 15 व दबलाना के 7 क्षेत्रों की दरें 50 प्रतिशत से अधिक निर्धारित की गई (सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ')।

(3) हाँ। नियम की प्रति परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। 50 प्रतिशत से अधिक बढाई गई दरों का राज्य सरकार के सक्षम स्तर से दिनांक 10-2-2015 को अनुमोदन किया गया। (प्रति संलग्न परिशिष्ट 'स')

(5) 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई डीएलसी दरों को राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना लागू करने के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत्त कोटा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। उनसे स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खेमावास, तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर) में डी.पी. पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

538. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खेमावास, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम की डी.पी. पर अतिक्रमण कर इससे सम्बन्धित कृषि कनेक्शनों को हटा दिया गया है? यदि हां, तो निगम द्वारा डी.पी. से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण की जानकारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को होने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। सरकार द्वारा अब कब तक उक्त डी.पी. से अतिक्रमण हटाकर कृषि कनेक्शन चालू करवा दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में डीपी पर अतिक्रमण हटाने के लिये उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ को पत्र संख्या 3852 दिनांक 27.10.2014 के द्वारा कार्यवाही करने के लिये लिखा गया था। जिस पर एस.डी.ओ. ने भी तहसीलदार जमवारामगढ़ एवं थाना अधिकारी, जमवारामगढ़ को पत्र 2894 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये निर्देश दिये गये थे। इसके लिये दिनांक 4.12.2014 को सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ़ द्वारा मौका स्थिति देखने के पश्चात दिनांक 18.12.2014 को एस.डी.ओ., जमवारामगढ़ एवं सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ़ ने सम्बन्धित पटवारी से चालू कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मर के खसरा नम्बर की जानकारी ली एवं मौके पर स्थापित विद्युत कनेक्शनों की सप्लाई चालू करवा दी गई है।

(2) जी नहीं। जैसे ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को प्रकरण की शिकायत/जानकारी मिली, उनके द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर हटा हुआ विद्युत कनेक्शन जुड़वाकर विद्युत सप्लाई चालू करवा दी गई।

राज्य कर्मियों के लिये पदोन्नति सम्बन्धी नियमों में अवधि का निर्धारण

539. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(1) राज्य कर्मियों के पदोन्नति सम्बन्धित विभिन्न नियमों में उल्लेखित वर्ष, भर्ती वर्ष और पदोन्नति वर्ष से सरकार का क्या तात्पर्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति में वर्ष, भर्ती वर्ष और पदोन्नति वर्ष समान नहीं होने से अवधि में अन्तर रहता है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नियमों में समान अवधि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य कर्मियों की पदोन्नति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 1998 एवं 20 जून, 2001 में प्रयुक्त वर्ष, भर्ती वर्ष (रिक्रूटमेन्ट ईयर) का आशय पदोन्नति वर्ष ही है, जिसकी स्पष्ट परिभाषा सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित है, के अनुसार वर्ष का आशय वित्तीय वर्ष है। इसके साथ ही जिस वर्ष में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण, राजसेवकों की पदोन्नति सम्भव नहीं हो पाती है उसकी गणना पदोन्नति वर्ष में नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं। कार्मिक विभाग के निर्देश सभी राजकीय विभागों पर समान रूप से लागू हैं।

(3) चूंकि सभी राजकीय विभागों में पदोन्नति वर्ष की अवधि समान है। अतः उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों का जाब स्पेसिफिकेशन

540. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों के जाब स्पेसिफिकेशन में विगत 20 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त कार्मिकों के जाब स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्मिकों के पद अनुपात में काफी अन्तर है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पदों में वृद्धि कर अनुपात सही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों के सूचना तकनीकी से सम्बन्धित राजकीय कार्यों की प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं होने के कारण जाब स्पेसिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में जाब स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। पदों की प्रकृति तकनीकी होने के कारण तथा विभिन्न विभागों में विभिन्न समय पर तकनीकी आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण पदों की संख्या में स्थाई रूप से अनुपात बनाये रखना संभव नहीं है।

(4) उपर्युक्तानुसार पदों की प्रकृति तकनीकी होने के कारण तथा विभिन्न विभागों में विभिन्न समय पर तकनीकी आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण पदों की संख्या में स्थाई रूप से अनुपात बनाये रखना सम्भव नहीं है। विभागों में तकनीकी कार्य की मांग के अनुसार समय-समय पर संवर्ग के पदों का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

प्रदेश में सौर ऊर्जा व विण्ड ऊर्जा के प्लान्टों का संचालन

541. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश में सौर ऊर्जा व विण्ड एनर्जी के प्लान्ट किस-किस क्षेत्र में किन-किन कम्पनियों द्वारा कब से संचालित हैं? प्रत्येक प्रोजेक्टों से कितनी मेगावाट की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में सौर उर्जा व विण्ड एनर्जी के स्थापित प्लान्ट का विवरण क्रमशः प्रपत्र 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है। साथ ही उक्त प्रोजेक्टों में से राज्य को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रोजेक्टों का एवं उनसे उपलब्ध कराई गई ऊर्जा का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य कर्मचारियों को चयनित वेतनमान पर अगले पद की ग्रेड-पे देने की योजना

542. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सरकार ने छठे वेतन आयोग में ए.सी.पी. का लाभ दिया है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ए.सी.पी. में सरकार द्वारा अगले पद की ग्रेड-पे नहीं देकर अगली ग्रेड-पे देने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि छठे वेतन आयोग से पूर्व कर्मचारियों को चयनित वेतनमान के अन्तर्गत अगले पद का वेतनमान दिया जाता था? यदि हां, तो अब नहीं देने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को अगली ग्रेड-पे के स्थान पर अगले पद की ग्रेड-पे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा 10, 20 एवं 30 वर्ष का सेवाकाल तथा कर्मचारियों द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उसे एसीपी का लाभ स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन संख्या प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-I एवं प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-II दिनांक 31.12.2009 की प्रति परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के एसीपी योजना के प्रावधानों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के लिए एसीपी योजना में वेतन उन्नयन हेतु रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के उत्क्रम (hierarchy) में आगामी ग्रेड पे स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

(3) राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चयनित वेतनमान में राज्य सेवा के न्यूनतम पद तक का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमान राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत करने पर केन्द्रीय

(वित्त मंत्री)

कर्मचारियों को देय एसीपी योजना के अनुरूप लाभ दिये जाने का प्रावधान राज्य सरकार की एसीपी योजना के नियमों में किया गया है।

(4) राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भोपालगढ़ (जोधपुर) में यातायात पुलिसकर्मी लगाने की योजना

543. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार भोपालगढ़ पुलिस थाने में नफरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि भोपालगढ़ (जोधपुर) पंचायत मुख्यालय पर अत्याधिक यातायात रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात पुलिसकर्मी लगाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) भोपालगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जहां समय-समय पर यातायात नियंत्रण का कार्य स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा ही किया जाता है। भोपालगढ़ पुलिस थाने में उप निरीक्षक के 02, सहायक उप निरीक्षक के 04, हैड कांस्टेबिल के 05 एवं कांस्टेबिल के 33 पद की नफरी स्वीकृत है। जोधपुर ग्रामीण जिले में कांस्टेबिल प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण उपरान्त कांस्टेबिल उपलब्ध होने के पश्चात यातायात पुलिसकर्मियों को पदस्थापित करने के बारे में विचार किया जा सकेगा।

कोटा जिले में नई सेन्ट्रल जेल निर्माण हेतु भूमि का आबंटन

544. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में नई सेन्ट्रल जेल निर्माण हेतु नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा ग्राम धर्मपुरा की भूमि आबंटित की है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि? विवरण नक्शा नकल सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अनेक खातेदार व कब्जाधारी किसान वर्षों से काबिज हैं? यदि हां, तो कौन-कौन किसान कितनी-कितनी भूमि पर कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर जेल निर्माण का किसानों द्वारा विरोध कर कार्य को रोक रखा है? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर निर्माण कार्य को रोकने हेतु किसानों द्वारा न्यायालय में स्थगन आदेश भी ले रखे हैं? यदि हां, तो किस न्यायालय द्वारा किस दिनांक को स्थगन आदेश दिया गया है एवं प्रशासन द्वारा स्थगन आदेश पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रशासन द्वारा उक्त विवाद को समाप्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या किसानों को उक्त भूमि का उचित मुआवजा व भूमि के बदले भूमि दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त विवाद का निस्तारण नहीं होने तक निर्माण कार्य को बन्द रखा जायेगा? यदि हां, तो कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा में नई सेन्ट्रल जेल निर्माण हेतु नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा, कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1 में 30 हैक्टर भूमि आबंटित की गई है, जिसका नक्शा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जेल हेतु आबंटित उक्त भूमि पर वर्तमान में कारागार विभाग का कब्जा है।

(3) उक्त आबंटित भूमि पर जेल निर्माण कार्य का कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में विरोध के मद्देनजर जिला प्रशासन, कोटा द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा को पुलिस इमदाद प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया है तथा पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कारागार मंत्री)

(4) जी नहीं। निर्माण कार्य को रोकने बाबत किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश कारागार विभाग राजस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) जिला प्रशासन द्वारा उक्त आबंटित भूमि पर जेल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है तथा जेल निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ।

(6) आबंटित भूमि राजकीय भूमि है जिसका मुआवजा देय नहीं है।

(7) जी नहीं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर में दर्ज प्रकरण

545. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक हत्या, लूटपाट, बलात्कार, चोरी, हत्या का प्रयास, नकबजनी, चैन स्नैचिंग तथा मारपीट और मोटरवाहन चोरी के कितने मुकदमे किस-किस थाने में दर्ज हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? कितने प्रकरणों में चालान पेश किया गया तथा कितने प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में तीन पुलिस थानों के क्षेत्र आते हैं:- पुलिस थाना सिधमुख, पुलिस थाना राजगढ़ तथा पुलिस थाना हमीरवास। जिनका विवरण निम्नानुसार है: -

थाना	हत्या	लूटपाट	बलात्कार	चोरी	हत्या का प्रयास	नकबजनी	चैन स्नैचिंग	मारपीट	मोटर वाहन चोरी
सिधमुख	2	0	6	5	5	2	0	33	2
राजगढ़	7	0	9	25	7	33	0	28	42
हमीरवास	6	2	19	18	6	13	0	80	3
कुल	**15**	**2**	**34**	**48**	**18**	**48**	**0**	**141**	**47**

(गृह मंत्री)

उक्त सभी मुकदमों का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 3 से लेकर 11 में अंकित है।

(2) उक्त अवधि में उक्त सभी प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

थाना	गिरफ्तार	चालान	एफआर
सिधमुख,	82	44	10
राजगढ़	143	63	85
हमीरवास	194	97	49
कुल योग	**419**	**204**	**144**

उक्त विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के थानों में दर्ज मुकदमे

546. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर जिले में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल कितने चोरी, डकैती, हत्या एवं बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए एवं उनमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बाड़मेर जिले में वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 31.03.2014 तक), कुल 374 मुकदमे चोरी, 1 मुकदमा डकैती, 30 मुकदमे हत्या एवं 66 मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में (01.04.2014 से 31.01.2015 तक) कुल 321 मुकदमे चोरी, 3 डकैती, 35 मुकदमें हत्या एवं 77 मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए। उक्त मुकदमों में की गई कार्यवाहियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में प्राकृतिक आपदाओं से राहत

547. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में आगजनी, आलोवृष्टि व सड़क दुर्घटना जैसे प्रकरणों में वर्ष 2008 से 2015 तक कितने पीड़ित व्यक्तियों को राहत दी गई व उक्त राहत देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधायक कोष से सहायता स्वीकृत की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में दो तहसील आती हैं, जिनमें वर्ष 2008 से 2015 तक आगजनी व सड़क दुर्घटना के प्रकरणों में तहसील सोजत में 143 व रायपुर में 31 पीड़ित व्यक्तियों को राहत दी गई। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। ओलावृष्टि से दुर्घटना की सूचना शून्य है। वर्तमान में आगजनी, ओलावृष्टि व सड़क दुर्घटना जैसे प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मानदण्डों की छाया प्रति परिशिष्ट-'ब' व 'स' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में पुलिस कर्मियों का उप निरीक्षक के पदों में आरक्षण

548. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती में पुलिस में कार्यरत शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यताधारी कार्मिकों को किसी प्रकार की छूट दी जाती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार दिल्ली पुलिस की तर्ज पर राज्य के पुलिस कार्मिकों के लिए भी सीधी भर्ती के पदों को आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती में पुलिस कार्मिकों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

(2) दिल्ली पुलिस की भांति राज्य के पुलिस कार्मिकों को भी सीधी भर्ती के पदों को आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बगरू के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

549. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्त अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ट्रोमा सेन्टरों का संचालन

550. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने ट्रोमा सेन्टर हैं एवं उनमें से कितने ट्रोमा सेन्टरों का संचालन हो रहा है तथा शेष ट्रोमा सेन्टरों का संचालन नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में राज्य में कुल 56 ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत हैं, संचालन की स्थिति सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न् है।

जिन ट्रोमा सेन्टरों पर पद स्वीकृत नहीं हैं उन चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों एवं मैन पावर के माध्यम से ट्रोमा के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जिन ट्रोमा सेन्टरों पर पद स्वीकृत नहीं हैं उनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली के सामान्य चिकित्सालय में रिक्त पद

551. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली के सामान्य चिकित्सालय में वर्तमान में कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? उक्त पदों में से कितने पद कब-कब से तथा किन-किन कारणों से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार प्रदेश में स्वाइन फ्लू एवं अन्य बीमारियों पर नियंत्रण एवं इलाज हेतु उक्त चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सक/स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सामान्य चिकित्सालय, करौली में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

उक्त चिकित्सालय में नव पद सृजन/सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण इत्यादि कारणों से पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष पीजी अभ्यर्थियों (चिकित्सक) की नियुक्ति के समय यथा सम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की योजना

552. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

जिला झालावाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची के शेष अभ्यर्थी चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फीजियोथैरेपिस्ट की अलग से कौंसिल बनाने की योजना

553. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फीजियोथैरेपिस्टों को पैरा मेडिकल की श्रेणी में रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि दिल्ली व अन्य राज्यों में फीजियोथैरेपिस्ट विशेषज्ञ की अलग से कौन्सिल है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में भी फीजियोथैरेपिस्ट विशेषज्ञ की अलग से कौंसिल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पैरामेडिकल की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष है, जबकि फीजियोथैरेपिस्ट व दन्त चिकित्सक की 4 वर्ष 6 माह है? यदि हां, तो क्या सरकार दन्त चिकित्सक की तरह फीजियोथैरेपिस्ट की अलग से कौंसिल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। यह सही है कि दिल्ली व अन्य राज्यों में फीजियोथैरेपिस्ट विशेषज्ञ की अलग से कौन्सिल है एवं राजस्थान में फीजियोथैरेपिस्ट एवं आक्यूपेशनल थैरेपी कौन्सिल का गठन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। फीजियोथैरेपिस्ट एवं आक्यूपेशनल थैरेपी की प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष 6 माह किये जाने का प्रस्ताव है। फीजियोथैरेपिस्ट एवं आक्यूपेशनल थैरेपी कौन्सिल गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में प्रसव हेतु आधुनिक सुविधा

554. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में बाल रोग विशेषज्ञ तथा महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सा संस्थानवार नियुक्त एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

(2) अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के कितने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित प्रसव कराने की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में अलवर जिले में कितने संस्थागत प्रसव हुए तथा कितने घरेलू प्रसव हुए हैं? वर्षवार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हुए प्रसवों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रसवों में कितनी माताओं और बच्चों की मृत्यु चिकित्सा संस्थानों में व कितनी घरों में हुई? वर्षवार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में बाल रोग विशेषज्ञ तथा महिला एवं प्रसूति विशेषज्ञों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विशिष्टता	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	स्त्री रोग विशेषज्ञ	26	14	12
2	शिशु रोग विशेषज्ञ	20	10	10
	कुल योग	**46**	**24**	**22**

चिकित्सा संस्थानवार स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 63 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 109 माडल उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुरक्षित प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2013-2014 तक अलवर जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हुए संस्थागत एवं घरेलू प्रसवों की वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2013-2014 तक अलवर जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों तथा घर पर प्रसव के दौरान हुई मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहौर की उप तहसील भादरा जोन में संचालित पी.एच.सी. का क्रमोन्नयन

555. **श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहौर की उप तहसील भादरा जोन की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के आधार पर वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार पंचायत समिति आहौर में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम बेरी (पिलानी) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण

556. **श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिलानी के बेरी ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम बेरी पंचायत समिति सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

चूंकि ग्राम बेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है, अत: उक्त ग्राम में परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

टोंक के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना

557. **श्री अजीत सिंह** (टोंक) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों महाविद्यालयों में काफी पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय टोंक व राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त चल रहे पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

राजकीय महाविद्यालय टोंक

पद	रिक्त	कब से रिक्त
व्याख्याता संस्कृत	02	31.10.11, 28.02.14
व्याख्याता इतिहास	03	30.09.11, 26.02.14, 19.02.15
उर्दू	02	31.03.07, 28.02.13
व्याख्याता फारसी	01	30.04.14
व्याख्याता वनस्पति शास्त्र	01	01.03.02
व्याख्याता रसायन शास्त्र	02	18.01.14, 31.05.14
व्याख्याता प्राणी शास्त्र	01	18.12.13
व्याख्याता गणित	01	21.01.14
व्याख्याता ए.बी.एस.टी.	03	30.10.13, 06.02.15
व्याख्याता ई.ए.एफ.एम.	01	13.10.14
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	01	03.04.02
प्रयोगशाला सहायक	03	31.12.03, 31.07.06, 31.01.12
लिपिक ग्रेड-I	01	30.09.11

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पद	रिक्त	कब से रिक्त
च.श्रे. कर्मचारी	02	13.08.18, 01.01.15
गैसमेन	01	31.07.06
प्रयोगशाला परिचारक	03	31.10.87, 31.05.06, 31.07.08

राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक

पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त
व्याख्याता उर्दू	1	1	22.01.14 से
व्याख्याता गृह विज्ञान	3	1	28.10.14 से
शारीरिक शिक्षक	1	1	जुलाई 95 से
लिपिक ग्रेड-I	1	1	28.10.14 से
लिपिक ग्रेड-II	2	1	15.10.14 से
प्रयोगशाला सहायक	1	1	अगस्त 14 से
लेब बियरर	1	1	01.11.11
च.श्रे. कर्मचारी	4	2	30.06.14 से

व्याख्याताओं के 1118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई अभ्यर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12.01.15 को विज्ञप्ति जारी की गई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जावेगा। कनिष्ट लिपिक एवं शीघ्रलिपिक के पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में अभ्यर्थना प्रेषित करना प्रस्तावित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं नियमित स्थानान्तरण से भी रिक्त पदों को भरना प्रस्तावित है।

(3) राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में वर्ष 1995 से स्नातक स्तर पर कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विज्ञान संकाय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले के शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय सुविधाएं

558. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में करौली जिले के कितने सैनिक शहीद हुए? नाम व पतेवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शहीदों के परिजनों/आश्रितों के जीवनयापन हेतु किसी प्रकार की कोई घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन शहीद के परिवारों के लिये क्या-क्या घोषणा की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर अभी तक अमल नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? पूर्ण विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में करौली जिले के 4 सैनिक शहीद हुए। इनके नाम व पतेवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के 01.04.1999 आपरेशन विजय (कारगिल) एवं इसके बाद अन्य आपरेशनों में शहीदों के परिजनों/आश्रितों को देय कारगिल पैकेज के अन्तर्गत सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी है। जिसका विवरण परिशिष्टष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा शहीदों के आश्रितों के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं के तहत शहीद सैनिकों के परिजनों/आश्रितों को नियमानुसार समय-समय पर त्वरित गति से सुविधा प्रदान की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में रिक्त पद

559. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय संचालित हैं?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) उक्त किन-किन संस्कृत महाविद्यालयों एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में ज्योतिष, व्याकरण, धर्मशास्त्र एवं पुरोहित विषयों में शास्त्री एवं आचार्य की शिक्षा प्रदान की जा रही है?

(3) वर्तमान में उक्त संस्कृत महाविद्यालयों एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में ज्योतिष, व्याकरण, धर्मशास्त्र एवं पुरोहित विषयों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्तमान में 11 राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, 18 राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय एवं 143 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में आचार्य स्तर पर 04 महाविद्यालयों में ज्योतिष, 11 में व्याकरण, 02 में धर्मशास्त्र एवं शास्त्री स्तर पर 07 महाविद्यालयों में ज्योतिष, 25 में व्याकरण एवं 04 महाविद्यालयों में धर्मशास्त्र विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में से 09 विद्यालयों में ज्योतिष, 127 में व्याकरण एवं 05 विद्यालयों में धर्मशास्त्र विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

पौरोहित्य का विषय स्वीकृत नहीं है।

(3) उक्त राजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों में ज्योतिष, व्याकरण, धर्मशास्त्र एवं पौरोहित्य विषयों में रिक्त पदों का विषयवार विवरण निम्नानुसार है:-

संस्था	ज्योतिष	व्याकरण	धर्मशास्त्र
महाविद्यालय व्याख्याता	3	6	2
वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय	08	75	01

पौरोहित्य का पद स्वीकृत नहीं है।

(4) महाविद्यालय व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I के रिक्त पदों की पूर्ति सेवा नियमों में संशोधन होने के उपरान्त की जा सकेगी।

प्रदेश के शहीद सैनिक के आश्रितों को मुआवजा

560. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 10 वर्षों में प्रदेश के कितने सैनिक शहीद हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने सैनिकों के आश्रितों को क्या-क्या मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ प्रदान किये गये व कितनों का बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया प्रकरणों में आश्रितों को मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों में प्रदेश के 164 सैनिक शहीद हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(2) सैनिकों के आश्रितों को कारगिल पैकेज के तहत मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

जिन सैनिकों के आश्रितों को कारगिल पैकेज के तहत मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ बकाया है। उनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। आश्रितों द्वारा प्रपत्रों की पूर्ति समय पर नहीं किये जाने एवं सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा वांछित पत्रादि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण लम्बित चल रहे हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आश्रितों के वांछित पत्रादि/कार्यवाही किये जाने के उपरांत यथाशीघ्र नियमानुसार लाभ प्रदान किये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में प्रवेश परीक्षा समाप्त करने की योजना

561. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

(1) वर्ष 2008 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन हेतु (पीईटी/आरमेट एवं आरएमकेट) एवं डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किस-किस को अधिकृत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अभियांत्रिकी/एमबीए/एमसीए/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में परिषद से स्वीकृत कुल प्रवेश स्थान के विपरीत कितने-कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश लिया? वर्ष 2008 से 2014 तक का पाठ्यक्रमवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) पीईटी/आरमेट एवं आरएमकेट की पूर्व प्रवेश परीक्षा एवं डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों की प्रवेश की काउन्सलिंग की समाप्ति पश्चात् कितने अभ्यर्थियों ने संस्थान स्तर पर प्रवेश लिया? वर्ष 2008 से 2014 तक का पाठ्यक्रमवार अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गत सात वर्षों के तुलनात्मक विवरण के आधार पर इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने एवं संस्थान स्तर पर प्रवेश के निर्णय का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि व्यावसायिक पाठयक्रमों में स्वीकृत प्रवेश स्थान एवं इच्छुक प्रवेशार्थियों के भारी अंतर के कारण इस प्रकार की परीक्षाएं अव्यवहारिक एवं अप्रमाणिक हो चुकी हैं, जिसके कारण समय, श्रम एवं धन का भारी अपव्यय हो रहा है?

(6) क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक के आधार पर संस्थान स्तर पर मैरिट बनाकर प्रवेश देने हेतु संस्थानों को अधिकृत नहीं किया जा सकता है? यदि नहीं, तो महिला पालीटेक्नीक महाविद्यालयों में किस आधार पर गत वर्षों में संस्थान स्तर पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई?

(7) क्या सरकार वर्ष 2015-16 से महिला पालीटेक्नीक महाविद्यालयों में पूर्व से लागू प्रवेश प्रक्रिया को सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों में लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा पीईटी/आरमेट एवं आरएमकेट में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए अधिकृत किये गये संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पूर्व प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है।

(2) वर्ष 2008 से 2014 तक का पाठ्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2008 से 2014 तक का पाठ्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित किये जाने/नहीं किये जाने बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) संस्थानों में जो प्रवेश क्षमता स्वीकृत की गई है, उनके अनुसार छात्रों द्वारा प्रवेश अत्यन्त सीमित है, जिसके फलस्वरूप प्रवेश सीटें रिक्त रहती हैं। इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुये पैरा 4 के अनुसार प्रस्ताव विचारणीय है।

(6) राज्य के समस्त डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में केन्द्रीकृत पद्धति से प्रवेश दिये जाने का राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

महिला पालिटेक्निक महाविद्यालयों में गैर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्थानों की संख्या तुलनात्मक रूप से अत्यधिक न्यून होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया संस्थान स्तर पर की जाती है।

(7) राज्य के समस्त डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में केन्द्रीकृत पद्धति से प्रवेश दिये जाने का राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में मुख्य मंत्री रोजगार योजना में गुमटी का आबंटन

562. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या जविप्रा/जोन-डी-1/2001/डी 93/दिनांक 4 जनवरी, 2002 के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना में गुमटी संख्या 1 भांकरोटा सिरसी रोड, भांकरोटा, जयपुर में आबंटित की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि आवंटी ने शर्तों के अनुसार वर्षवार वर्ष 2000, 2002, 2003 एवं 2004 में प्रतिवर्ष 2250 रु. के अनुसार कुल 9000 रु. जे.डी.ए. में जमा करा दिये।

(श्री कैलाश भंसाली)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटन को आदेश संख्या जविप्रा/जोन/11/2005/डी-2570 दिनांक 7 अप्रेल, 2006 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त आबंटन को बहाल कर आबंटी को जयपुर शहर में अन्यत्र गुमटी आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार गुमटी आबंटित नहीं होने की स्थिति में आबंटी को उसकी जमा कुल राशि रु. 9000/- लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या जविप्रा/जोन/डी-1/2001/डी-93 दिनांक 04.01.2002 के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना में गुमटी संख्या-1 भांकरोटा सिरसी रोड, भांकरोटा जयपुर में आबंटित की थी।

(2) जी हां। यह सही है कि आबंटी ने वर्ष मई, 2002, दिसम्बर, 2002, दिसम्बर, 2003 एवं दिसम्बर, 2004 में 2250/- रुपये के हिसाब के कुल 9000/- रुपये जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराये, किन्तु शर्तों में निर्धारित अवधि के पश्चात जमा कराये।

(3) जी हां। आबंटी द्वारा प्रथम किश्त की राशि शर्त के अनुसार आबंटन पत्र जारी तिथि से 30 दिवस में जमा करानी थी, जो जमा नहीं कराये जाने के कारण आबंटन निरस्ते किया गया।

(4) जी नहीं। आवंटी की जमा राशि आबंटन निरस्त कर चैक नम्बर 010028 से आबंटी को दिनांक 17.03.2015 को रसीद लौटा दी गई है।

(5) आबंटी द्वारा जमा रुपये 9000/- की राशि चैक नम्बर 010028 से आबंटी को दिनांक 17.03.2015 को रसीद लौटा दी गई है।

लोसल नगरपालिका का मास्टर प्लान

563. श्री गोरधन (धोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र धोद की नगरपालिका लोसल में मास्टर प्लान लागू किया गया है? उक्त का मास्टर प्लान कब बना तथा किसके द्वारा बनाया गया व इसमें क्या-क्या मानदण्ड अपनाये गये तथा क्या इसमें वहां की जनता

(श्री गोरधन)

तथा जनप्रतिनिधियों की राय ली गई थी? यदि हां, तो मास्टर प्लान में किस-किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है तथा भविष्य की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.8.14 के द्वारा नगर पालिका लोसल के मास्टर प्लान को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 के द्वारा लोसल का मास्टर प्लान बनाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को अधिकृत किया गया था। उक्त मास्टर प्लान नगर नियोजक विभाग, कन्सलटेन्ट राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड जयपुर एवं का-कन्सल्टेन्ट फीडबैक वेचर्स प्रा. लि. गुडगांव, हरियाणा तथा इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इंडिया, राजस्थान रीजनल चैप्ट्र, जयपुर के माध्यम से बनाया गया है। आम जनता व जनप्रतिनिधियों की राय हेतु मास्टर प्लान के प्रारूप पर दिनांक 14.6.2011 से 13.7.2011 (30 दिवस) तक आपत्ति/सुझाव आंमत्रित किये गये थे एवं उक्त समयावधि में इसकी एक प्रदर्शनी नगरपालिका लोसल में आयोजित की गई थी। मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु अपनाई गई नियोजन की नीतियां व सिद्धान्तों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.1.14 के द्वारा लोसल के नगरीय क्षेत्र में राजस्व ग्राम लोसल, हरिपुरा, गणेशपुरा, रामपुरा, लोसल छोटी एवं बलवन्तपुरा को सम्मिलित किया गया है। उक्त मास्टर प्लान 2031 तक प्रभावी रहेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

564. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती गोलमा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को पत्र संख्या प.3 (104) नविवि/3/95/पार्ट, दिनांक 22 अगस्त, 2014 को भिजवाया गया है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला कलक्टर जयपुर को पत्र क्रमांक डी-4845 दिनांक 09.03.2015 द्वारा भिजवाया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ठ "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा बहरोड़ एवं नीमराना के विकास हेतु व्यय राशि

565. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2014 तक नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा तहसील बहरोड़ एवं नीमराना के विकास हेतु कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? वर्तमान में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके व कौन-कौन से अधूरे हैं? अधूरे रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अधूरे कार्यों को सरकार अब कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 अप्रेल, 2011 से 31 मार्च, 2014 तक नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा तहसील बहरोड़ एवं नीमराना में स्वीकृत किये गये कार्य एवं स्वीकृत की गई राशि तथा वर्तमान में पूर्ण किये गये कार्यों व अधूरे रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) अधूरे रहे कार्यों को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा विकास हेतु संचालित योजनाएं

566. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् सवाई माधोपुर के पास स्वच्छता को ध्यान में रखते हुये क्या-क्या योजनायें हैं और उन योजनाओं में काम आने वाले उपकरणों व मौजूदा साधनों की वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या-क्या है? उपकरणों व साधनों का किस तरह से उपयोग लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के शहरी क्षेत्र में कुल कितने पार्क संचालित हैं? सरकार उनके रख-रखाव व सुविधाओं व बच्चों के खेलने के उपकरणों तथा स्वच्छता के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है और आगामी क्या कार्य योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर परिषद् सवाई माधोपुर में किस-किस योजना के तहत कौन-कौन से प्रस्ताव व कार्य वर्तमान में किन कारणों से लम्बित हैं साथ ही किन-किन कार्यों पर स्वीकृति वांछित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त के क्षेत्र में शौचालयों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार नवीन शौचालयों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) नगर परिषद् सवाई माधोपुर में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्ष 2015-16 के लिये विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के लिये क्या-क्या योजनायें विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् सवाई माधोपुर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु दिनांक 31.3.15 को निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं जिसमें सम्बन्धित फर्म द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण किया जाकर कचरे का निस्तारण किया जाना है एवं वर्तमान में नगर परिषद् सवाई माधोपुर में 213 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं तथा सफाई उपकरण साधनों में 1 जेसीबी, 7 ट्रेक्टर एवं 4 डम्पर से परिषद् क्षेत्र की सफाई करवाई जा रही है।

(2) नगर परिषद् सवाई माधोपुर क्षेत्र में 08 पार्क संचालित हैं जिनकी चारदीवारी करवाई जा चुकी है जिनमें वर्ष वाइज व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष 2010-11 - 20.00 लाख

वर्ष 2011-12 - 20.00 लाख

वर्ष 2012-13 - 09.50 लाख

वर्ष 2013-14 - 10.00 लाख

वर्ष 2014-15 - 17.00 लाख

वर्ष 2015-16 में पार्क विकास व बच्चों के खेलने के उपकरणों के लिये 15.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(3) नगर परिषद् सवाई माधोपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा सवाई माधोपुर स्थित लटिया नाले की सफाई कराने एवं सूरवाल झील से जोड़ने का प्रस्ताव है, जो प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजनान्तर्गत नगर परिषद् सवाई माधोपुर में क्षेत्र में 2 आश्रय स्थलों का क्रमश: नगर परिषद् कार्यालय परिसर में सिंचाई विभाग के कोने के पास व खण्डार बस स्टैण्ड शहर स.मा. में निर्माण कार्य चालू है।

नगर परिषद् सवाई माधोपुर में एनयूएलएम योजना के अन्तर्गत 10 सामुदायिक शौचालय का निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

आईएचएसडीपी योजना के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों में सीवरेज कार्य, एक सामुदायिक भवन, विद्युतीकरण, आवास निर्माण इनसिटू, अपग्रेडेशन रीलोकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। बीटी रोड का कार्य प्रगति पर है। रीलोकेशन के मकानों में 100 लाभार्थियों को शिफ्टिंग की कार्यवाही कर दी गई है। शेष लाभार्थियों द्वारा हिस्सा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण शिफ्टिंग का कार्य शेष है। बीआरजीएफ योजना वर्ष 2014-15 में कुल 15 कार्य स्वीकृत हुए। जिनमें 8 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 7 कार्य प्रगति पर हैं।

(4) राज्य सरकार के आदेशानुसार परिषद् क्षेत्र सवाई माधोपुर में घर-घर जाकर शौचालय विहिन आवासों का सर्वे करवाये जाने हेतु निविदा की जा चुकी है किन्तु दरें अधिक आने के कारण नेगोसियेशन के लिए निविदाकर्ता को आमंत्रित किया गया है। साथ ही 10 सामुदायिक काम्पलेक्स बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) नगर परिषद् सवाई माधोपुर में 433 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 153 पद रिक्त हैं। रिक्त पद कर्मचारी उपलब्ध होने पर भर दिये जायेंगे।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(6) वर्ष 2015-16 के लिये नगर परिषद् स्तर पर कोई नवीन योजना प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

सिंधी कालोनी बनीपार्क, जयपुर की मूल पत्रावलियां गुम होने पर कार्यवाही

567. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित सिंधी कालोनी, बनीपार्क के कुछ आवासीय भवनों/भूखण्डों की मूल पत्रावलियां नगर निगम कार्यालय से गुम हो गयी हैं? यदि हां, तो कब व किन-किन भूखण्डों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूखण्डों/भवनों के नाम हस्तांतरण/उप विभाजन आदि कार्यों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र/प्रकरण निगम कार्यालय में लम्बित हैं? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डों/भवनों के किन-किन कार्यालयों में और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूखण्डों/भवनों की डुप्लीकेट पत्रावलियां तैयार कराकर भूखण्ड धारकों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिंधी कालोनी, बनीपार्क योजना, जयपुर की गुम 27 पत्रावलियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन हेतु नगर निगम जयपुर में लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) भूखण्ड धारकों द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों एवं प्रस्ताव के आधार पर डुप्लीकेट पत्रावली तैयार की जाकर प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गणगौरी बाजार, जयपुर में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के कारण लगने वाला जाम

568. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में गणगौरी बाजार एवं दीनानाथजी की गली जयपुर में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं? इसमें व्यवसायी अपना माल सड़क पर रख कर व्यापार करते हैं, जिससे राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है एवं घण्टों जाम लगा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या, उक्त क्षेत्र में व्यापारियों का माल उतारने एवं चढ़ाने हेतु ठेले, लोडिंग आटो व साइकिल रिक्शा वाले घण्टों जाम लगा कर रखते हैं जिससे कालोनी वासियों का पैदल चलना तक दूभर हो गया है? क्या सरकार इस समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के चौक में लोडिंग रिक्शा व आटो द्वारा अपने वाहन पार्क कर दिये जाते हैं, जिससे राहगीरों का गुजरना तक मुश्किल हो रहा है? क्या सरकार इन्हें अन्य पार्किंग कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मैट्रो के कार्य चलने के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गणगौरी बाजार एवं दीनानाथजी की गली जयपुर में व्यवसायियों द्वारा सड़क सीमा में दुकानों के बाहर सामान रखकर, अस्थाई अतिक्रमण कर व्यापार करते हैं। नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाकर उनका सामान जब्त/कैरिंग चार्ज वसूल किया जाता है।

(2) उक्त क्षेत्र में प्रात 9.00 बजे से 11.00 एवं सायं 4.00 बजे से 7.00 बजे तक लोडिंग वाहनों का प्रवेश वर्जित है। लोडिंग वाहनों को निर्धारित पार्किग स्थल के अतिरिक्त पार्क नही होने दिया जाता। यातायात पुलिस द्वारा आमजन व यातायात का सुगम संचालन करवाया जाकर यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एमवी (मोटर व्हीकल) एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) उक्त क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के लिये वर्तमान में चौगान स्टेडियम पर पार्किग व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका आमजन द्वारा उपयोग किया जा रहा है। पार्क होने वाले वाहनों को तरतीब से खड़ा किया जाता है। आमजन व यातायात का सुगम संचालन करवाया जा रहा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) उक्त क्षेत्र में यातायात के सुगम संचालन हेतु भारी वाहन मिनी बस, ट्रक आदि का प्रवेश निषेध है। सड़कों पर यातायात पुलिस स्टाफ, होमगार्ड, मैट्रो रेल का स्टाफ, मैट्रो मार्शल को लगाया जाकर यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

आसीन्द नगरपालिका को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की योजना

569. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या आसीन्द नगरपालिका को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा नये अग्निशमन वाहन क्रय किये गये हैं। जिन पर वाटर मिस्ट हाई प्रेशर पम्प लगाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। अग्निशमन वाहन तैयार होने पर आबंटित किया जावेगा।

चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशनों पर मोटरों की संख्या में वृद्धि

570. श्री जयनारायण पूनियां (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना में जल को लिफ्ट करने के लिए कितने पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया है तथा इनमें कितनी मोटरें लगी हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जल की बढ़ती मांग की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए पम्पिंग स्टेशनों पर मोटरों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल परियोजना में जल को लिफ्ट करने के लिए पांच पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया हुआ है, जिनमें से पम्पिंग स्टेशन संख्या 04 तक 30 मोटरें लगाई जा चुकी हैं एवं पम्पिंग स्टेशन संख्या 05 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल आपूर्ति हेतु स्थानान्तरित किया जा चुका है।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) पम्पिंग स्टेशन संख्या 04 पर 3 मोटरें लगाने के कार्यादेश माह 8/2014 में जारी किये जा चुके हैं, जो कि माह 11/2015 तक लगायी जावेंगी। मोटरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अन्तरराज्यीय समझौते के तहत राज्य को मिलने वाला पानी

571. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश को वर्तमान में तीन राज्यों के मध्य हुए समझौते के तहत बी.वी.एम.बी. के माध्यम से रावी-व्यास नदियों से अपने हिस्से का कितनी मात्रा में जल मिलना चाहिए और कितनी मात्रा में मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों से राज्य को मिलने वाले अपने हिस्से के जल को प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रावी-व्यास नदियों के पानी उपयोग हेतु तीन राज्यों के मध्य हुये समझोते के अनुसार राजस्थान को अधिशेष 17.17 एम.ए.एफ. पानी में से 8.60 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान को अधिशेष पानी 8.00 एम.ए.एफ. के आधार पर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार रावी-व्यास नदियों से राज्य को मिलने वाले हिस्से को प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी के पर्यटन स्थलों का विकास

572. **श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौन से पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं तथा इनको पर्यटन स्थल घोषित करने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

(2) सरकार केकड़ी व सरवाड़ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र व सरकार की कई योजनायें संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी (अजमेर) के विश्व प्रसिद्ध वराह मंदिर के पर्यटक स्वरूप को निखारने की क्या योजना है? क्या इस धरोहर के संरक्षण व विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में निम्नांकित मुख्य पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल स्थित हैं :-

1. ग्राम सरवाड़ में प्राचीन गोपीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, राठौड कालीन किला, सूफी सन्त फखरूद्दीन चिश्ती की दरगाह।
2. ग्राम बघेरा में वराह मंदिर, प्राचीन छतरियां, तोरण स्तम्भ, किला आदि।
3. ग्राम जूनियां में प्राचीन किला।
4. ग्राम फतेहगढ़ में प्राचीन किला, पीवणियां तालाब, कालाबेडा बालाजी व किशनगढ़ द्वार।
5. ग्राम पारा में प्राचीन शिव मंदिर व गढ़।
6. ग्राम सोखली में गढ़।
7. ग्राम सावर में गढ़।
8. ग्राम कादेड़ा में गढ़ आदि।

पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में राशि रु. 153.00 लाख की परियोजना स्वीकृत कर राशि रु. 25.00 लाख कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की पी.डी. खाते में हस्तांतरित की गयी है। इस राशि से

(पर्यटन राज्य मंत्री)

ख्वाजा फखरूद्दीन चिश्ती की दरगाह, सरवाड़-अजमेर में जन सुविधा, यात्रिका शैड, पार्किंग, सोलर लाइट्स, बोरिंग मय बिजली फिटिंग व सीमेंट कंक्रीट की फर्श आदि कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। भूमि विवादित होने के कारण उक्त विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुए। अत: जिला कलक्टर से अनुरोध किया गया है। भूमि के चयन उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

केकड़ी उपखण्ड के ग्राम बघेरा में राज्य योजना के तहत वर्ष 2011-12 में ग्रामीण पर्यटन विकास योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से राशि रु. 43.90 लाख व्यय कर वराह मंदिर व आसपास के क्षेत्र का संरक्षण, जीर्णोद्धार व विकास कार्य कराये गये हैं।

(3) जी हां। पर्यटन विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की निम्न दो योजनाएं संचालित हैं:-

1. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.):- इस योजना अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि से पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।
2. राज्य योजना:- राज्य योजनान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त राशि से पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(4) केकड़ी उपखण्ड के ग्राम बघेरा में राज्य योजना के तहत वर्ष 2011-12 में ग्रामीण पर्यटन विकास योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से राशि रु. 43.90 लाख व्यय कर वराह मंदिर व आस-पास के क्षेत्र का संरक्षण, जीर्णोद्धार व विकास कार्य कराये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी (अजमेर) के वराह मंदिर के विकास हेतु पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई मास्टर प्लान विचाराधीन नहीं है।

रायपुर (पाली) के श्रीरूपम विद्यालय द्वारा की जारी रही अनियमितताओं की जांच

573. **श्रीमती अनीता** (नगर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर में किन-किन निजी विद्यालयों में फीस निर्धारित की गई व कितनी-कितनी? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता)

(2) क्या यह सही है कि श्रीरूपम सीनियर सैकण्डरी स्कूल के द्वारा नि:शुल्क शिक्षा देने का विज्ञापन देकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है तथा प्रवेश लिये जाने के पश्चात संचालक द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है, जबकि निर्धन परिवार को नि:शुल्क शिक्षा दी जाने का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में कानूजा की बालक-बालिकाओं का एडमिशन तो नि:शुल्क शिक्षा के आधार पर कर लिया गया तथा इन छात्रों को फीस के लिए माह नवम्बर तक न कहकर दिसम्बर में फीस मांग की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उपयुक्त दोषी विद्यालय के संचालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिये विद्यालय में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक सुविधायें मुहैया करवा दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले के पंचायत समिति रायपुर में 28 निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण की गई है जिसका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। श्रीरूपम सीनियर सैकण्डरी स्कूल बर के द्वारा भ्रमित किये जाने अथवा अभिभावकों से फीस वसूली किये जाने के सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) ग्राम कानूजा योजना अन्तर्गत कैचमेन्ट क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि कानूजा व बर अलग-अलग ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। तथा इन दोनों के मध्य 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। श्री रूपम सीनियर सैकण्डरी स्कूल बर में संचालित है। आर.टी.ई. के तहत नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। जबकि श्री रूपम सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कानूजा गांव के छात्रों को कक्षा 04,05,06 में प्रवेश दिया जो कि आर.टी.ई. अधिनियम के तहत नहीं आता है। शुल्क लिया गया है।

(4) जी नहीं। अपितु श्री रूपम सीनियर सैकण्डरी बर में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु विद्यालय में बैठने के लिए कक्षा-कक्ष नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा, पुस्तक वाचनालय, शुद्ध पेयजल की सुविधा, खेल मैदान एवं प्रशिक्षित अध्यापकों से अध्यापन की सुविधा आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डावा के विद्यालयों में रिक्त पद

574. **श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के 20000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के उक्त रिक्त पद जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा चयनित आशार्थियों से शीघ्र भरे जा सकेंगे। द्वितीय श्रेणी एवं शारीरिक शिक्षक के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थियों से भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में भवन रहित विद्यालयों हेतु भवन की व्यवस्था

575. **श्री पब्बाराम** (फलौदी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के कितने विद्यालय स्वयं के भवनों में एवं कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? विधान सभा वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किराये के भवनों में से कितने भवन विद्यालय के कुशल संचालन की दृष्टि से अपर्याप्त हैं व भवन क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा की दृष्टि से भी अनुपयुक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों को स्वयं का भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 3033 विद्यालय स्वयं के भवनों में तथा 33 विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं। स्वयं के भवनों में संचालित विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" में तथा किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 542 विद्यालय स्वयं के भवन में तथा मात्र 04 विद्यालय किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उक्त किराये के भवनों में अनुपयुक्त व अपर्याप्त भवनों का विवरण परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सभी किराये के भवन विद्यालय संचालन की दृष्टि से पर्याप्त हैं एवं कोई भी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं हैं।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजनाओं में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाले विद्यालय भवन निर्माण के लक्ष्यों की सीमा में स्वयं के भवन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उक्त 04 विद्यालय शहरी/आबादी क्षेत्र में स्थित होने के कारण विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में स्वयं के भवन निर्माण किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में किराये के भवनों में ही संचालित हो रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.), जयपुर के अधीन निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही अनियमितता

576. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक, जयपुर के अधीनस्थ किस-किस निजी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध 2014-15 में बिना मान्यता के फर्जी टी.सी. जारी करने, बिना अनुमति के भवन परिवर्तन करने, सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में बिना अनुमति के विद्यालय का संचालन करने तथा राज्य सरकार के

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

मान्यता नियम, 1989 एवं 1993 के प्रावधानों की अवहेलना करने तथा फर्जी किरायानामा पेश करने तथा भवन सुरक्षा पत्र प्रस्तुत नहीं करने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया रोकने तथा विद्यालय का समस्त रिकार्ड कार्यालय में जमा कराने के आदेश के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, परन्तु ऐसे विद्यालयों के द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालय का संचालन एवं कोचिंग सेन्टर चलाकर मनमानी फीस वसूल कर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौनसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी की अनदेखी के कारण उक्त विद्यालयों के अवैधानिक रूप से संचालित किये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा ऐसे विद्यालयों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर कार्यालय में एम.डी. इन्टरनेशनल स्कूल, मुरलीपुरा, वार्ड नं. 34 जगतपुरा तहसील सांगानेर के विरुद्ध छात्र-छात्राओं को टी.सी. नहीं देने, विद्यालय निर्धारित भवन में नहीं चलाने, उप्रावि स्तर की मान्यता होने के बावजूद कक्षा 9 व 10 का संचालन का विज्ञापन जारी करने, विद्यालय के विज्ञापन में अन्य् विद्यालय के छात्रों की फोटो छापने, विज्ञापन में शिकायतकर्ता का नाम छापने, छात्रों का नि:शुल्क प्रवेशित दिखलाकर पुनर्भरण राशि का दुरूपयोग, गलत तरीके से फीस वसूलना आदि के सम्बन्ध में एक शिकायत श्री आत्माराम नवलगढीया, एडवोकेट द्वारा की गई है। प्राप्त शिकायत की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त उक्त विषयक अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) जयपुर ने पत्र दिनांक 10.07.2014 के द्वारा विद्यालय को नियमों में निर्धारित शर्तों की पालना में विफल रहने से एम.डी. इन्टरनेशल स्कूल, मुरलीपुरा, वार्ड नम्बर 34, जगतपुरा तहसील सांगानेर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जयपुर के पत्र दिनांक 26.09.2014

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी, जयपुर शहर पश्चिम, एन.वी.डी. बाल मन्दिर, सी स्कीम जयपुर को एम.डी. इन्टरनेशल स्कूल, मुरलीपुरा, वार्ड नम्बर 34, जगतपुरा तहसील सांगानेर की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है, जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत संस्था की शिकायत हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) जयपुर ने पत्र दिनांक 17.06.2014 के द्वारा ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर को आदेशित किया गया था। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर द्वारा दिनांक 08.07.2014 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अपूर्ण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.09.2014 द्वारा अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जयपुर शहर पश्चिम को जांच हेतु अधिकृत किया गया है। जांच अभी प्रक्रियाधीन है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार दोषी का निर्धारण कर नियमान्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर की जांच रिपोर्ट तथा अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पश्चिम को प्रदत्त जांच आदेश की प्रति परिशिष्ट-'ख' तथा 'ग' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा के विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

577. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभागीय मानदण्डों के अनुसार बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम व दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहां पर निर्धारित मानदण्ड से कम परिणाम आया है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे संस्था प्रधानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त संस्था प्रधानों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय मानदण्डों के अनुसार बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम व दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले सरकारी विद्यालयों के संस्था-प्रधानों के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। विभागीय मानदण्डों की छाया प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 16 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें निर्धारित मानदण्ड से कम परीक्षा परिणाम रहा है, विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त सभी 16 सरकारी विद्यालयों के संस्था-प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। अब तक विभाग द्वारा उक्त 16 में से 14 संस्था-प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा शेष 02 को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। कारण बताओ नोटिस जारी किये गये 14 संस्था-प्रधानों की सूची परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्रश्न के भाग-3 के अनुसार।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मारवाड़ जंक्शन में महिला एवं बालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

578. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में प्रदेश के महिला एवं बालकों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है? योजनावार गत 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने महिला एवं बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं प्रति इकाई कितनी राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला एवं बालकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश के महिला एवं बालकों के विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवाएं के अधीन आईसीडीएस मिशन, इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सबला एवं आईएसएसएनआईपी (आईसीडीएस सिस्टम्स स्ट्रेंथिंग एण्ड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) योजनाएं संचालित की जा रही है। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। योजनावार गत 5 वर्षों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जिला पाली में समेकित बाल विकास सेवाएं के अन्तर्गत 15374 गर्भवती, 12258 धात्री, 73983 0-6 वर्ष के बालक-बालिकाएं, 3905 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया एवं महिला अधिकारिता की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 244362 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। लाभान्वितों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। उक्त योजनान्तर्गत महिला एवं बालकों के प्रति इकाई व्यय का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में समेकित बाल विकास सेवाओं की योजनाओं के अन्तर्गत 2566 गर्भवती महिलाएं, 2602 धात्री महिलाएं, 11609 0-6 वर्ष के बालक व बालिकाएं एवं 965 किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। महिला अधिकारिता की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 175 महिलाओं को एवं अंतर्विभागीय समन्वयन के माध्यम से 32980 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-19 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में नया ''डाक बंगला'' बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

2 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उपकोष कार्यालय (ट्रेजरी) भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

3 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

4 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगलों की स्थिति ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि पर अन्य सुविधाएं बढाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

6 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये न्यायालय परिसर में अपूर्ण निर्माण कार्य पूरा कराये जाने एवं आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मांढणा उप तहसील के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अधिकारी व कर्मचारियों के आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

11 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में तहसील कोटकासिम मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी आवासों का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय एवं तहसील कोटकासिम मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय व हरसोली में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

14 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय के अपूर्ण भवन एवं चारदीवारी का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिलासगढ़ की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

16 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सीमलवाड़ा में डिवाइडर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17 विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सीमलवाड़ा में डाक बंगला एवं सर्किट हाउस निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति झोथरी एवं चिखली में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति झोथरी एवं चिखली में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

21 विधान सभा क्षेत्र लूणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपखण्ड लूणी एवं उपखण्ड धवा के कार्यालय हेतु भवन बनाने एवं लूणी में डाक बंगला बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22 विधान सभा क्षेत्र लूणी में जर्जर सरकारी भवनों यथा स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पटवार घरों एवं अस्पतालों का मरम्मत कार्य करवाने एवं दुन्दाड़ा व लूणी में खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र लूणी में नव-सृजित ग्राम पंचायतों, पटवार घरों के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

24 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू उपखण्ड मे पी.डब्ल्यू.डी. के विश्राम गृह की मरम्मत कराने एवं अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

25 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित विश्राम भवन के विस्तार एवं सी.डी.पी.ओ. कार्यालय के भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

26 विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पी.डब्ल्यू.डी. के भवनों की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

27 विधान सभा क्षेत्र करौली में तहसील स्तर पर डाक बंगले बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

28 तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील कार्यालय पुराना एवं जर्जर होने के कारण नया भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

29 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

30 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर, सराड़ा व सेभारी में डाक बंगला निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सेभारी में पंचायत समिति मुख्यालय पर नये डाक बंगले के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह ''आक्या'' (चित्तौड़गढ़) :

32 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में हवाई पट्टी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

33 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के डाक बंगले की मरम्मत करने एवं ए.सी. लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के खिवाड़ा उप तहसील में भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 1925 में बने जर्जर हालात के पुलिस थाने का नया भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

36 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में चल रहे भवन रहित पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 उप खण्ड बालेसर कस्बे के डाक बंगला में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने व नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड बालेसर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39 प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता पद से निम्न स्तर के पदों यथा मिस्त्री, सुपरवाइजर, फोरमैन, मेट एवं गैंगमेनों के पदों पर भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

41 विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

42 विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ में उप परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

43 विधान सभा क्षेत्र सांचौर के शहर में निर्मित सरकारी डाक बंगले की चारदीवारी की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

44 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डाक बंगला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

45 उपखण्ड मुख्यालय छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में सार्वजनिक विश्रान्ति गृह (डाक बंगला) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46 निम्बाहेड़ा-रानीखेड़ा-मण्डलाचारण-बिनोता थ्रू-रूट सड़क की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

47 विधान सभा क्षेत्र जायल में जायल मुख्यालय पर विश्राम गृह (डाक बंगला) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48 जायल में प्रस्तावित महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49 विधान सभा क्षेत्र जायल में सरकारी भवनों एवं स्कूलों के कक्षा-कक्ष व चारदीवारी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50 विधान सभा क्षेत्र जायल में बस स्टैण्ड के सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

51 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सब-डिवीजन नादौती में डाक बंगला निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

52 भादरा में तहसीलदार के लिये नया आवास भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

53 भादरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भवन एवं आवास भवन बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

54 भादरा में ब्लाक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय हेतु भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

55 विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में स्वीकृत डाक बंगला के निर्माण में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

56 किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता का खण्ड कार्यालय खोलने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय के साथ-साथ प्रमुख कस्बे ''अराई'' में विश्राम गृह (डाक बंगला) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में सामुदायिक कम्युनिटी हाल एवं कमरों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

59 विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों के रखरखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

60 विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड कपासन, उपखण्ड भूपालसागर, उपखण्ड राशमी व उपखण्ड भदेसर में डाक बंगलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

61 विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उप पंजीयन कार्यालय की रिक्त भूमि पर भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

62 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उपखण्ड दीगोद एवं सांगोद स्थित विश्राम गृहों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित राजकीय आवासों एवं कार्यालयों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

64 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ़, सज्जन नगर में स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

65 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सरकारी कार्यालयों व विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुन: निर्माण व सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

66 डूंगरपुर जिले मे स्थित वीर काली बाई कन्या महाविद्यालय का प्रशासनिक भवन, सेमीनार हाल व कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67 डूंगरपुर जिले में स्थित एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय का प्रशासनिक भवन व कक्षा-कक्षों एवं सेमीनार हाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68 डूंगरपुर जिले के उपखण्ड बिछीवाड़ा मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उपखण्ड बिछीवाड़ा में उपखण्ड कार्यालय तथा तहसील कार्यालय के भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जिला कारागृह भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

71 उप खण्ड मुख्यालय बायतू (बाड़मेर) में स्टेडियम का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

72 राजकीय महाविद्यालय बायतू के भवन की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73 तहसील कार्यालय गिड़ा, बाड़मेर के भवन निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74 उप खण्ड अधिकारी कार्यालय बायतू के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75 उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगला/ रेस्ट हाउस की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

76 विधान सभा क्षेत्र मावली के डबोक में डाक बंगला का निर्माण एवं पुराने भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

77 आहौर उपखण्ड मुख्यालय में डाक बंगला के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

78 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास एवं कोटकासिम में विश्राम गृह न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

79 प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण की गुणवत्ता उत्तम करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

80 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल अस्पताल एवं सभी सी.एच.सी. अस्पताल में आने वाले मरीजों के ठहराव हेतु विश्राम गृहों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सरकारी भवनों, विद्यालयों के कक्षा-कक्षों एवं क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में समस्त पटवार घरों व ग्राम सेवकों के मुख्यालय पर भवनों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

84 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन, सहकारिता भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय संस्थानों व धार्मिक स्थलों की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के गांव व कस्बों में नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

87 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में झुन्झुनूं से चिड़ावा जाने वाली सड़कों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

88 विधान सभा क्षेत्र दौसा में नव सृजित नांगल-राजावतान में एस.डी.ओ. कार्यालय के नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89 विधान सभा क्षेत्र दौसा में नव सृजित लवाण पंचायत समिति में नये पंचायत भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90 विधान सभा क्षेत्र दौसा में आबकारी भवन का शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

91 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में न्यायालय का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92 कोलायत तहसील मुख्यालय पर वृताधिकारी पुलिस कोलायत का कार्यालय एवं निवास स्थान का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 कोलायत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की सम्पूर्ण मरम्मत व रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 कोलायत तहसील के उप तहसील बज्जू में राजकीय विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

96 विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्रस्तावित परिवहन विभाग के कार्यालय का भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

97 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में स्थित जेल भवन की मरम्मत एवं नव निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

98 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कार्यालय सहायक अभियन्ता मसूदा एवं भिनाय के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

99 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित सभी सार्वजनिक सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

100 राजस्थान में लोक निर्माण विभाग के जितने खण्ड कार्यालय हैं उनका पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

101 विधान सभा क्षेत्र धोद में लोसल नगरपालिका क्षेत्र में डाक बंगला बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

102 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में महाविद्यालय का भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में डाक बंगले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति के कारण उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में जनाना अस्पताल का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

106 विधान सभा क्षेत्र दूदू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर्स क्वाटर्स की जर्जर अवस्था एवं भवनों के रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम झाग व हटूपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र दूदू के फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण एवं चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

109 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ में डाक बंगले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

110 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सरकारी कार्यालय, चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल थाने एवं सांभर कारागार की चारदीवारी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

113 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ मिनी सचिवालय की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भवन की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ रेस्ट हाउस की मरम्मत कर व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ न्यायालय परिसर एवं तहसील कार्यालय के अलग-अलग भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

117 प्रदेश में विभाग को निजी भवन निर्माता से प्रतिस्पर्धा में समान बी. एस. आर. व गुणवत्ता आधारित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118 विभाग द्वारा निर्मित निर्माण की गुणवत्ता का आकलन किसी स्वतंत्र एजेन्सी से करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र देने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

119 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभागीय स्वामित्व के भवनों की समुचित मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

120 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में विभाग के अधूरे कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में पुरानी जर्जर इमारतों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में पार्कों के रख-रखाव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

123 विधान सभा क्षेत्र करौली स्थित सर्किट हाउस में पर्याप्त स्टाफ लगाने व भोजन इत्यादि की सुचारु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124 विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैण्ड निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 विधान सभा क्षेत्र करौली में करौली मुख्यालय पर हैलीपेड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

126 सोजत शहर में सुबह घूमने के लिए माताजी भाकरी के आस-पास जागिंग के लिए फुटपाथ का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजन लाल जाटव (वैर) :

127 विधान सभा क्षेत्र वैर के हलेना के स्वास्थ्य केन्द्र का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128 विधान सभा क्षेत्र वैर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

129 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

131 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में तहसील व उपखण्ड मुख्यालयों पर डाक बंगलों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभाग में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सरकारी भवनों में हो रहे अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सरकारी भवनों की जर्जरावस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135 राजस्थान के डाक बंगलों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

136 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में सार्वजनिक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस मालाखेड़ा में बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

137 विधान सभा क्षेत्र सिकराय में नेशनल हाइवे की तर्ज पर बस स्टैण्ड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138 विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड गीजगढ़ में सहायक अभियन्ता भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

139 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लोक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

140 भरतपुर पशु चिकित्सालय के भवन का जीर्णोद्वार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141 आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर में नये काटेज वार्ड के कमरे बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

142 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143 विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के विजय नगर शहर के पुलिस थाने के भवन का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सरकारी चिकित्सालय में अतिरिक्त जननी रूम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

146 विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के राजकीय पोलोटेक्निक कालेज एवं आई.टी.आई. के भवन का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147 कोटा शहर के अपर्याप्त भवन वाले विद्यालयों में भवन निर्माण एवं कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

148 जयपुर में राजकीय भवनों पर रंग पुताई का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149 विभाग द्वारा निर्मित भवनों की जांच किसी थर्ड पार्टी से करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150 विभाग द्वारा निर्मित भवनों की गारन्टी अवधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151 विभाग द्वारा निर्माण कराये गये भवनों में घटिया निर्माण की शिकायतों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-21 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एव पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एनएच-14 के फोरलेन बनाने के बीच में आए पुलों के पास उतरने व चढ़ने हेतु सर्विस रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

2. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खण्ड खानपुर में जेठाना व कानपुरा की रोड स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

3. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आण्ट्री से लालपुरा (फुलेरा) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के हाड़ौता से रेनवाल जोबनेर सड़क का कार्य अविलम्ब कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. वर्ष 2002 में चौमूं तहसील के नये बने राजस्व ग्राम गीडा का बास प्रगति नया बास, विकास नगर कीरतसिंह का बास, लालपुरा चेता का बास में सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एन.एच. 11 से भूतेड़ा तक सड़क की रिपेयरिंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में धिनोई से बाड़का बास तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

8. विधान सभा क्षेत्र आहौर के डुडसी से बाघरा, रामा से धम्बडा माता, संखवाली से नागणे की माता मंदिर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र आहौर के रायथल से रमणीपा (बाड़मेर) बार्डर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र आहौर के गांव पलासीपा एवं रसीपाबास से पाली जिला सीमा को नोवी एवं बिढ़ीया तक जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना समदड़ी जोधपुर मार्ग पर रेलवे क्रासिंग समदड़ी में अण्डर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

12. अलवर शहर के दाउदपुर फाटक पर भारी यातायात दबाव व फाटक के अधिकतम समय बन्द रहने के कारण इस फाटक पर अण्डरपास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

13. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कूंड रोड से नीमोर वाया मिलकपुर, सोखा एवं नांगल खोडिया होते हुए नारनोल रोड नीमोर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अनंतपुरा से कोहराना, ऊटोली तक नई सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अलवर रोड से कारोड़ा होती हुई अजमेरीपुर तक नई सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अलवर रोड से अजमेरीपुर, एन.एच. 8 से ढूंढारीया, नरनौल रोड से नांगलखाड़ीया, खोहर रोड से डवानी, नारेड़ा खुर्द से अकलीमपुर कालेज बहरोड़, भगवाड़ीकलां से करेली, नारनोल रोड से अनन्तपुरा, कूंड रोड से भाजरा, रिवाली, कुंड रोड से महतावास सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नारनोल रोड से नीमोर गांव की 1 कि.मी. सड़क को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

18. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय से गढ़ी बोलनी (हरियाणा) की सीमा तक बनी सड़क में अपूर्ण रहे ग्राम नया गांव से ग्राम पहाड़वास तक (लम्बाई 4.00 कि.मी.) सड़क को चौड़ाईकरण करने एवं ग्राम बिलाहेड़ी, कोटकासिम बीबीरानी आदि में पानी की निकासी

हेतु सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय एवं खैरथल में बाइपास का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खैरथल से वल्लभग्राम होते हुये विजय मंदिर अलवर एवं खैरथल से हरसौली होते हुए बीबीरानी तक सड़क का चौड़ाईकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. जिला अलवर में अलीपुर, खेड़ी, खानपुर अहीरपुर, नीमलाका, कलगांव, हिंगवाहेड़ा, तिजारा होते हुये फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) तक सड़क को मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर.) घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

22. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम शाहबाद से मझारी, पुरेनी से मुसरेड़ी, कस्बानोनेरा से बलारपुर, तिलगंवा से पुरैनी एवं सड़ से गोगरा में नये पुलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम समरानियां से निवाड़ी, शाहबाद से राजपुर, खुशिचारा से नाटई, आकोदिया से कांकड़दा एवं तेलनी से कोटगढ़ वाली माताजी को नई सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सड़कों के निर्माण के लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

25. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के केकड़ी धुनिया के बीच डाई नदी पर नवीन पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

26. बाड़मेर शहर स्थित चौहटन रेलवे फाटक पर अण्डरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में 15 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

28. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की टूटी-फूटी सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां) :

29. विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्रामों की खराब सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

30. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम बेड़ुवा एवं डौकेर के बीच माही अनास संगम पर संगमेश्वर महादेव तीर्थ स्थान पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कदवाल डुंका, भादर मालाखोलडा, करावाडा बिलपन, साकरसी, सीमलवाड़ा सड़क पर एवं नीकण्ठ रास्ता में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कीर की चौकी से वाया सलूम्बर, आसपुर, डूंगरपुर सीमलवाड़ा, मुनावाड़ा, बडौदा तक फोरलेन सड़क की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में रतलाम, बासवाड़ा, परतापुर, सागवाड़ा, धम्बोला, सीमलवाड़ा, माण्डली, मोडासा, अहमदाबाद तक फोरलेन सड़क की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

35. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कांकाणी-लूणी दुन्दाड़ा बालोतरा राज्य मार्ग एवं एम.डी.आर. सड़क विनायिका सरदार, समंद रोड की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र लूणी के लूणी नदी एवं जोजरी नदी पर पुल एवं ग्रामीण गौरव पथ से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र लूणी के कांकाणी गुड़ा सड़क से ग्राम पाबुपुरा कुम्हारान तक 3 कि.मी. सड़क निर्माण एवं नदी में पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

38. विधान सभा क्षेत्र करौली में मेलागेट से अम्बेडकर सर्किल तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुन: निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

39. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सिरस से नला, डूसदी से रजवास, चतुर्भुजपुरा से डिडावता चुराडा से जैतपुरा, सिरोही से अगरपुरा, लुहारा से हरथौवता, देवदी से ढुढिया तक की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

40. विधान सभा क्षेत्र वैर के एन.एच. 11 झालाटाला से भुसावर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र वैर से जहाज तक की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

42. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बडोरा से अटरू तक की 24 कि.मी. सड़क जर्जर होने से वाहनों का भारी दवाव को देखते हुए 7 मीटर चौड़ाई करने एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की मिसिंग सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

44. विधान सभा क्षेत्र दौसा में सड़क, नालियां एवं पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

45. करौली स्थित पांचना के पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. करौली शहर की नवीन सड़क धन्ना काछी की बगीची से हाथीघटा की रोड अवधि पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

47. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भटेवर से मन्दसोर वाया भीण्डर कानोड़ धरियावद एवं प्रतापगढ़ रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भीण्डर में बाइपास निर्माण की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

49. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में मिसिंग लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

50. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सरिपिपली से उठाखेडा के बीच नदी पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ चौराहा से वाया उपखण्ड डूंगला होते हुए बड़ी सादड़ी तक 2 लैन रोड की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

52. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मालवाड़ा फाटक एवं रानीवाड़ा में ओवर ब्रिज एवं मिसिंग लिंक सड़कों को बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

54. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में नदी नालों पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

55. फलौदी एका घाटी चौराहा (मेगा हाइवे) पर सड़क के लेवल में तकनीकी कमियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्रामीण क्षेत्र में टेकरा से धालिया व ढढू से उग्रास सड़क मार्ग का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. फलौदी मुख्यालय से कुण्डल ऐयर बेस तक सीधे सड़क मार्ग का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. फलौदी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर रेलवे समपार संख्या सी-57 पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

59. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के लवेरा कलां गांव में दक्षिण दिशा में पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराड़ा, सेमारों में पुल निर्माण व पुलिया चौड़ी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी में सड़कों का नवीनीकरण व सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराड़ा, सेमारी में स्टेट हाइवे से 32/53 पर सलूम्बर बाइपास बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में पादरडा से महुड़ी, केजड़ घरधल नदी पर, सगतपुर एवं मुलेश्वर महादेव पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

66. विधान सभा क्षेत्र महुवा में रसीदपुर से समलेटी बाइपास सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

67. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में दूधली सड़क से नई रामनथारि 9 कि.मी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में निदान से धनानाड़ा 17 कि.मी. सड़क का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के भैसड़ा से मिणाजपुर 10 कि.मी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़)

70. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ नगरी की पंचायत में बेडच नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कपासन चौराहे से मानपुरा तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भूमि विकास बैंक से महाराणा प्रताप

सेतू मार्ग तक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ के गिलुण्ड से चित्तौड़गढ़ तक की सड़क की चौड़ाई 9 मीटर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के घाटा क्षेत्र में मंगोदड़ा घाटा मार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

75. जयपुर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीमा के भीतर जयपुर-सीकर रोड पर (टोल प्लाजा से पहले) स्थित आवासीय योजना आनन्दलोक जाने वाले आम रास्ते पर अवैध रूप से बेरिकेड लगाकर की जा रही नियम विरुद्ध टोल वसूली एवं की जा रही गुंडागर्दी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

76. उदयपुर से धार उबेस्वर होते हुए झाडोल जाने वाला रोड पर अनेक पुलियाओं को ऊंची करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सड़कें व पुलिया के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

78. दिल्ली मुम्बई रेलवे कोरीडोर के मध्य मारवाड़ जंक्शन पर आर.ओ.बी. की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एन.एच. 14 के जाडण गांव के बीच में स्कूल के पास अण्डर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एन.एच. 14 पर रानी केनपुरा चौराहे पर अण्डर ब्रिज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

81. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में शहर गुढा की बढ़ती जनसंख्या के मध्यनजर बाइपास बनवाने, चंवरा से चंवरा कैम्प के बीच आने वाली काटली नदी पर रपट बनाने एवं केड से दीपपुरा की टूटी सड़क दुरुस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

82. विधान सभा क्षेत्र भीम में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

83. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित 250 से 499 तक जनसंख्या वाले ढाणियों के समूह (क्लस्टर) की हैबीटेशन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं गांरटी अवधि की सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में मिसिंग/धार्मिक/पर्यटन स्थलों की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन सृजित सहित सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

88. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का कार्य प्राथमिकता से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

89. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में मांची रोड एवं आशा का बास चान्दपुरी रोड पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आलनपुर से बानसूर, आडीगेली से गढ़ी एवं अन्य सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

91. दाउदपुर फाटक अलवर शहर में अण्डरपास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

92. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रावला-खानूवाली मार्ग पर स्थित रावला मण्डी के पुल को सही व सुविधाजनक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रावला से खानूवाली रोड की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से सूरतगढ़ रोड की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

95. अलवर शहर में निर्माणाधीन मथुरा फाटक आर.ओ.बी. एवं कालीमोरी फाटक आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

96. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में मिसिंग लिंक सड़क योजना में स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चितलवाना रामपुरा, गलीका मेडा, केमुरी, भाडरूण, सड़क पर स्वीकृत पुल निर्माण के कार्यों को पुन: शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चितलवाना से होभीगांव, सांचोर से अगार, हाडेला से जानवी, तेतरोल से हेमागुडा, जाबल से चोरा एवं गलीका से टूठवा सड़क का दुबारा डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

99. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तालचिड़ा की घाटी का चौड़ाईकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की गंगापुर सिटी से टोडाभीम तक की मुख्य क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण/पैचवर्क कर सड़कों का संधारण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

103. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की फागी तहसील से तूंगा वाया चाकसू, कोटखावदा रोड को सात मीटर चौड़ा करने एवं डामरीकरण/सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

105. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के नयागांव (राष्ट्रीय राज मार्ग से 79) पर निर्माणाधीन फोर लेन सड़क में किसानों की अवाप्त की जा रही भूमि का समान दर से समस्त बकाया मुआवजा राशि का भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के नया गांव (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 79) पर निर्माणाधीन फोर लेन सड़क के मध्य ग्राम पंचायत रानीखेड़ा, डलां, मरजीवी व बडोली माधोसिंह जाने वाले रास्ते पर अण्डर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के टाई नवाबपुरा ग्रामीण सड़क के 01 कि.मी. पर गंभीरी नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 पर फोर लेन सड़क निर्माण व राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 पर सड़क के चौड़ाईकरण कार्य के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा नगर, छोटी सादड़ी नगर व विभिन्न गांवों की एप्रोच सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने हेतु फोरलेन सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

110. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में टोडाभीम की घाटी का चौड़ाईकरण करने व लपावली नदी पर पुल निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

111. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भाडी मोड़ रेलवे क्रासिंग (136 कि.मी.) पर आर.यू.बी. की बजाय आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-नोहर रोड से भादरा-साहवा सड़क को जोड़ते हुए भादरा-राजगढ़ रोड तक बाइपास निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र भादरा की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र भादरा में लोक देवता गोगाजी के श्रद्धा स्थल गोगामेड़ी से गंगाजी के जन्मस्थली पवित्र धाम ददरेवा वाया रासलाना तक सीधी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-बालसमंद क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य शीघ्र चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

116. कोटपूतली नगरपालिका के एन.एच. 8 का बाइपास निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ग्राम पंच्यामपुरा की ढाणी सूरदास वाली से जगदीशपुरा एवं कांसली से हिरोड़ा मंदिर से फतेहपुरा कला तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में एन.एच. 8 से रघुनाथपुरा वाया भैसाना होते हुए सुजात नगर तक सड़क निर्माण की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गोवर्धनपुरा वाया कूजोता पवाना अहिर पहाड़ी वाले मंदिर तक सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पावटा से नाहरेड़ा व चौटिया वाया बनेटी, देवता होते हुए हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

121. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में बिदासर से छापर रोड की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में गारण्टी पीरियड की सड़कों को रिपेयर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में एन.एच. 65 कृषि मण्डी के सामने से लेकर पुरानी चुंगी चौकी, लाडनूं रोड, सुजानगढ़ की सड़क की मरम्मत एवं सड़क के दोनों साइडों की तरफ भराव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

124. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित फलौदा गांव के पास स्थित रेलवे ब्राडगेज लाइन पर स्थित पुरानी गेट (फाटक) पर छोटा अण्डरपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में जयपुर रोड राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 8 पर स्थित ग्राम बांदरसिंदरी में मुख्य चौराहा पर एक नवीन ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

126. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गांव सिगोरई से कुंजी का नगला पंचायत मुख्यालय मठ खिराना दुल्ली का पुरा की शनपुर रोड का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के धनोरा रोड से धोधे का पुरा राजस्व गांव सोंहास होकर हांसई गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी से सैपऊ क्षतिग्रस्त सड़क के पुन: निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में नगला वीघौरा/नौहरा में पार्वती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कोलुआ गांव से आरी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

131. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में लिंक रोडों के निर्माण में भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

132. विधान सभा क्षेत्र कपासन की एम.डी.आर. सड़कों को 7 मीटर चौड़ी

करने व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र कपासन की मिसिंग लिंक सड़कों को चिन्हित करके डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र कपासन में 325 कि.मी. नान पैचेवल सड़कों के सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

135. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बिछोर लच्छीपुरा एवं बेगूं नीलकंठ के पास पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

136. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पीनोदड़ा बड़ा, पीनोदडा छोटा पुलिया, करोली पुलिया, चीखा (बारावरदा) पीर बाबाजी के रोड पर बने पुलिया की मरम्मत एवं निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

137. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम कोटीपुरा की क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र करौली में डांग प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

139. जैसलमेर जिले की मुख्य सड़कों पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) :

140. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के गांव वीलोनी के लिए पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

142. जयपुर दिल्ली हाइवे राष्ट्रीय मार्ग सं. 8 के आसपास के गांवों/कस्बों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. कस्बा शाहपुरा (जयपुर) से रामपुरा-छापुडा के लिए नवीन बाइपास निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. चौमूं-अजीतगढ़-शाहपुरा सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. राज्य में टोल वसूली की कार्यवाही को नये सिरे से निर्धारित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

147. अलवर शहर में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. 8 की धीमी गति से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

148. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 250 तक की आबादी के गांव/ढाणियों को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़क निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2013 में स्वीकृत की गयी सड़कों में से अनेक सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति निरस्त कर आम जनता को आधारभूत सुविधा से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण में बरते जा रहे राजनैतिक भेदभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

152. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कानोता रेलवे क्रासिंग पर अण्डरपास बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम दुबली में बस्सी तुंगा रोड से खेड़ा वाली ढाणी वाया बालाजी मंदिर तक सी.सी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

154. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के विभिन्न गांवों के लिए मिसिंग लिंक, नान पैचेवल सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

155. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

156. विधान सभा क्षेत्र पीलबंगा में पीलीबंगा से रावतसर को जाने वाली सड़क पर ओवर ब्रिज बनवाने एवं इंदिरा गांधी नहर 91 आर डी वर्जीका पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

157. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में मिसिंग लिंक एवं नान पैचेबल सड़कों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दीगोद उपखण्ड से कनवास उपखण्ड के जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क देवली-ठोटी चरचौमा सीमलिया-दीगोद सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं दोहरीकरण पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र सांगोद देवली-आवां-कनवास सड़क को पी.पी.पी. योजना में शामिल कर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दरा से अरनिया एस.एच. 74, दरा से समदखेड़ी सेक्शन के मध्य सी.आर.एफ. योजना में हाई लेवल ब्रिजों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कोटा से धरनावदा सड़क एन.एच. 51 कि.मी. 48/300 मार्ग कालीसिंध नदी पर स्थित हाई लेवल ब्रिज सी.आर.एफ. योजना में स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

162. डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर से बिछीवाड़ा तक की सड़क मय पुलिया चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

163. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद से मेगा हाइवे किशनगढ-हनुमानगढ मार्ग तक के 10 कि.मी. सड़क मार्ग को 7 मीटर चौड़ा करने एवं मार्ग का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 8 पर स्थित बड़गाव से सिरोज गांव तक 22 कि.मी. मार्ग की खस्ताहाल सड़क मार्ग पर पेवरीकरण एवं डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर स्थित औद्योगिक किशनगढ़ नगरी के जयपुर किशनगढ़ खण्ड मार्ग पर चैनेज 360-700 पर बड़गांव में निर्मित टोलनाके एवं किशनगढ़ अजमेर-ब्यावर खण्ड मार्ग पर चैनेज 378-800 पर गेगल में नवनिर्मित टोल बूथ का निर्माण कर राष्ट्रीय राजमार्ग फीस दरों की अवधारणा एवं संग्रहण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

166. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत चुण्डावाड़ा मुख्यालय से गांव पीथापुर तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की रोहन वाड़ा से मेताली खैरवाड़ा छैला मझोला पादरदी खाटली महुडी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत बरोठी से संचिया नवलश्याम-करोली हथोड पादरडी तक सड़क व पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की डूंगरपुर से पालपादर सड़क को चौड़ी करने एवं सुदृढीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

170. केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र में जयपुर रोड से अजमेर रोड, अजमेर रोड से ब्यावर रोड तथा ब्यावर रोड से कादेडा रोड तक बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

171. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा से झालावाड़ तक नेशनल हाइवे नं. 12 की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में 80 वर्ष पुरानी कुदायला, दरा की सड़कों से वन विभाग की आपत्ति हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की नदियों पर पुल नहीं होने से होने वाली जनहानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मोडदक कस्बे में अण्डरपास नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

175. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम टिमेडा से घाटा, टीडोलिया, कुशलगढ़ से कुशलपाड़ा, सबलपुरा एवं पेरनीयादेव में सड़क, पुलिया/ रपट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पाटन से बड़ी सखा, भील कुआ से डुगरा, खेटाबारी, नालपाड़ा से कसापड़ी, कुशलगढ़ से बाजना सीमा तक एवं कुशलगढ़ से गामदा सीमा की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

177. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ग्राम धरीयावाद से साबला, पादमी बड़ी सरोदा सागवाड़ा पीठ रोड पी.पी.पी. मोडल पर एवं नया टापरा से करीयणा, डामोरवाड़ा से कराड़ा, डामोखाड़ा से आखरी की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

178. अलवर में बाला किला, करणीमाता व चक्रधारी हनुमान मंदिर जाने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

179. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में लिंक रोडों के निर्माण में विधायकों की राय नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

180. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में काटूंदा मोड़ से बेगूं तक 6 कि.मी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

181. विधान सभा क्षेत्र भीम में पच्चीस किलोमीटर मिसिंग लिंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

182. तहसील राजाखेड़ा धौलपुर के ग्राम गंगापुर-रमगदा से कधियार को जोड़ने वाले कलवट को ऊंचा नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

183. विधान सभा क्षेत्र बायतू में भाडखा-कानोड़-गिडा-पाटोदी-जोधपुर सड़क मार्ग को राज्य मार्ग का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
184. बाड़मेर के चवा से फलसूंड वाया बायतू राज्य मार्गों को डबल लेन में विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
185. बाड़मेर जिले के बायतू व कवास रेलवे स्टेशनों के बीच चार समपार या अण्डरब्रिज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
186. बाड़मेर जिले के वायु सेना स्टेशन उतरलाई से गुजरने वाले एन.एच. 112 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
187. विधान सभा क्षेत्र बायतू की पी.एम.जी.एस.वाई. एवं अन्य ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

188. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर नेशनल हाइवे एम.टी. 76 एवं ओडी में पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

189. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के गरड़दा रोड़ पर ग्राम ग्रयोर से गरड़दा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) :

190. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत किनसरिया में स्थित केवाय माता मन्दिर के लिए पहाड़ी पर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
191. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्थित नरवर से परबतसर में स्थित ग्राम बंवाल जाने वाली घाटी सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
192. नागौर जिले में रूपपुरा पंचायत से निकलने वाली कुचामन परबतसर-मकराना सड़क को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

193. बूंदी जिले के ग्राम हनूतिया एवं जैथल के बीच कूरेल नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम अलकोदिया में टूटे हुये पुल का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत राजपुरा के ग्राम गुढा में नदी पर टूटे हुए पुल का पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

196. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में एन.एच.ए.आई. पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

197. विधान सभा क्षेत्र आहौर के साण्डेराव, मैकलसर रोड में 20 किलोमीटर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

198. राज्य में टोल नाकों द्वारा की जा रही मनमानी वसूली के कारण आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

199. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पिलानी लुहाद बाई पास की जर्जर सड़क से यात्रियों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

200. राज्य के सड़क निर्माता ठेकेदारों को पांच वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित करवाने के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारी की भी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

201. विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत सुरायता से एन.एच. 14 को जोड़ने वाली 10 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र सोजत के राज्य राजमार्ग 65 जोधपुर से राजोला, धागंडवास, रूपावास से सोजत शहर होते हुए देवगढ़, उदयपुर एन.एच. का कार्य शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

203. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नवीन सड़कों के अधूरे कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. प्रदेश में टोल रोडों पर विधायकों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की सम्पर्क सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

207. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नीमला से बस्सी तक की सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बांध से आंधी तक सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में डांगरवाडा से चतरपुरा के बीच पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में नई सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में क्षतिग्रस्त पुरानी सड़कों को पुन: बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

212. बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाल रेलवे फाटक पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. बीकानेर शहर में यातायात के भारी दबाव को कम करने हेतु जोधपुर राजमार्ग से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग तक बाइपास नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. कोलायत तहसील मुख्यालय पर झझू सड़क मार्ग पर रेलवे फाटक पर अण्डरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. बीकानेर से अक्कासर, हाउलां, झझू, हृदां, खिन्दासर, दासूडी तक सड़क को एम.डी.आर. सड़क स्वीकृत कर ओसियां तक एम.डी.आर.

35 सड़क घोषित कर सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की 476 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने के बावजूद सड़कों की दयनीय स्थिति नहीं सुधरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

217. विधान सभा क्षेत्र सीकर के नवलगढ़ पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र सीकर के राधाकिशनपुरा रेलवे फाटक पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र सीकर में सीकर शहर, गांव, ढाणियों की खस्ताहाल सड़कों के पैचवर्क कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र सीकर के सड़कों से वंचित रह गये गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) :

221. विधान सभा क्षेत्र तारानगर की क्षतिग्रस्त सड़कें सही कराने एवं ग्राम देवासर से मेहरासर, उपाधियान एवं सरदारशहर में स्वीकृत सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

222. झुंझुनूं शहर की पुलिस लाइन के सामने रेलवे क्रोसिंग पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

223. विधान सभा क्षेत्र दौसा के सोमनाथ चौराहे से एन.एच.11 तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं दोनों तरफ नाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र दौसा स्थित एन.एच. 11 से कुण्डल रोड होते हुये बांदीकुई को जाने वाली सड़क की मरम्मत, चौड़ाई बढ़ाने एवं नाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. दौसा शहर में गेटोलाव गेट से लालसोट बाइपास तक सड़क को चौड़ा करने एवं दोनों तरफ नाला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र दौसा स्टेट हाइवे नं. 2 दूदू से चाकसू-लवाण होते हुए एन.एच. 11-ए लालसोट रोड तक बनाने की योजना को एन.एच. 11-ए से बाईपास वाया सूरजपुरा होते हुये एन.एच. 11 आगरा रोड साइट तक जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

227. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम चौख से छापरी तक की मिसिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम केशरीसिंहपुरा से आश्रम रोड तक की मिसिंग रोड को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम नास्नौता से हटवाड़ा मिसिंग सड़कों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम चौरू से भरतपुरा गांव को सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

231. विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित एम.डी.आर. झालामण्ड से रोहिट एवं भाण्डूकला से दुन्दाडा वाया फीच, सालावास से फीच, बोरानाडा से चिचरडी, एन.एच. 115 से सालौड़ी, चौपड़ से बेरू सड़कों को चौड़ा (डबल) किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित लूणी व जोजरी नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

233. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम बानूडा से करीरों की ढाणी, खूड से विजयपुरा, पलथाना से विकासनगर, खूड से अहीरों का बास एवं सामी से राजपुरा की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम मैलासी से रसीदपुरा, तेतलीनगर, सामोलाई बालाजी (नागवा) से ओला की ढाणी (नेतड़वास) एवं अनोखु से बिंजासी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम लोसल से बिंजासी वाया सरवड़ी, नागरा से पुरा छोटी, नेतड़वास से दुगोली, काशी का बास पुंराबडी एवं तासर छोटी से सेवद छोटी वाया मैलासी की सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

236. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ग्रामीण सड़कों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

237. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आबूरोड़ से दानबोर जाने के लिए पांच बड़े पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

238. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के रेलवे स्टेशन समदड़ी में रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पिपलिया महादेव, बालीचाण से कुसीप से मामाजी थाने सिणेर अनपुर्णा जी थान को डामर रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना से समदड़ी व कमलपुर तक स्टेट हाइवे की चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राखी से समदड़ी को जोड़ने के लिये सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

242. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम बड़ेरण से ग्राम मनोहरिया व ग्राम मकड़ासर से ग्राम सवाइसर तक की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

243. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

245. विधान सभा क्षेत्र सोजत में एन.एच. 162 से वाया बोमल होते हुए देवली कला को जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम हरिपुर से झुंठा एवं झुंठा से

करमावास मालियान सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम सोजत रोड से बगड़ी होते हुए एन.एच. 162 साण्डिया सड़क का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

248. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सलेमाबाद से रूपनगर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में अजमेर से रूपनगर मेगा हाइवे को बबायकला गांव के बाहर से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में किशनगढ़ से अरडका तक सड़क निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में अजमेर से पुष्कर के बीच सुरंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के तिलोरा से बस्सी तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

253. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सांगानेर-मालपुरा राजमार्ग सं. 12 के सड़क निर्माण से पूर्व टोल वसूली का ठेका एवं खराब गुणवत्ता के कारण सड़कें टूटने के कारणों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

254. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जोबनेर-रेनवाल सड़क का कार्य नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में चौमूं-रेनवाल सड़क का निर्माण कार्य बन्द होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़-रेनवाल के मुख्य बाजार, पत्थर मण्डी से करड मोड़ तक सीमेंट की सी.सी. रोड निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

258. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रड़वा से कांधराण रोड के बीच सादुलपुर से दिल्ली रेलवे लाइन पर अण्डर ब्रिज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में एन.एच. 65 राजगढ़ से हिसार रोड एवं लूटाणा-सदासुख जाने वाली रोड पर रेलवे लाइन पर अण्डर ब्रिज स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में एन.एच. 65 राजगढ़ से हिसार रोड पर लसेड़ी बस स्टैण्ड से लेकर लसेड़ी स्टेशन के पास अण्डर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राऊ टिस्बा से टमकोर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में भोजाण धाम से बीराण गांव तक 5 किलोमीटर सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

263. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सड़कों पर पानी का भराव रोकने व नाले निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अन्तर्गत आने वाले सभी पुलों के लिए सर्विस रोड्स बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अन्तर्गत एन.एच. 65 के एम.डी.आर. 13 पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

266. बीकानेर जिले में सम्भाग के अन्य जिलों के मुकाबले 100 वर्ग किलोमीटर में कम निर्मित सड़कों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ढाणी भोपालाराम से ग्राम सहजरासर तक 9 किलोमीटर सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

268. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मागट जी महाराज के मन्दिर तक पहाड़ी पर पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेड़ा एन.एच. 8 से सोजतरोड

एन.एच. 14 तक वाया बराखन एवं सारण रोड को मेगा हाइवे बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. ब्यावर से पीन्डवाड़ा फोर लेन के जालिया I के क्रोसिंग पुलिया के दोनों तरफ सर्विस रोड नहीं बनाने से रोड से पुलिया पर चढ़ने एवं पुलिया से उतरने वाले वाहनों से दुर्घटनाओं एवं परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

271. राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर ब्यावर से उदयपुर की निर्माणाधीन सड़क को सीधा बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बराखन से दुघालेश्वर तक सड़क पर 9 पुलिया बनाने एवं रोड का पुन: डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

273. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्रामों में सड़कों पर वर्षा जल भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ग्राम बहराउण्डा खुर्द से सवाई माधोपुर, बरोनी से शिवाड़, शिवाड़ से सारसोप होते हुए चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सड़क की चौड़ाईकरण एवं पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ के बीच बनास नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

276. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ के ग्राम भील कुआ से कुशलगढ़ वाया डुगरा, कुशलगढ़ से बाजना मध्य प्रदेश सीमा तक, कुशलगढ़ से गामदा वाया कोटड़ा रामगा, खेटाबारी से उकाला, बसुनी, रामगढ़, नालपाडा से कसार वाडी एवं कसारवाडी से सातसेराबड़ी की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में बालदिया से पाडला नदी, कुशलगढ़ से हीडोलीया सड़क, टिमेड़ा से धाटा सड़क, कुशलगढ़ से कुशलापाड़ा सड़क, कोटड़ा से खुटा सड़क पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

278. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सरकार की घोषणानुसार सूरतगढ़ गांव राजियासर से मोकलसर तक सात किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव सरदारगढ़ से हिन्दो के लिए 6 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

280. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में श्रीगंगानगर नेशनल हाइवे 15 (12) से सरदारगढ़ गांव को जाने वाली मुख्य सड़क का जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 62 थर्मल पावर स्टेशन (टी-प्वाइंट) को जाने वाली मुख्य सड़क पर विचाराधीन पुल का निर्माण जल्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़-बीकानेर नेशनल हाइवे संख्या 15 (62) पर मोकलसर को जाने वाली लिंक रोड पर रेलवे अण्डर ब्रिज (आर.यू.बी.) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

283. जोधपुर में विभिन्न राजमार्गों पर न्यू केम्पस की दीवारें विकसित कर हरितिमा की तर्ज पर विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. जोधपुर में पावटा चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. जोधपुर में सोजती गेट पर फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. जोधपुर में शनिश्चर जी का थान से जालोरी गेट तक फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. जोधपुर में पांचवी रोड चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

288. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में नई सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में चौखूटी आर.यू.बी. बनने के पश्चात सर्विस रोड नहीं बनने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में सड़कों पर गड्ढों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के अन्दरूनी क्षेत्रों में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में न्यूसर गेट, जोशीयों की बगीची से सुजानदेसर की ओर जाने वाली सड़क सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

293. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम नाथवाणा से ग्राम बोलावाली तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम चकहीरासिंहवाला से लम्बीढाब तक करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में नगराना टोल नाका से मल्लडखेड़ा ग्राम तक करीब 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम ढाबा से हरियाणा सीमा लोहगढ़ तक करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम 2 केएसपी से चक 3 केएसपी तक करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

298. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

299. झुंझुनूं जिले में पुलिस लाइन के सामने रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में मुकुन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा होकर डबल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

301. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के आबादी क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाईकरण व मरम्मत कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) :

303. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सड़कों व पुलियाओं के निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सड़क सुविधा से वंचित राजस्व गांवों में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजन लाल जाटव (वैर) :

305. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम छोंकरवाड़ा से नेवाड़ी तक की सड़क का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम समराया से उमरेन व उमरेन से खेररा तक सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम वल्लभगढ़ से गोविन्दपुरा तक की सड़क का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

308. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रतिभा नगर से सीकर सीमा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में लोयल सड़क से माणोता तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

310. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खरकड़ा से बसन्त बिहार तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

311. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मेहाडा से हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण मय पुलिया की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

312. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एम.डी.आर. 13 के सभी पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

313. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ओसिया स्टेट हाइवे का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

314. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में गौरव पथ की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर

इसको अधिकतम 2 किलोमीटर तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नागौर शहर में एन.एच. 65 पर मानासर फाटक पर एवं 89 पर स्थित कृषि मण्डी पर ओवर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में माडपुरा एनएमडीसी होते हुये चावडीया तक एवं पाराछरा खरनाल बरणगांव कड़लु से वलाया मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के जनाणा में मिसिंग लिंक सड़कें एवं कृषि उपज मण्डी से बनी सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

318. केकड़ी शहर में बाइपास निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

319. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं स्थित शेखावाटी क्षेत्र में स्थित राज्य मार्ग 8 को वाया चिड़ावा-सुल्ताना, गोवली-केड झड़ाया से राज्य मार्ग नं. 378 तक जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा लिये।

320. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2014 के नेशनल हाइवे नं. 68, जैसलमेर-बीकानेर-श्रीगंगानगर-फतेहपुर, झुन्झुनूं, चिड़ावा, नारनौल व रेवाड़ी (एन.एच. 352) का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

321. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सुल्तानपुर व इटावा में बाइपास स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं)

322. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ नरढ़ जिला झुन्झुनूं के ग्राम टेदरोड से 3 कि.मी. नरहड़ तक सड़क डबल करने एवं बाइपास निकालकर छावनी क्षेत्र को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

323. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण से एम.आई.ए. वाया गुदंपुर वाया

खानपुर एवं कैरवादा से मालाखेड़ा रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राज. स्टेट हाइवे 44 नटनी का बारा की नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राज. स्टेट हाइवे नं. 44 परसा का बास बलदेवपुरा के बीच रूपारेल नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राज. स्टेट हाइवे नम्बर 44 श्याम गंगा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

327. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम इन्द्रगढ़ व सालपुर के बीच (रूपारेल नदी) पर पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

328. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के ग्राम पंचायत देवलिया से ढुरडा तक नवीन रोड का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में नगरपालिका विजयनगर में जयपुर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सत्ताइस मील चौराहा विजय नगर में ओवर ब्रिज/अण्डरपास का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

330. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पापड़दा से मुडधीस्या वाया श्यालावास 6 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में नांगल चापा से श्यालावास सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

332. विधान सभा क्षेत्र टोंक में जिला मुख्यालय पर स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड परिषद में एवं प्रवेश द्वार पर क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र टोंक की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र टोंक में जिला मुख्यालयों पर बनास नदी पर निर्मित फ्रेजर पुल की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर)

335. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर कस्बे से मण्डावा जाने वाली सड़क का नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के एन.एच. नं. 65 के कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गौरव पथ की वर्तमान स्थिति तथा नये गौरव पथ निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

338. फतेहपुर कस्बे की मुख्य सड़क एन.एच. 65 व 11 से जुड़ती है को सीसी सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

339. फतेहपुर कस्बे से गुजर रही रेल लाइन पर मण्डावा के लिए आर.ओ.बी. के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

340. भरतपुर से बयाना, भरतपुर से रूपवास एवं भरतपुर से चिकसाना होते हुए यू.पी. बार्डर तक टूटी हुई सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत जाटोली रथवान से कोलीपुरा तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

342. भरतपुर स्थित रेलवे पुलिस चौकी से सिमको बेगन फैक्ट्री तक की सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

343. भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास बन रहे आर.ओ.बी. को तीव्र गति से पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायतों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

345. विधान सभा क्षेत्र नगर में कैथवाड़ा से दीदावली तक जीर्ण-शीर्ण सड़क के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

346. विधान सभा क्षेत्र नगर में खेड़ली से बीमा तक आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा सड़क निर्माण का फेज-2 में खेड़ली से बीमा तक कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर से मुड़िया, नगर से पेंडका, बेरू से

खेस्ती व अन्य पंचायत मुख्यालयों की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

348. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी से नौगावां तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र नगर में जनूथर से पान्हौरी की खराब सड़क का पुन: निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

350. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की 90 जीबी ग्राम पंचायत में घग्घर नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

351. रायसिंहनगर शहर के बस स्टैण्ड से बाहर निकलने वाली बी.एस.एफ. सड़क का पुन: निर्माण व ग्रेफ सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नहरी पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

353. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की नहर पर पुल निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

354. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में मांगरोल-गणेशगंज-इटावा, इटावा से गैंता, रजोपा से ढीपरी व इटावा-पीपल्दा-करवाड़-खातौली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

355. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में टाकरवाड़ा से नरपतखेड़ी एवं नृसिंहपुरा से मदनपुरा सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

356. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

357. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर ग्रामछ रेलवे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

358. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में हेंगिग ब्रिज के निर्माण की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

359. टाटियावास टोल प्लाजा सीकर रोड पर जे.डी.ए. की योजना आनन्दलोक पर टोल वसूली करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

360. संस्कृत विद्यालय मुण्डोता रोड कालवाड़ से बोहरी की ढाणी तक (झोटवाड़ा) सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

361. तुंगा से लालसोट बस्सी सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

362. प्रदेश में सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

363. प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांवों की आबादी का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना की आधार पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़े हुए माने गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 19 व 21 लोक निर्माण, सड़कें एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी एवं राजस्थान के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए बजट 2015-16 में सड़कों व पुलों पर विशेष ध्यान रखते हुए एक अच्छा प्रयास किया है। राजस्थान में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

विधान सभा चुनावों से पूर्व आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के जिलों का दौरा कर प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को देखा समझा और ग्रामीण अंचल में विकास के हेतु ग्रामीण गौरव पथ योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये जिससे आंतरिक स्तर पर गांव, ढाणियों का विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकारें रही हैं, सड़कों के आधारभूत विकास में तीव्र गति से प्रयास किये गए।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने देश को क्रांतिकारी स्वर्ण चतुर्भुज योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देकर सड़कों के विकास में नये आयाम प्रदान किए।

आज भारत विभिन्न सिक्स लेन, फोर लेन, मेगा हाइवे द्वारा प्रमुख शहरों से जुड गया है। आवागमन यातायात सुगम हो गया है। इसके विपरीत कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त की रेवड़िया बांट कर देश और राज्य के कोषों को लुटाया है व लूटा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा शहर की सड़कों व पुल के विषय में अपनी मांग बताना चाहता हूं।

कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चंबल नदी को पार कर कोटा शहर में प्रविष्ट हो सकते हैं। बरसों से एक पुल जो कोटा शहर की 12 लाख जनता का बोझा ढो रहा है, जर्जर अवस्था में है और बूढा हो चला है।

इसके समान्तर चंबल दोहरणीकरण का कार्य काफी समय से अपूर्ण पड़ा है, लगभग 2 वर्ष पूर्व यह पुल पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु निकट भविष्य में इसके पूर्ण होने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.एच. 12 व एन.एच. 76 के मध्य से होकर निकलते हैं, जो शहर में दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। आये दिन भारी वाहनों की टक्कर से किसी मां का लाल, किसी का पिता, बच्चियां इन भारी वाहनों द्वारा कुचल दिये जाते हैं। कोटा वासी आंसू बहाते रह जाते हैं। कोटा शहर राज्य का सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाला शहर बन गया है। कोटा शहर में जब तक प्रस्तावित रिंग रोड का कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार के हादसे होते रहेंगे प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की जानें जाती रहेंगी।

रिंग रोड को पूरा करने के लिए हैंगिग ब्रिज व नार्दन बाइपास के पुल चंबल नदी पर प्रस्तावित है। परन्तु हैंगिंग ब्रिज हादसे के उपरान्त इसके कार्य में शिथिलता आई है। इस पुल का निर्माण कार्य गैमन इण्डिया व कोरिया की हुण्डई कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसे तेजी से पूर्ण कराने के प्रयास करने होंगे।

कोटा शहर में भारी वाहनों को सीधे एन.एच.-12 पर डाइवर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण योजना भाजपा के पिछले शासन काल में स्वीकृत हो गई थी परन्तु पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पांच साल तक लटकाया गया अब पुन: गांवडी गामछ पुल के निर्माण की बाधाएं हटी हैं इससे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि चंबल हैंगिग ब्रिज, नार्दन बाइपास चंबल के पुल पर दोहरीकरण के कार्यों में विशेष तेजी लाकर कोटा शहर को हादसों से बचाने के लिए व कोटा शहर के विकास के लिए इन योजनाओं को अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, कोटा से उदयपुर जाने के लिए नान्ता रोड जो कि लगभग 7 किमी का क्षेत्र है, थर्मल पावर स्टेशन के सामने से निकलता है। थर्मल पावर स्टेशन व पी.डब्ल्यू.डी. के आपसी विवाद के कारण यह रोड दो-दो

फिट गहरे गड्डों से उखड़ा पड़ा है। कोटा उदयपुर हाइवे लगभग 260 कि.मी. का सफर और कोटा से हाइवे रोड पकड़ने के लिए यह 7 कि.मी. का सफर बराबर है बल्कि कहना चाहूंगा कि इस 7 किमी के सफर में गाड़ियों के साथ-साथ उसमें बैठी सवारियों की हड्डियां बोलने लगती हैं। कोटा शहर के तमाम लोग उलाहना देते-देते थक गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सड़क का शीघ्र निमार्ण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र का विगत कुछ वर्षो में तेज गति से विस्तार हुआ है। रंगपुर, भदाना, किशनपुर तकिया, गंगायचा आदि गांवों के साथ-साथ शहरीकरण होने से शहरी बस्तियों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। इसी रोड पर नार्दन बाइपास का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस रोड पर रेलवे क्रासिंग होने से यहां आये दिन यातायात जाम की स्थिति बन जाती है। इस कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी होती है।

यदि इस स्थान पर जनहित में अन्डरब्रिज या फ्लाई ओवर का निर्माण करवा दिया जाता है तो इससे यातायात जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, कोटा से रावतभाटा को जोड़ने वाला रोड सिंगल वे है तथा पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। काफी लम्बे समय से इस रोड की मरम्मत नहीं हुई है। सिंगल वे होने के कारण इस रोड पर आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसकी रोकथाम के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-21 सड़कें व पुल पर चर्चा चल रही है। मैं भी इसमें शामिल होते हुए माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं :-

माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण आर.यू.बी. निर्माण करवाने की घोषणा की है। मेरे क्षेत्र में रेलवे का आभान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, मीटर गेज को ब्रोड ग्रेज में परिवर्तन करने का काम चल रहा है। जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में कई जगह आर.यू.बी.

एवं आर.ओ.बी. बनाने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा की जा रही थी। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने तीन अन्दर ब्रिज स्वीकृत करके एक शानदार काम किया है, लेकिन बजट में मेरे क्षेत्र में भारी मोड रेलवे क्रोसिंग (कि.मी. 136 पर) आर.यू.बी. की बजाय आर.ओ.बी. की संशोधित स्वीकृति प्रदान करवाई जावे क्योंकि यह रेलवे क्रोसिंग भादरा-राजगढ़-जयपुर मुख्य सड़क पर पड़ता है इस मार्ग में बहुत से हैवी व्हिकल्स चलते हैं। अत कि.मी. 136 पर आर.ओ.बी. स्वीकृत करवाई जावे।

माननीय अध्यक्ष, भादरा शहर में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से काफी अव्यवस्था रहती है। जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: निवेदन है कि भादरा-नोहर रोड से भादरा-साहवा रोड को जोड़ते हुए भादरा-राजगढ़ रोड तक एक बाई पास का निर्माण करवाया जावे ताकि शहर में ट्रैफिक की वजह से जनता को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक देवता गोगाजी की श्रद्धा स्थली पवित्र धाम गोगामेड़ी पड़ता है। यह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी धर्मों के लोगों की श्रद्धा का केन्द्र है। प्रतिवर्ष भादवा के पूरे एक महीने गोगामेडी में मेला भरता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोगाजी को नमन करने के लिए आते हैं। गोगामेडी से श्रद्धालु गोगाजी की जन्म स्थली ददरेवा धाम (जिला चूरू) में भी जाते है। गोगामेढी से ददरेवा जाने वाले लोगों को भादरा होकर जाना पड़ता है, वह रास्ता ज्यादा लम्बा होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गोगामेड़ी से वाया रासलाना होकर ददरेवा तक सीधी सड़क का निर्माण करवाया जावे ताकि लोगों को राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मुख्य सड़कें एवं सम्पर्क सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। अत: इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत व नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जावे ताकि जनता को राहत मिल सके।

मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया तथा माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने रावतसर-नोहर तथा भादरा-बालसमंद रोड (हरियाणा सीमा तक) का कार्य अप्रेल 2015 में शुरु करवाने के लिए मुझे आश्वस्त किया है।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भवन निर्माण कार्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

भादरा में तहसीलदार के रहने के लिए आवास भवन की व्यवस्था नहीं है अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा में तहसीलदार के लिए नये आवास भवन बनाने की कृपा करें।

भादरा में पिछली सरकार के समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Ad. S.P.) कार्यालय खोला गया था लेकिन न तो आज तक इस कार्यालय के लिए कोई भवन बनाया गया है और न ही एडिशनल एस.पी. के लिए आवास हेतु भवन की व्यवस्था की गई है। अत: माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से निवेदन है कि भादरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भवन एवं आवास भवन निर्माण करवाने की कृपा करें।

इसके साथ ही भादरा में ब्लाक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय हेतु भी भवन निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता है अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि भादरा में ब्लाक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय हेतु भवन बनाया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सा.नि.वि. खण्ड इटावा में कुल 30 पंचायत मुख्यालय सम्मिलित हैं तथा इटावा क्षेत्र पूर्णतया नहरी तंत्र से समाहित है। सा.नि.वि. खण्ड इटावा के अन्तर्गत विभिन्न राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़कें अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं एवं विगत वर्षों में यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से सड़क तंत्र में उपेक्षित रहने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण नहीं किये जाने से सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं। अत: कृपया निम्न प्रमुख सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य स्वीकृत करने का कष्ट करें :-

1. मांगरोल, इटावा, लाखेरी, सवाई माधोपुर, भरतपुर (इटावा) तक स्टेट हाइवे-1ए का सुदृढ़ीकरण :- यह सडक इटावा क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है जो कि मांगरोल होते हुए बारां से शिवपुरी (म.प्र.) को जोड़ती है तथा इटावा से

खातौली होते हुए म.प्र. में श्योपुर को जोड़ने वाली अन्तरराज्यीय सड़क है एवं इस सड़क मार्ग पर मांगरोल सीमा से इटावा के बीच मुख्य ग्राम पंचायतें जैसे लक्ष्मीपुरा, दुर्जनपुरा, लुहावद, अयाना, अयानी, गणेशगंज, रनोदिया व बिनायका के ग्रामीणों के लिये मुख्य मार्ग है जो कि अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में है, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। अत: मैं इस सड़क के 19 किमी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रु. 4750 लाख की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

2. गणेशगंज, इटावा, गेंता सड़क स्टेट हाइवे :- यह सड़क इटावा को बून्दी जिले से जोड़ती है एवं इस मार्ग पर भी कई ग्राम पंचायतें जैसे गैंता, नोनेरा व बम्बूलियाकलां के ग्रामवासियों के लिये आवागमन के मुख्य मार्ग हैं। अत: मैं इस सड़क के कुल 9.5 किमी. लम्बाई एवं 3.75 मीटर चौड़ाई में सुदढ़ीकरण हेतु राशि 525 लाख की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

3. राजोपा ढीपरी चम्बल सड़क एम.डी.आर. 130 :- यह सड़क मार्ग इटावा खण्ड के अन्तर्गत ढीपरी चम्बल से राजोपा के बीच 18 किमी. लम्बी मुख्य जिला सड़क है ढीपरी चम्बल, बोरदा, ककरावदा, सिनोता, राजोपा पंचायत मुख्यालय के ग्रामवासियों को उपतहसील खातौली तथा उपखण्ड इटावा एवं बून्दी जिले के मध्य आवागमन हेतु मुख्य मार्ग है। अत: मैं इस सड़क पर 7 किमी. में मौजूद 3.75 मी. चौड़ाई में सुदृढ़ीकरण हेतु राशि 300 लाख की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

4. इटावा, पीपल्दा, करवाड, खातौली सड़क :- यह सड़क इटावा से पीपल्दा करवाड होकर खातौली को जोड़ती है। यह मार्ग ग्राम पंचायत ख्यावदा, शहनावदा, करवाड, डूंगरली, पीपल्दा के ग्रामवासियों हेतु तहसील मुख्यालय पीपल्दा तथा उपखण्ड मुख्यालय इटावा एवं उपतहसील मुख्यालय खातौली के अवागमन हेतु मुख्य मार्ग है। अत: मैं इस सड़क पर पीपल्दा से करवाड होते हुए खातौली तक कुल 13.500 किमी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण हेतु 550 लाख राशि की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

5. इटावा खातौली सड़क स्टेट हाइवे-70 :- यह अन्तरराज्यीय सड़क कोटा से इटावा होते हुए श्योपुर (म.प्र.) एवं सवाई माधोपुर को जोड़ती है। वर्तमान में सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है तथा इटावा से खातौली के बीच राजोपा, तालाब, जोरावरपुरा, ककरावदा, बोरदा, ढीपरी चम्बल व निमोला ग्राम

पंचायत के ग्रामवासियों हेतु आवागमन का मुख्य मार्ग है। 19.50 किमी. लम्बाई में राशि रु. 4875 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुरोध करता हूं।

6. इटावा में बाइपास का निर्माण :- माननीय सभापति महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा इटावा में घनी आबादी होने तथा राजमार्ग की चौड़ाई कम रहने के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग पर कोटा से श्योपुर (म.प्र.) के बीच आवागमन कस्बे के अन्दर से ही होकर जाता है जिससे कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है तथा दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती हैं। वाहनों के आवागमन के कारण बाजार में दिनभर धूल उड़ती है जिसके कारण कस्बे के निवासियों एवं व्यापारियों को भी काफी परेशानी होती है। इटावा बाइपास का कार्य अविलम्ब स्वीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जो लगभग 3 किमी. का होगा, के निर्माण हेतु कुल राशि रु. 750 लाख की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

7. सुल्तानपुर में बाइपास का निर्माण :- माननीय सभापति महोदय, पीपल्दा का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा सुल्तानपुर है, जिसकी लगभग 22000 की आबादी है। अत: सुल्तानपुर बाइ पास का कार्य जो लगभग 6 किमी. का होगा के निर्माण हेतु कुल राशि 8.00 करोड़ की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध करता हूं।

8. टाकरवाडा से नरपतखेडी में पुलिया का निर्माण:- माननीय सभापति महोदय, सुल्तानपुर एरिये में टाकरवाड़ा से नरपतखेड़ी पर वर्तमान में बनी हुई पुलिया काफी नीचे होने के कारण बारिश के समय इस पुलिया पर पानी आ जाता है जिसके कारण नरपतखेड़ी से टाकरवाड़ा में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को काफी परेशानी होती हैं एवं कई बार तो यह बच्चे 15-20 दिन तक विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि टाकरवाड़ा से नरपतखेड़ी में नई पुलिया के निर्माण हेतु राशि एक करोड़ स्वीकृत करने की कृपा करें।

9. नृसिंहपुरा से मदनपुरा सड़क पर पुलिया का निर्माण :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ही सुल्तानपुर एरिये में दूसरी पुलिया की मांग नृसिंहपुरा से मदनपुरा तक है। मदनपुरा से नृसिंहपुरा के बीच में एक बड़ा नाला है जिसमें बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण नृसिंहपुरा के लोगों का अन्य गांवों से सम्पर्क टूट जाता है। इसलिये इस नाले के स्थान पर पुलिया का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। जनहित में

नृसिंहपुरा से मदनपुरा सड़क पर पुलिया के निर्माण हेतु एक करोड़ की स्वीकृति देने की कृपा करें।

10. मिसिंग लिंक रोड स्वीकृत करने के लिये :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा दूरस्थ होने के कारण यहां पर गांवों में लिंक रोड की कमी है जिसके कारण ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने में काफी परेशानी होती है अत: कृपया निम्न मिसिंग लिंक रोड स्वीकृत करने की कृपा करें।

सुल्तानपुर से खण्डगांव 1.25 किलोमीटर,

नयागांव उर्फ हरिपुरा से मदनपुरा तक एक किलोमीटर,

तोरण से सुल्तानुपर तक किलोमीटर,

दुर्जनपुर से 46 खुरा ढाई किलोमीटर,

डडवाडा से इटावा डेढ़ किलोमीटर,

सहनावदा रोड से जयनगर एक किलोमीटर,

उदयपुरा से मियाणा ढाई किलोमीटर,

ढीपरी चम्बल से बरनाहाली चार किलोमीटर,

मोरखुदा की रपट सहित बिरोदा रोड से जोड़ने हेतु,

गिरधरपुरा से मोरखुंदना तक सड़क निर्माण।

इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण व बड़ी मांग गैंता माखीदा पुलिया के निर्माण हेतु 102 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू)

महोदय, बजट में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने राज्य की सड़कों के लिए जो प्रावधान किये हैं, उनके लिए कोटि-कोटि आभार प्रकट करते हुए निवेदन है कि चाकसू व फागी उपखण्ड की निम्नलिखित सड़कों का डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने की कृपा करें।

उपखण्ड चाकसू जिला जयपुर

फागी से तूंगा वाया चाकसू व कोटखावदा स्टेट हाइवे नं. 2 सरमथुरा से फलौदी के अन्तर्गत आता है, जो मेरे वि.स. क्षेत्र की तीनों तहसील फागी, चाकसू व कोटखावदा से होकर गुजरता है। यह रोड फागी से तूंगा तक पूरी

तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसकी डामर उखड़ जाने के कारण मिट्टी व रोड़ी निकल आई है। जिसके कारण सड़क में बड़े-बड़े खड्ढे हो गये हैं। बड़े वाहन तो क्या छोट वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो रहा है।

स्टेट हाइवे होने के कारण इस रोड पर भारी वाहन, तीनों तहसील मुख्यालय के कारण पढ़ने वाले बच्चों, मजदूरी के लिए आने जाने वाले श्रमिकों, मरीजों व आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह रोड स्टेट हाइवे होने के कारण 24 घण्टे भारी यातायात के दबाव में रहता है।

लोक सभा चुनावों के दौरान आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने तूंगा की आम सभा में उक्त रोड को सुधरवाने का आश्वासन भी दिया था।

अत: उक्त रोड को सात (7) मीटर चौड़ा करके इसका डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने की कृपा करें। जिससे आवागमन सुगम हो सके।

गौरव पथ योजना के अन्तर्गत गांवों की सड़कों का चयन करने हेतु माननीय मंत्रीजी ने विधान सभा क्षेत्र चाकसू का दौरा किया था। इस दौरान दोनों उपखण्डों, फागी से चाकसू व चाकसू से कोटखावदा की दयनीय हालात देखकर मंत्रीजी ने डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 40-40 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की थी, जो आज दिनांक तक जारी नहीं हुई है। तथा चाकसू उपखण्ड की अन्य सम्पर्क सड़कें जिनका डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण होना है, वे निम्न प्रकार हैं :-

चाकसू से भादड़वास वाया आकोडिया,

कादेड़ा से टूटोली वाया भोज्याड़ा,

चंदलाई से थली,

चाकसू से ठीकरिया गुजरान वाया गरूड़वासी,

शिवदासपुरा से कुम्हारियावास वाया तीतरीया,

हिंगोनिया से तामड़िया,

रा.रा.मा.सं. 12 से रामपुरा वाया चाकसू,

रा.रा.मा.सं. 12 से शिवदासपुरा।

तहसील फागी जिला जयपुर की निम्नलिखित सम्पर्क सड़कें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। डामर उखड़ जाने के कारण रोड में बड़े-बड़े

खड्डे हो गये हैं। जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वाहनों का चलना दूभर हो रहा है। क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है :-

भोजपुरा से माधोराजपुरा,

डाबिच से हनुतिया खुर्द वाया डीडावता,

माधोराजपुरा से बिसालू वाया चांदमाकलां,

फागी रोड से पीपला वाया चित्तौड़ा,

फागी रोड से गोहन्दी वाया हरसुलिया,

भोजपुरा से लदाना,

फागी रोड से झाड़ला,

माधोराजपुरा से सैदरिया वाया बीची,

पहाड़िया से बाजडोली।

अत: निवेदन है कि उक्त दोनों उपखण्ड फागी से तूंगा वाया चाकसू कोटखावदा रोड को 7 मीटर चौडा करके डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने की कृपा करें। ताकि आवागमन सुगम हो सके।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 व 21 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

भारत देश में आज आम नागरिक देश के इस कोने से उस कोने से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन की समस्या को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने समझा और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दिये जाने के लिए ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को धरातल'' पर उतारा जिसका आज यह परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो गये हैं। अब तक राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2318 किमी. सड़कें बन चुकी हैं, जिसमें लक्ष्य 3000 किमी है।

नैतिकता को सर्वोपरि मानने वाले अटलजी कहते हैं कि-

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते,
न मैदान जीतने से मन ही जीता जाता है।

इसी बात को उन्होंने चरितार्थ कर ''प्रधानमंत्री सड़क योजना'' की मंजूरी कर ग्रामों में रहने वाली ग्रामीण जनता का मन जीत लिया।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने परिवर्तित बजट 2014-15 में 9 हजार किमी से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से 0.5 से 2 किमी लम्बी सड़कों का चयन कर गौरव पथ के रूप में आरसीसी की सड़कों के निर्माण कराये जाने का प्रावधान रखा था, इन कार्यों का प्रथम चरण लगभग सभी जगह पूर्ण हो गया है और धरातल पर गौरव पथ निर्माण हो चुके हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 11.15 किमी सड़कों का कार्य पूर्ण की स्थिति पर है, जिस पर 5 करोड़ 57 लाख रुपये का व्यय हुआ हो रहा है।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा विरासत में टूटी हुई सड़कें मिली हैं। जिसमें जालौर जिले के पांचों विधान सभा क्षेत्र में रानीवाड़ा में सबसे ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। आज ग्रामीण सड़कों की स्थिति खराब है। इन सड़कों की मरम्मत कराई जानी आवश्यक है।

रानीवाड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो उपखण्ड में लगते हैं।

स्टेट हाइवे-2, एमडीआर-3, ओडीआर-2, ग्रामीण सडकें-115 हैं, जिसकी कुल लम्बाई 656 किमी है।

जिसमें निम्न सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यक है।

भीनमाल उपखण्ड से सांचौर उपखण्ड को जोड़ने वाली सड़क एमडीआर की है,

दूसरी सड़क करडा से कुड़ा की है, जिसकी लम्बाई 15 किमी है। यह सड़क रानीवाड़ा उपखण्ड को जोड़ती हैं,

रानीवाडा खुर्द से चाटवाड़ा सड़क तो नाम मात्र की रह गई है। यह सड़क माइनिंग क्षेत्र में आती है, यह सड़क रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव मेड़ा, सिलासन व लाखावास को जोड़ती है।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्री सुन्धा माताजी का मंदिर है इस मंदिर को जिला जालौर से जोड़ने वाली सड़क श्री सुन्धा माताजी से भीनमाल तक है। जिसकी दूरी 21 किमी है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई

3.25 मीटर है जिसकी चौड़ाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता है साथ ही इस सड़क की वर्तमान स्थिति खराब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता की इन मांगों को, विश्वास है पूरा किया जायेगा। आपने मेरे को बोलने एवं अपनी मांग रखने का मौका दिया जिसके लिये पुन: धन्यवाद।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग 19 व 21 सड़कें व सार्वजनिक निर्माण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सड़क अधिनियम और जिस अधिनियम के तहत यह सड़कें बनाई जाती हैं, वह बहुत पुराने समय की है, जिस समय यह अधिनियम बना था उस समय ट्रैफिक बहुत कम था। अब बहुत बढ़ गया है। इसलिए वर्तमान में इस नीति को नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं सीधे अपनी मांग पर आता हूं, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड पुष्कर व रूपनगढ़ में डाक बंगले की आवश्यकता है। दोनों उपखण्डों पर ट्रेजरी के भवन निर्माण की आवश्यकता है तथा पुलिस, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व सरकारी विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिये आधुनिक सुविधा से युक्त आवासों के निर्माण की आवश्यकता है।

अजमेर से पुष्कर के बीच भारी यातायात को देखते हुए सुरंग के निर्माण की आवश्यकता है साथ ही तीर्थराज पुष्कर के अन्तरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए पुष्कर में हवाई पट्टी के निर्माण की जरूरत है, जिससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा।

पुलिस थाना पुष्कर, श्रीनगर, रूपनगढ़, घेघल, मांगलियावास, पीसांगन, नसीराबाद खानों में पुलिस कर्मचारियों के लिये उत्तम सुविधायुक्त नये आवास भवन, जिम पुस्तकालय आदि भवनों के निर्माण की आवश्यकता है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में जर्जर पड़े सरकारी स्कूलों के भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार घर, पंचायत भवन, अस्पताल भवन आदि अन्य प्रकार के सरकारी भवनों की मरम्मत व रंग-रोगन करने की आवश्यकता है।

अजमेर जिले में नव सृजित ग्राम पंचायतों में पटवार घर, ग्राम पंचायत भवन, आई.टी. सेन्टर, आंगनबाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान आदि जल्दी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जल्दी लोगों को सुविधा मिल सके।

अजमेर सम्भाग मुख्यालय पर स्थित डाक बंगले में कम्युनिटी हाल बनाने तथा डाक बंगले का रंग-रोगन करने की आवश्यकता है।

पुष्कर, रूपनगढ़, नरवर, करकेडी, बीर, बडलिया, गगवाना, बवाईचा, कडहेल, भावता, लुमाडा, सराधना, मोहामी, तबीजी में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है ताकि खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके।

अजमेर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर लगे टोल टैक्स को वहां से हटाकर अन्यत्र लगाये जाने की जरूरत है, क्योंकि अजमेर व किशनगढ़ की दूरी बहुत कम है। हजारों आम नागरिकों व कर्मचारीगणों का आना-जाना होता है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल टैक्सों को निजी वाहनों को टोल वसूली पर छूट दी जावे।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में जहां से रेलवे लाइनें गुजर रही हैं, जहां रेलवे फाटक लगी हुई है, वहां एक-एक घंटे तक लोग फाटक खुलने के इंतजार में खड़े रहते हैं, अत: डब्ल्यू फाटक आखिरी, मुहामी रोड, सराधना, लाडपुरा, दोराई, मदार आदि पर ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता है।

अजमेर से सीकर वाया रूपनगढ़ को चार लाइन का हाइवे बनाने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को सुविधा मिल सके।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में सभी सड़कों की मरम्मत एवं पैच वर्क करने की आवश्यकता है, इसके साथ ही निम्नलिखित रोडों का डामरीकरण करने की महती जरूरत है। पनेर से पर्वतसर, सलेमाबाद से रूपनगढ़, वाया सिंगला, रूपनगढ़ से सिनोदिया वाया भदूण, रूपनगढ़ की सभी ढाणियों का डामरीकरण किया जावे, करकेडी से रूपनगढ़ सीधा मार्ग बनाया जावे, किशनगढ़ से कुण्डियावास, गुगरा से श्रीनगर रोडों का जल्दी ही डामरीकरण किया जावे, करकेडी, पालरा, बडलिया, नरवर, पीगलोत, थल, कडहेल आदि गांवों की ढाणियों को डामरीकरण से जोड़ा जावे।

तिलोरा से बस्सी, पुष्कर से कंवलाई वाया खोरी, पालरा से सेदरिया, पालरा गांव से पोलया की ढाणी, बीर से कान्हाखेडी वाया गुदली को भी डामरीकरण से जोड़ा जाये साथ ही अजमेर से नसीराबाद, अजमेर से पुष्कर, अजमेर से खोडा गणेश जी मन्दिर को चार लाइन मार्ग से जोड़ा जावे।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे, 2003 में चयनित 250 से 499 तक जनसंख्या वाले ढाणियों के समूह (क्लस्टर) की हेबीटेशन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता है।

प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता पद से निम्न स्तर के पदों यथा मिस्त्री, सुपरवाइजर, फोरमैन, मेट एवं गैंगमेनों के पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-19 लोक निर्माण एवं मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया जिसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम पिछड़ा इलाका है जिला करौली जिसमें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान मां कैलादेवी का मंदिर, श्री मदन मोहनजी का मंदिर, श्री बालाजी का मंदिर एवं श्री महावीरजी का मंदिर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। जिसमें प्रतिवर्ष लक्खी मेले लगते हैं और लाखों की तादाद में दर्शनार्थी प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जिले से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की रेवेन्यू प्राप्त होती हो और उस जिले का विकास के नाम पर राज्य में सबसे अन्त में नम्बर आता है इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम की बात करें आज सडकों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि देश के अनेकों राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने वाहनों को सड़क पर चलाने में जो परेशानी होती है वह देखने व सुनने योग्य नहीं बनती। टोडाभीम से होकर स्टेट हाइवे संख्या 25 सिकन्दरा से गंगापुर सिटी (दिल्ली से बम्बई को सीधी जोड़ती है) तक निकलती है आप ग्रामों की सड़कों की बात तो छोड़ दें इस नेशनल हाइवे की क्या स्थिति है, वह मौके पर एक कमेटी गठित कर जांच करवायें जिससे आपको ज्ञात हो जायेगा कि आज प्रदेश के स्टेट हाइवे पर रोड्स की क्या स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला करौली जहां पत्थर की विश्व प्रसिद्ध खानें हैं, जहां पूरे भारतवर्ष से व्यापारी पत्थर का व्यापार करने आते हैं। जब ये लोग आते हैं तो राजस्थान से क्या मैसेज लेकर जाते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो सरकार कहती है कि राज्य में बड़े-बड़े उद्योगपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा लेकिन ऐसी हालात में कौन उद्योगपति इस प्रदेश में आकर उद्योग स्थापित करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधान सभा में गत सवा साल से मेरे क्षेत्र की सड़कों के सम्बन्ध में अनेकों माध्यमों से अपनी आवाज उठायी, चाहे वो प्रश्न का माध्यम हो या पर्ची का माध्यम हो या 295, 131 के माध्यम से हों। ओर उन पर सरकार द्वारा असत्य आश्वासन दिये, इस पवित्र सदन को गुमराह किया परन्तु मेरे क्षेत्र में इस सवा साल की अवधि में 10 फिट सड़क का भी निर्माण नहीं करवाया गया है1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की कैमरी से नांगल शेरपुर वाया मेडे का पुरा, गुढाचन्द्रजी से टोडाभीम की सड़क, टोडाभीम से शहर सोप तक की सड़क, नादौती से गढमोरा की सडक, शहर बाया से बागौर से 5 मी. चौड़ा गडखेड़ा की सड़क, गडखेडा से गुढाचन्द्रजी वाया लालासर की सड़क, टोडाभीम से करीरी वाया मडेरू तक की सड़क, भैसा से पाटोली वाया पाडला तक की सड़क तथा टोडाभीम से करीरी वाया खेड़ी तक की सड़क, ये सभी मेरे विधान सभा की ऐसी सड़कें हैं जहां पर एक-एक फीट के खड्डे हो रहे हैं। अगर गांव का व्यक्ति कोई गर्भवती स्त्री को इलाज हेतु चिकित्सालय लेकर चला जाये तो मुझे इस बात को कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वह गर्भवती स्त्री चिकित्सालय तक भी नहीं पहुंच पायेगी, रास्ते में ही उसका गर्भपात हो जायेगा। ऐसी हालत मेरे क्षेत्र की सड़कों की बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया गया तब मैंने उम्मीद लगाई कि शायद अब तो माननीय मंत्रीजी द्वारा सदन को दिये गये आश्वासनों पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की कुछ घोषणाएं जरूर होंगी। परन्तु इस बजट भाषण में मेरे क्षेत्र की सड़कों की घोषणा तो दूर की बात है मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का तो नाम ही नहीं है।

बालाजी बाइपास वाली सड़क जो राष्ट्रीय मार्ग 11 को बालाजी बाइपास होते हुए टोडाभीम को जोड़ती है। इस सड़क पर यात्रियों के वाहनों का भारी

दबाव रहता है यह सिंगल रोड है, कृपया इसे एमडीआर में ले के डबल रोड बनाया जाये ताकि आमजन को सुविधा मिल सके एवं गुढाचन्द्रजी वाया कमालपुरा से नग्गल शेरपुर व लपावली से महावीरजी सड़क को एमडीआर में जोडा जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र को विकास के नाम पर इस प्रकार से अछूता छोड़ना बिलकुल भी ठीक नहीं है, जनता जनार्दन यह सब अपनी आंखों से देख रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में राज्य में 20 हजार किमी सड़कों का नवीनीकरण करने की घोषणा की गई परन्तु सवा साल का समय गुजर जाने के उपरान्त आज दिन तक सड़क नाम की कोई चीज ही नजर आ रही है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)

माननीय अध्यक्षजी, आज मांग संख्या-21 सडकें एवं पुल, 19 लोक निर्माण पर बोलने का अवसर नहीं मिला अत: टेबिल करने का अनुमति देने का कष्ट करें :-

शाहपुरा, नीमकाथाना, खेतड़ी, पिलानी, नोहर, हनुमानगढ, एनएच बनाया जावें,

थूरूट एमडीआर में मनोहरपुर से पालडी-तेवडी-विराटनगर, देवली, पाछूडाला, प्रागपुरा (एनएच 8),

जोधपुर-कल्याणपुरा, बडनगर, तुलसीपुरा-जयसिंहपुरा, लुहाकना बीलवाडी-मैंड-प्रतापगढ-एमडीआर घोषित कर बनायी जावें जिससे एनएच 8 पर दबाव कम होकर समान्तर सड़क विकसित हो सके।

अलवर तिराहा (शाहपुरा) से त्रिवेणी होकर मेगा रोड जो अभी-अभी शाहपुरा-चौमूं बनी है, जोड़ा जावे, शाहपुरा तथा शाहपुरा बाइपास बनाया जावे।

सभी टूटी सड़कों की मरम्मत की जावें।

सभी नये राजस्व गांव जो 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं को पीएमजीएसवाई से जोड़ा जाए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित सड़कों, पुल निर्माण व लोक निर्माण से सम्बन्धित समस्याओं की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर समाधान की मांग करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री कोलायत में कुल सड़कों की लम्बाई 1500 किलोमीटर है, जिसमें से 350 किलोमीटर सड़कें नान पैचेबल है। अर्थात सड़कों की कुल लम्बाई का 25 प्रतिशत पूर्णत: क्षतिग्रस्त है। वर्ष 2014-15 के बजट में मेरे क्षेत्र की इन नान पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण हेतु मात्र 3 करोड 40 लाख का बजट आबंटित किया गया है, जो बहुत कम है, इस बजट से लगभग 20 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होगा। मंत्री महोदय, मेरा क्षेत्र कोलायत 200 किलोमीटर की लम्बाई में फैला है। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कोलायत की लम्बाई अधिक होने की वजह से नान पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण का बजट बढ़ा कर सडकों की स्थिति सुधारी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पिछले बजट में खनन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व नवीनीकरण की घोषणा की, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिप्सम बजरी, क्ले व लिग्नाइट आदि का खनन होता है, जिससे इस क्षेत्र के गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। माइनिंग क्षेत्र की इन सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाए।

कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय निर्मित सड़कों का रखरखाव व नवीनीकरण नहर विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा था, पिछले वर्ष 2014 की बजट घोषणा में इन 476 किमी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन मंत्री महोदय, नहरी क्षेत्र की 476 किलोमीटर लम्बी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है व चलने लायक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की मुख्यत: कोलायत लिफ्ट, चारणवाला वितरिका, गजनेर लिफ्ट, बांगडसर लिफ्ट, बरसलपुर ब्रांच आदि सड़कें जिनकी लम्बाई 144 किलोमीटर है, इनमें से 100 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें नान पेचेबल हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित नहरी क्षेत्र की सड़कों का वर्ष 2015-16 के बजट में नवीनीकरण का कार्य करवाकर क्षेत्र की जनता को सुलभ आवागमन उपलब्ध करवायें।

वर्ष 2015-16 में प्रदेश में 2000 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कें बनाने की घोषणा की गई जिसके अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनेगी लेकिन मेरा क्षेत्र काफी बड़ा व विस्तृत है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी भी अधिक है। रेगिस्तानी व मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण सड़कों की अधिक आवश्यकता है। विधान सभा क्षेत्र कोलायत में मिसिंग लिंक सड़कों हेतु अतिरिक्त बजट देकर एक गांव से दूसरे

गांव को जोड़कर जनता को परिवहन व आवागमन सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पैचेबल सड़कों की लम्बाई 400 किलोमीटर है, इन सड़कों में जगह-जगह खड्डे पड़ गये हैं। इन सड़कों के पैच वर्क नहीं किये जा रहे हैं। जिससे इन सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। अत: इस वर्ष इन सड़कों का पैच वर्क करवाकर आम जन को राहत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र कोलायत व बीकानेर जिले में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित 250 से 499 तक जनसंख्या वाली ढाणियों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कर जोड़ने की मांग करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में यातायात के भारी दबाव, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं को कम करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 जैसलमेर राजमार्ग को बाइपास बनाकर जोड़ने से बीकानेर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि बीकानेर शहर के तीन तरफ बाइपास निर्मित है, मात्र एक तरफ से जुडा नहीं है, जोधपुर सड़क से जैसलमेर सड़क को जोड़कर रिंग रोड बाइपास का निर्माण कर बीकानेर की जनता को अनुगृहित करावें।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से दासूडी सड़क पर आवागमन भी अधिक रहता है, कृपया बीकानेर से अक्कासर, भोलासर, मोखां खालसा, झझू, हदां, खिन्दासर होते हुए दासौड़ी तक बीकानेर जिले की सीमा लगती है, दासूडी की राजस्व सीमा से जोधपुर जिले के ओसियां गांव तक एम.डी.आर. 35 स्वीकृत है। बीकानेर से ओसियां सड़क को एमडीआर 35 से जोड़कर बीकानेर से ओसियां एमडीआर सड़क घोषित कर इस सड़क का विकास किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेल फाटकों की गम्भीर समस्या है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 पर रेल फाटक है, जो हमेशा बंद रहता है, इस नाल रेलवे क्रांसिग पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए कोलायत में झझू सड़क पर रेलवे फाटक से आस-पास के लोगों को भारी परेशानी होती है। कोलायत झझू मार्ग पर अण्डर ब्रिज बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, पर्यटन विभाग के भी कार्यक्रम होते हैं। यहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते

हैं। श्री कोलायत को 68 तीर्थों का गुरु कहा जाता है, लेकिन कपिल सरोवर की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण है तथा पानी आवक के नदी-नाले भी अवैध खनन की वजह से बंद हो चुके हैं। वनस्पति एवं कमल बैल उग जाने से तालाब की स्थिति गम्भीर हो गई है। इस तालाब के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना बनाकर विशेष बजट आबंटित करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत को जोड़ने वाली तीन मुख्य सड़कों को, सांखला फांटा से कोलायत, टेचरी फांटा से कोलायत व झझू से कोलायत तक की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर इस पवित्र तीर्थ स्थान से सीधा व सुगम जुड़ाव बनाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में वर्षों पुराना सार्वजनिक विभाग का डाक बंगला है। इसका भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, डाक बंगले का पुन: निर्माण किया जाए। वहीं कोलायत के डाक बंगले का भी रखरखाव व मरम्मत की जाए तथा कोलायत में न्यायालय भवन, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय व निवास भवन सहित सभी प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जाए।

नहरी क्षेत्र में सड़कों के ऊपर घने पेड-सड़क के दोनों तरफ घिर आए हैं, जिससे रोजना सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस समस्या का समाधान करने का आग्रह करता हूं।

कोलायत विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर लम्बा है तथा इसमें सड़कों की लम्बाई 1500 किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन यह पूरा क्षेत्र नोखा अधिशासी अभियंता के अन्तर्गत आता है, मंत्री महोदय से निवेदन है कि कोलायत में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए तथा मेरे क्षेत्र में सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जाए।

धन्यवाद।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या-19 एवं 21 पर क्षेत्र की मांग इस प्रकार है :-

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत ट्रेजरी भवन स्वीकृत हुए दो वर्ष हो गये हैं, भूमि आबंटन के अभाव में अभी तक ट्रेजरी का भवन नहीं बन पाया है, पीडब्ल्यूडी विभाग इस हेतु तहसील कार्यालय सिवाना में पत्रावली दे चुका है तो अभी तक आबंटन के अभाव में ट्रेजरी भवन नहीं बन पा रहा है, अतिशीघ्र इस ओर ध्यान देकर भवन बनाने की कृपा करें।

सिवाना एवं सिणधरी में बने हुए विश्राम गृह (सर्किट हाउस डाक बंगले) के रखरखाव एवं नये भवन का विस्तार किया जाए।

समदडी नवीन समिति मुख्यालय तहसील कार्यालय, AEN PWD कार्यालय सृजित है सभी के भवन निर्माण एवं डाक बंगला निर्माण हेतु निवेदन है।

पुराने बने भवनों में डाक बंगले, कार्यालय आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करने की मांग है।

सिवाना मुख्यालय पर वर्तमान में पीएमजीएसवाई योजना का एक्स ईएन कार्यालय पीडब्ल्यूडी स्वीकृत है, इसी को रेगुलर (सामान्य) एक्स ईएन कार्यालय में बदलने एवं इसी के साथ पादरू को नया पीडब्ल्यूडी उपखण्ड घोषित करने की कृपा करें।

सिवाना, समदड़ी, सिणधरी तीन ए ईएन विकास खण्डों में विभिन्न प्रकार की सभी डामर सड़कें लगभग 1000 किमी. है इसमें 100 सड़कें वर्तमान में पीएमजीएसवाई योजना की हैं इन सबका सुपरविजन, निरीक्षण, परीक्षण एवं यूसी, सीसी, तकमीना बनाने हेतु, स्वीकृति हेतु वर्तमान में सिवाना में एक्स ईएन कार्यालय पद सहित आवश्यक है जिसकी मांग रहेगी।

सिवाना क्षेत्र की मुख्य सड़कें हैं-

राज्यमार्ग (SHW) 122 किमी.,

मुख्य जिला सड़कें (MDR) 42 किमी.,

अन्य जिला सड़कें (ODR) 62 किमी.,

ग्रामीण सड़कें (VR) 444 किमी.।

कुल 670 किमी. डामर सड़कें हैं जिसमें सिणधरी क्षेत्र की 19 पंचायतें जोड़ने पर 1000 किमी. डामर सड़कें बनती हैं इन सभी के लिए एक्स ईएन कार्यालय आवश्यक है।

मेरी आपके माध्यम से विशेष मांग रहेगी कि-

सिवाना-समदड़ी-कल्याणपुर-जोधपुर मार्ग बहुत व्यस्त मार्ग है जिसमें रेलवे लाइन क्रासिग है उस पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग पूरे सिवाना क्षेत्र की मुख्य मांग है।

धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए सिवाना क्षेत्र में वर्तमान लगभग 40 किमी. सड़क की मांग रहेगी, जिसमें अन्नपूर्णा माता मंदिर मामाजी का थान कुशीप, पीपलिया महादेव, अमरनाथ महादेव मंदिर डण्डाली आदि मुख्य मांगें हैं।

मुख्य सड़क सिवाना समदड़ी कल्याणपुर जोधपुर मार्ग वर्तमान में खस्ता हालत में है जिसका नवीनीकरण करके 7 मीटर चौड़ी पुल लूणी नदी पर बनाने की आवश्यकता है।

बाडमेर मार्ग-सिवाना वाया मीठोड़ा सिणधरी मार्ग जिसको नवीनीकरण करने की मांग है।

सिवाना जालौर मार्ग जो मेगा हाइवे को जोड़ता है उसे स्टेट हाइवे 325 घोषित किया गया, इसको शीघ्रता से पूर्ण कर कार्य शुरू कराएं।

मिसिंग लिंक में क्षेत्र में लगभग 50 किमी. की मांग है।

रिन्यूएबल सड़कों में 49 सड़क मार्ग इस में लेने योग्य हैं उनकी भी।

नोन पैचेबल में सड़क बनाने का विभागीय स्तर पर प्रतिवेदन दिया गया है उसकी मांग है।

पीएमजीएसवाई सड़कों से जोड़ने हेतु नये राजस्व गांव जो बाकी हैं उनमें भाखापुरा, वावनगर, टीकमपुरा, लाडुनगर, रामदेवनगर उमसर आदि को जोड़ा जाए।

सिवाना क्षेत्र के बड़े कस्बों में बाइपास बनाया जाए जिसमें सिवाना, सिणधरी, समदड़ी, मोकलसर, पादरू आदि मुख्य हैं।

पाली सिवाना जयपुर मार्ग को राज्यमार्ग घोषित किया जाए।

सिवाना बाड़मेर मार्ग को वाया सिणधरी राज्य मार्ग घोषित किया जाए।

पूरे क्षेत्र की डामर सड़कों के नवीनीकरण की मांग रहेगी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 व 21 पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

किसी प्रदेश का यदि आवागमन सही होगा तो उस प्रदेश का निश्चय ही विकास जल्दी होगा, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी।

मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को जिन्होंने पीएमजीएसवाई योजना के अन्तर्गत गांव से गांवों की जोड़कर रोड निर्माण करवाकर गांवों को रोड से जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी को, जिन्होंने गांव में गौरव पथ निर्माण कर

घर जाने के लिए सीमेन्ट सड़क व नाली निर्माण करने के इस बजट में आदेश किये।

मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे जैसलमेर जिले में यदि कमी है तो रोड निर्माण की क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल भारत में सभी जिलों से बड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसलमेर रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस जिले को विशेष पैकेज मिलना चाहिये जिससे वहां रहने वाला चाहे राज्य कर्मचारी हो, सभी यह चाहते हैं कि हमे मूलभूत सुविधाएं मिलें जैसे बिजली, पानी, सड़क व शिक्षा। मगर हमेशा इस प्रदेश में हमारा जिला पीछे रहता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैललमेर की जनता की मांग है कि पूर्व में बनी सड़कों को 15 साल हो गये हैं उनका नवीनीकरण किया जावे।

गांव की दूरियां कम करने के लिए यदि मिसिंग लिंक रोड की घोषणा जैसलमेर में हो जावे तो हमारे लिए जोधपुर जैसलमेर की दूरी 50 किमी कम हो जावेगी।

जैसलमेर मुलाना रासला रोड से राजमथाई रोड केवल 8 किमी होने से दूरी कम होगी

पूर्व में बनी एडीपी की रोडें आज बीएडीपी की गाइड लाइन बदलने के कारण अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूर्ण किया जावे।

जैसे,

कनोई सलखा रोड से कुछड़ी हापूर रोड,

मेघा गांव से मेघा पार रोड।

ऐसी करीब 10 रोड हैं जिन्हें पूर्ण करवाया जावे।

क्षेत्रफल के हिसाब से रोड विकास के लिए सड़क निधि में बजट दिया जावे। एवं एरिया के मुताबिक रोड का नक्शा व एस्टीमेंट बनाया जावे एवं डब्ल्यू.बी.एम. भी करवाया जावे व डामर भी 40 एमएम दो लेयर में करवाया जावे।

पूर्व में बनी सड़क, 3 मीटर रोड को 5.50 मीटर की बनाई जावे।

जैसे

जैसलमेर शहर से म्याजलग रोड चौड़ाई 3 मीटर जोधपुर भागु गांव से बडोड़ा गांव रोड चौड़ाई 3 मीटर।

अत: उक्त रोडों को 5.50 मीटर बनाई जावे।

आईजीएनपी चक आबादी में मूलभूत सुविधा सड़क कार्य पूर्ण करवाये जावें।

उदाहरण के लिए सदराऊ एसबीएस से मोहनगढ़ रोड आज भी डब्ल्यू.बी.एम. करवाई हुई पड़ी है। आईजीएनपी विभाग द्वारा कार्य अधूरा पड़ा है अत: इसे पूर्ण करवाया जावे।

जैसलमेर से सम रोड जो कि पर्यटक रोड उसके कोर्स करके काफ दी जैसी नदी है उसके ऊपर पुल निर्माण करवाया जावे। साथ हमारे क्षेत्र में नहरी क्षेत्र में नहरों के ऊपर पुल पूर्व में कम हैं दूरियों को कम करने के लिए 10-10 किमी. पर पुल बनवाए जावें एवं कई गांवों का भी रोड निर्माण है जहां भी पुल निर्माण करवाया जावे।

जैसे- जैसलमेर बान्धा रोड निर्माण पर पुल निर्माण करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में डाक बंगले व कई कालोनियां भी बनीं हैं वह आज क्षतिग्रस्त हैं। अत: मेरी मांग है कि डाक बंगलों की रिपेयरिंग या पुन: निर्माण करवाया जावे।

जैसे - गांव सम में डाक बंगला निर्माण,

गांव रामगढ़ में डाक बंगला निर्माण

गांव मोहनगढ़ में आईजीएनपी द्वारा बने डाक बंगले का पूर्ण निर्माण करवाया जावे साथ ही आईजीएनपी द्वारा बनी रहवासी कालोनियों को पुन: रिपेयरिंग या पुन: निर्माण करवाकर रहने लायक बनाया जाए।

आदरणीय, यदि कालोनियों को नहीं बनाते हो तो उन्हें गांव की जनता को अलोट कर दिया जावे जिससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो सके।

श्री हरिसिंह रावत (भीम)

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एन.एच. 148 डी नागौर से जैतारण रायपुर-हरिपुर-जस्साखेडा-भीम-आसींद-विजयनगर मेगा हाइवे का कार्य प्रगति पर है, जिसका कार्य वन विभाग से पर्यावरण एन.ओ.सी. नहीं मिलने से रायपुर से बल्ली-जस्साखेड़ा तक 25 किमी. के लगभग कार्य रूका हुआ है। इसी प्रकार ब्यावर-गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 भी तीन वर्षो से वन विभाग के पर्यावरण एन.ओ.सी. नहीं

मिलने से बाघाना से बस्सी तक करीबन 25 किमी. कार्य रुका पड़ा है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत थानेटा से दर्रा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत पर्यावरण एन.ओ.सी. नहीं मिलने से सभी सड़कों का कार्य लम्बे समय से रुका हुआ है।

बडा अफसोस है कि जो सड़कें दिल्ली-बम्बई एन.एच. 8, जैतारण-हरिपुर-रायपुर-जस्साखेड़ा में पूर्व से ही निम्न सड़कों पर आवागमन चल रहा है, तो केवल 7 मीटर से 12 मीटर चौड़ी करने में ऐसी कौनसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी वजह से पर्यावरण एन.ओ.सी. में विभाग को परेशानी आ रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि तत्काल उचित कार्यवाही कर अपूर्ण कार्यो को गति प्रदान करावें।

इसे वन विभाग व पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. दिलाकर तत्काल प्रारम्भ कराया जाए।

धन्यवाद।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 व 21 पर बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और सड़कों की मरम्मत भी नहीं करवाई गई।

बीकानेर से रायसिंहनगर, गंगानगर 227 किमी की सड़क राजमार्ग का कार्य शुरू किया गया। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद। दो हजार किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण भी करवाया जाएगा जिससे जनता को लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ रोड की मरम्मत यथाशीघ्र होनी चाहिए कई वर्षो से यह समस्या है।

रावला से खानुवाली, 365 आर डी रोड जो लगभग 30 किमी है, जिसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। ये रोड बार्डर रोड है, इस रोड पर यातायात बहुत ज्यादा है। यह रोड आगे खाजूवाला (बीकानेर) जिले को जोड़ती है। जिसमें एक जिले से दूसरे जिले में जाने का मुख्य मार्ग है।

अनूपगढ़ से 27 ए रोड की की चौडाई बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि ये भी बार्डर सड़क है। जिस पर फौजी भाइयों का आवागमन रहता है ओर इसी सड़क पर लैला मजनूं की दरगाह है जो पर्यटक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दरगाह पर हर साल मेला भरता है। इस मेले में आने जाने में आमजन को बहुत परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की प्रधानमंत्री सड़क योजना के सपनों को पूरा कर जनता को फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा अनूपगढ़ में सार्वजनिक विश्राम गृह में सुविधा का अभाव है। ये सार्वजनिक विश्राम गृह लगभग 25 वर्ष पुराना है। अनूगपढ़ घड़साना व रावला में एक मात्र विश्राम गृह है और उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्राम गृह में लगे बैड और पंखें खराब हैं और फर्नीचर भी काफी पुराना और टूट चुका है। अत: इस हेतु बजट दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रावला से खानुवाली, 365 हैड पर अनूपगढ़ शाखा पर बने पुल को सही करने की आवश्यकता है क्योंकि इस पुल पर कई बार दुर्घटना घटित हो चुकी है और पुल सही नहीं होने के कारण वाहन सीधे अनूपगढ़ शाखा में गिर जाते हैं। जिससे जन-धन की हानि होती है। इस पुल के ऊपर से हजारों साधन गुजरते हैं अत: इसको सही कराने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से रायसिंहनगर रोड पर अनूपगढ़ में से रेलवे लाइन गुजरती है। जिस पर फाटक बन्द होने पर साधनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं। बीमार व्यक्तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: यहां पर अण्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इन्तजार न करना पड़े और जनता को लाभ मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित घग्घर नदी के पुलों के बारे में सदन को इसी सत्र में अवगत करा चुकी हूं जो कि क्षतिग्रस्त हैं उनकी भी अतिशीघ्र मरम्मत करवाई जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना बस स्टैण्ड सड़क लेवल से नीचा होने के कारण बरसात का पानी भर जाता है। बस पर यात्रा करने वाले बस स्टैण्ड तक पहुंच ही नहीं पाते ओर कीचड़ फैल जाता है जिसके सुधार की जरूरत है ताकि लोगों को फायदा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालय भवनों का अभाव है। बीईओ, सी.डी.पी.ओ. भवन नहीं है। तीन-तीन विभाग एक ही भवन में चल रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जावे।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 लोक निर्माण, मांग संख्या 21 सड़कें व पुलिया के सम्बन्ध में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सारी की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं पूर्व में 2007 एवं 2008 में पी.एम.जी.एस.वाई. में छाणी बड़ला में 0 से 14 किलोमीटर सड़क 5 फीट चौड़ी स्वीकृत हुई थी। सन 2009 से 2010 में इसका कार्य पूर्ण किया गया है। कार्य की क्वालिटी इतनी खराब थी कि जिसके कारण सड़क जीर्ण-शीर्ण होकर बिलकुल टूट चुकी है। आज वहां मौके पर देखा जाय तो सड़क नोन पैचेबल जैसी हालत में है। उस सड़क की काफी स्थिति खराब है और उस पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च हो चुका था ठेकेदार की लापरवाही से। मौके पर स्थिति खराब है उसी प्रकार 0 से 14 से 27 कि.मी. की भी स्वीकृति उसी समय निकाली गई थी मगर वहां की भी स्थिति बहुत खराब है। दोनों सड़कों को नवीनीकरण के माध्यम से पूरा करवाया जावे तो वहां के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सड़क पर करीब 13 से 14 ग्राम पंचायतों और यह सड़क गुजरात के भीलुड़ा गांव होकर हिम्मत नगर अहमदाबाद को जोड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसकी स्वीकृति शीघ्र ही निकालने के आदेश करावें।

खैरवाड़ा से बावलवाड़ा वाया ढीकवास सड़क की स्थिति भी बहुत खराब है। पूर्व में 2009 से 2010 में इस सड़क पर अलग-अलग तीन टुकड़ों में स्वीकृति हुई थी, खैरवाड़ा से थूरिया अनुमानित 8 कि.मी. जो घटिया क्वालिटी व एकरूपता से नहीं बनी होने से आज स्थिति दयनीय हो गई है, थुरिया से बरोठी भीलान तक की सड़क पर कार्य चालू ही नहीं हो पाया, वह सड़क पैदल यात्रियों के चलने लायक नहीं है, बरोठी भीलान से ढीकवास तब बनी सड़क भी खराब स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी को बताना चाहता हूं कि उस सड़क पर कार्य सही तरीके से नहीं हुआ उसमें भी ठेकेदारों ने काफी अनियमितता बरती है सड़क टूटकर जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है व

थूरिया से बरोठी भीलान तक बनी ही नहीं। सड़क को शीघ्र चालू करवाने की कृपा करावें व ठेकेदार के खिलाफ जांच करवाई जावे अगर सड़क गारण्टी पीरियड में है तो उस सड़क का कार्य ठेकेदार से पुन: करवाया जावे।

इसी के साथ ऋषभदेव से मसारो की ओबरी से घोड़ी की सड़क भी नोन पैचेबल स्थिति में है। यहां पर ग्रीन मार्बल की खदानें हैं, पूरे विश्व भर से उत्तम क्वालिटी का ग्रीन मार्बल इस क्षेत्र से निकलता है। इससे सरकार को सीधी आय करीब-करीब 22 करोड़ रुपये होती है। ग्रीन मार्बल की खदानों से 3000 से 4000 टन प्रतिदिन ग्रीन मार्बल निकाला जाता है। प्रत्येक गाड़ी करीब 40 से 50 टन की लोड होकर जाती है। 100 ट्रक प्रतिदिन इस रोड से आवागमन करते हैं अत: इस सड़क का कार्य अतिशीघ्र करवाये जाने के आदेश करावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भारी बरसात के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में सागवाड़ा पाल की सड़क पूरी टूटी हुई है पुलियाएं भी टूटी हुई हैं। इस सड़क पर भारी बरसात के कारण एक अध्यापक बह गया था उसकी मृत्यु हो चुकी है सड़क क्षतिग्रस्त है और पुलियाएं पूरी टूट चुकी हैं।

उसी प्रकार सारोली से सागवाड़ा रोड पर भी भारी बरसात के कारण सड़क व पुलियाएं बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सड़क की पूरी जानकारी लेकर इन सड़कों का पुन: निर्माण करवाया जावे।

केसरीयाजी से वाया कल्याणपुर व सलूम्बर के बारे में पूरी जानकारी लेकर इस सड़क को भी शीघ्र ही पूरी करवाने के आदेश करावें। यह सड़क विधान सभा सलूम्बर, डूंगरपुर, आसपुर, धरियावद, प्रतापगढ़ जिले को जोड़ती है इस सड़क को चौड़ी करवाना भी अति आवश्यक है।

देलाणा हनुमान जी से ओड़वास सड़क को भी पी.एम.जी.एस.वाई. से जोड़ा जावे व बावलवाड़ा ग्राम पंचायत से सामरूण वाया पाडलिया सड़क को पी.एम.जी.एस.वाई. से जोड़ा जाये।

बावलवाड़ा पंचायत देवनकाड पसलाई से दोनदी तक की सड़क को पी.एम.जी.एस.वाई. से जोड़कर डामरीकरण किया जावे।

ढीकवास ग्राम पंचायत में पूर्व निर्मित पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क का आज की तारीख में कोई नामों निशान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उस सड़क को रिन्युअल लेकर अतिशीघ्र नवीनीकरण करवाया जावे।

ग्राम पंचायत ढीकवास में मगरा से घाटा, आजादी के बाद से आज तक वहां की जनता सड़क से वंचित है। वहां पर बीमार मरीज को आज भी 7

किमी. खाट पर लाकर हास्पिटल पहुंचाने की स्थिति है। जनजाति क्षेत्र होने से वहां पर यह सड़क बनायी जाए, यह झाड़ोल पंचायत समिति को जोड़ती है।

इन सभी कार्यों को पूर्ण करवाया जावे।

श्री अजीत सिंह (टोंक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत टोंक के प्रथम फेज में 8 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सी.सी. सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तथा जनता की ओर से आभार व्यक्ति करता हूं। नगर परिषद क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

टोंक जिला मुख्यालय स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड जहां पर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों की बसें आती हैं तथा उनमें हजारों की तादाद में यात्री यहां आते जाते हैं किन्तु बड़े दु:ख की बात है कि इस बस स्टैण्ड के मुख्य द्वार की सड़क काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है तथा पानी भरा रहता है जिसके कारण पैदल आने जाने वाले लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार इस सड़क पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं किन्तु अभी तक इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। साथ ही बस स्टैण्ड परिसर में भी सड़कों की स्थिति काफी वर्षों से बिलकुल जर्जर हो चुकी है। ऐसी स्थिति के कारण यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

विधान सभा क्षेत्र टोंक में आने वाली अधिकांश सड़कों से भारी मात्रा में बजरी का परिवहन बनास नदी से किया जाता है। बनास नदी में खनिज विभाग द्वारा बजरी खनन की लीज आबंटित की जाती है एवं राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है किन्तु ट्रकों द्वारा बजरी परिवहन से चिरोज मण्डावर ईसरदा रोड, शिवपुरी से अरनिया केदार रोड, टोंक लहन पालना सड़क, टोंक बमोर बनेठा सड़क, पटेल सर्किल टोंक से गहलोत घाट तक की सड़कें बजरी के ओवरलोड वाहनों के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है तथा इन सड़कों पर दो पहिया वाहन भी चलना मुश्किल हो रहा है। इन सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण धूल ही धूल उड़ती है तथा वातावरण दूषित हो रहा है। जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

टोंक के ग्राम मेहन्दवास से अमीनपुरा के रास्ते पर बरवास जाने वाले मार्ग पर बनास नदी पर रपटा/पुलिया निर्माण कार्य करवाया जाना भी

आवश्यक है इसके अभाव में वर्षा के समय लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

ग्राम नानेर से बावड़ी होते हुए टोडारायसिंह एम डी आर रोड का काम बन्द है उसे भी अविलम्ब प्रारम्भ करवाया जावे।

टोंक बनास नदी पर स्थित पुराने पुल जो देश की आजादी से पूर्व 1936 में अंग्रेज इंजीनियर फ्रेजर ने बनवाया था, आवागमन अधिक होने एवं इसकी चौडाई कम होने के कारण इसको बन्द कर दिया गया तथा इसके स्थान पर नई पुलिया निर्मित हो गई। उक्त पुरानी पुलिया को कुछ समाज कंटक लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण इस पुलिया के पिल्लरों को मशीनों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा कीमती धातुओं से निर्मित प्लेटों को चोरी करके ले गये तथा पुलिया के किनारों पर स्थित सरकारी भूमि पर कब्जा भी कर लिया है। इस पुलिया को क्षतिग्रस्त एवं चोरी करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा थाना सदर में 16 एवं 19 फरवरी, 2015 को रिपोर्ट भी दर्ज करवायी जा चुकी है, जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश आजाद नहीं होने से पूर्व निर्मित इस फ्रेजर पुल को पुरातत्व महत्व का घोषित कर पर्यटन स्थल भी घोषित किया जावे तथा इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जाए।

टोंक के चराई से बमोर, लाम्बा से सोनवा वाया छापरिया, खजुरिया से ढाणी जाटान, नवाबपुर से अमीनपुरा, हरभगतपुरा से चूली, हमीरपुर से काचरिया बालाजी, सीतारामपुरा से नटवाडा तथा शुक्लपुरा से नटवाडा, मिसिंग लिंक सड़क योजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण यहां पर निवास करने वाले लोगों को अनेकानेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अत: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि जनता की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जावे तथा मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति प्रदान करें। जहां से बजरी का परिवहन होता है उन सड़कों को माइनिंग सड़कें घोषित करें तथा फ्रेजर पुल को पुरातत्व महत्व का घोषित कर इसकी सुरक्षा की जावे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री मान सिंह (गंगापुर)

अध्यक्ष महोदय, आज, सदन में मांग संख्या 19 एवं 21 पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगापुर क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय है विशेषकर भाड़ौती, मथुरा वाया गंगापुर सिटी, वजीरपुर मेघा हाइवे अत्यन्त खराब स्थिति में दो से तीन फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं पूर्व में इस सड़क को रिडकोर कम्पनी बना रही थी लेकिन अब काम बंद पड़ा है। महोदय, इसी रोड पर हिण्डौन फाटक पर रेलवे पुल भी टूटा पड़ा है जिसे पिछली सरकार ने बनाया था, मेरा अनुरोध है कि इसे तुरन्त पूरा किया जावे।

इस बाबत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, गंगापुर में महुकलां रेलवे अण्ण्डरपास का निर्माण किया जाना है इसकी पूर्व में तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति भी निकल चुकी है लेकिन विभागीय स्तर पर पैंडिंग है। इस पुलिया का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है इससे 40 गांवों की जनता को फायदा होगा। कांग्रेस सरकार द्वारा ये झूठी घोषणायें की गई थीं।

गंगापुर से श्री महावीरजी वाया पिलोदा, गंगापुर से नादोती, बाया बड़ी उदई सड़कों का निर्माण भी तुरन्त किया जावे। उक्त दोनों सड़कें ट्राइबल बैल्ट में भी आती हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान करावें साथ ही क्षेत्र में पैचवर्क कार्य भी पूर्ण करावें।

धन्यवाद।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 एवं 21 में निवेदन है कि जिला अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। किन्तु अलवर जिले में उक्त योजनान्तर्गत सड़क नैटवर्क का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। जबकि जिले की सीमाओं से अन्य राज्य हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में इस मद में काफी विकास कार्य हुए हैं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा एवं हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र धारुहेड़ा से लगता हुआ है। साथ ही दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर प्रोजेक्ट में अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं से युक्त एयरपोर्ट विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित है।

अत: इस क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विकास अविलम्ब किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क नेटवर्क विकास हेतु निम्नलिखित कार्यों के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सड़क विकसित होने से क्षेत्र में विकास कार्यों में भी गति आएगी। प्रस्तावित कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना (NCRPB) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यों को स्वीकृत कराने की कृपा करें।

किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी (हरियाणा सीमा तक) सड़क चौड़ाईकरण में अपूर्ण रही ग्राम नया गांव से ग्राम पहाड़वास (लम्बाई 4.00 किमी) तक सड़क का चौड़ाईकरण कराना,

किशनगढ़ बास एवं खैरथल में आर.ओ.बी. सहित बाइपास का निर्माण करवाना,

अलीपुर-खेडी-खानुपर डागरान-पुर-नीमलाका-कलगांव-हींगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर झिरका (हरियाणा सीमा तक) तक मुख्य जिला सड़क (MDR) घोषित कराना,

विजय मंदिर अलवर से घाटला-पडीसल व खैरथल होते हुये हरसौली तक सड़क को मुख्य जिला सड़क (MDR) घोषित कराना,

उन्नयनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य हरसौली-बीबीरानी-कोटकासिम-बुढी बावल-टपूकडा,

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-द्वितीय अलवर का मुख्यालय किशनगढ़ करने बाबत,

किशनगढ़ बास एवं कोटकासिम उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगले का निर्माण करवाना,

उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम में अधिकारियों के आवासों का निर्माण करवाने की कृपा करें।